

SHIBITUI
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i) PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 278]

नई दिल्ली, शुक्रवार, मई 1, 2015 वैशाख 11, 1937

No. 278]

NEW DELHI, FRIDAY, MAY 1, 2015/VAISAKHA 11, 1937

कारपोरेट कार्य मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 1 मई, 2015

सा.का.नि. 349(अ).—केन्द्रीय सरकार, कंपनी अधिनियम, 2013 (2013 का 18) की धारा 469 की उपधारा (1) और उपधारा (2) के साथ पठित धारा 3, धारा 4, धारा 5 की उपधारा (5) और उपधारा (6), धारा 6, धारा 7 की उपधारा (1) और उपधारा (2), धारा 8 की उपधारा (1) और उपधारा (2), धारा 11 की उपधारा (1) के खण्ड (क) और (ख), धारा 12 की उपधारा (2), उपधारा (3), उपधारा (4) और उपधारा (5) तथा धारा 13 की उपधारा (3), उपधारा (4) और उपधारा (5) के परन्तुक, धारा 14 की उपधारा (2), धारा 17 की उपधारा (1) और धारा 20 की उपधारा (1) और उपधारा (2) का प्रयोग करते हुए कंपनी (निगमन) नियम, 2014 का संशोधन करने के लिए निम्नितिखित नियम बनाती है, अर्थात:-

- 1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम कंपनी (निगमन) संशोधन नियम, 2015 है।
 - (2) यह नियम राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।
- 2. कंपनी (निगमन) नियम, 2014 में -
 - (क) नियम 5 का लोप किया जाएगा।

- (ख) नियम 6 में उपनियम (1) में "पचास लाख रुपए से अधिक हो या संगत अविक दौरान उसका औसत वार्षिक कारोबार" पद के स्थान पर "पचास लाख रुपए और उससे और संगत अविध के दौरान उसका औसत वार्षिक कारोबार" शब्द रखे जाएंगे;
- (ग) नियम 7 के उपनियम (1) में "समादत्त शेयर पूंजी पचास लाख रुपए या उससे वा जिसका वार्षिक औसत कारोबार, संगत अविध के दौरान" पद के स्थान पर "समादत्त पूंजी पचास लाख रुपए या उससे कम हो और वार्षिक औसत कारोबार, संगत अविध के दौरा शब्द रखे जाएंगे;
- (घ) नियम 7 के पश्चात् निम्नलिखित नियम अंतःस्थापित किए जाएंगे, अर्थात् -

"7क शास्ति. यदि कोई एकल व्यक्ति कंपनी या ऐसी कंपनी का कोई अधिकारी इन निक के किसी उपबंध का उल्लंघन करता है तो ऐसी एकल व्यक्ति कंपनी या ऐसी कंपनी का अधिकारी जुर्माने के साथ दंड का पात्र होगा जो पांच हजार रुपए तक हो सकता है और उल्लंघन के जारी रहने के लिए प्रथम अपराध के दिन से प्रतिदिन पांच सौ रुपए तक और जुर्माना लगाया जा सकता है"।

- (ङ) नियम 8 के उपनियम (2) के खंड (ख) के उपखंड (xi) के परंतुक में "अधिनियम। धारा 248 के अंतर्गत" शब्दों और अंकों के के पश्चात् "या कंपनी अधिनियम, 1956 (19 का 1) की धारा 560 के अंतर्गत" शब्द, अंक और कोष्ठक अंतःस्थापित किए जाएंगे;
- (च) नियम 16 के उपनियम (1) के खंड (थ) के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा
- "(थ) प्रवर्तक या प्रथम निदेशक का स्वप्रमाणित नमूना हस्ताक्षर और नवीनतम **फोटीब** निर्धारित प्ररूप संख्या आई.एन.सी.-10 में होगा"।
- (छ) नियम 35 के पश्चात् निम्नलिखित नियम अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् -
- "36. निगमन के लिए एकीकृत प्रक्रिया (1) कंपनी के निगमन के लिए प्ररूप भरते सरलीकरण के प्रयोजन के लिए इस नियम के उपबंध एकीकृत प्रक्रिया के संबंध में 1 वि 2015 से लागू होंगे।
- (2) उपनियम (1) के प्रयोजनों के लिए, एकीकृत प्रक्रिया के प्रयोजनार्थ तीन निदेशकों निदेशक पहचान संख्या (डीआईएन) के आवंटन के लिए, नाम का आरक्षण, कंपनी के नियम और प्रस्तावित कंपनी के निदेशकों की नियुक्ति के लिए आवंदन कंपनी (रजिस्ट्रीक कार्यालय और फीस) नियम, 2014 में यथाविनिर्दिष्ट रजिस्ट्रीकरण फीस के साथ दो हैं

रुपए के साथ कंपनी के रजिस्ट्रीकृत कार्यालय के प्रस्तावित स्थान के क्षेत्राधिकार वाले रिजिस्ट्रार के पास एकीकृत प्ररूप संख्या आईएनसी-29 (एकल व्यक्ति कंपनी, प्राइवेट कंपनी, पिलिक कंपनी और उत्पादक कंपनी के लिए) के माध्यम से किया जाएगा।

- (3) एकीकृत निगमन प्ररूप फाइल करने के प्रयोजनों के लिए अधिकतम तीन निदेशकों की विशिष्टियां आईएनसी-29 में फाइल किए जाएँगे और यदि प्रस्तावित निदेशकों के पास अनुमोदित डीआईएन नहीं है तो आईएनसी-29 में अधिकतम तीन प्रस्तावित निदेशकों को डीआईएन के आवटन की अनुजा होगी।
- (4) प्रस्तावित कंपनी के प्रवर्तक या आवेदक (आवेदकों) को ई-प्ररूप संख्या आईएनसी-29 में मात्र एक नाम का प्रस्ताव करने की अनुजा होगी।
- (5) प्रस्तावित कंपनी के प्रवर्तक या आवेदक आईएनसी-30 में दिए नमूने के अनुसार संगम-ज्ञापन तैयार कर सकते हैं और संगम-ज्ञापन और संगम अनुच्छेद तैयार करने के लिए नियम 13 के उपबंधों के अनुसार प्ररूप आईएनसी-31 में संगम अनुच्छेद के नमूने का विकल्प चुन सकते हैं।
- (6) प्रवर्तक या आवेदक कारपोरेट कार्य मंत्रालय की वेबसाइट से डाउनलोड किए गए और पठनीय रूप से स्कैन किए गए प्ररूपों में संगम-ज्ञापन और संगम अनुच्छेद पर हस्ताक्षर और साक्षी करेगा और संगम-ज्ञापन और संगम अनुच्छेद तैयार करने के लिए नियम 13 के उपबंधों के अनुसार ई-प्ररूप आईएनसी-29 में संलग्न करेगा।
- (7) प्ररूप आईएन्सी-29 में निगमन के लिए एकीकृत आवेदन फाइल करने की सुविधा इन नियमों में यथाउपबंधित अनुसार निदेशक पहचान संख्या (डीआईएन्) आवंटन, नाम आरक्षण और कंपनी के निगमन के लिए अलग आवेदनों की प्रक्रिया के विकल्प के रूप में उपलब्ध रहेगी।
- (8) इस नियमों में उपबंधित अनुसार, निगमन के लिए एकीकृत प्रक्रिया का उपयोग करते हुए कोई आवेदन फाइल करने के लिए अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (5) के उपखंड (i) और इन नियमों के नियम 9 के उपबंध लागू नहीं होंगे।
- (9) इस नियम के उपबंधों का उपयोग करने वाली कोई कंपनी ई-प्ररूप आईएनसी-29 फाइल करके अधिनियम की धारा 12 की उपधारा (2) के अधीन उसके रजिस्ट्रीकृत कार्यालय का सत्यापन उपलब्ध कराने का विकल्प चुन सकती है, और ऐसे मामले में कंपनी (ऐसे ई-प्ररूप आईएनसी-29 के साथ) नियम 25 के उपनियम 2 में निर्दिष्ट कोई दस्तावेज संलग्न कर सकती है।

- (10) ई-प्ररूप आईएनसी-22 को फाइल करन की अपेक्षा समाप्त कर दी जाए**गी** प्रस्तावित कंपनी दिए हुए पत्राचार पते पर उसका रजिस्ट्रीकृत कार्यालय रखती है।
- (11) कंपनी के प्रस्तावित रजिस्ट्रीकृत कार्यालय के क्षेत्राधिकार वाला रजिस्ट्रार प्रवास संख्या के आवंटन के लिए आवंदन (आवंदनों) सहित आईएनसी-29 पर प्रक्रिया करेगा।
- (12)(क) जहां रजिस्ट्रार, ई-प्ररूप आईएनसी-29 की जांच पर, और अधिक सूचना मंगाना आवश्यक समझता है या किसी संबंध में ऐसे आवेदन या दस्तावेज को त्रुटिपूर्ण या अपूर्ण प्राप्त है तो वह वहां आवेदक को त्रुटि का समाधान करने की सूचना देगा और रजिस्ट्रार द्वारा है गई ऐसी सूचना की तारीख से पंद्रह दिनों के भीतर ई-प्ररूप पुन: जमा करने के लिए कहेगा।
- (ख) दस्तावेज पुन: जमा किए जाने के पश्चात् भी यदि रजिस्ट्रार किसी मामले में दस्ताके को त्रुटिपूर्ण या अपूर्ण पाता है तो वह ऐसी त्रुटियों या कमियो को दूर करने के लिए पंद्रह का एक और अवसर प्रदान करेगा।
- (ग) यदि रजिस्ट्रार ऐसी दो अवसर देने के बाद भी किन्ही मामलों में दस्तावेज बुटिपूर्ण अ अपूर्ण पाता है तो प्रस्तावित ई-कंपनी का ई-प्ररूप आईएनसी-29 अस्वीकार कर दिया जाएका।
- (13) रजिस्ट्रार द्वारा निगमन सबूत-पत्र प्ररूप संख्या आईएनसी-11 में जारी किया जापना।
- (ज) उपाबंध में, प्ररूप संख्या आईएनसी-11 में "और कंपनी (निगमन) नियम, 2014 के किया 8" शब्दों, अंकों और कोष्ठकों के स्थान पर "और कंपनी (निगमन) नियम, 2014 के किया 18" शब्द, अंक और कोष्ठक रखे जाएँगे।
- (झ) उपाबंध में,-
- (क) प्ररूप संख्या आईएनसी-7, आईएनसी-10, आईएनसी-11, आईएनसी-22 के लिए क्रिक्सी निम्नितिखित 22 रखे जाएंगे, अर्थात् -

प्ररूप सं. आई. एन. सी. 7

[कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 7(1) तथा कंपनी (निगमन) नियम, 2014 के नियम 10, 12, 14 एवं 15 के अनुसरण में)



कंपनी (एकल व्यक्ति वाली कंपनी से भिन्न) के निगमन के लिए प्ररूप

प्ररूप	की आषा	0 अंग्रेजी 0	हिन्दी
धरूप	भरने के लिए	अनुदेश किट	पढ़ें।

1. * प्ररूप आई. एन. सी.1 का सेवा अनुरोध संख्या (एस. आर एन.)	a na sandrada
2. (क) कंपनी का नाम	
(ख) कंपनी का प्रकार (ग) कंपनी की श्रेणी	
(घ) प्रवर्ग (इ.) उप उपवर्ग	
(च) धारा ८ अनुज्ञप्ति संख्या	
(७) कंपनी ० शेयर पूंजी वाली है ० बिना शेयर पूंजी वाली है।	
3. (क) राज्य / सघ राज्यक्षेत्र का नाम जिसमें कंपनी को रजिस्ट्रीकृत किया जाना है।	
(ख) कंपनी रजिस्टार के कार्यालय का नाम जिसमें कंपनी को रजिस्ट्रीकत किया जाना है।	
(ग) * क्या पत्राचार के लिए पता कंपनी के रिजिस्ट्रीकृत कार्यालय का पता होगा।	
□ हाँ □ नहीं (घ) कंपनी का रजिस्ट्रीकृत कार्यालय स्थापित होने की तारीख तक पत्राचार के लिए पता	
* पक्ति I	
पंक्ति II	
*. नगर	
* राज्य / संघ राज्यक्षेत्र	

3 9 94 (A)		
The second secon		
- ११ क देश की सरह या	प्रति साधारण अश सांकेतिक राशि	साधारण अंश की कुल राशि
, and the second of the second of the second of	The second state of the se	
a company of the control of the cont	The state of the s	
The second secon	A CONTRACTOR OF THE PROPERTY O	
THE STATE OF THE S	No. 4 for the control of the control	
in the second	The state of the s	
नारक प्र _{वि} क्षा के दल में का संस्या	NAME AND ADDRESS OF THE PARTY O	
	आधिमान अंग की कुत	राशि (रु.में)
3 1 1	J	
	to the second color to the control of the control of the color of the	
कि स्थापना क्यों व्यक्ति		
	Property and the second	
ा है। भी अधिकतम संख्य		
ादेन कर्मवारियों को छ	इकर सदस्यों की अधिकतम संख	या
THE STATE OF THE S	s you make the six of	
वार्यक्त कमेवारी (कर्मचारि	यों) को छोड़कर सदस्यों की संख्य	
ार रं । ताद्यं गितः क्रियाकलाम का	मुख्य प्रभाग	
. १९८५ का वर्ष क		
and the control of th	andria. The same stated stated and administration and collection purposed of the order is the stated and administration of the same stated and the	
gramma gramma gramma ya kun ya kun	The state of the s	
(3), ५० प्रस्थित करती आसीय	रिजर्व वैक अधिनियम,1934 की धारा	45 - झ के अर्थ के भीतर कोई गैर बैंककारी विस्तीय ।
. १. १ १ की एक हाई विस्थास	ur करेगी। o हॉ o नहीं	
		कि या अन्य संबंधित विनियासक प्राधिकारी द्वारा इ
	1	
१९७४ १ १मस्त्र एदल किया गया था	England was decreased above that the control of the	The conditional and the second control of th
,	A CARROLL A	
र २० १ (४०) व्यक्ति है। महास अभिद	ाता) का संख्या का प्राचीक्ट कर	
. (8		
हरा, : स्वेदार क्ल्पा, के प् रकार अधिरात	::) का विशिष्टिया	·
e e e e e e e e e e e e e e e e e e e	The second secon	
And the same same same same same		
ं देशम प्रधान संख्या (डिन) या	आव-कर स्याया लखा संख्या	
्रायक्तर वह) या पासपीट संख्या य	। कारपोरेट पहचान संख्या (सिन)	
		पूर्व - पूरित ब्यौरे सत्यापित करें
े देहणा कार्यो । तिक्टीकाण संख्या (एक, सी. आर. एन.) या काई	
CATAGARA WAT		

* प्रथम नाम					
मध्य नाम		,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,			
* उप नाम					
परिवार नाम					
* 0 पिता का	नाम 0 माता का ना	ाम O पति / पत्नी व	ना नाम		
					, ,
* राष्ट्रिकता		* जन्म की तारीख			
* लिंग (रेडिय	ोबटन) □पुरूष □ म	हिला 🛮 ट्रांसजेंडर			
* जन्म का स्	गन (जिला और राज्य)			
* उपजीविका व	न प्रकार स्व-	नियोजित वृति	तक होम मेकर	छात्र	नौकरी
* उपजीविका व	न क्षेत्र				
* शैक्षिक अर्हत	r				
* निकाय का व	ाम	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			
* आयकर स्था	यी लेखा संख्या (पैन)				
स्थाई पता / र्रा	जेस्ट्रीकृत पता / कारोबार	का मुख्य स्थान			
* पंक्ति I					
पंक्ति II					
<u></u>					
*नगर	राज्यक्षेत्र		*पिन कोड		
*नगर [* राज्य / संघ	राज्यक्षेत्र		*पिन कोड		
	ो. देश कोड		*पिन कोड		

निदेशक	·	प्रवर्तक	सी. आई. एन
कंपनी	का नाम		
निदेशक		प्रवर्तक	सी. आई. एन
कंपनी व	का नाम		
* प्रतिशु	त शेयरों की संख्या	* प्रतिश्रुत शेयरों की कु	न राशि (रु. मैं)
* प्राधिकृ	त व्यक्तियों की विशिष्टि	यां	
(क)	प्राधिकृत व्यक्ति का	नाम	
(ख)	O पिता का नाम	O माता का नाम O पति / पत्नी	का नाम
	लिंग 🗅 पुरुष 🗅 मी		
(घ)	राष्ट्रीकता	(ਬ) जन्म	न का ताराख
	फान (एस. टा. डा. <i>1</i> ई- मेल आई. डी.	आई. एस. डी. कोड के साथ)	
(क) * क्या	अनच्छेद की छँटनी की	ागई है यानहीं □ हाँ □ नहीं	
		नुच्छेद को संलग्न किया जाना चाहिए	.)
(ख) अनुच	छेदों की संख्या जिनमें	छँटनी के उपबंध लागू होंगे	
अनुच्ह	द्रेद के ब्यौरे जिनपर छै	टनी के उपबंध लागू होंगे	
क्र. सं.	अनुच्छेद सं विषय	वस्तु	
9.	स्टांप इयूटी के संदाय	की विशिष्टियां	
क) राज्य या	संघ राज्यक्षेत्र जिसका	बाबत स्टांप इयूटी संदत्त किया	(पूर्व पूरित)
ख) क्या स्टां	प इयूटी एम. सी. ए. 2	21 प्रणाती के माध्यम से इतेक्ट्रॉनिक	रूप से संदत्त किया जाना।

🗆 हाँ 🗆 नहीं 🗆 लागू नहीं

(i) संदत्त किए जाने वाले स्टांप इयूटी का ब्यौरा

दम्तावेज /की विशिष्टियां	प्ररूप	आई.	एन.	सी.	7	संगम ज्ञापन	संगम अनुच्छेद
संदत्त किए जाने वाले स्टांप इयूटी की राशि (रू. मैं)							

(ii) पहले संदत्त किए जाने वाले स्टांप इयुटी का ब्यौरा दें

दस्तावेज / विवरणियों का प्रकार	प्ररूप आईएनसी 7	संगम ज्ञापन	संगम अनुच्छेद	अन्य
सदत्त स्टांप इय्टी की कुल राशि (रू. में)				
स्टांप इयूटी के संदाय की पद्धति				
वेंडर या खजाने या प्राधिकारी का नाम जो स्टांप इयूटी संग्रह करने या स्टांप पेपर की बिक्री करने या दस्तावेजों को उत्कीर्ण करने या सरकार की ओर से स्टांप वाउचर को संवितरित करने के लिए प्राधिकृत हैं				
उत्कीर्ण या स्टांप या स्टांप पेपर की क्रम संख्या या खजाना चलान संख्या				
वेडर की रजिस्ट्रीकरण संख्या				
भ्टांप या स्टांप पेपर की बिक्रीत या स्टांप इयूटी के संदाय की नारीख (दिन/मास/वर्ष)				
स्टांप या स्टांप पेपर की बिक्रीत या स्टांप इयूटी के संदाय का स्थान				

10. स्थायी खाता संख्या (पैन) और कर कटौती खाता संख्या (टैन) आवेदन हेतु अतिरिक्त सूचना

पैन विशिष्ट सूचना

क्षेत्र कोड	एओ प्रकार	रेंज कोड	एओ सं.			

टैन विशिष्ट सूचना

15) वैकल्पिक सहमति यदि कोई हो

								-		300000 00 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
क्षेत्र को	क्षेत्र कोड		एओ प्रकार	····	रंज कोड ए			ओ सं.		
				,		<u> </u>	г	r	·	
	<u>J</u>		<u> </u>	<u> </u>		 	I		<u>. </u>	
आय	का स्रोत									
	🗆 व्यापार/वृ	ृत्ति से अ	ाय							
	🗆 पूंजी अधि	मेअभिलाङ	г							
	•••	त्ति से आ								
	🗆 अन्य स्रो									
	□ कोई आव		•							
	व्यापारय/वृत्ति कोड									
		-						<u></u>		
				क अतगत ।नय	ाक्ता राजस्ट्राकः -	रण के लिए अ	ातार क् त	सूचना		
	ा प्रपार o क									
किए जा	रहे कार्य/व्या	पार की व	स्तिविक प्रकृति							
ब्रॉप झउन	at .									
कार्य उप	। श्रेणी									
ब्रॉप डाउन	7									
						मामले में यह र				
			से अपेक्षित है।	यह सुविधा ई-	विज पोर्टल द्वा	रा निर्धारित अर	ाग प्रक्रि	या के 3	।नुसार	नेपार
	ोर्टल पर उपर	नब्ध है।								
संलग्न	क									,
1)	* संगम जापन									
2)	* संगम अनुच्छे	प्द							संसभ	म व्हर
3)	* प्ररूप सं. आई	. ए न. सी . १	3 में घोषणा						संसक	r wit
4)	* प्ररूप संख्या	आई. एन. सं	ी. 9 में जापन के	प्रत्येक अभिदाता का	शपथ पत्र				संसक	र भर
5)	* आवासीय पत	ा का सबूत							संसक	त करे
6)	प्ररूप सं. आई. ए	एन. सी. 10	में नमूना हस्ताक्षर						संसक	7 4 4
7)	पहचान का सबूत	न							k	
8)	छँटनी किए गए	संगम अनुच	छेद						संसम	ा वर े
9)	भारतीय रिजर्व ब	किया किसी	ो संबंधित प्राधिकारी	। द्वारा प्रदान किए	गए सैद्धांतिक अनुम	गेदन की प्रति			******	1 44
10)	प्रवर्तकों (संगम	जापन के प्र	ाथम अभिदाता) में	परिवर्तन की दशा मे	i अनापत्ति स ब् त प	ात्र ः			सतम	1 44
11)	राष्ट्रीयकता सब्त	त (यदि अभि	दाता कोई विदेशी	राष्ट्रिकः है)					संसक	F 457
12)	पैन कार्ड (भारत	नीय राष्ट्रिक	की दशा में)						संसम्	144
13)	विदेशी निगमित	निकाय के	निगमन के सब्त प	त्र तथा रजिस्ट्रीकृत	कार्यालय पता की	प्रति			संस्था	
14)	संगम जापन में	अभिदान के	िलए प्राधिकृत कर	ने से संबंधित सभी	भागीदारों द्वारा संव	क्ल्प/सहमति या स म	सति संक	ल्पकी प्र	ते संसम्ब	1 40

घोषणा

4
I * मैं
कि कंपनी के रजिस्ट्रीकरण और उससे पूर्वांगी या अनुषंगी विषयों की बाबत कंपनी अधिनियम, 2013 और उसके अधीन बनाए गए नियमों की सभी
अपेक्षाओं का अनुपालन किया गया है। मुझे यह घोषणा करने और इस प्ररूप पर हस्ताक्षर करने एवं इसे प्रस्तुत करने के लिए संगम जापन एवं
सगम अनुच्छेद में अभिदाय करने वाले अन्य प्रवर्तकों तथा पहले निदेशक द्वारा प्राधिकृत किया गया है। यह भी घोषणा एवं सत्यापित किया जाता
है कि :
 जब कभी इस प्ररूप और उसके संलग्नकों में जो भी कथन है वह सत्य, सही एवं पूर्ण है तथा इस प्ररूप की विषय वस्तु के लिए महत्पूर्ण सूचना को दबाया या छिपाया नहीं गया है तथा संगम जापन एवं संगम अनुच्छेद में अभिदान करने वाले प्रवर्तकों द्वारा रखे गए मूल अभिलेखों के अनुसार है। मैंने इस प्ररूप के सभी संलग्नक देख लिए हैं और उन्हें सभी अपेक्षित संलग्नकों को इस प्ररूप के साथ पूर्ण रूप से और सुपाठ्य के रूप में सत्यापित किया है। जिसकी सदस्यता संख्या और/या व्यवसाय सब्त पत्र संख्या है, को धारा 7 (1) (ख) के अधीन घोषणा करने के लिए नियुक्त किया गया है तथा ऐसी घोषणा संलग्न है। मैं
विश्वास के अनुसार सही है।
*अंकीय हस्ताक्षर किया जाए डी. एस. सी. बॉक्स * पदनाम
* निदेशक पहचान संख्या
टिप्पण : धारा 7(5) एवं 7(6) के उपबंधों की ओर ध्यान आकृष्ट कराया जाता है जिसमें अन्य बातों के साथ - साथ यह उपबंध किया
गया है कि किसी भी सूचना की कोई सही या मिध्या विवरणियाँ प्रस्तुत करने या किसी सूचना को छिपाने के लिए धारा 447 के
अधीन घोखाधड़ी की सजा होगी। धारा 448 और 449 के उपबंधों की ओर भी ध्यान आकृष्ट किया जाता है जिसमें क्रमशः मिथ्या
कथन एवं मिथ्या साक्ष्य के लिए दंड का उपबंध किया गया है।
उपातरित करें प्ररूप की जाँच करें संवीक्षा पूर्व प्रस्तृत करें
केवल कार्यालय के उपयोग के लिए
ई-प्ररूप सेवा अनुरोध संख्या (एस. आर. एन.) ई-प्ररूप प्रस्तुत करने की ताराख (दिन/मास/वर्ष)
यह ई-प्ररूप एतद् द्वारा रजिस्ट्रीकृत
यह ई-प्ररूप एतद् द्वारा अस्वीकृत
प्राधिकृत करने वाले अधिकारी का अंकीय हस्ताक्षर जमा करने की पुष्टि करें
हस्ताक्षर की तारीख (दिन/मास/वर्ष)

प्ररूप सं. आई एन सी-10

अभिदाताओं के हस्ताक्षर के सत्यापन के लिए प्ररूप

[कंपनी (निगमन) नियम, 2014 के नियम 16(1)(थ) के अनुसरण में]

4' x 4' आकार (पासपोर्ट आकार)

1.	अभिदाता/प्रथम	निदेशक	का	नाम,	पिता	का	नाम	और	पताः
----	---------------	--------	----	------	------	----	-----	----	------

۷.	GI PI	קטוו אי פגנוואוגי
	(i)	
	(ii)	

अनुप्रमाणित

(पता के साथ स्व-अनुप्रमाणित किया जाए)

टिप्पणः

- 1. उपरोक्त बिन्दु संख्या में, जो लागू न हो उसे हटा दें।
- 2. सांक्ष्याकन करने वाला व्यक्ति अपना नाम, पता और पहचान पत्र संख्या दर्शाएं

प्ररूप सं. आईएनसी-11

निगमन का सब्त-पत्र

[करपनी अधिनियम, 2013 की धारा 7 की उपधारा (2) और करपनी (निगमन) नियम, 2014 के नियम 18 के अनुसरण में]

में प्रमाणित करता हूँ कि	(कम्पनी	का नाम) व	तं		
ा हजार के दिन	कम्पनी 3	अधिनियम,	2013 के	अधीन	निगमित
किया जाता है और यह कि यह कम्पनी शेयरों/प्रत्य	याभूति से वि	लेमिटेड/अति	मिटेड है।		
अस्पनी का सीआईएन है					
दो हजार वे	तं	दिन .		में मेरे	हस्ताक्षर
ये प्रदत्त है ।					
मुहरबंद :					
		क	म्पनी रजिर	-ट्रार	

(राज्य)

प्ररूप संख्या आईएनसी 22

[कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 12(2) एवं (4) और कम्पनी (निगमन) नियम, 2014 के नियम 25 और नियम 27 के अनुसरण में]



रजिस्ट्रीकृत कार्यालय की स्थिति अथवा स्थिति के परिवर्तन की नोटिस

क्य की भाषा o अंग्रेजी o हिन्दी
ा रूप को भरने हेतु निर्देश किट देखें
1. *यह प्ररूप o नई कम्पनी o विद्यमान कम्पनी के लिए है
2. *(क) कम्पनी की कॉर्पोरेट पहचान संख्या (सीआईएन) अथवा प्ररूप संख्या आईएनसी 1 का एसआरएन (ख) कम्पनी की वैश्विक स्थान संख्या (जीएलएन)
3. (क) कम्पनी का नाम
(ख) कम्पनी के रजिस्ट्रीकृत कार्यालय का पता
(ग) कम्पनी के विद्यमान रजिस्ट्रार (आरओसी) के कार्यालय का नाम
(घ) *प्ररूप का प्रयोजन
ा नगर, शहर अथवा ग्राम की स्थानीय रेंज के भीतर परिवर्तन
🗅 नगर, शहर अथवा गाँव की स्थानीय रेंज के बाहर परिवर्तन, उसी आरओसी और राज्य के भीतर
🗆 उसी राज्य के भीतर आरओसी में परिवर्तन
 उसी आरओसी के अधिकारिता के भीतर राज्य में परिवर्तन
🗅 वर्तमान आरओसी के अधिकारिता के बाहर राज्य में परिवर्तन
4 manufacture 10 mm 1
4. एतदद्वारा नोटिस दिया जाता है कि
*(क) (दिन/मास/वर्ष) से कम्पनी के रजिस्ट्रीकृत कार्यालय का पता है-
O कम्पनी के निगमन की तारीख है
*पता पंक्ति। पंक्ति॥
* नगर
* जिला
* राज्य/संघ राज्य क्षेत्र
देश
*पिन कोड
*दूरभाष संख्या (आईएसडी कोड के साथ)
* ई-मेल आईडी

The state of the s	
(ख) * रजिस्ट्रीकृत कार्यालय	
्कम्पनी के स्वामित्व में है o निदेशक के स्वामित्व में है (कम्पनी द्वारा पट्टे	
 कम्पनी द्वारा पट्टे पर लिया गया है o किसी अन्य निकाय/व्यक्ति के स्वामित्व 	म ह (कम्पना द्वारा पट्ट पर नह
गया है)	
(ग) * प्रस्तावित आरओसी अथवा नए आरओसी के कार्यालय का नाम	
(घ) पुलिस थाने का पूरा पता जिसके क्षेत्राधिकार में रजिस्ट्रीकृत कार्यालय स्थित है	
*नाम	
*पता पंक्ति ।	
पता पंक्ति ॥	
*सवर	
राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	
the system (lost and	
*पिन कोड	
(इ) *रजिस्ट्रीकृत कार्यालय का पता बताने वाले उपयोगिता सेवा बिल की विशिष्टियां	
(दो मास से पहले का न हो)	
S. (क) *प्ररूप एमजीटी 14 का एसआरएन	
(ख) *संबंधित प्ररूप का का एसआरएन	
	दिन/मास/वर्ष)
•	•
	संलग्नकों की सूची
(1) *रजिस्ट्रीकृत कार्यालय का पता का सब्त (वाहन/ पट्टा	
करार/ किराया रसीद सहित किराया करार) आदि.;	
and the contract of the contra	
(2) *उपर उल्लेखान्सार उपयोगिता बिलों की प्रतियाँ	
संलग्नक	
(दो मास से पहले का न हो);	
(3) * यह कि कम्पनी के रजिस्ट्रीकृत कार्यालय के रुप मे पता का	
संलग्नक	
उपयोग करने के लिए कम्पनी को अनुज्ञा देने संबंधी सबूत	
पत्र यदि इसका स्वामित्व किसी अन्य निकाय/व्यक्ति के	
ा व्यक्त प्रतिकार र नार्वस्य । वस्ता अन्य न । वस्ता बार्चनायस्य नर	
पास है (कम्पनी द्वारा पट्टे पर नहीं लिया गया है);	
संलग्नक	
(4) *सक्षम प्राधिकारी के आदेश की प्रति;	
(5) समान रजिस्ट्रीकरण कार्यालय पता वाले सभी कम्पनियों (उन संलग्नक	संलग्नक हटाएँ
सीएनआई का उल्लेख करते हुए) की सूची,यदि कोई हो	
(6) वैकल्पिक संलग्नक, यदि कोई हो।	

	धोषणा
* [
0	कम्पनी के एक (ड्रॉप डाउनः निदेशक/प्रबंधक/कम्पनी सचिव)) के रूप में अनुच्छेदों में नामित एक व्यक्ति को इस प्ररूप के हस्ताक्षर के लिए संकल्प संख्यातारीख के माध्यम से कम्पनी के निदेशक बोर्ड द्वारा प्राधिकृत किया गया है और घोषित किया जाता है कि
ij	*कम्पनी अधिनियम, 2013 की सभी अपेक्षाओं तथा इस प्ररूप की विषय वस्तु और इसके प्रासंगिक मामलों के संबंध में किए गए नियमों का अनुपालन किया गया है।
Ū	*मैं यह भी घोषित करता हूँ कि इस प्ररूप के संलग्नको सहित उप्रयुक्त दी गई सभी सूचना सत्य, सही एवं पूर्ण है तथा कोई भी सामग्री छुपाया नहीं गया है।
O	इसके अतिरिक्त यह भी प्रमाणित किया जाता है कि (संक्षिप्त विवरण बॉक्स), संख्या और प्रेक्टिस संख्या ा सबूतपत्र वाले (ड्रॉप डाउन) {मूल्य: चार्टर्ड अकाउंटेंट/कम्पनी सचिव/ लागत लेखा} को इस उद्देश्य के लिए सम्यक् नियुक्त किया गया है।

*निम्नलिखित द्	वारा डिजिटली	हस्ताक्षरित	किया'	जाना	ŧ
----------------	--------------	-------------	-------	------	---



*पदनाम

कम्पनी सचिव की सदस्यता संख्या

*निदेशक की निदेशक पहचान संख्या; अथवा प्रबंधक या सीईओ या सीएफओं का डीआईएन या पैन; अथवा

वृत्तिक व्यवहार द्वारा सबूत-पत्र

मैं घोषित करता हूँ कि मुझे इस प्ररूप के सबूतन के लिए सम्यक् रूप से लगा हुआ है । यह प्रमाणित किया जाता है कि मैंने कम्पनी अधिनियम, 2013 के उपबंध और इस प्ररूप की विषय-वस्तु एवं इससे संबंधित मामलों के संबंध मैं अधिनियम के अंतर्गत नियमों को पढ़ लिया है और मैंने उपर्युक्त सूचना (संलग्नकों सहित) कम्पनी के पास उपलब्ध मूल अभिलेख से सत्यापित की है जो कि इस प्ररूप की विषय-वस्तु है और उन्हें सत्य, सही एवं पूर्ण पाया है और इस प्ररूप से संबंधित कोई भी सूचना छुपाई नहीं गई है । मैं यह भी प्रमाणित करता हूँ कि:

- 1. उपर्युक्त अभिलेख उचित रूप से तैयार किए गए हैं, कम्पनी के संबंधित अधिकारियों द्वारा हस्ताक्षरित किए गए हैं और कम्पनी अधिनियम, 2013 के संबंधित उपबधों के अनुसार रखे जाते हैं और ठीक पाए गए;
- 2. सभी आवश्यक संलग्नक इस प्ररूप के साथ पूर्ण और स्पष्ट रूप में संलग्न किए गए हैं।
- 3. यह और भी घोषित करता हूँ कि प्ररूप में दिए गए रजिस्ट्रीकृत कार्यालय के उल्लिखित पते पर मैंने स्वयं दौरा किया है और सत्यापित किया कि कम्पनी का उल्लिखित रजिस्ट्रीकृत कार्यालय कम्पनी के कारबार के प्रयोजनों के लिए कार्य कर रहा है।

1942 GI/15

ं निम्नलिखित दवारा अंकीय हस्ताक्षरित किया जाना है

डीएससी बॉक्स

- चार्टर्ड अकाउंटेंट (पूर्णकालिक व्यवसाय में)
- ं कॉस्ट अकाउंटेंट (पूर्णकालिक व्यवसाय में)
- कम्पनी सचिव (पूर्णकालिक व्यवसाय में)

्सोसिएट अथवा अध्येता

०. एसोसिएट

०. अध्येता

सदस्यता संख्या

व्यवासय संख्या का सब्त-पत्र

टिप्पण : धारा 448 और धारा 449 की ओर ध्यान आकर्षित किया जाता है जिनमें क्रमश: मिथ्या विवरण / सबूत-पत्र के लिए दंड और मिथ्या साक्ष्य के लिए दंड का उपबंध है ।

उपांतरित करें	फॉर्म जाँचें	पूर्व-जाँच	प्रस्तुत करें

केंवल शासकीय के उपयोग के लिए :

दायर किए जाने वाला ब्यौरा संलग्न करें

हिप्जॉर्म सेवा अनुरोध संख्या (एसआरएन)...... ई-फॉर्म प्रस्तुत करने की तारीख(दिन/मास/वर्ष)

पाधिकृत करने वाले अधिकारी के अंकीय हस्ताक्षर

ाह ई-फॉर्म एतद्वारा अनुमोदित किया जाता है

वह ई-फॉर्झ एतद्दवारा रद्द किया जाता है (प्रस्त्तीकरण की पृष्टि करें)

्लाश्चील किए जाने की तारीख(दिन/मास/वर्ष)

अथवा

क्ष्य ई प्ररूप को इलेक्ट्रानिक ढंग के माध्यम से कम्पनियों के रजिस्टर द्वारा अनुरक्षित फाइल पर और कम्पनी द्वारा दी गई ाथातथ्यता के आधार पर लिया गया है।

্রা) प्ररूप आईएनसी-28 के पश्चात् प्ररूप निम्नलिखित अंतःस्थापित किए जाएंगे, अर्थात् -

ऐसे अन्च्छेदों का विवरण

अभिदत्त शेयर पूंजी

क्र. सं.

3.

अन्च्छेद संख्या

(i)* कंपनी की पूंजीगत संरचना......

क्ल प्राधिकृत शेयर पूजी (रूपए में).....

(iii) अनुच्छेदों की संख्या, जिन परिरक्षास्थापना के उपाबंध लागू किए जाएंगे

साम्या

खंड के परिरक्षास्थापना का संक्षिप्त विवरण

अधिमान

अज्ञात

+द्रभाष (एसटीडी कोड सहित).....

		_
	फैक्स	
	*कंपनी का ई-मेल पता	
	*(ख) क्या पत्र व्यवहार का पता कंपनी के रजिस्ट्रीकृत कार्यालय का पता है o हां o नहीं	
	*(ग) कंपनी रजिस्ट्रार कार्यालय का नाम, जहां कंपनी रजिस्ट्रीकृत होनी प्रस्तावित है	
	* प्रस्तावित नाम के ब्यौरे क)	
C		
	प्रस्तावित नाम	
	प्रस्तावित नाम में संक्षिप्त या संक्षेपाक्षर शब्द का महत्व	
	यदि प्रस्तावित नाम था उसके अर्थ में क्षेत्रीय भाषा	

(ख)

प्रयुक्त हुई है।

4)	
(i)* क्या प्रवर्तक आवेदन किए गए नाम पर कोई भागीदारी फर्म, पूर्ण स्वामित्व या रजिस्ट्रीकृत अस्तित्व का संचालन भी कर रहा है।	o हां o नहीं
यदि हां, क्या ऐसी अस्तित्व का ऐसे कारबार अर्जित किया जाएगा?	o हां o नहीं
(ii)* क्या प्रस्तावित नाम में संस्थापक (संस्थापकों) के अतिरिक्त किसी व्यक्ति या उनके निकट रक्त- संबंधी है	o हा o नहीं
(iii)* क्या प्रस्तावित नाम में नातेदार (नातेदारों) का नाम भी शामिल है	o हां o नहीं
(iv)* क्या किसी शाखा विषयक नियामक से अनुमोदन अपेक्षित है	० हां ० नहीं
(v) क्या कंपनी का नाम है o वर्तमान भारतीय कंपनी के निकाय के समान	समान है o विदेशी कार पोरेट

* : 30 / W(i);

जिल्ल्य बोर्ड के रूप में अनापितत सबूत-पत्र (3	 इस कंपनी	के एक	निदेशक	द्वारा	यथावत
वाशेष्रमाणित की प्रति संलग्न करें]					
वीआईएन बताए(पूर्व प	गूरित)				
ःवनी का नाम	**********				

ा । स्था प्रस्तावित नाम एक रजिस्ट्रीकृत व्यापार चिन्ह पर या व्यापार चिन्ह अधिनियम के अस्ति अस्ति के विषय वस्तु पर आधारित है o हां o नहीं

ा चिन्ह के आवेदन का या आवेदक या स्वामी अनुमोदन की विशिष्टियां दें।

ा अध्यार चिक्त के वर्ग (वर्गों) विनिर्दिष्ट करें (ब्यौरे के लिए निदेश किट देखें)

ार त्यार नायन के पहले अभिदाता (अभिदाताओं) और कंपनी के निदेशकों के नाम

	विधिमान्य डीआईएन है	विधिमान्य डीआईएन नहीं है
ं का की कुल सख्या (अ भिदाता -सह-निदेशक वहन		
ंगले १० व्याप अभिदाता (अ भिदाताओं))-सह-निदेशक भिदेशको, को संख्या	ena, antaramina de companyo e conhece de la Maria de Companyo e Co	
ांभकात सह-निदेशक से भिन्न ट्यैक्तिक प्रथम नांभदाता (अभिनाताओं) की संख्या		
भारतीय प्रथम अभिदाता (अभिदाताओं) की सम्बद्ध		

(ख)* निदेशकों (प्रथम आ	भेदाताओं से भिन्न) की विशिष्टियां
1.* निदेशक पहचान संख्	या (डीआईएन)(पूर्व पूरित)
* नाम	
* लिंग	जन्म की तारीख* राष्ट्रीकता
*पदनाम	*प्रवर्ग
	लक निदेशकः गैर-कार्यपालक निदेशक
	नाम, जिसका नामनिर्देशिति व्यक्ति नियुक्त है
	3

* ई-मेल पता	
केंग्र के संस्थाओं की संस	या, जिनमें निदेशक का हित है (यदि संस्था के पास
	न/एलएलपीआईएन है तो उल्लेख करने की आवश्यकता नहीं है)
साआइएन/एफसाआरए	न/एलएलपाजाइएन हे ता उल्लंख करन का जापरपकता गहा है)
*रजिस्ट्रीकरण संख्या	
* नाम	
∗ पता	
हित का प्रकार	*पदनाम
	शेयरधारण का प्रतिशतराशि
	अन्य (विनिर्दिष्ट करें)
1.* प्रथम नाम	
मध्य नाम	
*उपनाम	
* पिता का पहला नाम	
	0 -0 -
	•जन्म की तारीख* राष्ट्रीकता
* जन्म का स्थान	
	्र हां र नहीं 🕒 स्वया भागनतामी है र हां र नहीं

वर्तमान पता

II-खण्ड 3(i)]	भारत का राजपत्र : असाधारण		2
* व्यवसाय का प्रकार o स्वनियोगि		विद्यार्थी ० सेवक	_
* व्यवसाय का क्षेत्र			
्यदि 'अन्य' चुना गया है तो कृपय	॥ विनिर्दिष्ट करें		
*शैक्षिक अर्हता			
* 🍙 स्थायी खाता संख्या 📓 पास	पोर्ट संख्या	(सत्यापित करें)	
* पदनाम	*प्रवर्ग		
क्या 🗷 अध्यक्ष 🍙 कार्यपालक नि	देशक्क गैर-कार्यपालक नि	नेदेशक	
कंपनी या संस्था का नाम, जिसक	ग नामनिर्दिशिति व्यक्ति	नियुक्त है	
ई-मेल पता			
श्रायी पता			
पंक्ति I			
*पंक्ति II			
नगर			
राज्य/ संघ राज्य क्षेत्र	* f	पेन कोड	
आईएसओ देश कोड	देश		
दूरभाष (एसटीडी/आईएसडी कोड स	हित)		

* क्या वर्तमान निवास पता और स्थायी निवास पता एक समान है o हां o नहीं

* पंक्ति I.....

· * राज्य/ सघ राज्य दात्र	* ।५० पगठ
• आईएसओ राष्ट्र कोड	देश
• दूरभाष (एसटीडी/आईएसडी कोड	ड सहित)
* वर्तमान पते पर रहने का अर्वा	धेमास
यदि वर्तमान पते पर एक वर्ष र	ने कम समय से रह रहे हो, तो पूर्ववर्ती निवास का पता
पहचान का सब्त	* निवास का सब्त
्मतदान पहचान कार्ड संख्या	
चालन अनुजिप्त संख्या	
आधार संख्या	
संसरनकों में पहचान का सबूत अं	ौर पते का सबूत प्रस्तुत करें।
ऐसी संस्थाओं की संख्या, जिनमें	निदेशक का हित है-
• रजिस्ट्रीकरण संख्या	
+ नाम	
• पता	
हित का स्वरूप	.*पदनाम
	शेयर धारिता का प्रतिशतराशि
	अन्य (विनिर्दिष्ट करें)
(ग)* व्यैक्तिक प्रथम अभिदाता (अभिदाताओं)-सह-निदेशकों की विशिष्टियां
1. * निदेशक पहचान संख्या (डी.	आईएन)(पूर्व पूरित)
* नाम	······································
* लिंग	.जन्म की तारीखराष्ट्रीकता

+11:11-008 3(1)]	मारत का राजपत्र : असावारण	
पदनाम*	प्रवर्ग	
क्या ७ अध्यक्ष कार्यपाल	क निदेशक = गैर-कार्यपालक नि	स्टेशक
	म, जिसका नामनिर्देशिति व्यक्ति	
ेई-मेल पता		
मधीर कोगारे का महार	अभिदत्त शेयरों की संख्या	अभिदत्त शेयरों की राशि
	जामदत्त रायरा का संख्या	जानपुरत रायरा यग सारा
साम्या शेयर		
अधिमान शेयर		
मेर्या मंद्रमाओं की मंद्रमा जि	रमें चिटेशक का हिन है (सटि प्रे	सी संस्थाएं सीआईएन/ एफसीआरएन/
एलएलपाआइएन वाला ह ता उ	उल्लेख करने का उल्ले ख नहीं क	×)
रजिस्ट्रीकरण संख्या		
+ नाम		
* *************************************		
» पता		
हित का प्रकार	*पदनाम	
	शेयर धारिता का प्रतिशत.	राशि
	अन्य (विनिर्दिष्ट करें)	
्∗ प्रथम नाम		
मध्य नाम		
*उपनाम		
•		
* पिता का पहला नाम		
*पिता का मध्य नाम		
*पिता का उपनाम		
		* राष्ट्रीकता
* जन्म का स्थान		

* क्या भारताय नागारक हं 0 हा 0 नहां * क्या भारतानवासा हं 0 हा 0 नहां
 व्यवसाय का प्रकार o स्विनयोजित o पेशेवर o घरेलू o विद्यार्थी o सेवक
• व्र्यवसाय का क्षेत्र
बदि 'अन्य' चुना गया है तो कृपया विर्निर्दिष्ट करें
• रौक्षिक अर्हता
• = स्थायी खाता संख्याक पासपोर्ट संख्या (विवरण सत्यापित करें)
• पदनाम*प्रवर्ग
🔹 क्या 🔳 अध्यक्ष 💼 कार्यपालक निदेशक
• कंपनी या संस्था का नाम, जिसका नामनिर्देशिति व्यक्ति नियुक्त है
• ई-मेल पता
स्थायी पता
» पंक्ति ।
भिन्त ॥
• नगर
• राज्य/ संघ राज्य क्षेत्र* पिन कोड
• आई एसओ देश कोडदेश
• दूरभाष (एसटीडी/आईएसडी कोड सहित)
• क्या वर्तमान निवास पता और स्थायी निवास पता एक समान है o हां o नहीं
प्रतेमान पता
• पंक्ति ।
पंक्ति ॥
्राहर

भाग II—खण्ड 3(1)]	भारत का राजपत्र : असाधारण	
* राज्य/ संघ राज्य क्षेत्र	*	पिन कोड
* आईएसओ देश कोड	देश	
* दूरभाष (एसटीडी/आईएस	डी कोड सहित)	
* वर्तमान पते पर रहने व	त अवधिवर्ष	मास
यदि वर्तमान पते पर एक	वर्ष से कम समय से रह रहे हो	तो पूर्ववर्त निवास का पता
** पहचान का सबूत	# निवास का	सबूत
मतदान पहचान पत्र संख्य	ſ	
चालन अनुज्ञपित संख्या		
आधार संख्या		
J. 41 (1041		
	नबूत और पते का सबूत प्रदान करें)
		अभिदत्त शेयरों की राशि
सलग्नकों में पहचान का र	नबूत और पते का सबूत प्रदान करें	
सलग्नकों में पहचान का र	नबूत और पते का सबूत प्रदान करें	
सलग्नकों में पहचान का र अभिदत्त शेयरों का प्रकार साभ्या शेयर अधिमान शेयर	नबूत और पते का सबूत प्रदान करें	अभिदत्त शेयरों की राशि
सलग्नकों में पहचान का र अभिदत्त शेयरों का प्रकार साभ्या शेयर अधिमान शेयर	जबूत और पते का सबूत प्रदान करें अभिदत्त शेयरों की संख्या जिनमें निदेशक का हित है	अभिदत्त शेयरों की राशि
सलग्नकों में पहचान का र अभिदत्त शेयरों का प्रकार साभ्या शेयर अधिमान शेयर ऐसे अस्तित्वों की संख्या,	अभिदत्त शेयरों की संख्या	अभिदत्त शेयरों की राशि
सलग्नकों में पहचान का र अभिदत्त शेयरों का प्रकार साभ्या शेयर अधिमान शेयर ऐसे अस्तित्वों की संख्या, * रजिस्ट्रीकरण संख्या	अभिदत्त शेयरों की संख्या	अभिदत्त शेयरों की राशि
सलग्नकों में पहचान का र अभिदत्त शेयरों का प्रकार साभ्या शेयर अधिमान शेयर ऐसे अस्तित्वों की संख्या, * रजिस्ट्रीकरण संख्या	अभिदत्त शेयरों की संख्या	अभिदत्त शेयरों की राशि
सलग्नकों में पहचान का र अभिदत्त शेयरों का प्रकार साभ्या शेयर अधिमान शेयर ऐसे अस्तित्वों की संख्या, * रजिस्ट्रीकरण संख्या * नाम	अभिदत्त शेयरों की संख्या	अभिदत्त शेयरों की राशि

(घ) + व्यैक्तिक प्रथम अंशदात	॥ (अंशदाताओं)-सह-निदेशकों की	विशिष्टियां (अभिदाता-सह-निदेशक से
मिन्न)		
। • निदेशक पहचान संख्या ((डीआईएन)	(पूर्व पूरित)
• नाम		
अभिदत्त शेयरों का प्रकार	अभिदत्त शेयरों की संख्या	अभिदत्त शेयरों की राशि
साम्या शेयर		
अधिमान शेयर		

ं। * प्रथम नाम		
मध्य नाम		
* उपनाम		
* पिता का पहला नाम		
पिता का मध्य नाम		
*पिता का उपनाम	•;•••••••	
*लिंग*उ	ान्म की तारीख	* राष्ट्रीकता
* जन्म का स्थान		
	ानियोजित o वृतिक o घरेलू o	विद्यार्थी ० सेवक
* व्यवसाय का क्षेत्र		
यदि 'अन्य' चुना गया है ते	कृपया विनिर्दिष्ट करें	
*शैक्षिक अर्हता		
 = स्थायी खाता संख्या 	पासपोर्ट संख्या	(विवरण सत्यापित करें)
* ई-मेल पता		
स्थायी पता		
* पंक्ति l	······································	

अभिदत्त शेयरों का प्रकार	अभिदत्त शेयरों की संख्या	अभिदत्त शेयरों की राशि
साभ्या शेयर		
अधिमान शेयर		

THE GAZETTE OF INDIA. EATRAONDHART	[I VVI II DIX.
(इ)* अव्यैक्तिक प्रथम अंशदाता (अंशदाताओं) की विशिष्टियां	
* प्रवर्ग	
 कारपोरेट पहचान संख्या (सीआईएन) अथवा विदेशी कंपनी रजिस्ट्रीकरण संख्या 	
(एफसीआरएन) अथवा अन्य कोई रजिस्ट्रीकरण संख्या	(पूर्व पूरित)
*कारपोरेट निकाय का नाम	
व्यवसाय का रजिस्ट्रीकृत कार्यालय पता या भारत में व्यवसाय का मुख्य स्थान	या भारत से ब
व्यवसाय का मुख्य स्थान	
* पंक्ति l	
पंक्ति ॥	
* नगर	
* राज्य/ संघ राज्य क्षेत्र* पिन कोड	••••••
* आईएसओ देश कोड	
देश	
* दूरभाष (एसटीडी/आईएसडी कोड सहित)	••••
कैक्स	
•ई-मेल आईडी	
प्राधिकृत व्यक्ति का की विशिष्टियां	
* प्रथम नाम	
मध्य नाम	
* उपनाम	

* पिता का पहला नाम.....

•ई-मेल आईडी....

अभिदत्त शेयरों का प्रकार अभिदत्त शेयरों की संख्या अभिदत्त शेयरों की राशि साभ्या शेयर अधिमान शेयर

7. (क) नामनिर्देशन
मै* के संगम
जापन के अंशदाता को एतदद्वारा नामित* करता/ करती हूं, जो मेरी मृत्यु होने या संविदा में
असक्षम होने की स्थिति में कंपनी का सदस्य बनेगा। मैं घोषणा करता/ करती हूं कि कंपनी
(निगमीकरण) नियम, 2014 के नियम 3 के अनुसार नामिति नामांकन के लिए पात्र है।
(ब) •नामनिर्देशन की विशिष्टियां
* प्रथम नाम
मध्य नाम
* उपनाम
* पिता का पहला नाम
पिता का मध्य नाम
*पिता का उपनाम
*लिंग*जन्म की तारीख*राष्ट्रीकता*राष्ट्रीकता
 स्थायी खाता संख्या (विवरण सत्यापित करें)
* जन्म का स्थान (जिला और राज्य)
* व्यवसाय का प्रकार
* व्यवसाय का क्षेत्र
*शैक्षिक अहेता
स्थायी पता
• पंक्ति ।
पंक्ति ॥
* नगर
* राज्य/ संघ राज्य क्षेत्र* पिन कोड
 आईएसओं देश कोड

1942 GI/15-

* दूरभाष (एसटीडी/आईएसडी कोड सहित)
मोबाइल
फैक्स
*ई-मेल आईडी
* क्या वर्तमान निवास पता और स्थायी निवास पता एक समान है o हां o नहीं
वर्तमान पता
• पंक्ति I
• पंक्ति II
* नगर
* राज्य/ संघ राज्य क्षेत्र* पिन कोड*
• आईएसओ देश कोड
देश
दूरभाष (एसटीडी/आईएसडी कोड सहित)
मोबाइल
फ ैक्स
* वर्तमान पते पर रहने का अवधिवर्षवर्षमाह
यदि वर्तमान पते पर एक वर्ष से कम समय से रह रहे हो तो पूर्ववर्ती निवास का पता
* पहचान का सब्त *निवास का सब्त

8. स्टांप शुल्क के संदा	य की विशिष्टिया
-------------------------	-----------------

(क) वह राज्य या संघशासित प्रदेश जिसके पक्ष में स्टांप

(पूर्व पूरित)

शुल्क का भुगतान किया गया या किया जाना है.....

- (ख) * क्या स्टांप शुल्क का भुगतान एमसीए-21 प्रणाली के माध्यम से इलेक्ट्रानिक रूप से किस जाना है o हां o नहीं o लागू नहीं
- (i) भुगतान किए जाने वाले स्टांप शुल्क का विवरण

दस्तावेज का प्रकार/ विशिष्टियां	प्ररूप	संगम ज्ञापन	संगम अ नुच्छेद
भुगतान किए जाने वाले स्टांप शुल्क की राशि (रूपए में)			

(ii) भुगतान किए हुए स्टाम्प शुल्क की विस्तृत जानकारी प्रदान करें।

दस्तावेजों का प्रकार/ब्यौरा	प्ररूप	संगम ज्ञापन	संगम अनुच्छेद	अन्य
भुगतान किए हुए स्टाम्प शुल्क की कुल राशि				
स्टाम्प शुल्क भुगतान का प्रकार				
सरकार की तरफ से स्टाम्प शुल्क एकत्रित करने अथवा स्टाम्प पेपर बेचने अथवा दस्तावेजों पर मुहर लगाने या स्टाम्प बाउधर बांटने के लिए प्राधिकृत विक्रेता या कोषागार या प्राधिकारी या अन्य किसी सक्षम अधिकरण का नाम				
मुहर या स्टाम्प या स्टाम्प पेपर की क्रम संख्या या कोषागार चालान संख्या				
विकेता की रजिस्ट्रीकरण संख्या				
स्टाम्प या स्टाम्प पेपर के बिक्रीत या स्टाम्प शुल्क के भुयतान की तारीख (दिदि/मम/वववव)				
स्टाम्प या स्टाम्प पेपर के बिक्रीत या स्टाम्प शुल्क के भुगतान का स्थान				

ं कार्ट साला संख्या (पीएएन) और कर कटौती खात। संख्या (टीएएन)** के आवेदन के लिए ार्टारेक्ट स्थमा

ा है लिए विनिदिष्ट सुचना

The second secon			pr .
क्षेत्र कोड	एओ प्रकार	रेंज कोड	एओ सं.
:			
The first the same of the same control of the	Annual Control of the		

े विष विनिदिष्ट श्चना

alt a	कोड	एओ	प्रकार	रैंज	कोड	एओ	सं.	
	1							

La ville

ाव बारीवृतिक से आय 0 पूंजी अभिलाभ 0 गृह संपत्ति से आय

ार शंती से आय

0 कोई आय नहीं

- अस्तिहरू **कोड**

क के विक्रि	राज्य	वीमा	निगम	(ईएसआईसी)	के	अधीन	नियोक्ता	रजिस्ट्रीकरण	के	लिए	अतिरिक्त
-------------	-------	------	------	-----------	----	------	----------	--------------	----	-----	----------

ा अंधिकार नारखाना

स्थापन

्रविक की सही स्वरूप

कार्य उप वर्ग

ाना के निरायन के उसस पैन और/अथवा टैन के आवेदन के लिए इच्छुक आवेदकों द्वारा यह ं प्रात्नां करवाना आजापक है। यह सुविधा ई-बिज पोर्टल द्वारा निर्धारित पृथक प्रक्रिया के कार केवल ई-बिल पोर्टल पर उपलब्ध है।

	٠.		Water, property
4	1	1.31	7. 7

संग्रह प्र ापन ,	संलग्न करें
- तथन अ नुच्छेट ;	संलग्न करें
ाथाय आश्राधारक(अर्गे) एवं निदेशक(कों) द्वारा दिए गए	सलग्न करें

4.	कार्यालय पता का सबूत (किराया रसीद के साथ हस्तांतरण	संलग्न करें
i	पत्र/पट्टा विलेख/किराया करार आदि);	
5.	उपयोगिता बिल की प्रति (दो माह से अधिक पुराना न हो)	संलग्न करें
6.	व्यापार चिन्ह के रजिस्ट्रीकरण के लिए व्यापार चिन्ह के	संलग्न करें
	स्वायी अथवा ऐसे आवेदन के आवेदक का अनुमोदन;	
7.	संबंध का सबूत;	संलग्न करें
8.		संलग्न करें
	अनापत्ति सबूतपत्र (एनओसी);	
9.	अन्य किसी व्यक्ति से अनापत्ति सब्त पत्र (एनओसी);	संलग्न करें
10.	विदेशी कारपोरेट इकाई के निगमन एवं पारित संकल्प के	संलग्न करें
	सब्त पत्र की प्रति;	
11.	संप्रवर्तक कंपनी द्वारा पारित संकल्प;	संलग्न करें
12.	वर्तमान भारतीय कंपनी से अनापत्ति सबूत पत्र	संलग्न करें
	(एनओसी);	
13.	अन्य कंपनियों में प्रथम निदेशक(कों) का हित;	संलग्न करें
14.	नामित व्यक्ति की सम्मति;	संलग्न करें
15.	अंशधारक के निवास के पते एवं पहचान का सबूत;	संलग्न करें
16.	नामित व्यक्ति के निवास के पते एवं पहचान का सब्त;	संलग्न करें
17.	आवेददक । के पते एवं पहचान का सबूत	संलग्न करें
18.	आवेददक ॥ के पते एवं पहचान का सबूत	संलग्न करें
19.	आवेददक ॥। के पते एवं पहचान का सबूत	संलग्न करें
20.	ऐच्छिक अनुलग्नक, (यदि कोई हो)	संलग्न करें

अनुलग्नक हटाएं

घोषणा

्मेंने नाम के आरक्षण की बावत में कंपनी अधिनियम, 2013 के उपबंधों, इसके अधीन नियमों एवं निर्धारित तैयार किए गए मार्गदर्शक सिद्धांतों को पढ़ा है और इसके अर्थ को समझा है कि प्रस्तावित नाम इसके अनुरूप है।

*मैंने कारपोरेट कार्य मंत्रालय (एमसीए) के पोर्टल में उपलब्ध खोज सुविधाओं का उपयोग पूर्व से रिजिस्ट्रीकृत अथवा पूर्व में अनुमोदित नामों वाली कंपनियों व सीमित देयता भागीदारियों (एलएलपी) के साथ क्रमशः प्रस्तावित नाम की समानता की जांच के लिए किया है।

अप्रस्तावित नाम ने संप्रतीक और नाम (अनुचित उपयोग निवारण) अधिनियम, 1950 के उपबंधों का उल्लंघन नहीं किया है और समय-समय पर इसका संशोधन किया जाता है।

अप्रस्तावित नाम लोगों के किसी भी वर्ग के लिए घृणोत्पादक नहीं है अर्थात प्रस्तावित नाम में एसी किसी प्रकार की अचारअष्टता अथवा शब्द या वाक्यांश अंतर्विष्ट नहीं है जो समान्यतः पर जातीय समृह, धम, लिंग या परंपरा के लिए है।

 कंपनी ट्वारा प्रस्तावित नाम के उपयोग से किसी भी विधि के अधीन आपित्तजनक नहीं होगा।

*थिंद बाद में यह नाम कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 4(2) और धारा 4(4) के उपबंधों व इसके नियमों का उल्लंघन करते हुए पाया गया तो इसके परिणाम के लिए मैं पूरी तरह से जिम्मेदारी उठाने का वचनबद्ध देता हूं और मैंने कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 4(5) (ii)(क) और (ख) के उपबंधों और नियमों को पढ़ा और समझा है और इसके परिणान के लिए स्वयं को उत्तरदायी घोषित करता हूँ।

, जो इस अनुच्छेद में कंपनी के निदेशक के रूप में नामित है, कंपनी के प्रवर्तकों द्वारा इस प्ररूप पर हस्ताक्षर करने तथा यह घोषणा करने के लिए विधिवत रूप से सम्यक हूं कि कंपनी अधिनियम, 2013 और इसके अधीन बने नियमों की आवश्यकताओं, जो निदेशक पहचान संख्या (डिन) कंपनी के रजिस्ट्रीकरण एवं इससे पूर्ववर्ती या प्रासंगिक मामलों से संबंधित है, को संकलित किया गया है।

में संगम ज्ञापन एवं संगम अनुच्छेद को स्वीकार करने वाले प्रवर्तकों तथा प्रथम निदेशक(कों) द्वारा यह घोषणा करने तथा इस प्ररूप पर हस्ताक्षर तथा इसे प्रस्तुत करने के लिए प्राधिकृत है। प्रत्येक अंशधारकओं द्वारा यह घोषणा करने के लिए प्राधिकृत हूं कि कंपनी तब तक अपना नतीय आरंभ नहीं करेगी जब तक प्रत्येक अंशधारक ने संगम ज्ञापन को स्वीकार करने के सक्त असके द्वारा प्राप्त शेयरों के मूल्य का भुगतान न कर दिया हो।

अं या अञ्चल करता हूं कि कंपनी अपना वृतिक तब तक आरंभ नहीं करेगी जब तक क्षेत्रीय विजियानको ीसे आरबीआई, सेबी आदि से आवश्यक अनुमोदन प्राप्त न हो जाए।

- में प्रवर्तको एवं प्रथम निदेशकों की ओर से यह घोषणा करता हूं कि रजिस्ट्रीकृत कार्यालय, नियमन के रुमय सभी प्रस्तावित कंपनियों को संबोधित सभी सूचनाओं तथा अधिसूचनाओं को प्राप्त करने और स्वीकारने के लिए सक्षम है और उन्हें इस प्ररूप की मद संख्या 4 में दिए गए पते में रखना आवश्यक है।
- मैं प्रस्तावित कंपनी के संगम अनुच्छेद में नामित सभी प्रथम निदेशकों की ओर से दृढतापूर्वक यह घोषणा करता हूं कि उपर्युक्त घोषणा मेरी जानकारी और विश्वास के अनुसार सत्य है, और निगमन के लिए इस समेकित आवेदन प्ररूप में दी गई सूचना और इसके अनुलग्नक सही एवं पूर्ण हैं और इस प्ररूप से संबंधित किसी भी सूचना को छुपाया नहीं गया है। सभी आवश्यक अनुलग्नकों को इस प्ररूप के साथ पूर्ण रूप से, सही रूप में और स्पष्ट रूप से जोड़ दिया गया है और वह संगम जापन और संगम अन्च्छेद में अंशदान करने वाले प्रवर्तकों द्वारा रखे गए मूल अभिलेख के अनुसार है।
- में, प्रस्तावित नितेशकों, जिनके ब्यौरे डिन के आबंटन के लिए उपर्युक्त रूप में भरे गए हों, की ओर से इस बात की पुष्टि और घोषणा करता हूं कि वे कंपनी अधिनियम, 2013 के उपबंधों जिसमें धारा 164 और 169 शामिल हैं, के तहत किसी कंपनी के निदेशक के रूप में नियुक्ति के लिए नियंत्रित, अयोग्य या पृथक नहीं है और उन्हें किसी आर्थिक अपराध न्यायालय अथवा न्यायिक मजिस्ट्रेट न्याय या उच्च न्यायालय अथवा किसी अन्य अदालत की तरफ से घोषित अपराधी के रूप में घोषित नहीं किया गया है और उन्हें कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 154 के तहत किसी निदेशक पहचान संख्या (डिन) का आबंटन पहले से नहीं किया गया है और इसके अलावा में इस बात की घोषणा भी करता हूं कि मैंने कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 449, धारा 450 और धारा 451 के साथ पठित धारा 154, धारा 155, धारा 447 और धारः 448 के उपबंधों को पढ़ा और समझा है।

----- सदस्य संख्या ----- और/या अभ्यास संख्या के सबूत पत्र ----- **को** ारा 7)1) (ख) के तहत घोषणा दी गई और ऐसी घोषणा को संलग्न किया गया।

टिप्पण: धारा 7(5) और धारा7(6) के उपबंधों पर ध्यान केन्द्रित किया गया है जिसमें यह उपाबंध है कि किसी सूचना का मिथ्या या गलत ब्यौरा या किसी तात्विक सूचना को दबाने से धारा 447 के तहत कपट के लिए दंड मिल सकती है। धारा 448 और धारा 449 के उपबंधों पर ध्यान आकर्षित किया जाता है जिसमें मिथ्या कथन और मिथ्या सब्तों के लिए क्रमश: दंड का उपाबंध है।

∗िनदेशक द्वारा अंकीय रूप में हस्ताक्षर किया जाना है।	डीएससी बॉक्स
*डिन/पैन	

वृतिक द्वारा की गई घोषणा और प्रमाणन

------ का सदस्य जिसका कार्यालय ------

में स्थित है और जो कंपनी के गठन के लिप्त में लगा हुआ है, यह
घोषणा करता हूं कि मैं इस प्ररूप के सबूतन के प्रयोजन के लिए सम्यक रूप से लिप्त हूं। मैं यह
भी प्रमाणित करता हूं कि मैंने कंपनी अधिनियम, 2013 के उपबंधों और इसके नियमों को इस प्ररूप
के अनुषंगी और इससे संबंधित मुद्दों के लिए पढ़ा है और ऊपर दिए ब्यौरों, जो इस प्ररूप की
विषयवस्तु हैं, को आवेदक द्वारा रखे गए मूल/प्रमाणित अभिलिखित के साथ सत्यापित किया है
(अनुलग्नक शामिल हैं) और उन्हें सत्य, सही और पूर्ण पाया है और इस प्ररूप की किसी सूचना को
दबाया नहीं गया है। इसके अतिरिक्त मैं यह भी प्रमाणित करता हूं कि :

- (i) प्रारूप ज्ञापन और संगम अनुच्छेद को धारा 4 और धारा 5 के उपबंधों और इसके नियमों के पुष्टि किया गया है; और
- (ii) कंपनी अधिनियम, 2013 की सभी आवश्यकताओं और इसके अंतर्गत बने नियम, जो अधिनियम की धारा 7 के अधीन कंपनी के रजिस्ट्रीकरण से संबंधित है और इसके पूर्ववर्ती या आनुषंगिक मामलों को संकलित कर लिया गया है। उक्त अभिलेखों को उचित रूप में तैयार कर कंपनी के अपेक्षित अधिकारियों द्वारा हस्ताक्षर कर लिया गया है और इसे कंपनी अधिनियम, 2013 के उपबंधों के अनुसार रखा गया है और उन्हें क्रमबद्ध रूप में पाया गया है;
- (iii) मैंने इस प्ररूप के सभी अनुलग्नकों को देखा है और इन्हें आवश्यकता के अनुसार पूर्ण और स्पष्ट पाया है;
- (iv) मैं इस बात की घोषणा करता हूं कि मैंने प्ररूप में दिए गए प्रस्तावि रजिस्ट्रीकृत कार्यालय का वैयक्तिक रूप से दौरा किया है और यह पाया है कि कंपनी का प्रस्तावि रजिस्ट्रीकृत कार्यालय

कंपनी के व्यावसायिक प्रयोजन के लिए काम कर रहा है (प्रस्तावित रजिस्ट्रीकृत कार्यालय के संबंध में, जहां लागू हो);

- यह समझ लिया है कि मैं गलत सबूतन, यदि किसी स्तर में पाया गया, के लिए कंपनी (v) अधिनियम, 2013 की धारा 448 के अधीन कार्रवाई के लिए जिम्मेदार हं।
 - *चार्टर्ड लेखाकार (पूर्णकालिक सेवा) या 0 लागत लेखाकार (पूर्णकालिक सेवा) या
 - o *कंपनी सचिव (पूर्णकालिक सेवा) 0 अधिवक्ता ------
 - *कया सहयोगी या साथी है सहयोगी साथी

*सदस्य संख्या ------

व्यवसाय संख्या का सब्त पत्र -----

*आयकर पैन -----

संशोधन प्ररूप देखें

पूर्व जांच े पेश करें

शासकीय उपयोग के लिए

फाडल किए गए विवरण

ई-प्ररूप सेवा अनुरोध सं.(एसआरएन) ----- ई-प्ररूप फाइल करने की तारीख---- (दिदि/मम/वववव)

इस ई-प्ररूपको एतद्दवारा रजिस्ट्रीकृत किया जाता है

प्राधिकृत अधिकारी के डिजिटल हस्ताक्षर ----- जमा पृष्ट करें हस्ताक्षर की तारीख ----- (तारीख/मास/वर्ष)

प्ररूप संख्या आईएनसी-30

[कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची । (धारा 4 और धारा 5 देखें) के अनुसरण में]



संगम ज्ञापन

प्ररूप भाषा 0 अंग्रेजी 0 हिंदी प्ररूप को भरने के लिए निर्देश किट का अन्देश लें।

*कंपनी उचित सारणी का चुनाव करें जो ----- कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची के अधीन अधिसूचित है। -----

तालिका क - शेयरो दवारा सीमित कंपनी का संगम जापन

- 1. कंपनी का नाम "------ लिमिटेड/प्रा.लि." है।
- 2. कंपनी का रजिस्ट्रीकृत कार्यालय ----- राज्य में स्थित होगा।
- (क) कंपनी के निगमन होने पर कंपनी के मुख्य उद्देश्य हैं: (ख) खंड 3(क) में निर्दिष्ट उद्देश्यों को आगे भेजे जाने के लिए आवश्यक मामले इस प्रकार हैं।
- सदस्यों का उत्तरदायित्व सीमित है और यह उत्तरदायित्व उनके द्वारा आयोजित शेयरों, यदि कोई हो, के अदत्त राशि के भुगतान तक सीमित है।
- 5. कंपनी की शेयर पूंजी ------**रूपये है, जो ------रूपये है, जो -----रू. के -----रू**. के **-----**- शेयर में विभाजित है।
- 6. हम, कुछ लोग, जिनके नाम और पते अभिदत्त हैं, इस संगम ज्ञापन के अनुसरण में एक कंपनी इच्छा चाहते हैं और हम अपने संबंधित नामों के सामने दिए गए कंपनी की पूंजी के शेयरों की संख्या सहमत करते हैं:-

नाम, पते,
या गया
-

7.	मैं,	जि	सका	नाम	और	पता	नीचे	दिया	गया	है,	इस	संगम	ज्ञाप	न के	अन्	सरण	में	एक
क्षंत्रनी	बनाने	का	इच्छु	कहूं	और	कंपनी	ा की	पूंजी	के स	भी १	शेयरों	को ग्र	हण व	करता	हूं। (एकल	ट्य	क्ति
अं गनी				•											``			

अंशदाता के नाम, पते,	प्रत्येक अंशदाता द्वारा	अंशदाता के हस्ताक्षर	साक्षियों के हस्ताक्षर,
	लिए गए शेयरों की सं.		नाम, पते, विवरण और
			पेशा

3.	श्री/श्रीमती, पुत्र/पुत्री, श्री	निवासी
·	अायु वर्ष	र्व, एकमात्र सदस्य की मृत्यु होने पर नामित
होगा	(एकल व्यक्ति कंपनी के मामले में)	
सारीख	दिन	

ाणी ख - शेयर पूंजी रहित और प्रत्याभूति द्वारा सीमित कंपनी का संगम ज्ञापन।

- 1. कंपनी का नाम "------ लिमिटेड/प्राइवेट लिमिटेड" है।
- 2. कंपनी का रिजर्स्ट्रीकृत कार्यालय ----- राज्य में स्थित होगा।
- (क) कंपनी के निगमन होने पर कंपनी के मुख्य उद्देश्य हैं: (ख) खंड 3(क) में विनिर्दिष्ट उद्देश्यों को आगे भेजे जाने के लिए आवश्यक मामले इस प्रकार हैं।
- 4. सदस्यों का उत्तरदायित्व सीमित है।
- 5. कंपनी का प्रत्येक सदस्य निम्नलिखित योगदान देने की जिम्मेदारी लेता है:-
- सदस्यता के दौरान कंपनी के समापन के समय कंपनी की आस्ति में, या सदस्यता की समाप्ति के एक वर्ष के भीतर कंपनी के ऋण और दायित्व के भुगतान के लिए, या सदस्यता की समाप्ति के पूर्व किसी ऋण या दायित्व में; और
- (॥) समापन के लागत प्रभार और व्ययों में (और उनके बीच समोयोजन के अधिकारों के संदाय किलिए), ऐसी रकम की अपेक्षा होगी जो ------रु. से अधिक नहीं होगी।
- हम, कुछ लोग, जिनके नाम और पते अभिदत्त हैं, इस संगम ज्ञापन के अनुसरण में एक
 क्यनी बनना चाहते हैं।

Mil II - Gog 2(1)]	मारत का राजपत्र : असावारण	
अंशदाता के नाम, पते,	अंशदाता के	हस्ताक्षर साक्षियों के हस्ताक्षर, नाम, पते, वर्णन और
Mater Sitt follows		जिविका
वाणिक का ए.बी.		मेरे समक्ष हस्ताक्षर किया गया
		हस्ताक्षर

7. मैं, जिसका नाम और पता नीचे दिया गया है, इस संगम ज्ञापन के अनुसरण में एक कंपनी बनाने का इच्छुक हूं। (एकल ट्यक्ति कंपनी के मामले में):-

अंशदाता के नाम, पते,	अंशदाता के हस्ताक्षर	साक्षियों के हस्ताक्षर,
विवरण और जीविका		नाम, पते, वर्णन और
		पेशा
वाणिक का		मेरे समक्ष हस्ताक्षर
ए.बी.		किया गया
		हस्ताक्षर

8. श्री/श्रीमती,पुत्र/पुत्री, श्री निवासी	
अायु अयु वर्ष, एकमात्र सदस्य की मृत्यु होने पर नामित	
होगा (एकल व्यक्ति कंपनी के मामले में)	
तारीख दिन	

सारणी ग - शेयर पूंजी वाली और प्रत्याभूति द्वारा कंपनी लिमिटेड कंपनी का संगम जापन। ।

- 1. कंपनी का नाम "----- लिमिटेड/प्राईवेट लिमिटेड" है।
- 2. कंपनी का रजिस्ट्रीकृत कार्यालय ------ राज्य में स्थित होगा।
- 3. (क) कंपनी के निगमन होने पर कंपनी के मुख्य उद्देश्य हैं:(ख) खंड 3(क) में विनिर्दिष्ट उद्देश्यों को आगे भेजे जाने के लिए आवश्यक मामले इस प्रकार हैं।
- सदस्यों का दायित्व सीमित है।
- 5. कंपनी का प्रत्येक सदस्य निम्नलिखित योगदान देने की जिम्मेदारी लेता है:-

(i)	सदस्यता	के दौरा	न कंपनी	के स	मापन	के समय	ा कंपनी	की	आस्ति	में, या	सदस्यता	की
समाप्ति	न के एक	वर्ष के	भीतर कं	पनी के	ऋण	और कर	र्ज के दा	यित्व	के लि	ाए, या	सदस्यता	की
समाप्ति	त के पूर्वी	केसी ऋ	ण या दा	यित्वों	में; औ	र						

(ii)	समापन के लागत प्रभार और व्य	यों में (और उनके बीच र	ग्रेगदानकर्ता के अधिकारों के	
समायो	गोजनों के लिए), ऐसी राशि की अपेरि	क्षेत होगी जो		ोगी।
6. कंप	पनी की शेयर पूंजी	रूपये है, जो	रु. के	
शेयर व	में विभाजित है।			

7. हम, कुछ लोग, जिनके नाम और पते अभिदत्त हैं, इस संगम ज्ञापन के अनुसरण में एक कंपनी बनना चाहते हैं और हम अपने संबंधित नामों के सामने दिए गए कंपनी की पूंजी के शेयरों की संख्या ग्रहण करते हैं:-

अंशदाता के नाम, पते,	प्रत्येक अंशदाता द्वारा	अंशदाता के हस्ताक्षर	साक्षियों के हस्ताक्षर,
विवरण और जीविका	लिए गए शेयरों की		नाम, पते, वर्णन और
	सं.		जीविका
वणिक का			मेरे समक्ष हस्ताक्षर
ए.बी.		•	किया गया
			हस्ताक्षर

8. मैं, जिसका नाम और पता नीचे दिया गया है, इस संगम जापन के अनुसरण में एक कंपनी बनाने का इच्छुक हूं और कंपनी की पूंजी के सभी शेयरों को करार करता हूं। (एकल व्यक्ति कंपनी के मामले में)

अंशदाता के नाम, पते,	प्रत्येक अंशदाता द्वारा	अंशदाता के हस्ताक्षर	साक्षियों के हस्ताक्षर,
विवरण और जीविका	लिए गए शेयरों की		नाम, पते, विवरण
	सं		और जीविका
वणिक का			मेरे समक्ष हस्ताक्षर
ए.बी.			किया गया
· ·			हस्ताक्षर

श्री/श्रीमती ------, पुत्र/पुत्री, श्री ------

निवासी		आयु	वर्ष, एकमात्र
सदस्य की मृत्यु होने प	पर नामित होगा (एकल ट	यक्ति कंपनी के मामले	में)
तारीख	दिन	·	
सारणी घ - एक शेयर	पूंजी रहित असीमित कं	पनी का संगम ज्ञापन।	
1. कंपनी का नाम "	' कंपनी"	' 考1	
2. कंपनी का रजिस्ट्र	ीकृत कार्यालय	राज्य में स्थित	न होगा।
3. (क) कंपनी के नि	ागमन होने पर कंपनी के	मुख्य उद्देश्य हैं:-	
(ख) खंड 3(क) म	नें निर्दिष्ट उद्देश्यों को आ _र	गे भेजे जाने के लिए आ	वश्यक मामले इस प्रकार हैं।
4. सदस्यों का उत्तर	दायित्व असीमित है।		
5. हम कुछ लोग, जि बनना चाहते हैं।	ानके नाम और पते अभिव ्	दत्त हैं, इस संगम ज्ञापन	ा के अनुसरण में एक कंपर्न
अंशदाता के नाम, पते,	प्रत्येक अंशदाता द्वारा	अंशदाता के हस्ताक्षर	साक्षियों के हस्ताक्षर,
विवरण और जीविका	लिए गए शेयरों की		नाम, पते, वर्णन और
	सं.		जीविका
वणिक का			मेरे समक्ष हस्ताक्षर
ए.बी.			किया गया
			हस्ताक्षर
	और पता नीचे दिया गय एकल व्यक्ति कंपनी के ग		के अनुसरण में एक कंपनी
अंशदाता के नाम, पते,	प्रत्येक अंशदाता द्वारा	अंशदाता के हस्ताक्षर	साक्षियों के हस्ताक्षर,
विवरण और जीविका	लिए गए शेयरों की		नाम, पते, वर्णन और
	सं.		जीविका
व्यापारी का			मेरे समक्ष हस्ताक्षर
ए.बी.	·		किया गया

1	PART	11	Cer	26
	PAKI	11	JEC.	-20

P

THE PER	~	ZETTE	ΩE	TATEST A	CYTD	AOR	DINA	RV
THE	(÷ £	VELLE.	()F	INDIA	: EXIK	AUK	אמנע	III

सिदस्य की मृत्यु होने पर नामित होगा (एकल व्यक्ति कंपने तारीख	•
तारीख	ी के मामले में)
सारणी ड एक शेयर पूंजी वली और असीमित कंपनी का कंपनी का नाम " कंपनी" है। कंपनी का रिजस्ट्रीकृत कार्यालय र (क) कंपनी के निगमन होने पर कंपनी के मुख्य उद्देश (ख) खंड 3(क) में निर्दिष्ट उद्देश्यों को आगे भेजे जाने सदस्यों का उत्तरदायित्व असीमित है। कंपनी की शेयर पूंजी रूपये है, जो शेयर में विभाजित है। हम, कुछ लोग, जिनके नाम और पते अभिदत्त हैं, कंपनी बनना चाहते हैं और हम अपने संबंधित नामों शेयरों की संख्या करार करते हैं:- अंशदाता के नाम, पते, विवरण अंशदाता के हस्ताक्षर	
सारणी ड एक शेयर पूंजी वली और असीमित कंपनी का कंपनी का नाम " कंपनी" है। कंपनी का रजिस्ट्रीकृत कार्यालय र (क) कंपनी के निगमन होने पर कंपनी के मुख्य उद्देश (ख) खंड 3(क) में निर्दिष्ट उद्देश्यों को आगे भेजे जाने सदस्यों का उत्तरदायित्व असीमित है। कंपनी की शेयर पूंजी रूपये है, जो शेयर में विभाजित है। हम, कुछ लोग, जिनके नाम और पते अभिदत्त हैं, कंपनी बनना चाहते हैं और हम अपने संबंधित नामों शेयरों की संख्या करार करते हैं:- अंशदाता के नाम, पते, विवरण अंशदाता के हस्ताक्षर	
. कंपनी का नाम " कंपनी" है। . कंपनी का रजिस्ट्रीकृत कार्यालय र . (क) कंपनी के निगमन होने पर कंपनी के मुख्य उद्देश (ख) खंड 3(क) में निर्दिष्ट उद्देश्यों को आगे भेजे जाने . सदस्यों का उत्तरदायित्व असीमित है। . कंपनी की शेयर पूंजी रूपये है, जो शेयर में विभाजित है। . हम, कुछ लोग, जिनके नाम और पते अभिदत्त हैं, कंपनी बनना चाहते हैं और हम अपने संबंधित नामों शेयरों की संख्या करार करते हैं:- अंशदाता के नाम, पते, विवरण अंशदाता के हस्ताक्षर	। संगम जापन।
. कंपनी का रजिस्ट्रीकृत कार्यालय	
 (क) कंपनी के निगमन होने पर कंपनी के मुख्य उद्देश (ख) खंड 3(क) में निर्दिष्ट उद्देश्यों को आगे भेजे जाने सदस्यों का उत्तरदायित्व असीमित है। कंपनी की शेयर पूंजी रूपये है, जो शेयर में विभाजित है। हम, कुछ लोग, जिनके नाम और पते अभिदत्त हैं, कंपनी बनना चाहते हैं और हम अपने संबंधित नामों शेयरों की संख्या करार करते हैं:- अंशदाता के नाम, पते, विवरण अंशदाता के हस्ताक्षर 	× ~
(ख) खंड 3(क) में निर्दिष्ट उद्देश्यों को आगे भैजे जाने सदस्यों का उत्तरदायित्व असीमित है। कंपनी की शेयर पूंजी रूपये है, जो शेयर में विभाजित है। हम, कुछ लोग, जिनके नाम और पते अभिदत्त हैं, कंपनी बनना चाहते हैं और हम अपने संबंधित नामों शेयरों की संख्या करार करते हैं:- अंशदाता के नाम, पते, विवरण अंशदाता के हस्ताक्षर	
सदस्यों का उत्तरदायित्व असीमित है। कंपनी की शेयर पूंजी रूपये है, जो शेयर में विभाजित है। हम, कुछ लोग, जिनके नाम और पते अभिदत्त हैं, कंपनी बनना चाहते हैं और हम अपने संबंधित नामों शेयरों की संख्या करार करते हैं:- अंशदाता के नाम, पते, विवरण अंशदाता के हस्ताक्षर	
कंपनी की शेयर पूंजी रूपये है, जो शेयर में विभाजित है। हम, कुछ लोग, जिनके नाम और पते अभिदत्त हैं, कंपनी बनना चाहते हैं और हम अपने संबंधित नामों शेयरों की संख्या करार करते हैं:- अंशदाता के नाम, पते, विवरण अंशदाता के हस्ताक्षर	क लिए आवश्यक मामल इस प्रकार ह
- शेयर में विभाजित है। हम, कुछ लोग, जिनके नाम और पते अभिदत्त हैं, कंपनी बनना चाहते हैं और हम अपने संबंधित नामों शेयरों की संख्या करार करते हैं:- अंशदाता के नाम, पते, विवरण अंशदाता के हस्ताक्षर	
. हम, कुछ लोग, जिनके नाम और पते अभिदत्त हैं, कंपनी बनना चाहते हैं और हम अपने संबंधित नामों शेयरों की संख्या करार करते हैं:- अंशदाता के नाम, पते, विवरण अंशदाता के हस्ताक्षर	
कंपनी बनना चाहते हैं और हम अपने संबंधित नामों शेयरों की संख्या करार करते हैं:- अंशदाता के नाम, पते, विवरण अंशदाता के हस्ताक्षर	
शेयरों की संख्या करार करते हैं:- अंशदाता के नाम, पते, विवरण अंशदाता के हस्ताक्षर	
अंशदाता के नाम, पते, विवरण अंशदाता के हस्ताक्षर	ं के सामने दिए गए कंपनी की पूंजी
और जीविका	साक्षियों के हस्ताक्षर, नाम, पर
	वर्णन और जीविका
वणिक का ए.बी.	मेरे समक्ष हस्ताक्षर किया गया
	हस्ताक्षर
- *	
7. मैं, जिसका नाम और पता नीचे दिया गया है, इस र नाम का नाकक है और कंपनी की एंटी के पथी शेयारें न	•
बनाने का इच्छुक हूं और कंपनी की पूंजी के सभी शेयरों व के मामले में)	ग ग्रहण करता है। (एकल ज्याक्त कम
क मामल म)	
अंशदाता के नाम, पते, विवरण अंशदाता के हस्ताक्षर	साक्षियों के हस्ताक्षर, नाम,
और जीविका	पते, वर्णन और जीविका
वणिक का ए.बी.	मेरे समक्ष हस्ताक्षर किया गया
	हस्ताक्षर
8. श्री/श्रीमती,पुत्र/पुत्री,	श्री
:नेवासी	
सदस्य की मृत्यु होने पर नामित होगा (एकल व्यक्ति कंपर्न	ों के मामले में)
तारीख	
(II)(G	

प्ररूप संख्या आईएनसी-31

संगम अनुच्छेद

[कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची। (देखें धारा 4 और 5) के अनुसरण में]

प्ररूप की भाषा

0अंग्रेजी

0हिंदी

प्ररूप अरने के लिए निदेश देखें।

1. *कंपनी अधिनियम 2013 की अनुसूची । के अधीन यथा अधिसूचित कंपनी के लिए लागू समुचित सारणी चुनें

अनुच्छेद	विवरण	लागू होना
रं .		हां/नहीं
	निवर्चन	
	(1) इन विनियमों में,-	0 हां 0 नहीं
	(क) "अधिनियम" से कंपनी अधिनियम, 2013 अभिप्रेत है;	
	(ख) "मुद्रा" से कंपनी की सामान्य मुद्रा अभिप्रेत है।	
	(2) जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, उन शब्दों और	
,	पदों के, जो इन विनियमों में अंतर्विष्ट है, वे ही अर्थ होंगे जो	
	अधिनियम में या उस तारीख को, जब ये विनियम कंपनी पर	
	आबद्धकर हो जाते हैं, प्रवृत्त उसके किसी कानूनी उपान्तर में हैं।	
	अंश (शेयर) पूंजी और अधिकारों में फेरफार	
	अधिनियम के उपबंधों और इन अनुच्छेदों के अधीन रहते हुए कंपनी	0 हां 0 नहीं
}	की पूंजी में अंश (शेयर) उन निदेशकों के नियंत्रणाधीन रहेंगे जो	
	उनका या उनके किसी अंश (शेयर) ऐसे व्यक्तियों को ऐसे अनुपात में	
	और ऐसे निबंधनों और शर्तों पर और किसी प्रीमियम पर या समान	
	मूल्य पर और ऐसे समय पर जो वे समय-समय पर ठीक समझें,	
	निर्गमन कर सकेंगे, उनका आबंटन कर सकेंगे या उनका अन्यथा	

0	THE GAZETTE OF INDIA: EXTRAORDINARY	[PART II—SEC.
	निपटान कर सकेंगे।	
2	(i) हर व्यक्ति, जिसका नाम सदस्यों के रजिस्टर के रूप में	0 हां 0 नहीं
	प्रविष्ट है, ज्ञापन के हस्ताक्षरकर्ताओं की दशा में निगमन के पश्चात्	
	आबंटन के पश्चात् दो मास के भीतर या अंतरण या संप्रेषण के	
	रजिस्ट्रीकरण या संप्रेषण के लिए आवेदन के एक मास के भीतर या	
	इतनी अन्य कालावधि के भीतर जैसी निर्गमन की शर्तों में उपबंधित	
	की जाए-	-
	(क) किसी प्रभार का संदाय किए बिना; अपने सभी अंशों (शेयरों)	·
	के लिए एक प्रमाणपत्र; अथवा	
	(ख) अनेक प्रमाणपत्र, जिनमें से हर एक उसके एक या एक से	
	अधिक अंशों (शेयरों) के लिए होगा, प्रथम प्रमाणपत्र के पश्चात् हर	
	प्रमाणपत्र के लिए बीस रूपए देने पर, प्राप्त करने का हकदार होगा।	
	(ii) प्रत्येक प्रमाणपत्र पर मुद्रा लगी होगी और उसमे वे अंश	
	(शेयर) जिनसे वह संबंधित है और उस मुद्दे समादत्त रकम भी	
	निर्दिष्ट होगी।	
	(iii) कई व्यक्तियों द्वारा संयुक्त धृत किसी अंश (शेयर) या	
-	किन्हीं अंशों (शेयरों) की बाबत एक से अधिक प्रमाणपत्र देने के लिए	
	कंपनी आबद्ध नहीं होगी और कई अंश (शेयर) धारियों में से किसी	
	एक को अंश (शेयर) के लिए प्रमाणपत्र का परिदान ऐसे सभी धारकों	
	को पर्याप्त परिदान होगा।	
3	(i) यदि कोई अंश (शेयर) प्रमाणपत्र कट-फट जाता है, विरूपित	0 हां 0 नहीं
	हो जाता है, विकृत हो जाता है या फट जाता है या अंतरण के	
	पृष्ठाकंन के लिए पृष्ठ भाग पर और स्थान नहीं है तो कंपनी को	
	उसके प्रस्तुत किए जाने पर तथा उसका अभ्यर्पण किए जाने पर	
	उसके बदले में एक नया प्रमाणपत्र जारी किया जा सकेगा और यदि	
	कोई प्रमाणपत्र गुम हो जाता है या नष्ट हो जाता है तो कंपनी के	
	समाधानप्रद रूप में उसका सबूत दिए जाने पर और ऐसी क्षतिपूर्ति के	
	निष्पादन पर जो कंपनी पर्याप्त समझती है, उसके बदले में एक नया	
	प्रमाणपत्र दिया जाएगा। इस अनुच्छेद के अधीन प्रत्येक प्रमाणपत्र,	
	हर प्रमाणपत्र के लिए बीस रुपए के संदाय पर जारी किया जाएगा।	
	(ii) अनुच्छेद (2) और अनुच्छेद (3) के उपबंध आवश्यक	
	परिवर्तनों सहित कंपनी के डिबेंचरों को लागू होंगे।	
4	विधि द्वारा यथा अपेक्षित के सिवाय, कंपनी किसी व्यक्ति को यह	0 हां 0 नहीं
	मान्यता न देगी कि वह किसी अंश (शेयर) को न्यास पर धृत किए	
L	1	

माग ॥ - खण्ड	3(1)] भारत का राजपत्र : असाधारण	
	हुए है, तथा किसी पूरे के पूरे अंश (शेयर) में उसके रजिस्ट्रीकृत	
1	धारक के आत्यन्तिक हित से बाध्य होने या उसे मान्यता देने के	
***************************************	लिए विवश होने के सिवाय कंपनी न तो उस अंश (शेयर),	
	साम्याजात, समाश्रित, भावी या भागिक हित से, न उस अंश (शेयर)	
	के भाग के किसी हित से और न (केवल इन विनियमों में या किसी	İ
	अन्य विधि में अन्यथा उपबंधित के सिवाय किसी अंश (शेयर) की	
	बाबत किन्हीं अन्य अधिकारों से आबद्ध होगी और न उसकी (अपने	
	को सूचना होने पर) भी उसे मान्यता देने के लिए किसी भी प्रकार से	
	विवश होगी।	
5	(i) कोई कंपनी धारा 40 की उपधारा (6) द्वारा प्रदत्त उन	0 हां 0 नहीं
	शक्तियों का प्रयोग कर सकेगी जो कमीशन के दिए जाने के बारे में	
	हैं परंतु यह तब जब कि संदत्त किए जाने के लिए करार पाई गई	
- A for a standard and a standard an	कमीशन की दर प्रतिशत या रकम उस धारा और तद्धीन बनाए गए	
	नियमों द्वारा अपेक्षित रीति से प्रकट कर दी गई है।	
	(ii) कमीशन की दर या रकम, धारा 40 की उपधारा (6) के	
	अधीन बनाए गए नियम में विहित की गई दर या रकम से अधिक	
	नहीं होगी।	
	(iii) कमीशन नकद रकम देकर अथवा पूर्णतः या भागतः समादत्त	
	अंशो (शेयरों) का आबंटन करके या भागतः एक प्रकार से और भागत	
	दूसरे प्रकार से चुकाया जा सकेगा।	
6	(i) यदि किसी भी समय अंश (शेयर) पूंजी विभिन्न वर्ग वाले	0 हां 0 नहीं
	अंशों (शेयरों) में विभाजित की जाती है तो किसी वर्ग से संलग्न	
	अधिकारों में [तब के सिवाय जब कि उस वर्ग वाले अंशों (शेयरों) के	
	निर्गमन के निबंधनों में अन्यथा उपबंधित है। धारा 48 के उपबंधों के	
***	अधीन रहते हुए तथा भले ही कंपनी का परिसमापन किया जा रहा हो	
	या नहीं, उस वर्ग वाले निर्गमित अंशों (शेयरों) के तीन-चौथाई के	
	धारकों की लिखित सम्मिति से अथवा उस वर्ग वाले अंशों (शेयरों) के	
	धारकों के पृथक् अधिवेशन में पारित विशेष संकल्प की मंजूरी से	
	किया जा सकेगा।	
	(ii) साधारण अधिवेशन से संबंधित इन विनियमों के उपबंध ऐसे	
	हर पृथक् अधिवेशन को, यथा आवश्यक परिवर्तनों सहित लागू होंगे	
	किंतु ऐसे अधिवेशन के लिए गणपूर्ति (कोरम) कम से कम उन दो	
	व्यक्तियों की होगी जो प्रश्नगत वर्ग वाले निर्गमित अंशों (शैयरों) के	
	कम से कम एक-तिहाई को धारण किए हुए हैं।	

परंत् कोई विक्रय तब तक नहीं किया जाएगा-

विदयमान है, तत्क्षण देय न हो; अथवा

जब तक कि कोई राशि, जिसकी बाबत धारणाधिकार

जब तक वह रकम, जिसकी बाबत धारणाधिकार विद्यमान है,

कथित करने वाली और उस रकम के उस भाग के, जो तत्क्षण देय है, चुकाए जाने की मांग करने वाली, लिखित सूचना उस अंश (शेयर) के

	- \-7.1	
	तत्समय रजिस्ट्रीकृत धारक को अथवा उसकी मृत्यु या दिवाले के	
	कारण उस पर हक रखने वाले व्यक्ति को दिए जाने के पश्चात् चौदह	
	दिन का अवसान न हो गया हो।	
1	(i) ऐसे किसी विक्रय को प्रभावी करने के लिए बोर्ड बेचे गए अंशों	0 हां 0 नहीं
	(शेयरों) को उनके क्रेता को अंतरण करने के लिए किसी व्यक्ति को	
	प्राधिकृत कर सकेगा।	
	(ii) क्रेता किसी ऐसे अंतरण में समाविष्ट अंशों (शेयरों) के धारक	
	के रूप में रजिस्ट्रीकृत किया जाएगा।	
	(iii) क्रेता इस बात के लिए आबद्ध न होगा कि वह यह देखे कि	
	क्रय धन का क्या उपयोजन किया जाता है और उन अंशों (शेयरों)	
	पर कोई प्रभाव ऐसी किसी अनियमितता या अविधिमान्यता से पड़ेगा	
	जो विक्रय कार्यवाहियों में हुई हैं।	
12	(i) कपनी द्वारा विक्रय आगम प्राप्त किए आएंगे और उनका	0 हां 0 नहीं
	उपयोजन उस रकम के जिसकी बाबत वह धारणाधिकार विद्यमान है,	
	उतने भाग को चुकाने में किया जाएगा जो ततक्षण देय है।	
	(ii) यदि कुछ अवशिष्टि रहे तो वे राशि लेखे धारणाधिकार जो	
	तत्क्षण देय नहीं है. ऐसे धारणाधिकार के अधीन रहते हुए, जो उन	
	अंशों (शयरों) पर विक्रय के पूर्व विदयमान के, उस व्यक्ति को दे दी	·
	जाएगी जो विकथ की तारीख पर उन अंशों (शेयरों) का हकदार है।	
	अंशों (शेयरों) लेखे आह्वान	
13	(i) बोर्ड ऐसी किन्हीं धनराशियाँ विषयक आह्वान, जो चाहे अंशों	0 हां 0 नहीं
	(शेयरों के अभिहिल मूल्य लेखे या प्रीमियम के तौर पर) उनके अंशों	
	(शेयरों) के आबटन की शर्तों से जो नियत समयों पर देय नहीं की	
	गई है, सदस्यों से समय-समय पर कर सकेगाः	
	परंतु कोई भी आहवान अंश (शेयर) के अभिहित मूल्य के चौथाई से	
	अधिक नहीं होगा या न अंतिम पूर्ववर्ती आह्वान के प्कान के लिए	
	नियत तारीख से एक मास से कम समय में वह संदेय होगी।	
	(ii) हर सदस्य अपने अंशों (शेयरों) लेखे आहूत रकम उसके चुकाए	
	जाने के समय या समयों तथा स्थान को विनिर्दिष्ट करने वाली चौदह	
	दिन की सूचना मिल जाने की शर्त पूरी हो जाने पर, कंपनी को ऐसे	
	विनिर्दिष्ट समय या समयों पर तथा स्थान पर चुका देगा।	
	(iii) कोई आहवान बोर्ड के विवेकानुसार प्रतिसंहत या मुल्तवी किया	
	जा सकेगा।	

	THE GAZETTE OF INDIA: EXTRAORDINARY	[FARI II—SEC. 3
14	आह्वान की बाबत यह समझा जाएगा कि वह उस समय किया गया	0 हां 0 नहीं
<u>:</u> }	जब से आहवान को प्राधिकृत करने वाला बोर्ड का संकल्प पारित	
	किया गया था तथा उसकी बाबत यह अपेक्षा की जा सकेगी कि वह	
ŕ	किस्तों में चुकाया जाए।	
15	अंश (शेयर) के संयुक्त धारक, उस लेखे सभी आहवानों को चुकाने के	0 हां 0 नहीं
	लिए संयुक्ततः और पृथकतः दायित्व के अधीन होंगे।	
16	(i) यदि अंश (शेयर) लेखे आहूत नियत राशि उसे चुकाने के लिए	0 हां 0 नहीं
٠.	नियत दिन के पूर्व या उस दिन को चुका नहीं दी जाती तो वह	,
	व्यक्ति, जिस द्वारा वह राशि शोध्य है, सके चुकाने के लिए नियत	
	दिन से उसके वास्तव में चुकाए जाने के समय तक उस पर दस	
	प्रतिशत की दर से या ऐसी जीची दर से, यदि कोई हो, जैसी बोर्ड	
	अवधारित करे, ब्याज देगा।	
	(ii) बोर्ड को यह स्वतंत्रता होगी कि वह ऐसे ब्याज के दिए जाने	
	का पूर्णतः या भागतः अधित्यजन कर दे।	
17	(i) अंश (शेयर) के निर्गमन के निबंधनों के अनुसार जो कोई	0 हां 0 नहीं
	राशि उस अंश (शेयर) के अभिहित मूल्य, लेखे अथवा प्रीमियम के	
	रूप में आबटन पर या नियत तारीख को देय हो जाती है उसकी	
	बाबत इन विनियमों के प्रयोजनों के लिए यह समझा जाएगा कि वह	
	उस तारीख को सम्यक् रूप से किया गया तथा संदेय है जिसकों ऐसी	
	राशि निर्गमन के निबंधनों के अनुसार देय हो जाती है, देय आह्वान	
	₹I	
	(ii) ऐसी राशि के न चुकाए जाने की दशा में, इन विनियमों के वे	
	सभी सुसंगत उपबंध, जो ब्याज और व्यय के चुकाए जाने के बारे में	
	या अन्य बातों के बारे में हैं ऐसे लागू होंगे मानों ऐसी राशि ऐसी	
	किसी आह्वान के आधार पर देय हो गी है जो सम्यक् रूप से किया	
	गया और अधिसूचित किया गया था।	
18	बोर्ड-	0 हां 0 नहीं
	(क) उस दशा में, जिसमें वह यह करना ठीक समझता है, वह पूरी	
	धनराशि, जो उन अंशों (शेयरों) लेखे अनाहूत और असमादत्त	
	धनराशि है, जो उस सदस्य द्वारा धृत है जो अग्रिम रूप से वह राशि	
	चुका देने का इच्छुक है, या उसका कोई भाग उस समय सदस्य से	
	प्राप्त कर सकेगा, तथा	;
	(ख) ऐसे अग्रिम रूप से दी गई सब धनराशियों या उनमें से किन्हीं	
	पर ब्याज (उस दशा के सिवाय, जिसमें कि यदि अग्रिम रूप से वे न	

া ॥-ভাতর	[3(1)] भारत का राजंपत्र : असाधारण	
* * - W W. Andrews	दी गई होतीं तो वे तत्क्षण देय हो गई होती) बारह प्रतिशत प्रतिवर्ष	·
	से तब के सिवाय जबकि कंपनी ने साधारण अधिवेशन में अन्यथा	
	निर्दिष्ट किया हो अधिक न होने वाली ऐसी दर से देगा जैसी बोर्ड	
	और उस सदस्य के जो वह राशि अग्रिम रूप से दे रहा है, बीच करार	
	पाई जाए।	
The second of	अंशों (शेयरों) का अंतरण	
19	(i) कंपनी के किसी अंश (शेयर) के अंतरण की लिखत अंतरक	0 हां 0 नहीं
	और अंतरिती द्वारा या उन दोनों की ओर से निष्पादित की जाएगी।	
	(ii) अंतरक की बाबत यह समझा जाएगा कि जब तक अंतरिती	
	का नाम सदस्यों के रजिस्टर में उस अंश (शेयर) की बाबत प्रविष्ट	
	नहीं कर दिया जाता वह उस अंश (शेयर) का धारक बना रहता है।	
20	बोर्ड, धारा 58 द्वारा प्रदत्त अपील के अधिकार के अधीन रहते हुए,-	0 हां 0 नहीं
	(क) ऐसी किसी अंश (शेयर) का, जो पूर्णतः समादत्त अंश (शेयर)	
	नहीं है, ऐसे किसी व्यक्ति को किया गया अंतरण, जिसे वह ठीक	
	नहीं समझता, अथवा	
	(ख) ऐसे किन्हीं अंशों (शेयरों) का अंतरण जिन पर कंपनी का	
	धारणाधिकार है,	
	रजिस्ट्रीकृत करने से इंकार कर सकेगा।	
21	बोर्ड, किसी अंतरण लिखत को, मान्यता देने से इंकार तब के सिवाय	0 हां 0 नहीं
	कर सकेगा जबकि-	
	(क) अंतरण लिखत धारा 55 की उपधारा (1) के अधीन बनाए गए	•
	नियमों के यथा विहित प्ररूप में है;	
	(ख) अंतरण लिखत के साथ उन अंशों (शेयरों) का, जिनसे वह	
	संबंधित है, प्रमाणपत्र है और ऐसा अन्य साक्ष्य है, जैसा अतंरक का	
	वह अधिकार दर्शित करने के लिए बोर्ड अपेक्षित करे जो वह अंतरण	
	करने का उसका है; तथा	
	(ग) अंतरण लिखत अंशों (शेयरों) के केवल एक वर्ग की बाबत है।	
12	धारा 91 और उसके अधीन बनाए गए नियमों के अनुसार कम से	0 हां 0 नहीं
	कम सात दिन की सूचना देकर अंतरणों का रजिस्ट्रीकरण ऐसे समय	
	पर और ऐसी कालावधियों के लिए निलंबित किया जा सकेगा जैसे या	
	जैसी बोर्ड समय-समय पर अवधारित करेः	
	परंतु ऐसा रजिस्ट्रीकरण किसी एक समय पर तीस दिन से अधिक के	
1	िलए और किसी एक वर्ष में कुल मिलाकर पैंतालीस दिन से अधिक के	
	3	

1	THE GAZETTE OF INDIA: EXTRAORDINARY	[PART II—S	DEC. 3(1
	लिए निलंबित नहीं किया जाएगा।		
]	अंशों (शेयरों का परेषण)		
23	(i) किसी सदस्य की मृत्यु पर, उस दशा में, जिसमें कि वह	0 हां 0 नहीं	
	सदस्य संयुक्त धारक था उत्तरजीवी हो तथा उस दशा में, जिसमें कि		
	वह एकमात्र धारक और उसका नामनिर्देशिति या उसके		
The state of the s	नामनिर्देशितियों के विधिक प्रतिनिधि ऐसे व्यक्ति होंगे जिन्हें उन		
	अंशों (शेयरों) में के उसके हित पर हक रखने वालों के रूप में कंपनी		
	द्वारा मान्यता दी जाएगी।		
	(ii) खंड (i) में की कोई बात किसी मृत संयुक्त धारक की संपदा		
	को ऐसे किसी अंश (शेयर) की बाबत, जिसे उसने अन्य व्यक्तियों के		
	साथ संयुक्त धारण किया था, किसी दायित्व से निर्मुक्त नहीं करेगी।		
24	(i) सदस्य की मृत्यु होने या दिवाला निकलने के परिणामस्वरूप	0 हां 0 नहीं	
	जो व्यक्ति किसी अंश (शेयर) का हकदार होता है वह ऐसे साक्ष्य के		
	पेश किए जाने पर, जो बोर्ड द्वारा समय-समय पर उचित रूप से		
	अपेक्षित किया जाए, तथा यहां के पश्चात् इसमें यथा उपबंधित के		-
	अधीन रहते हुए, या तो-		
	(क) अंश (शेयर) के धारक के रूप में अपने को रजिस्ट्रीकृत कराने		
n company	का, या		
	(ख) अंश (शेयर) का ऐसा अंतरण करने का जैसा मृतक या		
the same and the s	दिवालिया सदस्य कर सकता था, निर्वाचन कर सकेगा।		
de monte de la companya de la compan	(ii) बोर्ड को इन दोनों दशाओं में से हर दशा में, रजिस्ट्रीकरण		
	करने से इंकार करने का या उसे निलम्बित करने का वैसा अधिकार		
	होगा जैसा यदि मृतक या दिवालिया सदस्य ने अपनी मृत्यु से या		
	दिवाले के पूर्व अंश (शेयर) अंतरित कर दिया होता तो बोर्ड का होता।		
25	(i) यदि वह व्यक्ति, जो ऐसे हकदार होता है, वह निर्वाचन करता	0 हां 0 नहीं	
	है कि स्वंय मुझे ही अंश (शेयर) धारक के रूप में रजिस्ट्रीकृत किया		
	जाए तो वह कंपनी को स्वहस्ताक्षरित लिखित सूचना, जिसमें यह		
	कथन होगा कि मैंने यह निर्वाचन किया है, परिदत्त करेगा या		
!	भेजेगा।		
	(ii) यदि पूर्वोक्त व्यक्ति अंश (शेयर) का अंतरण करने का		
:	निर्वाचन करता है तो वह अपने निर्वाचन के साक्ष्य स्वरूप अंश		
	(शेयर) का अंतरण निष्पादित करेगा।		
	(iii) इन विनियमों को वे सभी परिसीमाएं, निर्बंधन और उपबंध,		
	जो अंशों (शेयरों) के अंतरण के अधिकार तथा अंशों (शेयरों) के		

नाय 11 - खण्ड	५ ३(१)] भारत का राजपत्र : असाधारण	
	अंतरण के रजिस्ट्रीकरण के संबंध में है, ऐसी सूचना या अंतरण पर,	
l. I	जो पूर्वीक्त है, ऐसे लागू होंगे मानो सदस्य की मृत्यु न हुई हो या	
	उसका दिवाला न निकला हो तथा वह सूचना या अंतरण उस सदस्य	
	द्वारा हस्ताक्षरित अंतरण हो।	
26	जो कोई व्यक्ति किसी अंश (शेयर) का हकदार उसके धारक की मृत्यु	0 हां 0 नहीं
	होने या दिवाला निकलने के करण हो जाता है वह उन्हीं लाभांशों और	
	अन्य फायदों का हकदार, जिनका वह उस दशा में हकदार होता	
	जिसमें कि वह, उस अंश (शेयर) का रजिस्ट्रीकृत धारक होता, इतने	
	के सिवाय होगा कि वह अंश (शेयर) की बाबत सदस्य के रूप में	
	रजिस्ट्रीकृत किए जाने के पूर्व, इस बात का हकदार न होगा कि	
	कंपनी के अधिवेशनों के संबंध में जो कोई अधिकार सदस्यता के	
	कारण प्रदत्त होता है उसका वह प्रयोग कर लेः	
	परंतु बोर्ड ऐसे किसी व्यक्ति से यह अपेक्षा करने वाली सूचना उसे	
	किसी भी समय दे सकेगा कि वह रजिस्ट्रीकृत किए जाने या अंश	
	(शेयर) को अंतरित करने में से किसी एक का निर्वाचन करें तथा यदि	
	उक्त सूचना का नब्बे दिन के अंदर अनुपालन नहीं किया जाता तो	
	तत्पश्चात् बोर्ड अंश (शेयर) की बाबत देय सभी लाभांश बोनस या	
	अन्य धनराशियों का दिया जाना तब तक के लिए विधारित कर	
	सकेगा जब तक कि सूचना की अपेक्षाओं का अनुपालन नहीं कर दिया	
	जाता।	
27	एक कंपनी की दशा में,-	0 हां 0 नहीं
	(i) एकमात्र सदस्य की मृत्यु हो जाने पर, ऐसे सदस्य द्वारा	
	नामनिर्देशित व्यक्ति कंपनी द्वारा ऐसा मान्यताप्राप्त व्यक्ति होगा	
	जिसके पास सदस्य के सभी अंशों (शेयरों) का हक होगा;	
	(ii) सदस्य की मृत्यु हो जाने की दशा में ऐसे अंशों (शेयरों) के	
	लिए हकदार हो जाने पर नामनिर्देशिती को कंपनी बोर्ड द्वारा ऐसी	
	घटना की सूचना दी जाएगी;	
	(iii) ऐसा नामनिर्देशिती उन्हीं लाभांशों और अन्य अधिकारों और	
	दायित्वों का हकदार होगा जिनके लिए कंपनी का ऐसा एकमात्र सदस्य	
	हकदार था या दायी था;	
	(iv) सदस्य बन जाने पर, ऐसा नामनिर्देशिती ऐसे व्यक्ति की पूर्व	
	लिखित सम्मति से किसी अन्य व्यक्ति को नामनिर्देशिति करेगा जो	
	सदस्य की मृत्यु की दशा में कंपनी का सदस्य बन जाएगा।	

		[1780.11 050.5
	अंशों (शेयरों) का समपहरण	
28	यदि कोई सदस्य, किसी आहवान या आहवान की किस्त उसके दिए	0 हां 0 नहीं
	जाने के लिए नियत दिन को देने में असफल रहता है तो तत्पश्चात्	
	बोर्ड, ऐसे समय के दौरान, जितने समय तक आहवान या किस्त का	
	आग दिया नहीं गया है, किसी भी समय उस पर यह अपेक्षा करने	
	वाली सूचना की तामील कर सकेगा कि आह्वान या उसका उतना	
	भाग जितना दिया नहीं है, ऐसे किसी ब्याज सहित दे जो उस पर	
	प्रोद्भृत हो गया हो।	
29	पूर्वोक्त सूचना में-	0 हां 0 नहीं
	(क) उस दिन या उससे पहले का दिन जिसको सूचना द्वारा	
	अपेक्षित संदाय किया जाना है के बाद का दिन (सूचना की तामील	
	की तारीख से चौदह दिन के अवमान से पहले का नहीं); तथा	
	(ख) यह कथन किया हुआ होगा कि ऐसे नियत दिन को या उसके	
	पूर्व धनराशि न दिए जाने की दशा में, वे अंश (शेयर) जिनकी बाबत	
	यह आह्वान किया गया था, समपहरणीय होंगे।	
30	यदि पूर्वोक्त जैसी सूचना की अपेक्षाओं का अनुपालन नहीं किया जाता	0 हां 0 नहीं
	तो वह अंश (शयेर), जिसकी बाबत सूचना दी गई है, बोर्ड के उस	
İ	प्रभाव के संकल्प द्वारा, तत्पश्चात् किसी भी समय, किंतु सूचना	
	द्वारा अपेक्षित धनराशि के दिए जाने के पूर्व समपहत किया जा	
	सकेगा।	
31	(i) कोई समपहत अंश (शेयर) ऐसे निबंधनों पर और ऐसी रीति	0 हां 0 नहीं
	से जिन्हें या जिसे बोर्ड ठीक समझता है, बेचा जा सकेगा या अन्यथा	
	व्ययनित किया जा सकेगा।	
	(ii) पूर्वोक्त विक्रय या व्ययन के पूर्व, किसी भी समय, बोर्ड उस	
	समपहरण को ऐसे निबंधनों पर, जैसे वह ठीक समझता है, रद्द कर	
	सकेगा।	
32 .	(i) कोई व्यक्ति, जिसके अंश (शेयर) समपहत कर लिए गए हैं,	0 हां 0 नहीं
	समपहृत अंशों (शेयरों) की बाबत सदस्य नहीं रह जाएगा, किंतु	
	समपहण के होते हुए भी कंपनी को दे सभी धनराशियां, जो समपहरण	
	के दिन उसके द्वारा कंपनी को अंश (शेयर) लेख तत्क्षण देय थीं, देने	:
	का दायित्व उस पर बना रहेगा।	
	(ii) ऐसे व्यक्ति का दायित्व उस दशा में और तब खत्म हो जाएगा	
	जिसमें कि और जब अंशों (शेयरों) लेखे सब धनराशियों का पूरा	

	-0.5(1)1	
	भुगतान कंपनी को प्राप्त हो गया होगा।	
33	(i) सम्यक् रूप से सत्यापित यह लिखित घोषणा कि घोषणाकर्ता	0 हां 0 नहीं
	कंपनी का निदेशक, प्रबंधक, या सचिव है और कंपनी का अंश (शेयर)	
	घोषणा में कथित तारीख को सम्यक् रूप से समपहृत कर लिया गया	
	है उसमें कथित तथ्यों का वहां तक, जहां तक कि उन सब ट्यक्तियों	
	का प्रश्न है जो उस अंश (शेयर) का हकदार होने का दावा करते है,	
	निश्चायक साक्ष्य होगी।	
	(ii) कंपनी वह प्रतिफल यदि कोई हो, प्राप्त कर सकेगी जो अंश	
	(शेयर) के विक्रय या व्ययन पर उसके लिए दिया गया है और उस	
	अंश (शेयर) का अन्तरण उस व्यक्ति के पक्ष में, जिसे अंश (शेयर)	
	बेचा गया है या व्ययनित किया गया है, निष्पादित कर सकेगी।	
A constant of the state of the	(iii) अन्तरिती तदुपरि अंश (शेयर) धारक के रूप में किया जाएगा; और	
	(iv) अन्तरिती न तो यह देखने के लिए आबद्ध होगा कि क्रयधन,	
	यदि कोई है, का क्या उपयोजन किया गया है और न ही अंश (शेयर)	
	के समपहरण, विक्रय या व्ययन संबंधी कार्यवाहियों में की हुई किसी	
	अनियमितता या अविधिमान्यता का उसके हक पर कोई प्रभाव पड़ता	
	है।	
34	समपहरण विषयक जो उपबन्ध इन विनियमों के हैं वे ऐसी किसी	0 हां 0 नहीं
	धनराशि के न दिए जाने के संबंध में, जो निर्गमन के निबन्धनों के	
	आधार पर चाहे अंश (शेयर) के अभिहित मूल्य लेखे चाहे प्रीमियम के	
	रूप में नियत तारीख को देय हो जाती है, ऐसे लागू होंगे मानो वह	
	सम्यक् रूप से किए गए और अधिसूचित आहवान के आधार पर देय	
	हो गई थी।	
	पूंजी में परिवर्तन	
35.	कंपनी इतनी रकम वाले अंशों (शेयरों) में विभाजित की जाने वाली	0 हां 0 नहीं
	इतनी राशि की वृद्धि अपनी अंश (शेयर) पूंजी में समय-समय पर	
	साधारण संकल्प द्वारा कर सकेगी जितनी उस संकल्प में विनिर्दिष्ट	
	हो।	
36	कंपनी साधारण संकल्प द्वारा धारा 61 के उपबंधों के अधीन रहते	0 हां 0 नहीं
	ह्ए-	
	(क) अपनी पूरी अंश (शेयर) पूंजी या उसके किसी भाग का अपने	
	विद्यमान अंशों (शेयरों) की रकम से बड़ी रकम के अंशों (शेयरों) में	
	(, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	

समेकन और विभाजन कर सकेगी;

- (ख) अपने सभी या उनमें से किन्हीं समादत्त अंशों (शेयरों) स्टाक में संपरिवर्तित कर सकेगी और किसी भी मूल्य के पूर्णतः समादत्त अंशों (शेयरों) में उस स्टाक को पुनः संपरिवर्तित कर सकेगी;
- (ग) अपने सब विद्यमान अंशों (शेयरों) को या उन में से किसी को उस रकम वाले अंशों (शेयरों) में, जो जापन द्वारा नियत रकम से कम है, उपविभाजित कर सकेंगी;
- (घ) ऐसे किन्हीं अंशों (शेयरों) को जो संकल्प के पारित किए जाने की तारीख के समय किसी व्यक्ति द्वारा न तो लिए गए हैं और न जिनके लिए जाने के लिए करार ही हुआ है, रद्द कर सकेगी।

जहां अंश (शेयर) स्टाक में संपरिवर्तित किए जाते हैं वहां-

- (क) स्टाक के धारक उसे या उसके किसी भाग को वैसी ही रीति से और वैसे ही विनियमों के अधीन रहते हुए जिनके अधीन वे अंश (शेयर) जिनसे वह स्टाक उद्भूत हुआ है, उस संपरिवर्तन के पूर्व अन्तरित किए जा सकते थे, अथवा उस या उनसे इतनी मिलती-जुलती रीति से और इतने मिलते-जुलते विनियमों के अधीन जितना उन परिस्थितियों में सम्भव हो, अन्तरित कर सकेंगे;
- परंतु बोर्ड स्टाक की न्यूनतम रकम समय-समय पर नियत कर सकेगा किंतु ऐसे ही कि ऐसा न्यूनतम उन अंशों (शेयरों) की अभिहित रकम से, जिससे स्टाक उद्भूत हुआ था, अधिक नहीं होगा;
- (ख) स्टाक के धारकों को लाभांशों के, कंपनी के अधिवेशनों में मत देने के और अन्य विषयों के बारे में वैसे ही अधिकार, विशेषाधिकार और फायदे अपने द्वारा धृत स्टाक की रकम के अनुसार ऐसे प्राप्त होंगे मानो वे उन अंशों (शेयरों) को धृत किए हों जिनसे स्टाक उद्भूत हुआ है, किंतु (कंपनी के लाभांसों और लाभों में तथा परिसमापन पर उसकी आस्तियों में भाग लेने के सिवाय) ऐसा कोई विशेषाधिकार या फायदा स्टाक की ऐसी रकम के कारण प्रदत्त न हो जाएगा जो यदि वह रकम अंशों (शेयरों) में विद्यमान होती तो उसके कारण सा विशेषाधिकार या फायदा प्रदत्त नहीं हो सकता;
- (ग) कंपनी के ऐसे विनियम जो समादत्त अंशों (शेयरों) को लागू होते है, स्टाक को लागू होंगे और उन विनियमों में "अंश (शेयर)" और "अंश (शेयर) धारी" शब्दों के अन्तर्गत क्रमशः "स्टाक" और "स्टाक

धारी" आएंगे।

0 हां 0 नहीं

कोई कंपनी विशेष संकल्प द्वारा, किसी भी प्रकार से और विधि 0 हां 0 नहीं

ग II–खण्ड	3(i)] भारत का राजपत्र : असाधारण	
	द्वारा प्राधिकृत किसी प्रसंगति के और अपेक्षित सम्मति के अधीन	
•	रहते ह्ए,-	
	(क) अपनी अंश (शेयर) पूंजी कम कर सकेगी;	
	(ख) पूंजी मोचन आरक्षित निधि कम कर सकेगी; अथवा	
	(ग) किसी अंश (शेयर) प्रीमियम खाते में कमी कर सकेगी।	
	लाओं का पूंजीकरण	
39	(i) कंपनी साधारण अधिवेशन में यह संकल्प बोर्ड की सिफारिश	0 हां 0 नहीं
	पर कर सकेगी कि-	
	(क) यह वाछंनीय है कि कंपनी के आरक्षित खातों में से किसी में	
	या लाभ-हानि खाते में तत्समय जमा या अन्यथा वितरण के लिए	
	उपलब्ध रकम के किसी भाग का पूंजीकरण किया जाए, तथा	
	(ख) ऐसी राशि तद्नुसार खंड (ii) में विनिर्दिष्ट रीति से उन	
	सदस्यों के बीच, जो उसके उस दशा में हकदार होते जिसमें कि वह	
	रकम लाभांश के रूप में वितरित की जाती है और उसी अनुपात में	
	वितरित की जाने के लिए मुक्त कर दी जाती है.	
	(ii) उपरोक्त राशि नकद नहीं दी जाएगी किंतु उसका उपयोजन	
	खंड (iii) में अन्तर्विष्ट उपबंध के अधीन रहते हुए-	
	(अ) उन अंशों (शेयरों) लेखे जो क्रमशः उन सदस्यों द्वारा धृत है	
	तत्समय असमादत्त बच रही कोई रकमें देने में या देने के निमित्त	
	किया जाएगा;	
	(आ) कंपनी के अनिर्गमित अंशों (शेयरों) लेखे पूर्णतः समादत्त	
	करने में किया जाएगा जिनकी बाबत यह मानकर कि वे पूर्णतः	
	समादत्त हैं उनकी रकम पूर्णतः जमा दिखा दी जाकर जिनका	
	आबंटन या वितरण ऐसे सदस्यों की और उनके बीच में पूर्वोक्त	
	अनुपात में किया जाता है; या	İ
*	(इ) भागतः उपखंड (अ) में विनिर्दिष्ट रूप में और भागतः उपखंड	
	(आ) में विनिर्दिष्ट रूप में किया जाएगा;	、
i	(ई) प्रतिभूति प्रीमियम खाते तथा पूंजी मोचनार्थ आरक्षिति खाते	٠
	का इस विनियम के प्रयोजनों के लिए उपयोजन अनिर्गमित ऐसे अंशों	
	(शेयरों) लेखे जो कंपनी के सदस्यों को पूर्णतः समादत्त बोनस अंशों	
	(शेयरों) के रूप में निर्गमित किए जाने वाले हैं, संदाय करने में ही	
	किया जाएगा;	
	(3) बोर्ड इस विनियम के अनुसरण में कंपनी द्वारा पारित संकल्प	
	को प्रभावी करेगा।	

जब कभी यथापूर्वोक्त संकल्प पारित कर दिया गया हो तब 0 हां 0 नहीं 40 **(l)** बोर्ड-उन अविभाजित लाभों का पूर्ण विनियोजन और उपयोजन करेगा जिनके पूंजीकरण के लिए तद्दवारा संकल्प किया गया है तथा पूर्णतः समाप्त अंशों (शेयरों) के, यदि कोई हों, सब आबंटन और निर्गमन करेगा: तथा उसको प्रभावशील करने के लिए अपेक्षित सभी कार्य और बातें साधारणतः करेगा। (ii) बोर्ड को यह पूरी शक्ति प्राप्त होगी कि वह-अंशों (शेयरों) के भागों में वितरणीय होने की दशा में के लिए ऐसा उपबंध भागपरक प्रमाणपत्रों के निर्गमन दवारा या नकदी में संदाय दवारा या अन्यथा करे जैसा वह ठीक समझता है; तथा किसी व्यक्ति को प्राधिकृत करे कि उसके हकदार सब सदस्यों की ओर से कंपनी से यह उपबंध करने वाला करार वह कर ले कि ऐसे रजिस्ट्रीकरण पर वे जिन किन्हीं अतिरिक्त अंशों (शेयरों) या डिबेंचरों के हकदार हों वे उन अंशों (शेयरों) को यह दिखाया जाकर कि उन पर पूरी रकम समादत्त कर दी जाने पर जमा कर दी गई है वे अंश (शेयर) उनको आबंटित कर दिए जाएं अथवा मामले से जैसा भी अपेक्षित हो, उनके विदयमान अंशों (शेयरों) लेखे जो रकमें या रकम के भाग असमादत्त रह गए हैं वे उन लाभों को, जिनका पुंजीकरण करने का संकल्प किया गया है, उन लेखे उपयोजन करके कंपनी दवारा उनकी ओर से समादत्त कर दी या कर दिए जाएं; ऐसे प्राधिकार के अधीन किया गया कोई करार प्रभावी और (iii) ऐसे सभी सदस्यों पर आबद्धकर होगा। - शेयरों का क्रय द्वारा वापस लिया जाना 41 इन अन्च्छेदों में अन्तर्विष्ट, किसी बात के होते हुए भी, परन्त् धारा 0 हां 0 नहीं 68 से धारा 70 के उपबंधों के तथा तत्समय प्रवृत्त इस अधिनियम के लागू किसी अन्य उपबंध या विधि के अधीन रहते हुए कंपनी अपने अंशों (शेयरों) या अन्य विनिर्दिष्ट प्रतिभृतियों का क्रय कर सकेगी। साधारण अधिवेशन 42 वार्षिक साधारण अधिवेशनों से भिन्न, सभी साधारण अधिवेशनों को 0 हां 0 नहीं असामान्य साधारण अधिवेशन कहा जाएगा। जब कभी बोर्ड यह करना ठीक समझे वह असामान्य साधारण | 0 हां 0 नहीं 43 (i)

1141 II - 101 n e	3(1)] भारत का राजपत्र : असाधारण	
	अधिवेशन बुला सकेगा।	
	(ii) यदि कार्य करने के लिए समर्थ इतनी संख्या में निदेशव	न
	किसी समय भारत में नहीं है जो गणपूर्ति (कोरम) के लिए पर्याप्त	न
- College	संख्या हो तो कंपनी का कोई निदेशक या कंपनी के कोई दो सदस्य	<u>य</u>
	यथासम्भव निकटतम वैसी ही रीति से, जिससे बोर्ड द्वारा ऐस	т
	अधिवेशन बुलाया जा सकता है, असामान्य साधारण अधिवेशन बुल	т
	सकेंगे।	
	साधारण अधिवेशन में कार्यवाहियां	
44	(i) किसी साधारण अधिवेशन में तब तक कोई संव्यवहार नहीं	ं 0 हां 0 नहीं
	किया जाएगा जब तक कि सदस्यों की गणपूर्ति उस समय पर	τ
	उपस्थित नहीं है जब अधिवेशन वास्तविक कामकाज करने के लिए	r
	अग्रसर होता है।	
	(ii) इसमें अन्यथा उपबंधित के सिवाय सामान्य अधिवशन के	
*** - *** -	लिए गणपूर्ति (कोरम) धारा 103 में किए गए उपबंध के अनुसार	-
	होगी।	
45	बोर्ड का अध्यक्ष, यदि कोई हो, कंपनी के हर साधारण अधिवेशन में	0 हां 0 नहीं
	अध्यक्ष के रूप में पीठासीन होगा।	
46	यदि ऐसा कोई अध्यक्ष नहीं है या यदि वह अधिवेशन करने के लिए	0 हां 0 नहीं
4	नियत समय के पश्चात् पन्द्रह मिनट के अन्दर उपस्थित नहीं होता	*
	है या यदि वह अधिवेशन के अध्यक्ष के रूप में कार्य करने के लिए	
	रजामन्द नहीं है तो उपस्थित निदेशक अपने में से किसी एक सदस्य	
	को अधिवेशन का अध्यक्ष चयन करेंगे।	
47	यदि किसी अधिवेशन में कोई भी निदेशक अध्यक्ष के रूप में कार्य	0 हां 0 नहीं
	करने के लिए रजामन्द नहीं है या उस समय के पश्चात्, जो	
	अधिवेशन करने के लिए नियत है, पन्द्रह मिनट के अन्दर कोई	
	निदेशक उपस्थित नहीं होते हैं तो उपस्थित सदस्य अपने में से किसी	
	एक सदस्य को अधिवेशन का सभापति होने के लिए चयन करेंगे।	
48	एक ट्यक्ति की दशा में-	0 हां 0 नहीं
	(i) कंपनी के साधारण अधिवेशन में पारित किए जाने वाला	
	संकल्प तब पारित कर दिया समझा जाएगा जब संकल्प पर एक मात्र	
	सदस्य सहमत हो जाता है और कंपनी को संसूचित कर दिया जाता	
	है तथा धारा 118 के अधीन रखी गई कार्यवृत्त पुस्तिका में प्रविष्टि	
	कर दी जाती है:	

THE GAZETTE OF INDIA: EXTRAORDINARY	[PART II—Sec. 3
(ii) ऐसी कार्यवृत्त पुस्तिका सदस्य द्वारा हस्ताक्षरित और	
दिनांकित की जाएगी;	
(iii) संकल्प एक मात्र सदस्य द्वारा ऐसा कार्यवृत्त हस्ताक्षर करने	
की तारीख से प्रभावी हो जाएगा।	
अधिवेशन का स्थगन	-
(i) अध्यक्ष, समय-समय पर, तथा एक स्थान से दूसरे स्थान के	0 हां 0 नहीं
लिए अधिवेशन का स्थगन उस अधिवेशन की सम्मति से, जिसमें	
गणपूर्ति (कोरम) उपस्थित है, कर सकेगा तथा उस दशा में करेगा	
जिसमें कि अधिवेशन द्वारा ऐसा करने का निदेश दिया जाता है।	
(ii) किसी स्थगित अधिवेशन में उस संव्यवहार से भिन्न, जो उस	
अधिवेशन में बाकी रह गया जिससे स्थगन हुआ था, कोई संव्यवहार	
नहीं किया जाएगा।	
(iii) जबिक अधिवेशन तीस दिनों तक के लिए या उनसे अधिक	
दिनों तक के लिए स्थगित किया जाता है तब स्थगित अधिवेशन की	
सूचना वैसे ही दी जाएगी जैसी मूल अधिवेशन की दशा में दी जाती	
है।	
(iv) यथापूर्वोक्त के सिवाय और अधिनियम की धारा 103 में यथा	•
उपबंधित किसी स्थगन की या स्थगित अधिवेशन में किए जाने वाले	
कामकाज की कोई सूचना देनी आवश्यक नहीं होगी।	
मतदान अधिकार	
किसी वर्ग या वर्गों के अंशों (शेयरों) से तत्समय संलग्न किन्हीं	0 हां 0 नहीं
अधिकारों के या निबन्धनों के अधीन रहते हुए,-	
(क) हाथ उठाकर दिए जाने वाले मतदान में हर सदस्य का, जो	
स्वयं उपस्थित है, एक मत होगा; तथा	
(ख) मतांकन में सदस्यों के मत देने के अधिकार ऐसे होंगे जो	
कंपनी की समादत्त अंश (शेयर) पूंजी में उसके अंश के अनुपात में	
हैं।	
कोई सदस्य धारा 108 के अनुसार इलैक्ट्रानिक साधन से बैठक में	0 हां 0 नहीं
अपने मत का प्रयोग कर सकेगा और मत केवल एक बार डालेगा।	
(i) संयुक्त धारकों की दशा में ज्येष्ठ का मत जिसने चाहे स्वयं	0 हां 0 नहीं
या परोक्षी द्वारा मत दिया है, अन्य संयुक्त धारकों के मतों का	
अपवर्जन करके, प्रतिगृहीत किया जाएगा।	
(;) हम मार्गेन्स नोहरूम रम रूप के अनुमार अवश्यीन की	
(ii) इस प्रयोजनार्थ ज्येष्ठता उस क्रम के अनुसार अवधारित की	
	(ii) ऐसी कार्यवृत्त पुस्तिका सदस्य द्वारा हस्ताक्षरित और दिनांकित की जाएगी; (iii) संकल्प एक मात्र सदस्य द्वारा ऐसा कार्यवृत्त हस्ताक्षर करने की तारीख से प्रभावी हो जाएगा। अधिवेशन का स्थगन (i) अध्यक्ष, समय-समय पर, तथा एक स्थान से दूसरे स्थान के लिए अधिवेशन का स्थगन उस अधिवेशन की सम्मति से, जिसमें गणपूर्ति (कोरम) उपस्थित है, कर सकेगा तथा उस दशा में करेगा जिसमें कि अधिवेशन द्वारा ऐसा करने का निदेश दिया जाता है। (ii) किसी स्थगित अधिवेशन में उस संव्यवहार से भिन्न, जो उस अधिवेशन में बाकी रह गया जिससे स्थगन हुआ था, कोई संव्यवहार नहीं किया जाएगा। (iii) जबिक अधिवेशन तीस दिनों तक के लिए या उनसे अधिक दिनों तक के लिए या उनसे अधिक दिनों तक के लिए स्थगित किया जाता है तब स्थगित अधिवेशन की स्यग्न वैसे ही दी जाएगी जैसी मूल अधिवेशन की दशा में दी जाती है। (iv) यथापूर्वोक्त के सिवाय और अधिनियम की धारा 103 में यथा उपबंधित किसी स्थगन की या स्थगित अधिवेशन में किए जाने वाले कामकाज की कोई सूचना देनी आवश्यक नहीं होगी। सतदान अधिकार किसी वर्ग या वर्गों के अंशों (शेयरों) से तत्समय संलग्न किन्हीं अधिकारों के या निबन्धनों के अधीन रहते हुए,- (क) हाथ उठाकर दिए जाने वाले मतदान में हर सदस्य का, जो स्वयं उपस्थित है, एक मत होगा; तथा (ख) मतांकन में सदस्यों के मत देने के अधिकार ऐसे होंगे जो कंपनी की समादत्त अंश (शेयर) पूंजी में उसके अंश के अनुपात में हैं। कोई सदस्य धारा 108 के अनुसार इलैक्ट्रानिक साधन से बैठक में अपने मत का प्रयोग कर सकेगा और मत केवल एक बार डालेगा। (i) संयुक्त धारकों की दशा में ज्येष्ठ का मत जिसने चाहे स्वयं या परोक्षी द्वारा मत दिया है, अन्य संयुक्त धारकों के मतों का अपवर्जन करके, प्रतिगृहीत किया जाएगा।

	ं उर्रात्र	
53	ऐसा कोई सदस्य जो विकृतचित्त है या जिसकी बाबत ऐसे किसी	0 हां 0 नहीं
* 1 d d d d d d d d d d d d d d d d d d	न्यायालय ने जिसे विषयक अधिकारिता प्राप्त है आदेश दे दिया है,	
	हाथ उठाकर दिए जाने वाले मतदान में और मतांकन में अपने पालक	
	या अन्य विधिक संरक्षक द्वारा मत दे सकेगा और ऐसा पालक या	
	संरक्षक मतांकन में परोक्षी द्वारा मत दे सकेगा।	
54	ऐसे कारबार से भिन्न कोई कारबार जिस पर मतदान की मांग की	0 हां 0 नहीं
	गई है, मतदान होने तक कार्यवाही की जा सकेगी।	
55	कोई भी सदस्य इस बात का कि वह किसी साधारण अधिवेशन में	0 हां 0 नहीं
	मत देने का हकदार तब के सिवाय नहीं होगा जबकि कंपनी के अंशों	
	(शेयरों) की बाबत अपने द्वारा तत्क्षण देय सभी आहवान या राशियां	
7 5 1 1 1	उसने चुका दी हैं।	
56	(i) किसी मतदाता की अर्हता के विषय में कोई आक्षेप नहीं किया	0 हां 0 नहीं
	जाएगा सिवाय उस बैठक या स्थगित बैठक जिसमें आपेक्षित कर	
	दिया गया है या निविदत्त किया गया है और ऐसी बैठक में	
11.	अननुजात नहीं किया गया प्रत्येक मत सभी प्रयोजनों के लिए वैध	
	होगा।	
	(ii) सम्यक् समय पर किया गया ऐसा कोई आक्षेप अधिवेशन के	
1	सभापति के समक्ष विचारार्थ रखा जाएगा जिसका उस पर विनिश्चय	
	अंतिम और निश्चायक होगा।	
,	परोक्षी	
57	परोक्षी नियुक्त करने वाली लिखत तथा वह मुखतारनामा या अन्य	0 हां 0 नहीं
<u>.</u>	प्राधिकार, यदि कोई हो, जिसके अधीन वह हस्ताक्षरित की गई है या	
	उस शक्ति या अधिकार की नोटेरीकृत प्रति उस समय से, जब वह	
1	अधिवेशन या स्थगित अधिवेशन योजित होना है जिसमें वह व्यक्ति	
	जिसका नाम लिखत में दिया हुआ है मत देने की प्रस्थापना करता है	
	अन्यून अइतालीस घण्टे पूर्व अथवा मतांकन की दशा में मतांकन के	
	लिए नियत समय से अन्यून चौबीस घण्टे पूर्व कंपनी के रजिस्ट्रीकृत	
	कार्यालय में निक्षिप्त की जाएगी, ऐसा करने में व्यतिक्रम की दशा में	
	परोक्षी लिखत विधिमान्य नहीं मानी जाएगी।	
58	परोक्षी नियुक्त करने वाली लिखत उस प्ररूप में होगी जो धारा 105	0 हां 0 नहीं
	के अधीन बनाए गए नियमों में विहित है।	
59	जो मत परोक्षी लिखत के निबंधनों के अनुसार दिया गया है वह इस	0 हां 0 नहीं
	बात के होते भी विधिमान्य होगा कि परोक्षी देने वाला की तत्पूर्व	

	L
कंपनी के बनाए जाने में और उसके रजिस्ट्रीकृत किए जाने में उपगत	0 हां 0 नहीं
सभी व्ययों का संदाय बोर्ड कर सकेगा।	
कंपनी विदेशी रजिस्टर रखने की बाबत धारा 88 द्वारा अपने को	0 हां 0 नहीं
प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग कर सकेगी और बोर्ड उन धाराओं के	
उपबंधों के अधीन रहते हुए ऐसे विनियम बना सकेगा या उनमें ऐसे	
फेरफार कर सकेगा जैसे वह ऐसे रजिस्टर के रख जाने की बाबत	
ठीक समझे।	
सभी चैक, वचनपत्र, ड्राफ्ट, हुण्डियां, विनिमय-पत्र और अन्य परक्राम्य	0 हां 0 नहीं
लिखतें और कंपनी को दी गई धनराशियों संबंधी सभी रसीदें,	
यथास्थिति, कंपनी के अभिकर्ता या सचिवों तथा कोषपालों द्वारा	

ा∏−खण्	ड 3(i)] भारत का राजपत्र : असाधारण	
	अथवा वहां जहां कि कोई प्रबंधन अभिकर्ता या सचिव तथा कोषपाल	
	नहीं है, ऐसे व्यक्ति द्वारा तथा ऐसी रीति से जैसी बोई समय-समय	
	पर संकल्प द्वारा अवधारित करे हस्ताक्षरित की जाएगी, लिखी	
	जाएंगी, प्रतिगृहीत की जाएंगी, पृष्ठांकित की जाएंगी या अन्यथा	
	निष्पादित की जाएंगी।	
65	बोर्ड के या उसकी समिति के अधिवेशन में उपस्थित हर निदेशक उस) हां 0 नहीं
	प्रयोजन से रखी गई किताब में अपने हस्ताक्षर करेगा।	
66	(i) धारा 149 के उपबंधों के अधीन रहते हुए बोर्ड को यह शक्ति) हां 0 नहीं
	होगी कि वह किसी भी समय और समय-समय पर किसी व्यक्ति को	
	अपर निदेशक के रूप में नियुक्त कर दें, परन्तु यह कि निदेशकों	
	और अपर निदेशकों की कुल मिलाकर संख्या अनुच्छेदों द्वारा बोर्ड के	
	लिए नियत की गई अधिकतम संख्या से किसी भी समय पर अधिक	
	नहीं हो।	
	(ii) ऐसा व्यक्ति केवल कंपनी के आगामी वर्षिक साधारण	
	अधिवेशन तक पद धारण करेगा किन्तु इस अधिनियम के उपबंधों के	
	अधीन रहते हए वह उस अधिवेशन में कंपनी द्वारा वह निदेशक के	
	रूप में नियुक्त किए जाने का पात्र होगा।	
	बोर्ड की कार्यवाहियां	
67	(i) निदेशक बोर्ड कामकाज के संचालन के लिए अधिवेशन कर () हां 0 नहीं
	सकेगा और अपने अधिवेशनों को ऐसे स्थगित या अन्यथा ऐसे	
	विनियमित कर सकेगा जैसा करना वह ठीक समझता है।	
	(ii) बोर्ड का अधिवेशन किसी भी समय कोई भी निदेशक बुला	
	सकेगा और प्रबंधक या सचिव निदेशक की अध्यपेक्षा पर बोर्ड का	
	अधिवेशन बुलाएंगे।	
68	(i) अधिनियम में अभिव्यक्त रूप से अन्यथा उपबंधित के 0	हां 0 नहीं
	सिवाय, बोर्ड के किसी अधिवेशन में उद्भूत प्रश्नों पर विनिश्यच मतों	
	की बहुसंख्या के अनुसार होगा।	
	(ii) मतों के बराबर होने की दशा में बोर्ड के सभापति का, यदि	
	कोई हो, द्वितीय या निर्णायक मत होगा।	
69	इस बात के होते हुए भी कि बोर्ड में कोई स्थान रिक्त है वे निदेशक, 0	हां 0 नहीं
	जो बने रहते हैं, कार्य कर सकेंगे, किन्तु यदि और जब तक उनकी	
	संख्या बोर्ड के अधिवेशन के लिए अधिनियम द्वारा नियत गणपूर्ति	
	के कम हो जाती है तो और तब तक वह निदेशक या वे निदेशक जो	

	THE GAZETTE OF INDIA: EXTRAORDINARY	PART II—SEC.
]	बना रहता है, या बने रहते हैं, निदेशकों की संख्या को बढ़ाकर इतनी	
ĺ	कर देने के प्रयोजन के लिए, जितनी गणपूर्ति (कोरम) के लिए नियत	
	है, या कंपनी का साधारण अधिवेशन बुलाने के प्रयोजन के लिए तो	
	कार्य कर सकेंगे किन्तु अन्य किसी प्रयोजन के लिए कार्य नहीं कर	
	सकेंगे।	
70	(i) बोर्ड अपने अधिवेशनों के लिए सभापति का निर्वाचन कर	0 हां 0 नहीं
	सकेगा और उस कालावधि का अवधारण कर सकेगा जिस तक उसे	
	पद धारण करना है।	
	(ii) यदि ऐसा कोई सभापति निर्वाचित नहीं किया जाता है या	
	किसी अधिवेशन में सभापति उस समय के पश्चात् भी जो अधिवेशन	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
	करने के लिए नियत है, पांच मिनट के अन्दर उपस्थित नहीं हो	
	जाता तो उपस्थित निदेशक अपने में से किसी एक को अधिवेशन का	
	सभापति चुन सकेंगे।	. (1)
71	(i) अधिनियम के उपबंधों के अधीन रहते हुए बोर्ड अपनी	0 हां 0 नहीं
·	शक्तियों में से किसी शक्ति का प्रत्यायोजन अपने निकाय के ऐसे	
	सदस्य या सदस्यों से, जिन्हें बोर्ड ठीक समझता है, मिल कर बनी	
	समितियों को कर सकेगा।	
	(ii) ऐसे बनाई गई समिति अपने को ऐसे प्रत्यायोजित शक्तियों	
	का प्रयोग करने में उन विनियमों का अनुपालन करेगी जो उस पर	
	बोर्ड द्वारा अधिरोपित किए गए हो।	
72	(i) समिति अपने अधिवेशनों के लिए सभापति निर्वाचित कर	0 हां 0 नहीं.
	सकेगी।	
	(ii) यदि ऐसा कोई सभापति निर्वाचित नहीं किया गया है, यदि	
	किसी अधिवेशन में उस समय के पश्चात् जो अधिवेशन करने के लिए	
	नियत है पांच मिनट के अन्दर सभापति उपस्थित नहीं हो जाता तो	
	उपस्थित सदस्य अपनी संख्या में से किसी एक सदस्य को अधिवेशन	
	का सभापति चुन सकेंगे।	
73	(i) समिति जैसा भी उपयुक्त समझे अधिविष्ट हो सकेगी और	0 हां 0 नहीं
	अपना अधिवेशन स्थगित कर सकेगी।	
	(ii) समिति के किसी अधिवेशन में पैदा होने वाले प्रश्न उपस्थित	
	सदस्यों के मतों की बहुसंख्या द्वारा अवधारित किए जाएंगे और मतों	
	के बराबर होने की दशा में सभापति की द्वितीय या निर्णायक मत	
	प्राप्त होगा।	
74	वे सब कार्य जो बोर्ड के या उसकी समिति के किसी अधिवेशन में या	0 हां 0 नहीं

भाग II— खण्ड	3(i)] भारत का राजपत्र : असाधारण	
	निदेशक के रूप में कार्य करते हुए किसी व्यक्ति द्वारा किए गए है	
	तत्पश्चात् इस बात का पता चलने पर भी कि ऐसे निदेशकों में से	
i i	किसी एक या अधिक की या पूर्वोक्त रूप में से कार्य करने वाले किसी	
:	व्यक्ति की नियुक्ति में कोई त्रुटि थी या वे या उनमें से कोई निरर्ह	
	था ऐसे विधिमान्य होंगे मानो ऐसा हर निदेशक या ऐसा व्यक्ति	
	सम्यक् रूप से नियुक्त किया गया था और निदेशक होने के लिए	
	अर्हित था।	
75	अधिनियम में अभिव्यक्त रूप से अन्यथा उपबंधित के सिवाय, वह	0 हां 0 नहीं
	लिखित संकल्प जिस पर बोर्ड के या उसकी समिति के उन सभी	
•	सदस्यों ने, जो तत्समय बोर्ड के या समिति के अधिवेशन की सूचना	
	प्राप्त करने के हकदार है, हस्ताक्षर कर दिए हैं ऐसे विधिमान्य और	
	प्रभावी होगा मानो सम्यक् रूप से बुलाए गए और किए गए बोर्ड के	
	या समिति के अधिवेशन में उसे पारित किया गया था।	
76	एक ट्यक्ति कंपनी की दशा में-	0 हां 0 नहीं
	(i) जहां कंपनी में केवल एक निदेशक है वहां बोर्ड के अधिवेशन	
	में किए जाने वाले सभी कारबारों की प्रविष्टि धारा 118 के अधीन	
	रखी गई कार्यवृत्त पुस्तिका में की जाएंगी;	
	(ii) ऐसा कार्यवृत्त पुस्तिका निदेशक द्वारा हस्ताक्षरित और	
	दिनांकित की जाएंगी;	
	(iii) ऐसी संकल्प निदेशक द्वारा ऐसे कार्यवृत्त के हस्ताक्षर किए	
	जाने की तारीख से प्रभावी होगा।	
	मुख्य कार्यपालक अधिकारी, प्रबंधक, कंपनी सचिव या मुख्य वित्तीय	
other a secondary of the Wallschape	अधिकारी	
77	अधिनियम के उपबंधों के अधीन रहते हुए-	0 हां 0 नहीं
	(i) बोर्ड द्वारा किसी प्रबंधक या सचिव को ऐसी अविध के लिए	,
	ऐसे पारिश्रमिक पर और ऐसी शर्तों पर नियुक्त किया जा सकेगा	
	जैसा या जैसी बोर्ड ठीक समझे और बोर्ड ऐसे नियुक्त किसी मुख्य	
	कार्यपालक अधिकारी, प्रबंधक, कंपनी सचिव या मुख्य वित्तीय	
	अधिकारी को हटा सकेगा।	
	(ii) किसी निदेशक को मुख्य कार्यपालक अधिकारी, प्रबंधक,	
	कंपनी सचिव या मुख्य वित्तीय अधिकारी के रूप में नियुक्त किया	
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	जा सकेगा।	
78	अधिनियम या विनियमों का जो उपबंध किसी निदेशक और मुख्य	ए हा ए नहा

	THE GAZETTE OF INDIA: EXTRAORDINARY	[PARTITION
	कार्यपालक अधिकारी, प्रबंधक, कंपनी सचिव या मुख्य वित्तीय	
	अधिकारी के द्वारा या उससे किसी बात के किए जाने की अपेक्षा	
	करता है या उसका दिग्या जाना प्राधिकृत करता है उसकी पूर्ति ऐसे	
	व्यक्ति के द्वारा या, जो एक साथ ही निदेशक और मुख्य कार्यपालक	
	अधिकारी, प्रबंधक, कंपनी सचिव या मुख्य वित्तीय अधिकारी के रूप	
	में है, या स्थान में, कार्य कर रहा है किए जाने से नहीं होगी।	·
	मुद्रा	
79	(i) बोर्ड मुद्रा की सुरक्षित अभिरक्षा के लिए उपबंध करेगा।	0 हां 0 नहीं
	(ii) कंपनी की मुद्रा किसी लिखत पर बोर्ड के या इस निमित्त	
	उसके द्वारा प्राधिकृत बोर्ड की समिति संकल्प के प्राधिकार से तथा	
	कम से कम दो निदेशकों और सचिव की या ऐसे अन्य व्यक्ति की	
	जिसे बोर्ड उस प्रयोजन के लिए नियुक्त करें, उपस्थित में लगाए	
	जाने के सिवाय न लगाई जाएगी और दो निदेशक और सचिव या	
	पूर्वोक्त अन्य व्यक्ति, हर लिखत पर, जिस पर उनकी उपस्थिति में	
	कंपनी की मुद्रा इस प्रकार लगाई है, हस्ताक्षर करेंगे।	
	लाआंश और आरक्षिति	
80	कंपनी साधारण अधिवेशन में लाभांश घोषित कर सकेगी किन्तु कोई	0 हां 0 नहीं
	लाआंश उस रकम से अधिक न होगा जिसकी सिफारिश बोर्ड द्वारा	
	की गई है।	
31	धारा 123 के उपबंधों के अधीन रहते हुए, बोर्ड सदस्यों को ऐसे	0 हां 0 नहीं
	अन्तरिम लाभांश समय-समय पर दे सकेगा जैसे कंपनी के लाओं के	1
	आधार पर उसे न्यायंसगत प्रतीत हो।	
82	(i) बोर्ड किसी लाआंश की सिफारिश करने के पूर्व कंपनी के लाओं	0 हां 0 नहीं
	में से ऐसी राशि आरक्षिति या आरक्षितियों के तौर पर अलग रख	
	सकेगा जैसी वह ठीक समझता है, कंपनी के लाओं का समुचित रूप	
	से उपयोजन जिस किसी प्रयोजन के लिए किया जा सकता है वैसे	·
	किसी प्रयोजन के लिए, जिसके अन्तर्गत आकस्मिकताओं के निपटने	:
	तथा लाभांशों का समतुलन आता है, उन राशियों पर उपयोजन बोर्ड	
		1

के विवेकानुसार किया जाएगा तथा ऐसा उपयोजन किए जाने या लंबित रहने तक वे राशियां वैसी ही विवेकानुसार या तो कंपनी के कारबार में लगाई जा सकेंगी या ऐसे विनिधानों में विनिहित की जा

बोर्ड किन्हीं लाभों को, जिनकी बाबत वह आवश्यक समझता

सकेंगी जैसे बोर्ड समय-समय पर ठीक समझे।

(ii)

- II G-5.		
1	है कि उनका विभाजन न किया जाए, आरक्षिति के रूप में अलग रखे	
	बिना अग्रनीत कर सकेगा।	
83	(i) ऐसे व्यक्तियों के अधिकारों के अधीन रहते हुए, यदि कोई हों,	0 हां 0 नहीं
	तो लाभांश के बारे में विशेष अधिकारों सहित अंशों (शेयरों) के हकदार	
and an analysis of	हैं, सब लाभांश उन रकमों के अनुसार जो उन अंशों (शेयरों) लेखे	
Coppens Distriction	जिनकी बाबत लाभांश दिया जाना है, समादत्त की गई हैं या संदत्त	
	और रकम के रूप में जमा कर ली गई हैं, घोषित किए जाएंगे और	
	दिए जाएंगे किन्तु यदि और जब तक कंपनी अंशों (शेयरों) में से	
	किसी अंश (शेयरों) लेखे में कुछ भी समादत्त नहीं किया गया है तो	
	और तब तक अंशों (शेयरों) की रकम के अनुसार घोषित किए जा	
	सकेंगे और दिए जा सकेंगे।	
	(ii) ऐसी किसी रकम की बाबत, जो आहूत किए जाने के पहले	
	अग्रिम के रूप में किसी अंश (शेयरों) लेखे में समादत्त कर दी गई है	
a de distribuir commente	या समादत्त मानी जाकर जमा कर ली गई है, इन विनियमों के	
PRINTPLANCE OF THE PRINTPLANCE O	प्रयोजनों के लिए यह न माना जाएगा कि वह अंश (शेयरों) लेखे में	
v	समादत्त कर दी गई है।	•
Tr. ovicements	(iii) सभी लाभांश उन रकमो के अनुपात में प्रभावित किए जाएंगे	
William Control of the Control of th	और दिए जाएंगे जो ऐसी किसी कालावधि के, जिस लेखे वह लाभांश	
	दिया जाता है, प्रभाग या प्रभाग के दौरान अंश (शेयरों) लेखे में	
	समादत्त की है या समादत्त मानी जाकर जमा कर ली गई हैं।	
	किन्तु यदि कोई अंश (शेयरों) उन निबंधनों पर, जिनसे यह उपबंधित	
	है कि वह ऐसे दर्जें का है कि विशिष्ट तारीख से वह लाभांश का	
	हकदार होगा, निर्गमित किया गया है तो वह अंश (शेयरों) के संबंध में	
	आह्वान लेखे या अन्यथा तत्क्षण देय हैं।	
84	बोर्ड किसी सदस्य को देय किसी लाभांश में से वे सभी धनराशियां,	0 हां 0 नहीं
	यदि कोई हो, काट लेगा जो कंपनी को उस सदस्य द्वारा कंपनी के	
	अंशों (शेयरों) के संबंध में आहवान लेखे या अन्यथा तत्क्षण देय हैं।	
85	(i) अंशों (शेयरों) की बाबत नकद देय कोई लाभांश ब्याज या	0 हां 0 नहीं
	अन्य धन राशियों के धारक के रजिस्ट्रीकृत पते पर, जिसका नाम	
	सदस्यों के रजिस्टर में सबसे ऊपर दिया हुआ है या ऐसे व्यक्ति को	
	और ऐसे पतों पर, जैसा धारक या संयुक्त धारक लिखित रूप में	
	निर्दिष्ट करें, रजिस्ट्रीकृत डाक के माध्यम से भेजे गए चैक या भेजे	
	गए अधिपत्र के जरिए किया जा सकेगा।	
	(ii) ऐसा हर चैक या ऐसा हर अधिपत्र ऐसे लिखा जाएगा कि वह	

के फायदे के लिए ऐसे न्यासों में, यदि वह आवश्यक समझता है,

111-905	2(1/1	का राज्यत्र : जसावारण	
	न्यासियों में निहित कर सकेग	ा किन्तु वह यह बात ऐसे ही कर	
) -	सकेगा कि कोई भी सदस्य	ऐसे कोई अंश (शेयर) या अन्य	
	प्रतिभूतियां, जिन पर कोई भी	दायित्व है, प्रतिगृहीत करने के लिए	
	विवश न किया जाएगा।		
	FB	तिपूर्ति	
91	कंपनी का प्रत्येक अधिकारी किसी	ो कार्यवाही की, उसके द्वारा प्रतिरक्षा	0 हां 0 नहीं
	करने में उसके द्वारा उपगत	किसी दायित्व के विरूद्ध कंपनी की	
	आस्तियों में से क्षतिपूर्ति की ज	एगी जो चाहे सिविल या आपराधिक	
	स्वरूप की हो, जिनमें निर्णय उर	नके पक्ष में दिया गया है, या जिसमें	
	वह दोषम्कत किया गया है या	जिस पर न्यायालय या अधिकरण	
	द्वारा उसे अनुतोष अन्दत्त किय		
		के प्रत्येक ऐसे हस्ताक्षरकर्ता द्वारा	
		से कम ऐसे साक्षी की उपस्थिति में	
	अपना पता, वर्णन और व्यवसाय	यदि कोई है, जोड़ेगा, जो हस्ताक्षरों	
		सी प्रकार अपना पता, वर्णन और	
		और ये हस्ताक्षर नीचे विनिर्दिष्ट हर	
	प्ररूप में होंगे।	•	
	विवरण और उपजीविका, यदि क	ोई है, और नीचे विनिर्दिष्ट प्ररूप में	
	हस्ताक्षर होंगे:-		
	अभिद्रायियों के नाम, पते. विवरण और उपजीविकाएं	साक्षी (नाम, पता, विवरण तथा उपजीविका के साथ)	
	क,ख का विणिक	मेरे समझ हस्ताक्षरित हस्ताक्षर	
	ग,घ का तिणिक	मेरं समक्ष हस्ताक्षरित	
		हस्ताक्षर	
	इ.च _. का विणिक	मेरे समक्ष हस्ताक्षरित हस्ताक्षर	
	छ,ज बः वणिकं	मेरे समक्ष हस्ताक्षरित	
		हस्ताक्षर	
	झ,ञ का वणिक	मेरे समक्ष हस्ताक्षरित हस्ताक्षर	
	ट,ठ का दणिक	मेरे समक्ष हस्ताक्षरित	
		हस्ताक्षर	
	इ,ढ का वणिक	मेरे समक्ष हस्ताक्षरित	
		हस्ताक्षर	

सारणी छ

प्रत्याभूति द्वारा परिसीमित कंपनी, जिसकी अंश पूंजी है, के संगम-अनुच्छेद

- 1. जितने सदस्यों सहित रजिस्ट्रीकृत किए जाने की कंपनी की प्रस्थापना है उनकी संख्या सौ होगी, जब कभी निदेशक बोर्ड समय-समय पर सदस्यों की संख्या में वृद्धि रजिस्ट्रीकृत कर लेगा।
- कंपनी अधिनियम, 2013 से उपाबद्ध अनुसूची 1 में सारणी च के सभी अनुच्छेद, इन अनुच्छेदों के स्मि निगमित समझे जाएंगे और कंपनी को लागू होंगे।

सारणी च- अंशों (शेयरों) द्वारा परिसीमित कंपनी का संगम अनुच्छेद			
अनुच्छेद	विवरण	लाग् होना	
सं.		हां/नहीं	
	निवर्चन		
1.	(1) इन विनियमों में,-	0 हां 0 नहीं	
	(क) "अधिनियम" से कंपनी अधिनियम, 2013 अभिप्रेत हैं;		
	(ख) "मुद्रा" से कंपनी की सामान्य मुद्रा अभिप्रेत है।		
	(2) जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, उन शब्दों और	! 	
	पदों के, जो इन विनियमों में अंतर्विष्ट है, वे ही अर्थ होंगे जो		
	अधिनियम में या उस तारीख़ को, जब ये विनियम कंपनी पर		
	आबद्धकर हो जाते हैं, प्रवृत्त उसके किसी कानूनी उपान्तर में हैं।		
	अंश (शेयर) पूंजी और अधिकारों में फेरफार		
11	अधिनियम के उपबंधों और इन अनुच्छेदों के अधीन रहते हुए कंपनी	0 हां 0 नहीं	
1	की पूंजी में अंश (शेयर) उन निदेशकों के नियंत्रणाधीन रहेंगे जो		
	उनका या उनके किसी अंश (शेयर) ऐसे व्यक्तियों को ऐसे अनुपात में		
	और ऐसे निबंधनों और शर्तों पर और किसी प्रीमियम पर या समान	, 2	
	मूल्य पर और ऐसे समय पर जो वे समय-समय पर ठीक समझें,	·	

114 II—6108	3(1)] भारत का राजपत्र : असाधारण
	निर्गमन कर सकेंगे, उनका आबंटन कर सकेंगे या उनका अन्यथा
1	निपटान कर सकेंगे।
2	(i) हर व्यक्ति, जिसका नाम सदस्यों के रजिस्टर के रूप में 0 हां 0 नहीं
	प्रविष्ट है, ज्ञापन के हस्ताक्षरकर्ताओं की दशा में निगमन के पश्चात्
	आबंटन के पश्चात् दो मास के भीतर या अंतरण या संप्रेषण के
	रजिस्ट्रीकरण या संप्रेषण के लिए आवेदन के एक मास के भीतर या
	इतनी अन्य कालाविध के भीतर जैसी निर्गमन की शर्तों में उपबंधित
	की जाए-
	(ग) किसी प्रभार का संदाय किए बिना; अपने सभी अंशों (शेयरों)
	के लिए एक प्रमाणपत्र; अथवा
	(घ) अनेक प्रमाणपत्र, जिनमें से हर एक उसके एक या एक से
	अधिक अंशों (शेयरों) के लिए होगा, प्रथम प्रमाणपत्र के पश्चात् हर
	प्रमाणपत्र के लिए बीस रूपए देने पर, प्राप्त करने का हकदार होगा।
	(ii) प्रत्येक प्रमाणपत्र पर मुद्रा लगी होगी और उसमे वे अंश
	(शेयर) जिनसे वह संबंधित है और उस मुद्दे समादत्त रकम भी
	निर्दिष्ट होगी।
	(iii) कई व्यक्तियों द्वारा संयुक्त धृत किसी अंश (शेयर) या
	किन्हीं अंशों (शेयरों) की बाबत एक से अधिक प्रमाणपत्र देने के लिए
	कंपनी आबद्ध नहीं होगी और कई अंश (शेयर) धारियों में से किसी
	एक को अंश (शेयर) के लिए प्रमाणपत्र का परिदान ऐसे सभी धारकों
	को पर्याप्त परिदान होगा।
3	(i) यदि कोई अंश (शेयर) प्रमाणपत्र कट-फट जाता है, विरूपित 0 हां 0 नहीं
	हो जाता है, विकृत हो जाता है या फट जाता है या अंतरण के
	पृष्ठाकन के लिए पृष्ठ भाग पर और स्थान नहीं है तो कंपनी को
	उसक प्रस्तुत किए जाने पर तथा उसका अभ्यर्पण किए जाने पर
	उसके बदले में एक नया प्रमाणपत्र जारी किया जा सकेगा और यदि
	कोई प्रमाणपत्र गुम हो जाता है या नष्ट हो जाता है तो कंपनी के
	समाधानप्रद रूप में उसका सबूत दिए जाने पर और ऐसी क्षतिपूर्ति
	के निष्पादन पर जो कंपनी पर्याप्त समझती है, उसके बदले में एक
	नया प्रमाणपत्र दिया जाएगा। इस अनुच्छेद के अधीन प्रत्येक
	प्रमाणपत्र, हर प्रमाणपत्र के लिए बीस रुपए के संदाय पर जारी
	किया जाएगा।
·	(ii) अनुच्छेद (2) आर अनुच्छेद (3) के उपबंध आवश्यक
	परिवर्तनों सहित कंपनी के डिबेंचरों को लागू होंगे।

100		THE CHEET OF THE MAN AND THE CONTROL	
	4	विधि द्वारा यथा अपेक्षित के सिवाय, कंपनी किसी व्यक्ति को यह	0 हां 0 नहीं
		मान्यता न देगी कि वह किसी अंश (शेयर) को न्यास पर धृत किए	
	,	हुए है, तथा किसी पूरे के पूरे अंश (शेयर) में उसके रजिस्ट्रीकृत	
		धारक के आत्यन्तिक हित से बाध्य होने या उसे मान्यता देने के	
		लिए विवश होने के सिवाय कंपनी न तो उस अंश (शेयर),	
		साम्याजात, समाश्रित, भावी या भागिक हित से, न उस अंश (शेयर)	
		के भाग के किसी हित से और न (केवल इन विनियमों में या किसी	
	,	अन्य विधि में अन्यथा उपबंधित के सिवाय किसी अंश (शेयर) की	
		बाबत किन्हीं अन्य अधिकारों से आबद्ध होगी और न उसकी (अपने	
		को सूचना होने पर) भी उसे मान्यता देने के लिए किसी भी प्रकार से	
		विवश होगी।	
	5	(i) कोई कंपनी धारा 40 की उपधारा (6) द्वारा प्रदत्त उन	0 हां 0 नहीं
		शक्तियों का प्रयोग कर सकेगी जो कमीशन के दिए जाने के बारे में	
		हैं परंतु यह तब जब कि संदत्त किए जाने के लिए करार पाई गई	
		कमीशन की दर प्रतिशत या रकम उस धारा और तद्वीन बनाए गए	
		नियमों द्वारा अपेक्षित रीति से प्रकट कर दी गई है।	
		(ii) कमीशन की दर या रकम, धारा 40 की उपधारा (6) के	
		अधीन बनाए गए नियम में विहित की गई दर या रकम से अधिक	
	•	नहीं होगी।	
		(iii) कमीशन नकद रकम देकर अथवा पूर्णतः या भागतः समादत्त	
		अंशो (शेयरों) का आबंटन करके या भागतः एक प्रकार से और भागत दूसरे प्रकार से चुकाया जा सकेगा।	
	6	(i) यदि किसी भी समय अंश (शेयर) पूंजी विभिन्न वर्ग वाले	0 हां 0 नहीं
		अंशों (शेयरों) में विभाजित की जाती है तो किसी वर्ग से संलग्न	
		अधिकारों में [तब के सिवाय जब कि उस वर्ग वाले अंशों (शेयरों) के	
		निर्गमन के निबंधनों में अन्यथा उपबंधित है। धारा 48 के उपबंधों के	
		अधीन रहते हुए तथा भले ही कंपनी का परिसमापन किया जा रहा हो	
		या नहीं, उस वर्ग वाले निर्गमित अंशों (शेयरों) के तीन-चौथाई के	
		धारकों की लिखित सम्मति से अथवा उस वर्ग वाले अंशों (शेयरों) के	
	,	धारकों के पृथक् अधिवेशन में पारित विशेष संकल्प की मंजूरी से	
		किया जा सकेगा।	
		(ii) साधारण अधिवेशन से संबंधित इन विनियमों के उपबंध ऐसे	ļ
		हर पृथक् अधिवेशन को, यथा आवश्यक परिवर्तनों सहित लागू होंगे	
		किंतु ऐसे अधिवेशन के लिए गणपूर्ति (कोरम) कम से कम उन दो	

ाग Ⅱ–खण्ड	3(i)] भारत का राजपत्र : असाधारण	
	व्यक्तियों की होगी जो प्रश्नगत वर्ग वाले निर्गमित अंशों (शेंयरों) के	
i	कम से कम एक-तिहाई को धारण किए हुए हैं।	
7	अधिमानी या अन्य अधिकारों सहित निर्गमित किसी वर्ग वाले अंशों	0 हां 0 नहीं
	(शेयरों) के धारकों को प्रदत्त् अधिकारों की बाबत तब के सिवाय, जब	
	कि उस वर्ग वाले अंशों (शेयरों) के निर्गमन के निबंधनों द्वारा	
	अभिव्यक्त रूप से अन्यथा उपबंधित है, यह न समझा जाएगा कि	
	उनमें फेरफार ऐसे अतिरिक्त अंशों (शेयरों) के सृजन या निर्गमन से	
	हो गया है जो तुलनात्मक दृष्टि से उनसे एक समान दर्जे के हैं।	
8	धारा 55 के उपबंधों के अधीन रहते हुए वैसे ही अधिमानी अंश	0 हां 0 नहीं
	(शेयर), साधारण संकल्प द्वारा मंजूरी दी जाने पर इन निबंधनों पर	
	निर्गमित किए जा सकेंगे कि वे ऐसे निबंधनों पर और ऐसी रीति के,	
	जैसी कंपनी अंशों (शेयरों) के निर्गमित किए जाने के पूर्व विशेष	
	संकल्प द्वारा अवधारित करे, मोचनीय हैं।	
	धारणाधिकार	
9	(i) कंपनी का प्रथम और सर्वोपरि धारणाधिकार, अर्थात्:-	
	(ग) हर अंश (शेयर) पर [जो पूर्णतः समादत्त अंश (शेयर) नहीं है]	
	उस अंश (शेयर) लेखे आहूत या नियत समय पर देय सब धनराशियों	
	के लिए होगा (भले ही वे तत्क्षण देय हों या न हों); तथा	
	(घ) किसी एक व्यक्ति के नाम में रजिस्ट्रीकृत बने हुए सभी अंशों	
	(शेयरों) पर [जो पूर्णतः समादत्त अंश (शेयर) नहीं है], उन सभी	
	धनराशियों के लिए होगा जो उसके द्वारा या उसकी संपदा द्वारा	
	तत्क्षण कंपनी को देय है:	
	परंतु निदेशक बोर्ड, किसी भी समय, किसी अंश (शेयर) की बाबत यह	
	घोषणा कर सकेगा कि उसे इस खंड के उपबंधों से पूर्णतः या भागतः	
	छूट प्राप्त है।	
i	(ii) अंश (शेयर) पर कंपनी के धारणाधिकार का विस्तार यदि कोई	
	हों, उस अंश (शेयर) लेख देय सभी लाभांशों का होगा।	
10	कंपनी ऐसे किन्हीं अंशों (शेयरों) को, जिन पर कंपनी का धारणाधिकार	0 हां 0 नहीं
	है, ऐसी रीति से बेच सकेगी जैसा बोंई ठीक समझता है:	
	परंतु कोई विक्रय तब तक नहीं किया जाएगा-	
	(ग) जब तक कि कोई राशि, जिसकी बाबत धारणाधिकार	
	विद्यमान है, तत्क्षण देय न हो; अथवा	
	(घ) जब तक वह रकम, जिसकी बाबत धारणाधिकार विद्यमान है,	

	THE GAZETTE OF INDIA: EXTRAORDINARY	[PART II—SEC. 3()
	कथित करने वाली और उस रकम के उस भाग के, जो तत्क्षण देय है,	
	चुकाए जाने की मांग करने वाली, लिखित सूचना उस अंश (शेयर) के	
	तत्समय रजिस्ट्रीकृत धारक को अथवा उसकी मृत्यु या दिवाले के	
	कारण उस पर हक रखने वाले व्यक्ति को दिए जाने के पश्चात् चौदह	
	दिन का अवसान न हो गया हो।	
11	(i) ऐसे किसी विक्रय को प्रभावी करने के लिए बोर्ड बेचे गए अंशों	0 हां 0 नहीं
	(शेयरॉ) को उनके क्रेता को अंतरण करने के लिए किसी व्यक्ति को	
• !	प्राधिकृत कर सकेगा।	
	(ii) क्रेता किसी ऐसे अंतरण में समाविष्ट अंशों (शेयरों) के धारक	
	के रूप में रजिस्ट्रीकृत किया जाएगा।	
	(iii) क्रेता इस बात के लिए आबद्ध न होगा कि वह यह देखें कि	
	क्रय धन का क्या उपयोजन किया जाता है और उन अंशों (शेयरों)	
1.	पर कोई प्रभाव ऐसी किसी अनियमितता या अविधिमान्यता से पड़ेगा	
	जो विक्रय कार्यवाहियों में हुई हैं।	
12 .	(i) कंपनी द्वारा विक्रय आगम प्राप्त किए जाएंगे और उनका	0 हां 0 नहीं
	उपयोजन उस रकम के जिसकी बाबत वह धारणाधिकार विद्यमान है,	
	उतने भाग को चुकाने में किया जाएगा जो तत्क्षण देय है।	
	(ii) यदि कुछ अवशिष्टि रहे तो वे राशि लेखे धारणाधिकार जो	
•	तत्क्षण देय नहीं है, ऐसे धारणाधिकार के अधीन रहते हुए, जो उन	
	अंशों (शेयरों) पर विक्रय के पूर्व विद्यमान के, उस व्यक्ति को दे दी	
	जाएगी जो विक्रय की तारीख पर उन अंशों (शेयरों) का हकदार है।	
	अंशों (शेयरों) लेखे आहवान	•
13	(i) बोर्ड, ऐसी किन्हीं धनराशियों विषयक आहवान, जो चाहे अंशों	0 हां 0 नहीं
	(शेयरों के अभिहित मूल्य लेखे या प्रीमियम के तौर पर) उनके अंशों	
	(शेयरों) के आबंदन की शर्तों से जो नियत समयों पर देय नहीं की	
	गई है, सदस्यों से समय-समय पर कर सकेगाः	·
	परंतु कोई भी आह्वान अंश (शेयर) के अभिहित मूल्य के चौथाई से	
	अधिक नहीं होगा या ने अंतिम पूर्ववर्ती आह्वान के चुकाने के लिए	
	नियत तारीख से एक मास से कम समय में वह संदेय होगी।	
	(ii) हर सदस्य अपने अंशों (शेयरों) लेखे आहूत रकम उसके चुकाए	
	जाने के समय या समयों तथा स्थान को विनिर्दिष्ट करने वाली चौदह	
	दिन की सूचना मिल जाने की शर्त पूरी हो जाने पर, कंपनी को ऐसे	·
	विनिर्दिष्ट समय या समयों पर तथा स्थान पर चुका देगा।	
	(iii) कोई आहवान बोर्ड के विवेकानुसार प्रतिसंहत या मुल्तवी किया	
*		

	जा सकेगा।	
14	आह्वान की बाबत यह समझा जाएगा कि वह उस समय किया गया	0 हां 0 नहीं
	जब से आह्वान को प्राधिकृत करने वाला बोर्ड का संकल्प पारित	
	किया गया था तथा उसकी बाबत यह अपेक्षा की जा सकेगी कि वह	
	किस्तों में चुकाया जाए।	
15	अंश (शेयर) के संयुक्त धारक, उस लेखे सभी आहवानों को चुकाने के	0 हां 0 नहीं
	लिए संयुक्ततः और पृथकतः दायित्व के अधीन होंगे।	
16	(i) यदि अंश (शेयर) लेखे आहूत नियत राशि उसे चुकाने के लिए	0 हां 0 नहीं
	नियत दिन के पूर्व या उस दिन को चुका नहीं दी जाती तो वह	
	व्यक्ति, जिस द्वारा वह राशि शोध्य है, सके चुकाने के लिए नियत	
	दिन से उसके वास्तव में चुकाए जाने के समय तक उस पर दस	
	प्रतिशत की दर से या ऐसी नीची दर से, यदि कोई हो, जैसी बोर्ड	
	अवधारित करे, ब्याज देगा।	
	(ii) बोर्ड को यह स्वतंत्रता होगी कि वह ऐसे ब्याज के दिए जाने	
	का पूर्णतः या भागतः अधित्यजन कर दे।	
17	(i) अंश (शेयर) के निर्गमन के निबंधनों के अनुसार जो कोई	0 हां 0 नहीं
	राशि उस अंश (शेयर) के अभिहित मूल्य, लेखे अथवा प्रीमियम के	
	रूप में आबंटन पर या नियत तारीख को देय हो जाती है उसकी	
	बाबत इन विनियमों के प्रयोजनों के लिए यह समझा जाएगा कि वह	
	उस तारीख को सम्यक् रूप से किया गया तथा संदेय है जिसकों ऐसी	
	राशि निर्गमन के निबंधनों के अनुसार देय हो जाती है, देय आहवान	•
	है।	
	(ii) ऐसी राशि के न चुकाए जाने की दशा में, इन विनियमों के वे	
	सभी सुसंगत उपबंध, जो ब्याज और व्यय के चुकाए जाने के बारे में	
	या अन्य बातों के बारे में हैं ऐसे लागू होंगे मानों ऐसी राशि ऐसी	
	किसी आहवान के आधार पर देय हो गी है जो सम्यक् रूप से किया	
	गया और अधिसूचित किया गया था।	
18	बोर्ड-	0 हां 0 नहीं
	(क) उस दशा में, जिसमें वह यह करना ठीक समझता है, वह पूरी	
	धनराशि, जो उन अंशों (शेयरों) लेखे अनाहूत और असमादत्त धनराशि	
	है, जो उस सदस्य द्वारा धृत है जो अग्रिम रूप से वह राशि चुका	
	देने का इच्छुक है, या उसका कोई भाग उस समय सदस्य से प्राप्त	
	कर सकेगा,	

J		
	(ख) ऐसे अग्रिम रूप से दी गई सब धनराशियों या उनमें से किन्हीं	
	पर ब्याज (उस दशा के सिवाय, जिसमें कि यदि अग्रिम रूप से वे न	
k. 	दी गई होतीं तो वे तत्क्षण देय हो गई होती) बारह प्रतिशत प्रतिवर्ष से	
	तब के सिवाय जबकि कंपनी ने साधारण अधिवेशन में अन्यथा	
	निर्दिष्ट किया हो अधिक न होने वाली ऐसी दर से देगा जैसी बोर्ड	
	और उस सदस्य के जो वह राशि अग्रिम रूप से दे रहा है, बीच करार	
	पाई जाए।	
	अंशों (शेयरों) का अंतरण	
19	(i) कंपनी के किसी अंश (शेयर) के अंतरण की लिखत अंतरक	0 हां 0 नहीं
•	और अंतरिती द्वारा या उन दोनों की ओर से निष्पादित की जाएगी।	
	(ii) अंतरक की बाबत यह समझा जाएगा कि जब तक अंतरिती	
	का नाम सदस्यों के रजिस्टर में उस अंश (शेयर) की बाबत प्रविष्ट	
	नहीं कर दिया जाता वह उस अश (शेयर) का धारक बना रहता है।	
20	बोर्ड, धारा 58 द्वारा प्रदत्त अपील के अधिकार के अधीन रहते हुए,-	0 हां 0 नहीं
,	(क) ऐसी किसी अंश (शेयर) का, जो पूर्णतः समादत्त अंश (शेयर)	·
	नहीं है, ऐसे किसी व्यक्ति को किया गया अंतरण, जिसे वह ठीक	7
	नहीं समझता, अथवा	
	(ख) ऐसे किन्हीं अंशों (शेयरों) का अंतरण जिन पर कंपनी का	
	धारणाधिकार है,	
		•
	रजिस्ट्रीकृत करने से इंकार कर सकेगा।	
21	बोर्ड, किसी अंतरण लिखत को, मान्यता देने से इंकार तब के सिवाय	0 हां 0 नहीं
	कर सकेगा जबिक-	
	(क) अंतरण लिखत धारा 56 की उपधारा (1) के अधीन बनाए गए	
	नियमों के यथा विहित प्ररूप में है;	
	(ख) अंतरण लिखत के साथ उन अंशों (शेयरों) का, जिनसे वह	
	संबंधित है, प्रमाणपत्र है और ऐसा अन्य साक्ष्य है, जैसा अतंरक का	
	वह अधिकार दर्शित करने के लिए बोर्ड अपेक्षित करे जो वह अंतरण	
	करने का उसका है; तथा	
	(ग) अंतरण लिखत अंशों (शेयरों) के केवल एक वर्ग की बाबत है।	
22	धारा 91 और उसके अधीन बनाए गए नियमों के अनुसार कम से	0 हां 0 नहीं
	कम सात दिन की सूचना देकर अंतरणों का रजिस्ट्रीकरण ऐसे समय	
	पर और ऐसी कालावधियों के लिए निलंबित किया जा सकेगा जैसे या	

	उर्गार्गं भारतका राजपत्र : असाधारण	
J	जैसी बोर्ड समय-समय पर अवधारित करेः	
A STATE OF THE STA	परंतु ऐसा रजिस्ट्रीकरण किसी एक समय पर तीस दिन से अधिक के	
	लिए और किसी एक वर्ष में कुल मिलाकर पैंतालीस दिन से अधिक के	
	लिए निसंबित नहीं किया जाएगा।	
	अंशों (शेयरों का परेषण)	
23	(i) किसी सदस्य की मृत्यु पर, उस दशा में, जिसमें कि वह	0 हां 0 नहीं
	सदस्य संयुक्त धारक था उत्तरजीवी हो तथा उस दशा में, जिसमें कि	1
	वह एकमात्र धारक और उसका नामनिर्देशिति या उसके	
	नामनिर्देशितियों के विधिक प्रतिनिधि ऐसे व्यक्ति हाँगे जिन्हें उन	
	अंशों (शेयरों) में के उसके हित पर हक रखने वालों के रूप में कंपनी	
	द्वारा मान्यता दी जाएगी।	
	(ii) खंड (i) में की कोई बात किसी मृत संयुक्त धारक की संपदा	
	को ऐसे किसी अंश (शेयर) की बाबत, जिसे उसने अन्य व्यक्तियों के	
	साथ संयुक्त धारण किया था, किसी दायित्व से निर्मुक्त नहीं करेगी।	
24	(i) सदस्य की मृत्यु होने या दिवाला निकलने के परिणामस्वरूप	0 हां 0 नहीं
10 mm	जो व्यक्ति किसी अंश (शेयर) का हकदार होता है वह ऐसे साक्ष्य के	
790	पेश किए जाने पर, जो बोर्ड दवारा समय-समय पर उचित रूप से	
	अपेक्षित किया जाए, तथा यहां के पश्चात् इसमें यथा उपबंधित के	
	अधीन रहते हुए, या तो-	
	(ग) अंश (शेयर) के धारक के रूप में अपने को रजिस्ट्रीकृत कराने	
	का, या	
	(घ) अंश (शेयर) का ऐसा अंतरण करने का जैसा मृतक या	
	दिवालिया सदस्य कर सकता था, निर्वाचन कर सकेगा।	
	(ii) बोर्ड को इन दोनों दशाओं में से हर दशा में, रजिस्ट्रीकरण	
	करने से इंकार करने का या उसे निलम्बित करने का वैसा अधिकार	
	होगा जैसा यदि मृतक या दिवालिया सदस्य ने अपनी मृत्यु से या	
कर ११ - <i>व्यक्त</i> कर स्थापना विकास	दिवाले के पूर्व अंश (शेयर) अंतरित कर दिया होता तो बोर्ड का होता।	elleringsverseljättissen prinsister syndiminen prinsite prinsite en hin et men verse ett stammer.
25	(i) यदि वह व्यक्ति, जो ऐसे हकदार होता है, वह निर्वाचन करता	0 हां 0 नहीं
	है कि स्वय मुझे ही अंश (शेयर) धारक के रूप में रजिस्ट्रीकृत किया	
	जाए तो वह कंपनी को स्वहस्ताक्षरित लिखित सूचना, जिसमें यह	!
	कथन होगा कि मैंने यह निर्वाचन किया है, परिदत्त करेगा या	, ;
	भेजेगा।	
	(ii) यदि पूर्वोक्त व्यक्ति अंश (शेयर) का अंतरण करने का	
- Tronger and Street, and Stre	निर्वाचन करता है तो वह अपने निर्वाचन के साक्ष्य स्वरूप अंश	

(शेयर) का अंतरण निष्पादित करेगा।

इन विनियमों को वे सभी परिसीमाएं, निर्बंधन और उपबंध, जो अंशों (शेयरों) के अंतरण के अधिकार तथा अंशों (शेयरों) के अंतरण के रजिस्ट्रीकरण के संबंध में है, ऐसी सूचना या अंतरण पर, जो पूर्वोक्त है, ऐसे लागू होंगे मानो सदस्य की मृत्यू न हुई हो या उसका दिवाला न निकला हो तथा वह सूचना या अंतरण उस सदस्य दवारा हस्ताक्षरित अंतरण हो।

जो कोई व्यक्ति किसी अंश (शेयर) का हकदार उसके धारक की मृत्यू 0 हां 0 नहीं होने या दिवाला निकलने के करण हो जाता है वह उन्हीं लाभांशों और अन्य फायदों का हकदार, जिनका वह उस दशा में हकदार होता जिसमें कि वह, उस अंश (शेयर) का रजिस्ट्रीकृत धारक होता, इतने के सिवाय होगा कि वह अंश (शेयर) की बाबत सदस्य के रूप में रजिस्ट्रीकृत किए जाने के पूर्व, इस बात का हकदार न होगा कि कंपनी के अधिवेशनों के संबंध में जो कोई अधिकार सदस्यता के कारण प्रदत्त होता है उसका वह प्रयोग कर लेः

'परंतु बोर्ड ऐसे किसी व्यक्ति से यह अपेक्षा करने वाली सूचना उसे किसी भी समय दे सकेगा कि वह रजिस्ट्रीकृत किए जाने या अंश (शेयर) को अंतरित करने में से किसी एक का निर्वाचन करें तथा यदि उक्त सूचना का नब्बे दिन के अंदर अनुपालन नहीं किया जाता तो तत्पश्चात् बोर्ड अंश (शेयर) की बाबत देय सभी लाभांश बोनस या अन्य धनराशियों का दिया जाना तब तक के लिए विधारित कर सकेगा जब तक कि सूचना की अपेक्षाओं का अन्पालन नहीं कर दिया जाता।

एक कंपनी की दशा में,-

- एकमात्र सदस्य की मृत्यू हो जाने पर, ऐसे सदस्य द्वारा नामनिर्देशित व्यक्ति कंपनी द्वारा ऐसा मान्यताप्राप्त व्यक्ति होगा जिसके पास सदस्य के सभी अंशों (शेयरों) का हक होगा;
- सदस्य की मृत्यू हो जाने की दशा में ऐसे अंशों (शेयरों) के लिए हकदार हो जाने पर नामनिर्देशिती को कंपनी बोर्ड दवारा ऐसी घटना की सूचना दी जाएगी;
- ऐसा नामनिर्देशिती उन्हीं लाभांशों और अन्य अधिकारों और दायित्वों का हकदार होगा जिनके लिए कंपनी का ऐसा एकमात्र सदस्य हकदार था या दायी था;

0 हां 0 नहीं

1942 GI/15

ा ॥-खण्ड	3(i)] भारत का राजपत्र : असाधारण	
	(iv) सदस्य बन जाने पर, ऐसा नामनिर्देशिती ऐसे व्यक्ति की पूर्व	
Ì	लिखित सम्मति से किसी अन्य व्यक्ति को नामनिर्देशिति करेगा जो	
	सदस्य की मृत्यु की दशा में कंपनी का सदस्य बन जाएगा।	}
	अंशों (शेयरों) का समपहरण	
28	यदि कोई सदस्य, किसी आह्वान या आह्वान की किस्त उसके दिए	0 हां 0 नहीं
	जाने के लिए नियत दिन को देने में असफल रहता है तो तत्पश्चात्	
4	बोर्ड, ऐसे समय के दौरान, जितने समय तक आह्वान या किस्त का	
	भाग दिया नहीं गया है, किसी भी समय उस पर यह अपेक्षा करने	
	वाली सूचना की तामील कर सकेगा कि आहवान या उसका उतना	
	भाग जितना दिया नहीं है, ऐसे किसी ब्याज सहित दे जो उस पर	
	प्रोद्भृत हो गया हो।	
29	पूर्वीक्त सूचना में-	0 हां 0 नहीं
	(क) उस दिन या उससे पहले का दिन जिसको सूचना द्वारा	
	अपेक्षित संदाय किया जाना है के बाद का दिन (सूचना की तामील	
	की तारीख से चौदह दिन के अवमान से पहले का नहीं); तथा	
	(ख) यह कथन किया हुआ होगा कि ऐसे नियत दिन को या उसके	
	पूर्व धनराशि न दिए जाने की दशा में, वे अंश (शेयर) जिनकी बाबत	
	यह आह्वान किया गया था, समपहरणीय होंगे।	
30	यदि पूर्वोक्त जैसी सूचना की अपेक्षाओं का अनुपालन नहीं किया जाता	0 हां 0 नहीं
	तो वह अंश (शयेर), जिसकी बाबत सूचना दी गई है, बोर्ड के उस	
	प्रभाव के एंकल्प द्वारा, तत्पश्चात् किसी भी समय, किंतु सूचना	
	द्वारा अपेक्षित धनराशि के दिए जाने के पूर्व समपहृत किया जा	
	सकेगा।	
31	(i) कोई समपहत अंश (शेयर) ऐसे निबंधनों पर और ऐसी रीति	0 हां 0 नहीं
	सं जिन्हें या जिसे बोर्ड ठीक समझता है, बेचा जा सकेगा या अन्यथा	
	व्ययनित किया जा संकेगा।	
	(🖟) पूर्वोक्त विक्रय या व्ययन के पूर्व, किसी भी समय, बोर्ड उस	
:	समपहरण को ऐसे निबंधनों पर, जैसे वह ठीक समझता है, रद्द कर	
	सकेगा।	
32.	(i) कोई व्यक्ति, जिसके अंश (शेयर) समपहत कर लिए गए हैं,	0 हां 0 नहीं
	समपहत अंशों (शेयरों) की बाबत सदस्य नहीं रह जाएगा, किंतु	
	समपहण के होते हुए भी कंपनी को दे सभी धनराशियां, जो समपहरण	
	के दिन उसके द्वारा कंपनी को अंश (शेयर) लेख तत्क्षण देय थीं, देने	

कंपनी साधारण संकल्प द्वारा धारा 61 के उपबंधों के अधीन रहते 0 हां 0 नहीं

36

ह्ए-

अपनी पूरी अंश (शेयर) पूंजी या उसके किसी भाग का अपने विद्यमान अंशों (शेयरों) की रकम से बड़ी रकम के अंशों (शेयरों) में समेकन और विभाजन कर सकेगी:

अपने सभी या उनमें से किन्हीं समादत्त अंशों (शेयरों) स्टाक में संपरिवर्तित कर सकेगी और किसी भी मूल्य के पूर्णतः समादत्त

- अंशों (शेयरों) में उस स्टाक को प्नः संपरिवर्तित कर सकेगी; अपने सब विद्यमान अंशों (शेयरों) को या उन में से किसी
- से कम है, उपविभाजित कर सकेंगी; ऐसे किन्हीं अंशों (शेयरों) को जो संकल्प के पारित किए जाने की तारीख के समय किसी व्यक्ति द्वारा न तो लिए गए हैं और न

को उस रकम वाले अंशों (शेयरों) में, जो ज्ञापन द्वारा नियत रकम

जिनके लिए जाने के लिए करार ही हुआ है, रद्द कर सकेगी।

जहां अंश (शेयर) स्टाक में संपरिवर्तित किए जाते हैं वहां-37 ्रह्मक के धारक उसे या उसके किसी भाग को वैसी ही रीति

> (शेयर) जिनसे वह स्टाक उद्भूत हुआ है, उस संपरिवर्तन के पूर्व अन्तरित किए जा सकते थे, अथवा उस या उनसे इतनी मिलती-जुलती रीति से और इतने मिलते-जुलते विनियमों के अधीन जितना उन परिस्थितियाँ में सम्भव हो, अन्तरित कर सकेंगे; परंतु बोर्ड स्टाक की न्यूनतम रकम समय-समय पर नियत कर

> से और बेसे ही विनियमों के अधीन रहते हुए जिनके अधीन वे अंश

सकेगा किंत् ऐसे ही कि ऐसा न्यूनतम उन अंशों (शेयरों) की अभिहित रकम से, जिससे स्टाक उद्भूत हुआ था, अधिक नहीं होगा;

स्टाक के धारकों को लाभांशों के, कंपनी के अधिवेशनों में मत देने के और अन्य विषयों के बारे में वैसे ही अधिकार, विशेषाधिकार और फायदे अपने द्वारा धृत स्टाक की रकम के अनुसार ऐसे प्राप्त होंगे मानो वे उन अंशों (शेयरों) को धृत किए हों जिनसे स्टाक उद्भृत हुआ है, किंत् (कंपनी के लाभांसों और लाभों में तथा परिसमापन पर उसकी आस्तियाँ में भाग लेने के सिवाय) ऐसा कोई विशेषाधिकार या फायदा स्टाक की ऐसी रकम के कारण प्रदत्त न हो जाएगा जो यदि वह रकम अंशों (शेयरों) में विद्यमान होती तो उसके कारण सा विशेषाधिकार या फायदा प्रदत्त नहीं हो सकता;

कंपनी के ऐसे विनियम जो समादत्त अंशों (शेयरों) को लागू होते है, स्टाक को लागू हॉंगे और उन विनियमों में "अंश (शेयर)" और

(शेयरों) के रूप में निर्गमित किए जाने वाले हैं, संदाय करने में ही

माग 11-खण	८ ३(१) । भारत का राजपत्र : असाधारण
	किया जाएगा;
	(3) बोर्ड इस विनियम के अनुसरण में कंपनी द्वारा पारित संकल्प
	को प्रभावी करेगा।
40	(1) जब कभी यथापूर्वोक्त संकल्प पारित कर दिया गया हो तब 0 हां 0 नहीं
	बोर्ड-
	(क) उन अविभाजित लाभों का पूर्ण विनियोजन और उपयोजन
	करेगा जिनके पूंजीकरण के लिए तद्वारा संकल्प किया गया है तथा
	पूर्णतः समाप्त अंशों (शेयरों) के, यदि कोई हों, सब आबंटन और
	निर्गमन करेगाः तथा
	(ख) उसको प्रभावशील करने के लिए अपेक्षित सभी कार्य और बातें
	साधारणतः करेगा।
	(ii) बोर्ड को यह पूरी शक्ति प्राप्त होगी कि वह-
	(ग) अंशों (शेयरों) के भागों में वितरणीय होने की दशा में के लिए
	ऐसा उपबंध भागपरक प्रमाणपत्रों के निर्गमन द्वारा या नकदी में
	संदाय द्वारा या अन्यथा करे जैसा वह ठीक समझता है; तथा
	(घ) किसी व्यक्ति को प्राधिकृत करे कि उसके हकदार सब सदस्यों
	की ओर से कंपनी से यह उपबंध करने वाला करार वह कर ले कि
	ऐसे रजिस्ट्रीकरण पर वे जिन किन्हीं अतिरिक्त अंशों (शेयरों) या
	डिबेंचरों के हकदार हों वे उन अंशों (शेयरों) को यह दिखाया जाकर
	कि उन पर पूरी रकम समादत्त कर दी जाने पर जमा कर दी गई है
	वे अंश (शेयर) उनको आबंदित कर दिए जाएं अथवा मामले से जैसा
	भी अपेक्षित हो, उनके विद्यमान अंशों (शेयरों) लेखे जो रकमें या
	रकम के भाग असमादत्त रह गए हैं वे उन लाभों को, जिनका
	पूंजीकरण करने का संकल्प किया गया है, उन लेखे उपयोजन करके
	कंपनी द्वारा उनकी ओर से समादत्त कर दी या कर दिए जाएं;
	(iii) ऐसे प्राधिकार के अधीन किया गया कोई करार प्रभावी और
	ऐसे सभी सदस्यों पर आबद्धकर होगा।
	शेयरों का क्रय द्वारा वापस लिया जाना
41	इन अनुच्छेदों में अन्तर्विष्ट, किसी बात के होते हुए भी, परन्तु धारा 0 हां 0 नहीं
	68 से धारा 70 के उपबंधों के तथा तत्समय प्रवृत्त इस अधिनियम
	के लागू किसी अन्य उपबंध या विधि के अधीन रहते हुए कंपनी
	अपने अंशों (शेयरों) या अन्य विनिर्दिष्ट प्रतिभूतियों का क्रय कर
	सकेगी।

संकल्प तब पारित कर दिया समझा जाएगा जब संकल्प पर एक मात्र

ाग Ⅱ खण्ड	3(i)] भारत का राजपत्र : असाधारण	
	सदस्य सहमत हो जाता है और कंपनी को संसूचित कर दिया जाता	P
	है तथा धारा 118 के अधीन रखी गई कार्यवृत्त पुस्तिका में प्रविष्टि	
	कर दी जाती है:	
	(v) ऐसी कार्यवृत्त पुस्तिका सदस्य द्वारा हस्ताक्षरित और	
	दिनांकित की जाएगी;	
	(vi) संकल्प एक मात्र सदस्य द्वारा ऐसा कार्यवृत्त हस्ताक्षर करने	
	की तारीख से प्रभावी हो जाएगा।	
	अधिवेशन का स्थगन	
49	(v) अध्यक्ष, समय-समय पर, तथा एक स्थान से दूसरे स्थान के	0 हां 0 नहीं
	लिए अधिवेशन का स्थगन उस अधिवेशन की सम्मति से, जिसमें	
	गणपूर्ति (कोरम) उपस्थित है, कर सकेगा तथा उस दशा में करेगा	
	जिसमें कि अधिवेशन द्वारा ऐसा करने का निदेश दिया जाता है।	
	(vi) किसी स्थगित अधिवेशन में उस कारबार से भिन्न, जो उस	
	अधिवेशन में बाकी रह गया जिससे स्थगन हुआ था, कोई संव्यवहार	
	नहीं किया जाएगा।	
	(vii) जबिक अधिवेशन तीस दिन तक के लिए या उनसे अधिक	
	दिनों तक के लिए स्थगित किया जाता है तब स्थगित अधिवेशन की	
	स्यना वैस ही दी जाएगी जैसी मूल अधिवेशन की दशा में दी जाती	
	है।	
	(viii) यथापूर्वोक्त के सिवाय और अधिनियम की धारा 103 में यथा	
	उपबंधित किसी स्थगन की या स्थगित अधिवेशन में किए जाने वाले	
	संव्यवहार की कोई सूचना देनी आवश्यक नहीं होगी।	
	मतदान अधिकार	
50	किसी वर्ग या वर्गों के अंशों (शेयरों) से तत्समय संलग्न किन्हीं	0 हां 0 नहीं
	अधिकारों के या निबन्धनों के अधीन रहते हुए,-	
	(ग) हाथ उठाकर दिए जाने वाले मतदान में हर सदस्य का, जो	
	स्वयं उपस्थित है, एक मत होगा; तथा	
	(घ) मतांकन में सदस्यों के मत देने के अधिकार ऐसे हाँगे जो	
	कंपनी की समादत्त अंश (शेयर) पूंजी में उसके अंश के अनुपात में	
	₹1	
51	कोई सदस्य धारा 108 के अनुसार इलैक्ट्रानिक साधन से बैठक में	0 हां 0 नहीं
	अपने मत का प्रयोग कर सकेगा और मत केवल एक बार डालेगा।	
52	(iii) संयुक्त धारकों की दशा में ज्येष्ठ का मत जिसने चाहे स्वयं	0 हां 0 नहीं
	या परोक्षी द्वारा मत दिया है, अन्य संयुक्त धारकों के मतों का	

	THE GAZETTE OF INDIA: EXTRAORDINARY	[Part II—Sec. 3
	अपवर्जन करके, प्रतिगृहीत किया जाएगा।	
	(iv) इस प्रयोजनार्थ ज्येष्ठता उस क्रम के अनुसार अवधारित की	
	जाएगी जिसमें सदस्यों के रजिस्टर में नाम हैं।	
53	ऐसा कोई सदस्य जो विकृतचित्त है या जिसकी बाबत ऐसे किसी	0 हां 0 नहीं
£.	न्यायालय ने जिसे विषयक अधिकारिता प्राप्त है आदेश दे दिया है,	
	हाथ उठाकर दिए जाने वाले मतदान में और मतांकन में अपने पालक	
	या अन्य विधिक संरक्षक द्वारा मत दे सकेगा और ऐसा पालक या	
	संरक्षक मतांकन में परोक्षी द्वारा मत दे सकेगा।	
54	ऐसे कारबार से मिन्न कोई कारबार जिस पर मतदान की मांग की	0 हां 0 नहीं
	गई है, मतदान होने तक कार्यवाही की जा सकेगी।	
55	कोई भी सदस्य इस बात का कि वह किसी साधारण अधिवेशन में	0 हां 0 नहीं
•	मत देने का हकदार तब के सिवाय नहीं होगा जबकि कंपनी के अंशों	
	(शेयरों) की बाबत अपने द्वारा तत्क्षण देय सभी आहवान या राशियां	
	उसने चुका दी हैं।	
56	(iii) किसी मतदाता की अर्हता के विषय में कोई आक्षेप नहीं किया	0 हां 0 नहीं
	जाएगा सिवाय उस बैठक या स्थगित बैठक जिसमें आपेक्षित कर	
	दिया गया है या निविदत्त किया गया है और ऐसी बैठक में	
	अननुजात नहीं किया गया प्रत्येक मत सभी प्रयोजनों के लिए	·
	अधिमान्य होगा।	
	(iv) सम्यक् समय पर किया गया ऐसा कोई आक्षेप अधिवेशन के	
	सभापति के समक्ष विचारार्थ रखा जाएगा जिसका उस पर विनिश्चय	
	अंतिम और निश्चायक होगा।	
	परोक्षी	
57	परोक्षी नियुक्त करने वाली लिखत तथा वह मुखतारनामा या अन्य	0 हां 0 नहीं
	प्राधिकार, यदि कोई हो, जिसके अधीन वह हस्ताक्षरित की गई है या	
	उस शक्ति या अधिकार की नोटेरीकृत प्रति उस समय से, जब वह	
	अधिवेशन या स्थगित अधिवेशन योजित होना है जिसमें वह व्यक्ति	

परोक्षी नियुक्त करने वाली लिखत तथा वह मुखतारनामा या अन्य प्रिंधिकार, यदि कोई हो, जिसके अधीन वह हस्ताक्षरित की गई है या उस शक्ति या अधिकार की नोटेरीकृत प्रति उस समय से, जब वह अधिवेशन या स्थगित अधिवेशन योजित होना है जिसमें वह व्यक्ति जिसका नाम लिखत में दिया हुआ है मत देने की प्रस्थापना करता है अन्यून 48 घण्टे पूर्व अथवा मतांकन की दशा में मतांकन के लिए नियत समय से अन्यून 24 घण्टे पूर्व कंपनी के रजिस्ट्रीकृत कार्यालय में निक्षिप्त की जाएगी, ऐसा करने में व्यतिक्रम की दशा में परोक्षी लिखत विधिमान्य नहीं मानी जाएगी।

41.1 II (A)	७६ ३(१)] भारत का राजपत्र : असाधारण	
	के अधीन बनाए गए नियमों में विहित है।	
59	जो मत परोक्षी लिखत के निबंधनों के अनुसार दिया गया है वह इस	0 हां 0 नहीं
	बात के होते भी विधिमान्य होगा कि परोक्षी देने वाला की तत्पूर्व	
	मृत्यु हो गई है या उन्मादी हो गया है या परोक्षी लिखत अथवा वह	,
	अधिकार, जिसके अधीन परोक्षी लिखत निष्पादित की गई थी,	
and the second	प्रतिसंहरण कर दिया गया है या वे अंश (शेयर) जिनकी बाबत परोक्षी	
	दी गई है, अन्तरित कर दिए गए है:	
	परंतु जब कि वह ऐसी मृत्यु, उन्माद, प्रतिसंहरण या अन्तरण की	
	लिखित प्रजापना अधिवेशन या स्थगित अधिवेशन जिसमें परोक्षी का	
	उपयोग किया जाना है, प्रारंभ होने से पूर्व कंपनी को अपने कार्यालय	
	में न मिली हो।	
	निदेशक बोर्ड	
60	निदेशकों की संख्या और पहले निदेशकों के नाम ज्ञापन पर हस्ताक्षर	0 हां 0 नहीं
	करने वालों या उनकी बहुसंख्या द्वारा लिखित रूप में अवधारित किए	
	जाएंगे।	
61	(iii) जहां तक कि निदेशकों का पारिश्रमिक मासिक संदाय के रूप	0 हां 0 नहीं
	में है वहां तक उसकी बाबत यह समझा जाएगा कि वह दिन प्रतिदिन	
	प्रोद्भ्त होता है।	
	(iv) इस अधिनियम के अनुसरण में उनको देय पारिश्रमिक के	A.
	अतिरिक्त निदेशकों को वे सब यात्रा व्यय, होटल व्यय और अन्य	
	व्यय दिए जा सकेंगे जो उन्होंने-	
	(ग) निदेशक बोर्ड या उसकी किसी समिति के अधिवेशनों में या	
	कंपनी के साधारण अधिवेशनों में हाजिर होने और वहां से लौटने में,	
	या	
	(घ) कंपनी के कारबार के संबंध में,	
	समुचित रूप से उपगत किए हैं।	
62	कंपनी के बनाए जाने में और उसके रजिस्ट्रीकृत किए जाने में उपगत	0 हां 0 नहीं
	सभी व्ययों का संदाय बोर्ड कर सकेगा।	
63	कंपनी विदेशी रजिस्टर रखने की बाबत धारा 88 द्वारा अपने को	0 हां 0 नहीं
	प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग कर सकेगी और बोर्ड उन धाराओं (उस	
	धारा के उपबंधों के अध्यधीन) के उपबंधों के अधीन रहते हुए ऐसे	
	विनियम बना सकेगा या उनमें ऐसे फेरफार कर सकेगा जैसे वह ऐसे	
	रजिस्टर के रख जाने की बाबत ठीक समझे।	

 	THE GAZETTE OF INDIA: EXTRAORDINARY	[PART II—SEC. 3(
64	सभी चैक, वचनबंध, ड्राफ्ट, हुण्डियां, विनिमय-पत्र और अन्य परक्राम्य	0 हां 0 नहीं
	लिखतें और कंपनी को दी गई धनराशियों संबंधी सभी रसीदें,	
	यथास्थिति, कंपनी के अभिकर्ता या सचिवाँ तथा कोषपालाँ द्वारा	
	अथवा वहां जहां कि कोई प्रबंधन अभिकर्ता या सचिव तथा कोषपाल	
	नहीं है, ऐसे व्यक्ति द्वारा तथा ऐसी रीति से जैसी बोर्ड समय-समय	
	पर संकल्प द्वारा अवधारित करे हस्ताक्षरित की जाएगी, लिखी	
	जाएंगी, प्रतिगृहीत की जाएंगी, पृष्ठांकित की जाएंगी या अन्यथा	
	निष्पादित की जाएंगी।	
65	बोर्ड के या उसकी समिति के अधिवेशन में उपस्थित हर निदेशक उस	0 हां 0 नहीं
	प्रयोजन से रखी गई पुस्तिका में अपने हस्ताक्षर करेगा।	
66	(iii) धारा 149 के उपबंधों के अधीन रहते हुए बोर्ड को यह शक्ति	0 हां 0 नहीं
	होगी कि वह किसी भी समय और समय-समय पर किसी व्यक्ति को	
	अपर निदेशक के रूप में नियुक्त कर दें, परन्तु निदेशकों और अपर	
	निदेशकों की कुल मिलाकर संख्या अनुच्छेदों द्वारा बोर्ड के लिए	
	नियत की गई अधिकतम संख्या से किसी भी समय पर अधिक नहीं	
	हो।	
	(iv) ऐसा व्यक्ति केवल कंपनी के आगामी वार्षिक साधारण	
	अधिवेशन तक पद धारण करेगा किन्तु इस अधिनियम के उपबंधों के	
	अधीन रहते हए वह उस अधिवेशन में कंपनी द्वारा वह निदेशक के	
	रूप में नियुक्त किए जाने का पात्र होगा।	
	बोर्ड की कार्यवाहियां	
67	(iii) निदेशक बोर्ड कामकाज के संचालन के लिए अधिवेशन कर	0 हां 0 नहीं
	सकेगा और अपने अधिवेशनों को ऐसे स्थगित या अन्यथा ऐसे	
	विनियमित कर संकेगा जैसा करना वह ठीक समझता है।	
	(iv) बोर्ड का अधिवेशन किसी भी समय कोई भी निदेशक बुला	
	सकेगा और प्रबंधक या सचिव निदेशक की अध्यपेक्षा पर बोर्ड का	
	अधिवेशन बुलाएंगे।	
68	(iii) अधिनियम में अभिव्यक्त रूप से अन्यथा उपबंधित के	0 हां 0 नहीं
	सिवाय, बोर्ड के किसी अधिवेशन में उद्भूत प्रश्नों पर विनिश्यच मता	
	की बहुसंख्या के अनुसार होगा।	
	(iv) मतों के बराबर होने की दशा में बोर्ड के सभापति का, यदि	
	कोई हो, द्वितीय या निर्णायक मत होगा।	
69	इस बात के होते हुए भी कि बोर्ड में कोई स्थान रिक्त है वे निदेशक,	0 हां 0 नहीं

भाग II— ख र	क 3(i)] भारत का राजपत्र : असाधारण	
	जो बने रहते हैं, कार्य कर सकेंगे, किन्तु यदि और जब तक उनकी	
1	संख्या बोर्ड के अधिवेशन के लिए अधिनियम द्वारा नियत गणपूर्ति	•
	के कम हो जाती है तो और तब तक वह निदेशक या वे निदेशक जो	
	बना रहता है, या बने रहते हैं, निदेशकों की संख्या को बढ़ाकर इतनी	
	कर देने के प्रयोजन के लिए, जितनी गणपूर्ति (कोरम) के लिए नियत	
	है, या कंपनी का साधारण अधिवेशन बुलाने के प्रयोजन के लिए तो	
	कार्य कर सकेंगे किन्तु अन्य किसी प्रयोजन के लिए कार्य नहीं कर	1
	सकेंगे।	
70	(iii) बोर्ड अपने अधिवेशनों के लिए सभापति का निर्वाचन कर	0 हां 0 नहीं
	सकेगा और उस कालावधि का अवधारण कर सकेगा जिस तक उसे	
	पद धारण करना है।	
	(iv) यदि ऐसा कोई सभापति निर्वाचित नहीं किया जाता है या	
	किसी अधिवेशन में सभापति उस समय के पश्चात् भी जो अधिवेशन	
	करने के लिए नियत है, पांच मिनट के अन्दर उपस्थित नहीं हो	
	जाता तो उपस्थित निदेशक अपने में से किसी एक को अधिवेशन का	
	सभापति चुन सकेंगे।	
71	(iii) अधिनियम के उपबंधों के अधीन रहते हुए बोर्ड अपनी	0 हां 0 नहीं
	शक्तियों में से किसी शक्ति का प्रत्यायोजन अपने निकाय के ऐसे	
	सदस्य या सदस्यों से. जिन्हें बोर्ड ठीक समझता है, मिल कर बनी	
	समितियों को कर सकेगा।	
	(iv) ऐसे बनाई गई समिति अपने को ऐसे प्रत्यायोजित शक्तियों	1 -
	का प्रयोग करने में उन विनियमों का अनुपालन करेगी जो उस पर	
	बोर्ड द्वारा अधिरोपित किए गए हो।	
72	(iii) समिति अपने अधिवेशनों के लिए सभापति निर्वाचित कर	0 हां 0 नहीं
	सकेगी।	
	(iv) यदि ऐसा कोई सभापति निर्वाचित नहीं किया गया है, यदि	
	किसी अधिवेशन में उस समय के पश्चात् जो अधिवेशन करने के लिए	
	नियत है पांच मिनट के अन्दर सभापति उपस्थित नहीं हो जाता तो	
	उपस्थित सदस्य अपनी संख्या में से किसी एक सदस्य को अधिवेशन	
70	का सभापति चुन सकेंगे।	
73	(iii) समिति जैसा भी उपयुक्त समझे अधिविष्ट हो सकेगी और	U हा U नहीं
	अपना अधिवेशन स्थागित कर सकेगी।	
	(iv) समिति के किसी अधिवेशन में पैदा होने वाले प्रश्न उपस्थित	
	सदस्यों के मतों की बहुसंख्या द्वारा अवधारित किए जाएंगे और मतों	

किया जा सकेगा जैसा या जैसी बोर्ड ठीक समझे और बोर्ड ऐसे नियुक्त किसी मुख्य कार्यपालक अधिकारी, प्रबंधक, कंपनी सचिव या

किसी निदेशक को मुख्य कार्यपालक अधिकारी, प्रबंधक,

म्ख्य वित्तीय अधिकारी को हटा सकेगा।

(iv)

गग Ⅱ—खाप	ण्ड 3(i)] भारत का राजपत्र : असाधारण	
	कंपनी सचिव या मुख्य वित्तीय अधिकारी के रूप में नियुक्त किया	
ì	जा सकेगा।	
78	अधिनियम या विनियमों का जो उपबंध किसी निदेशक और मुख्य	0 हां 0 नहीं
	कार्यपालक अधिकारी, प्रबंधक, कंपनी सचिव या मुख्य वित्तीय	
	अधिकारी के द्वारा या उससे किसी बात के किए जाने की अपेक्षा	
	करता है या उसका किया जाना प्राधिकृत करता है उसकी पूर्ति ऐसे	
	व्यक्ति के द्वारा या, जो एक साथ ही निदेशक और मुख्य कार्यपालक	
	अधिकारी, प्रबंधक, कंपनी सचिव या मुख्य वित्तीय अधिकारी के रूप	
	में है, या स्थान में, कार्य कर रहा है किए जाने से नहीं होगी।	
	मुद्रा	
79	(iii) बोर्ड मुद्रा की सुरक्षित अभिरक्षा के लिए उपबंध करेगा।	0 हां 0 नहीं
	(iv) कंपनी की मुद्रा किसी लिखत पर बोर्ड के या इस निमित्त	
	उसके द्वारा प्राधिकृत बोर्ड की समिति संकल्प के प्राधिकार से तथा	
	कम से कम दो निदेशकों और सचिव की या ऐसे अन्य व्यक्ति की	
	जिसे बोर्ड उस प्रयोजन के लिए नियुक्त करें, उपस्थित में लगाए	
	जाने के सिवाय न लगाई जाएगी और दो निदेशक और सचिव या	
	पूर्वोक्त अन्य व्यक्ति, हर तिखत पर, जिस पर उनकी उपस्थिति में	
	कंपनी की मुद्रा इस प्रकार लगाई है, हस्ताक्षर करेंगे।	
	लाभांश और आरक्षिति	
80	कंपनी साधारण अधिवेशन में लाभांश घोषित कर सकेगी किन्तु कोई	0 हां 0 नहीं
	लाभांश उस रकम से अधिक न होगा जिसकी सिफारिश बोर्ड द्वारा	
	की गई है।	
81	धारा 123 के उपबंधों के अधीन रहते हुए, बोर्ड सदस्यों को ऐसे	0 हां 0 नहीं
	अन्तरिम लाभांश समय-समय पर दे सकेगा जैसे कंपनी के लाभों के	
	आधार पर उसे युक्तियुक्त प्रतीत हो।	
82	(iii) बोर्ड, किसी लाआंश की सिफारिश करने के पूर्व कंपनी के	0 हां 0 नहीं
	लाओं में से ऐसी राशि आरक्षिति या आरक्षितियों के तौर पर अलग	
	रख सकेगा जैसी वह ठीक समझता है, कंपनी के लाओं का समुचित	
	रूप से उपयोजन जिस किसी प्रयोजन के लिए किया जा सकता है	
	वैसे किसी प्रयोजन्न के लिए, जिसके अन्तर्गत आकस्मिकताओं के	
	निपटने तथा लाआंशों का समतुलन आता है, उन राशियाँ पर	
	उपयोजन बोर्ड के विवेकानुसार किया जाएगा तथा ऐसा उपयोजन किए	
	जाने या लंबित रहने तक वे राशियां वैसी ही विवेकानुसार या तो	

	THE GAZETTE OF INDIA: EXTRAORDINARY	PART II—
	कंपनी के कारवार में लगाई जा सकेंगी या ऐसे विनिधानों में विनिहित	
<u>ئم</u> ا	की जा सकेंगी जैसे बोर्ड समय-समय पर ठीक समझे।	
	(iv) बोर्ड किन्हीं लाओं को, जिनकी बाबत वह आवश्यक समझता	
	है कि उनका विभाजन न किया जाए, आरक्षिति के रूप में अलग रखे	
	बिना अग्रनीत कर सकेगा।	
83	(iv) ऐसे व्यक्तियाँ के अधिकारों के अधीन रहते हुए, यदि कोई हाँ,	0 हां 0 नहीं
	तो लाभांश के बारे में विशेष अधिकारों सहित अंशों (शेयरों) के हकदार	
	हैं, सब लाभांश उन रकमों के अनुसार जो उन अंशों (शेयरों) लेखे	
	जिनकी बाबत लाभांश दिया जाना है, समादत्त की गई हैं या संदत्त	
	और रकम के रूप में जमा कर ली गई हैं, घोषित किए जाएंगे और	
	दिए जाएंगे किन्तु यदि और जब तक कंपनी अंशों (शेयरों) में से	
	किसी अंश (शेयरों) सेखे में कुछ भी समादत्त नहीं किया गया है तो	
	और तब तक अंशों (शेयरों) की रकम के अमुसार घोषित किए जा	
	सकेंगे और दिए जा सकेंगे।	
	(v) ऐसी किसी रकम की बाबत, जो आहूत किए जाने के पहले	
	अधिम के रूप में किसी अंश (शेयरों) लेखे में समादत्त कर दी गई है	
] .	या समादत्त मानी जाकर जमा कर ती गई है, इन विनियमों के	
	प्रयोजनों के लिए यह न माना जाएगा कि वह अंश (शेयरॉ) लेखे में	:
	समादत्त कर दी गई है।	
1	(vi) सभी लाभांश उन रकानों के अनुपात में प्रभावित किए जाएंगे	
	और दिए जाएंगे जो ऐसी किसी कालावधि के, जिस लेखे वह लाभांश	, .
	दिया जाता है, प्रभाग या प्रभाग के दौरान अंश (शेयरॉ) लेखे में	
	समादत्त की है या समादत्त मानी जाकर जमा कर सी गई है।	
	किन्तु यदि कोई अंश (शेयरॉ) उन निबंधनौ पर, जिनसे यह उपबंधित	
	है कि वह ऐसे दर्ज का है कि विशिष्ट तारीख से वह लाआंश का	.4
	हकदार होगा, निर्गमित किया गया है तो वह अंश (शेयरों) के संबंध में	
	आहवान लेखे या अन्यथा तत्क्षण देय हैं।	:
84	बोर्ड किसी सदस्य को देय किसी लाभांश में से वे सभी धनराशियां,	0 हां 0 नहीं
	यदि कोई हो, काट लेगा जो कंपनी को उस सदस्य द्वारा कंपनी के	
	अंशों (शेयरों) के संबंध में आहवान लेखे या अन्यथा तत्क्षण देय हैं।	
85	(iii) अंशों (शेयरों) की बाबत नकद देय कोई लाभांश क्याज या	0 हां 0 नहीं
·	अन्य धन राशियों के धारक के रजिस्ट्रीकृत पते पर, जिसका नाम	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
	सदस्यों के रिजिस्टर में सबसे ऊपर दिया हुआ है या ऐसे व्यक्ति को	
	और ऐसे पतों पर, जैसा धारक या संयुक्त धारक लिखित रूप में	

11 11 - 64	ण्ड ३(१)] भारत का राजपत्र : असावारण	
	निर्दिष्ट करें, रजिस्ट्रीकृत डाक के माध्यम से भेजे गए चैक या भेजे	
	गए अधिपत्र के जरिए किया जा सकेगा।	
	(iv) ऐसा हर चैक या ऐसा हर अधिपत्र ऐसे लिखा जाएगा कि वह	
	उस व्यक्ति के आदेशानुसार, जिसे वह भेजा जाता हैं, देय होगा।	
86	अंश (शेयर) के दो या अधिक संयुक्त धारकों में से कोई एक ऐसे अंश	0 हां 0 नहीं
	(शेयर) की बाबत देय किन्हीं लाभांशों, बोनसों या अन्य धन राशियों	
	के लिए प्रभावी रसीदें दे सकेगा।	
87	ऐसे किसी लाभांश की, जिसकी घोषणा कर दी गई हो, सूचना	0 हां 0 नहीं
	अधिनियम में वर्णित रीति से उन व्यक्तियों को भी भेज दी जाएगी	
	जो उसमें अंश (शेयर) पाने के हकदार है।	
88	किसी भी लाभांश पर कोई ब्याज कंपनी द्वारा देय न होगा।	0 हां 0 नहीं
	लेखा	
89	(iii) बोर्ड समय-समय पर अवधारित करेगा कि क्या और किस हद	0 हां 0 नहीं
	तक और किस-किस समय तथा स्थानों पर तथा किन शर्तों या	
	विनियमों के अधीन, कंपनी के लेखे और बहियां या उनमें से कोई भी	
	लेखा या बही सदस्यों के, जो निदेशक नहीं है, निरीक्षण के लिए खुली	
	रहेंगी।	
	(iv) ऐसे किसी सदस्य (निदेशक न होते हुए भी) को, कंपनी के	
	किसी लेखा या बही या दस्तावेज का निरीक्षण करने का कोई	
	अधिकार उस अधिकार के सिवाय न होगा जो विधि द्वारा उसे प्रदत्त	
	है या बोर्ड द्वारा या कंपनी द्वारा साधारण अधिवेशन में प्राधिकृत	
na e Managana e manga sa m	किया गया है।	
	परिसमापन	
90	इस अधिनियम और उसके अधीन बनाए गए नियमों के अध्याय 20	0 हां 0 नहीं
	के उपबंधों के अधीन रहते हुएः -	
	(iv) यदि कंपनी का परिसमापन किया जाए तो समापक कंपनी की	
	पूरी आस्तियां या उनका कोई भाग, भले ही वे एक ही किस्म की	
	संपत्ति हो या नहीं, कंपनी के विशेष संकल्प द्वारा दी गई मंजूरी से	
	और इस अधिनियम द्वारा अपेक्षित अन्य किसी मंजूरी से सदस्यों के	
	बीच नकद या वस्तु रूप में, विभाजित कर सकेगा;	
	(v) पूर्वीक्त प्रयोजन के लिए, समापक पूर्वीक्त रूप से विभाजित	
	किए जाने के लिए पूर्वीक्त संपत्ति का ऐसा मूल्य कर नियत कर	
	सकेगा जैसा वह ठीक समझे और यह अवधारित कर सकेगा कि ऐसा	
gag Norwa ero a N. Majorge englijfenske	विभाजन सदस्यों के बीच में या विभिन्न वर्गो के सदस्यों में कैसे	

	THE GAZETTE OF INDIA: EXTRAORDINARY	[PART II—Sec.
	किया जाएगा;	
1 <u>.</u> 11	(vi) समापक ऐसी पूरी आस्तियों या उनके भाग को- अभिदायियों	ŢŢ,
	के फायदे के लिए ऐसे न्यासों में, यदि वह आवश्यक समझता है,	
	न्यासियों में निहित कर सकेगा किन्तु वह यह बात ऐसे ही कर	
	सकेगा कि कोई भी सदस्य ऐसे कोई अंश (शेयर) या अन्य	
	प्रतिभूतियां, जिन पर कोई भी दायित्व है, प्रतिगृहीत करने के लिए	
	विवश न किया जाएगा।	
	श्वतिपूर्ति	
91	कंपनी का प्रत्येक अधिकारी किसी कार्यवाही की, उसके द्वारा प्रतिरक्षा	0 हां 0 नहीं
	करने में उसके द्वारा उपगत किसी दायित्व के विरुद्ध कंपनी की	
	आस्तियों में से क्षतिपूर्ति की जाएगी जो चाहे सिविल या आपराधिक	· ;
	स्वरूप की हो, जिनमें निर्णय उसके पक्ष में दिया गया है, या जिसमें	
	वह दोषमुक्त किया गया है या जिस पर न्यायालय या अधिकरण	1. 1.2 1.4
	द्वारा उसे अनुतोष अनुदत्त किया गया है।	i.
	टिप्पणः अनुच्छेद संगम-जापन के प्रत्येक ऐसे हस्ताक्षरकर्ता द्वारा	
	हस्ताक्षरित किए जाएंगे जो कम से कम ऐसे साक्षी की उपस्थिति में	: 18 18 18 18 18 18 18 18
	अपना पता, वर्णन और व्यवसाय यदि कोई है, जोड़ेगा, जो हस्ताक्षरों	
	को अनुप्रमाणित करेगा और उसी प्रकार अपना पता, वर्णन और	e." Ta
	व्यवसाय, यदि कोई हो जोड़ेगा और ये हस्ताक्षर नीचे विनिर्दिष्ट हर	in the state of th
	प्ररूप में होंगे।	
	विवरण और उपजीविका, यदि कोई है, और नीचे विनिर्दिष्ट प्ररूप में	
	हस्ताक्षर होंगे:-	·
	अभिदायियों के लाल. पते. विवरण और उपजीविकाएं साक्षी (लाल. पता. विवरण तथा उपजीविका के साथ) क.स. ग	

तारीख मास 20.

स्थान

1942 GI/15

सारणी ज

प्रत्याभूति द्वारा परिसीमित कंपनी, जिसकी अंश पूंजी नहीं है, के संगम- अनुचछेद

निर्वचन

लागू होना

(1) इन विनियमों में.. हां/नहीं 1. "अधिनियम" से कंपनी अधिनियम, 2013 अभिप्रेत है; (क) "मुद्रा" से कंपनी की सामान्य मुद्रा अभिप्रेत है। (ख) जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो उन शब्दों और पदों के, जो (2)इन विनियमों में आए हैं, वे ही अर्थ होंगे जो अधिनियम में या उस तारीख को, जब ये विनियम कंपनी पर आबद्धकर हो जाते हैं, प्रवृत्त उसके किसी कानूनी उपांतर में हैं। सदस्य हां/नहीं (1) जितने सदस्यों सहित रजिस्ट्रीकृत किए जाने की कंपनी की प्रस्थापना 2. है उनकी संख्या साँ होगी, किंतू जब कभी कंपनी या कंपनी के कारबार से यह अपेक्षित हो, निदेशक बोर्ड समय-समय पर सदस्यों की संख्या में वृद्धि रजिस्ट्रीकृत करा सकेगा। हां/नहीं 2. जापन पर हस्ताक्षर करने वाले तथा ऐसे अन्य व्यक्ति, जिन्हें बोर्ड सदस्यता में प्रविष्ट कर ले, कंपनी के सदस्य होंगे। साधारण अधिवेशन वार्षिक साधारण अधिवेशनों से भिन्न सभी साधारण अधिवेशन असामान्य हां/नहीं 3. साधारण अधिवेशन कहे जाएंगे। (i) जब कभी बोर्ड ठीक समझे वह असामान्य साधारण अधिवेशन बुला सकेगा। (ii) यदि किसी समय कार्य करने के लिए समर्थ इतनी संख्या में निदेशक भारत में नहीं हैं, जितनी गणमूर्ति (कोरम) के लिए पर्याप्त है, तो कंपनी का कोई निदेशक या कोई दो सदस्य असामान्य साधारण अधिवेशन यथासंभव निकटतम उसी रीति से बुला सकेंगे जिससे ऐसा अधिवेशन बोर्ड द्वारा बुलाया जा सकता है।

साधारण अधिवेशनों में कार्यवाहियां

हां/नहीं

- 5. (i) किसी साधारण अधिवेशन में तब तक कोई संव्यवहार नहीं किया जाएगा जब तक कि सदस्यों की गणपूर्ति (कोरम) उस समय पर उपस्थित नहीं है, जब अधिवेशन कामकाज करने के लिए अग्रसर होता है।
- (ii) इसमें अन्यथा उपबंधित के सिवाय, साधारण अधिवेशन में गणपूर्ति (कोरम) धारा 103 में यथा उपबंधित होगी।
- 6. बोर्ड का अध्यक्ष, यदि कोई हो, कंपनी के हर साधारण अधिवेशन में अध्यक्ष के रूप में अध्यक्षता करेगा।
- 7. यदि ऐसा कोई अध्यक्ष नहीं है या वह अधिवेशन करने के लिए नियत समय के पश्चात् पन्द्रह मिनट के अंदर उपस्थित नहीं होता है या यदि अधिवेशन के अध्यक्ष के रूप में कार्य करने के लिए रजामंद नहीं हो तो उपस्थित निदेशक अपने में से किसी एक सदस्य को अधिवेशन का अध्यक्ष निर्वाचित करेंगे।
- 8. यदि किसी अधिवेशन में कोई भी निदेशक अध्यक्ष के रूप में कार्य करने के लिए रजामंद नहीं है या यदि उस समय से पन्द्रह मिनट के अंदर जो अधिवेशन करने के लिए नियत है, कोई निदेशक उपस्थित नहीं होता है तो उपस्थित सदस्य अपने में से किसी एक सदस्य को अधिवेशन का सभापित चुनेंगे।

अधिवेशन का स्थगन

- 9. (i) अध्यक्ष समय-समय पर तथा एक स्थान से दूसरे स्थान के लिए अधिवेशन का स्थगन उस अधिवेशन की सम्मति से, जिसमें गणमूर्ति (कोरम) उपस्थित है, कर सकेगा तथा उस दशा में करेगा जिसमें कि अधिवेशन द्वारा ऐसा करने का निदेश दिया जाता है।
- (ii) किसी स्थगित अधिवेशन में उस संव्यवहार से भिन्न, जो उस अधिवेशन में बाकी रह गया था जिससे वह स्थगित हुआ था, कोई कामकाज नहीं किया जाएगा।
- (iii) जबिक अधिवेशन तीस दिनों तक के लिए या उनसे अधिक दिनों तक के लिए स्थगित किया जाता है तब स्थगित अधिवेशन की सूचना वैसे ही दी जाएगी जैसी मूल अधिवेशन की दशा में दी जाती है।
- (iv) यथापूर्वोक्त के सिवाय तथा अधिनियम की धारा 103 में यथा उपबंधित स्थगन की या स्थगित अधिवेशन में किए जाने वाले संव्यवहार की कोई सूचना भी देनी आवश्यक नहीं होगी।

हां/नहीं

मताधिकार

र

10. हर सदस्य का एक मत होगा।

11. यदि ऐसा कोई सदस्य, जो विकृतचित्त है या जिसकी बाबत ऐसे किसी न्यायालय ने, जिसे पागलपन विषयक अधिकारिता प्राप्त है आदेश दे दिया है, हाथ उठाकर दिए जाने वाले मतदान में या मतांकन में अपनी समिति या अन्य विधिक संरक्षक द्वारा मत दे सकेगा तथा ऐसी कोई समिति या संरक्षक, मतांकन में परोक्षी द्वारा मत दे सकेगा।

हां/नहीं

12.कोई सदस्य किसी साधारण अधिवेशन में मत देने के लिए तब तक हकदार नहीं होगा जब तक कि वर्तमान में उसके द्वारा कंपनी को संदेय सभी राशियों का संदाय नहीं कर दिया गया हो।

13.(i) किसी मतदाता की अर्हता के बारे में कोई आक्षेप उस अधिवेशन में या स्थगित अधिवेशन में, जिसमें वह मत जिस पर आक्षेप किया गया है, दिया गया या निविदत्त किया जाता है, के सिवाय नहीं किया जाएगा और ऐसा हर मत जिसका दिया जाना ऐसे अधिवेशन द्वारा अननुजात नहीं किया गया है सभी प्रयोजनों के लिए विधिमान्य होगा।

हां/नहीं

(ii) सम्यक् समय पर किया गया ऐसा कोई आक्षेप अधिवेशन के अध्यक्ष को निर्दिष्ट किया जाएगा जिसका विनिश्चय अंतिम और निश्चायक होगा।

14. जो मत परोक्षी- लिखत के निबंधनों के अनुसार दी गई है वह इस बात के होते हुए भी विधिमान्य होगा कि परोक्षी देने वे की मृत्यु हो गई है या पागल हो गया है या परोक्षी- लिखत या वह प्राधिकार, जिसके अधीन परोक्षी-लिखत निष्पादित की गई थी, प्रतिसंहत कर दिया गया है या पूंजियों का स्थानांतरण जिसके संबंध में परोक्षी दी गई है:

परंतु यह तब जब कि ऐसी मृत्यु, पागलपन, प्रतिसंहरण या अंतरण की लिखित सूचना अधिवेशन के प्रारंभ होने या अधिवेशन के स्थगित होने, जिसमें परोक्षी का प्रयोग किया जाना है, से पूर्व कंपनी को अपने कार्यालय में न मिली हो।

हां/नहीं

- 15. कोई सदस्य धारा 108 के अनुसार अधिवेशन में इलेक्ट्रानिक साधनों द्वारा, अपने मत का प्रयोग कर सकेगा तथा केवल एक मत देगा।
- 16. ऐसे कारबार से भिन्न कोई कारबार को जिस पर मतदान की मांग की गई है, मतदान कराए जाने के लंबित रहने तक अग्रसर किया जा सकेगा।

हां/**नहीं**

हां/नहीं

निदेशक बोर्ड

17. निदेशकों की संख्या और पहली बार वाले निदेशकों के नाम जापन पर हस्ताक्षर करने वालों द्वारा या उनकी बहुसंख्या द्वारा लिखित रूप में अवधारित किए जाएंगे।

हां/नहीं

- 18. (i) जहां तक कि निदेशकों का पारिश्रमिक मासिक संदाय के रूप में है वहां तक उसकी बाबत यह समझा जाएगा कि दिन प्रतिदिन प्रोद्धृत होता है।
- (ii) अधिनियम के अनुसरण में उनको संदेय पारिश्रमिक के साथ-साथ निदेशकों को वे सब यात्रा व्यय, होटल व्यय और अन्य व्यय दिए जा सकेंगे जो उन्होंने,-
 - (क) निदेशक बोर्ड या उसकी किसी समिति के अधिवेशनों में या कंपनी के साधारण अधिवेशनों में हाजिर होने और वहां से लौटने में, या
 - (ख) कंपनी के कारबार के संबंध में,

समुचित रूप से उपगत किए हैं।

बोर्ड की कार्यवाहियां

- 19. (i) निदेशक बोर्ड कामकाज का संचालन के लिए अधिवेशन कर सकेगा और अपने अधिवेशनों को स्थगित या अन्यथा विनियमित कर सकेगा जैसा करना वह ठीक समझता है।
- (ii) बोर्ड का अधिवेशन किसी भी समय कोई भी निदेशक बुला सकेगा और निदेशक की अध्यपेक्षा पर प्रबंधक या सचिव बुलाएंगे।
- 20. (i) इस अधिनियम में अभिव्यक्त रूप से अन्यथा उपबंधित के सिवाय बोर्ड के किसी अधिवेशन में उद्भूत प्रश्नों पर विनिश्चय मतों की बहुसंख्या के अनुसार होगा।
- (ii) मतों के बराबर होने की दशा में, बोर्ड के अध्यक्ष का द्वितीय या निर्णायक मत होगा।
- 21. वे निदेशक इस बात के होते हुए भी कि बोर्ड में कोई रिक्ति है, जो बने रहते हुए कार्य कर सकेंगे, किंतु यदि और जब तक उनकी संख्या बोर्ड के अधिवेशन के लिए, अधिनियम द्वारा नियत गणपूर्ति (कोरम) से कम हो जाती है तब तक वह निदेशक या वे निदेशक जो बना रहता है या बने रहे हैं, निदेशकों की संख्या को बढ़ाकर इतनी कर देने के प्रयोजन के लिए जितनी गणपूर्ति (कोरम) के लिए नियत है, या कंपनी का साधारण अधिवेशन बुलाने के प्रयोजन के लिए कार्य कर सकेंगे किंत् अन्य प्रयोजन के लिए कार्य न कर सकेंगे।

हां/नहीं

हां/नहीं

हां/लडी

- 22. (i) बोर्ड अपने अधिवेशनों के लिए अध्यक्ष का निर्वाचन कर सकेगा और उस कालाविध का अवधारण कर सकेगा जिस तक उसे पद धारण करना है।
- (ii) यदि ऐसा कोई अध्यक्ष निर्वाचित नहीं होता है या यदि किसी अधिवेशन में अध्यक्ष उस समय के पश्चात, जो अधिवेशन के लिए जाने के लिए नियत है, पांच मिनट के अंदर उपस्थित नहीं होता है तो उपस्थित निदेशक अपने में से किसी एक सदस्य को अधिवेशन का अध्यक्ष होने के लिए चुन सकेंगे।
- 23. (i) अधिनियम के उपबंधों के अधीन रहते हुए, बोर्ड अपनी शक्तियों में से किसी शक्ति का प्रत्यायोजन अपने निकाय के ऐसे सदस्य या सदस्यों द्वारा मिलकर बनी समितियों को जैसे या जैसों को बोर्ड ठीक समझता है, कर सकेगा। (ii) ऐसी बनाई गई समिति अपने को ऐसे प्रत्यायोजित शक्तियों का प्रयोग करने
- (ii) ऐसी बनाई गई समिति अपने को ऐसे प्रत्यायोजित शक्तियों का प्रयोग करने में उन विनियमों का अनुपालन करेगी जो उस पर बोर्ड द्वारा अधिरोपित किए गए हों।
- 24. i) सिमिति अपने अधिवेशनों के लिए अध्यक्ष निर्वाचित कर सकेगी।
- (ii) यदि ऐसा कोई अध्यक्ष निर्वाचित नहीं होता है या यदि किसी अधिवेशन में उस समय के पश्चात् जो अधिवेशन के किए जाने के लिए नियत है, पांच मिनट के अंदर अध्यक्ष उपस्थित नहीं होता है तो उपस्थित सदस्य अपने में से किसी एक सदस्य को अधिवेशन का अध्यक्ष चुन सकेंगे।
- 25. i) सिमिति जैसा भी उचित समझे अपना अधिवेशन स्थगित कर सकेगी।
- (ii) सिमिति के किसी अधिवेशन में उठने वाले प्रश्न उपस्थित सदस्यों के मतों की बहुसंख्या द्वारा अवधारित किए जाएंगे और मतों के बराबर होने की दशा में अध्यक्ष को द्वितीय या निर्णायक मत प्राप्त होगा।
- 26. वे सब कार्य जो बोर्ड या उसकी सिमिति के किसी अधिवेशन द्वारा या निदेशक के रूप में कार्य करते हुए किसी व्यक्ति द्वारा, किए गए हैं तत्पश्चात् इस बात का पता चलने पर भी ऐसे निदेशकों में से किसी एक या अधिक की या पूर्वाक्त रूप से कार्य करने वाले किसी व्यक्ति की नियुक्ति में कोई त्रुटि थी या वे या उनमें से कोई निर्रह था ऐसे विधिमान्य होंगे ऐसा हर निदेशक या ऐसा व्यक्ति सम्यक् रूप से नियुक्त किया गया था और निदेशक होने के लिए अहिंत था।
- 27. अधिनियम में अभिव्यक्त रूप से अन्यथा उपबंधित के सिवाय वह लिखित संकल्प, जिस पर बोर्ड के या उसकी समिति के उन सभी सदस्यों ने, जो तत्समय बोर्ड के या समिति के अधिवेशन की सूचना प्राप्त करने के हकदारं हैं, हस्ताक्षर कर दिए गए हैं ऐसे विधिमान्य और प्रभावी होगा मानो सम्यक् रूप से बुलाए गए

हां/नहीं

हां/नहीं

हां/नहीं

हां/नहीं

हां/नहीं

और किए गए बोर्ड के या समिति के अधिवेशन में उसे पारित किया गया था।

मुख्य कार्यपालक अधिकारी, प्रबंधक, कंपनी सचिव या मुख्य वित्त अधिकारी

- 28. अधिनियम के उपबंधों के अध्यधीन-
- (i) बोर्ड द्वारा किसी मुख्य कार्यपालक अधिकारी, प्रबंधक, कंपनी सचिव या मुख्य वित्त अधिकारी को ऐसी अवधि के लिए, ऐसे पारिश्रमिक पर और ऐसी शतों पर जैसा या जैसी बोर्ड ठीक समझे नियुक्त किया जाएगा और बोर्ड के द्वारा ऐसे नियुक्त मुख्य कार्यपालक अधिकारी, प्रबंधक, कंपनी सचिव या मुख्य वित्त अधिकारी को किसी संकल्प द्वारा हटा सकेगा;
- (ii) किसी निदेशक को मुख्य कार्यपालक अधिकारी प्रबंधक, कंपनी सचिव या मुख्य वित्त अधिकारी के रूप में नियुक्त किया जा सकेगा।
- 29. अधिनियम का या इन विनियमों का जो उपबंध किसी निदेशक और मुख्य कार्यपालक अधिकारी, प्रबंधक, कंपनी सचिव या मुख्य वित्त अधिकारी के द्वारा या उससे किसी बात के किए जाने की अपेक्षा करता है या उसका किया जाना प्राधिकृत करता है, उसकी पूर्ति ऐसे व्यक्ति के द्वारा या प्रति, जो एक साथ ही निदेशक और मुख्य कार्यपालक अधिकारी, प्रबंधक , कंपनी सचिव या मुख्य वित्त अधिकारी के रूप में या स्थान पर कार्य कर रहा है किए जाने से नहीं होगी।

मुद्रा

- 30. (i) बोर्ड, मुद्रा की सुरक्षित अभिरक्षा के लिए उपबंध करेगा।
- (ii) कंपनी की मुद्रा किसी लिखत पर बोर्ड या इस आधार पर उसके द्वारा प्राधिकृत बोर्ड की समिति के संकल्प के प्राधिकार से तथा कम से कम दो निदेशकों और सचिव की यी ऐसे अन्य व्यक्ति की, जिसे बोर्ड उस प्रयोजन के लिए नियुक्त करे, उपस्थिति में लगाए जाने के सिवाय न लगाई जाएगी, और वे दो निदेशक और सचिव या अन्य व्यक्ति, जैसा पूर्वोक्त है, उस हर लिखत पर जिस पर उनकी उपस्थिति में कपनी की मुद्रा ऐसे लगाई गई है, हस्ताक्षर करेंगे।

टिप्पणः अनुच्छेदों पर संगम-ज्ञापन के प्रत्येक अभिदायी के हस्ताक्षर होंगे, जिनका अपना पता, विवरण, उपजीविका,यदि कोई है, कम से कम एक साक्षी के समक्ष, जो हस्ताक्षर तथा उसी रूप में दिए गए पते, विवरण और उपजीविका, यदि कोई है, का सत्यापन करेगा तथा ऐसे हस्ताक्षर नीचे विनिर्दिष्ट प्ररूप में दिया जाएगाः

अविद्यापियों के जास. पते. विषरण और उपजीविकाएं

साक्षी (साम. पता. विवरण तथा उपजीविका के साथ)

-

wi/zad

भाग II-खण्ड 3(i)]	भारत का राजपत्र : असाधारण	105
क.ख का विणेक	मेरे समझ हस्तानरित	
\	इस्लाखर	
ग,ध का विभिक्त	मेर सम्बद्ध हस्ताबारित	
	इस्तावार	
इ.च का वणिक	मेरे समक इस्ताबारित	
	इस्ताक्षर	
छ,ज का विणिक	मेरे समक्ष हस्ताबारित	
	हस्ताबार	
इस,ज का विणिक	मेरे समझ हस्ताक्षारित	
	हस्साकार	
ट,ठ का विणिक	मेरे समक्ष हस्ताकारित	
	हस्तावर	
s.ढ দম বণিকা	मेरे समझ इस्लाकारित	

तारीख यास 20

सारणी ज

अपरिसीमित कंपनी के संगम-अनुच्छेद

अनुच्छेद	वर्णन	लागू होना
संख्या		हां/नहीं
1	ऐसे सदस्यों की संख्यां, जिनके साथ कंपनी रजिस्ट्रीकृत किए जाने का प्रस्ताव	हां/नहीं
	करती है, सौ है किंतु निदेशक बोर्ड समय-समय पर, जब कभी कंपनी या कंपनी के कारबार में उसकी अपेक्षा की जाती है, सदस्यों की वृद्धि रजिस्टर कर सकेंगे।	
2	कंपनी अधिनियम, 2013 से उपाबद्ध अनुसूची 1 में सारणी ज के सभी अनुच्छेद, इन अनुच्छेदों के साथ निगमित समझे जाएंगे और कंपनी को लागू होंगे।	हां/नहीं

अनुच्छेद विवरण मागू होना		
सं.		हां/नहीं
	निवर्चन	
1.	(1) इन विनियमों में,-	0 हां 0 नहीं
	(क) "अधिनियम" से कंपनी अधिनियम, 2013 अभिप्रेत है;	
	(ख) "मुद्रा" से कंपनी की सामान्य मुद्रा अभिप्रेत है।	
	(2) जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, उन शब्दों और	
	पदों के, जो इन विनियमों में अंतर्विष्ट है, वे ही अर्थ होंगे जो	
	अधिनियम में या उस तारीख़ को, जब ये विनियम कंपनी पर	:
	आबद्धकर हो जाते हैं, प्रवृत्त उसके किसी कानूनी उपान्तर में हैं।	
	अंश (शेयर) पूंजी और अधिकारों में फेरफार	` `
II	अधिनियम के उपबंधों और इन अनुच्छेदों के अधीन रहते हुए कंपनी	0 हां 0 नहीं
1	की पूंजी में अंश (शेयर) उन निदेशकों के नियंत्रणाधीन रहेंगे जो	
	उनका या उनके किसी अंश (शेयर) ऐसे व्यक्तियों को ऐसे अनुपात में	
	और ऐसे निबंधनों और शर्तों पर और किसी प्रीमियम पर या समान	
	मूल्य पर और ऐसे समय पर जो वे समय-समय पर ठीक समझें,	
	ें निर्गमन कर सकेंगे, उनका आबंटन कर सकेंगे या उनका अन्यथा	
	निपटान कर सकेंगे।	
2	(iv) हर व्यक्ति, जिसका नाम सदस्यों के रजिस्टर के रूप में	0 हां 0 नहीं
	प्रविष्ट है, जापन के हस्ताक्षरकर्ताओं की दशा में निगमन के पश्चात्	
	आबंटन के पश्चात् दो मास के भीतर या अंतरण या संप्रेषण के	
	रजिस्ट्रीकरण या संप्रेषण के लिए आवेदन के एक मास के भीतर या	
	इतनी अन्य कालावधि के भीतर जैसी निर्गमन की शर्तों में उपबंधित	
	की जाए-	
	(ङ) किसी प्रभार का संदाय किए बिना; अपने सभी अंशों (शेयरों)	,
	के लिए एक प्रमाणपत्र; अथवा	
	(च) अनेक प्रमाणपत्र, जिनमें से हर एक उसके एक या एक से	
	अधिक अंशों (शेयरों) के लिए होगा, प्रथम प्रमाणपत्र के पश्चात् हर	
	प्रमाणपत्र के लिए बीस रूपए देने पर, प्राप्त करने का हकदार होगा।	
	(v) प्रत्येक प्रमाणपत्र पर मुद्रा लगी होगी और उसमे वे अंश	
	(शेयर) जिनसे वह संबंधित है और उस मुद्दे समादत्त रकम भी	

ाग II-ख	ण्ड 3(i)] भारत का राजपत्र : असाधारण	
	निर्दिष्ट होगी।	·
ľ	(vi) कई व्यक्तियों द्वारा संयुक्त धृत किसी अंश (शेयर) या	
	किन्हीं अंशों (शेयरों) की बाबत एक से अधिक प्रमाणपत्र देने के लिए	
	कंपनी आबद्ध नहीं होगी और कई अंश (शेयर) धारियों में से किसी	
	एक को अंश (शेयर) के लिए प्रमाणपत्र का परिदान ऐसे सभी धारकों	
	को पर्याप्त परिदान होगा।	
3	(iii) यदि कोई अंश (शेयर) प्रमाणपत्र कट-फट जाता है, विरूपित 0 हां 0 नहीं	
	हो जाता है, विकृत हो जाता है या फट जाता है या अंतरण के	
	पृष्ठाकंन के लिए पृष्ठ भाग पर और स्थान नहीं है तो कंपनी को	
	उसके प्रस्तुत किए जाने पर तथा उसका अभ्यर्पण किए जाने पर	
	उसके बदले में एक नया प्रमाणपत्र जारी किया जा सकेगा और यदि	
	कोई प्रमाणपत्र गुम हो जाता है या नष्ट हो जाता है तो कंपनी के	
	समाधानप्रद रूप में उसका सबूत दिए जाने पर और ऐसी क्षतिपूर्ति के	
	निष्पादन पर जो कंपनी पर्याप्त समझती है, उसके बदले में एक नया	
	प्रमाणपत्र दिया जाएगा। इस अनुच्छेद के अधीन प्रत्येक प्रमाणपत्र,	
	हर प्रमाणपत्र के लिए बीस रुपए के संदाय पर जारी किया जाएगा।	
	(iv) अनुच्छेद (2) और अनुच्छेद (3) के उपबंध आवश्यक	
	परिवर्तनों सहित कंपनी के डिबेंचरों को लागू होंगे।	
4	विधि द्वारा यथा अपेक्षित के सिवाय, कंपनी किसी व्यक्ति को यह 0 हां 0 नहीं	
	मान्यता न देगी कि वह किसी अंश (शेयर) को न्यास पर धृत किए	
	हुए है, तथा किसी पूरे के पूरे अंश (शेयर) में उसके रजिस्ट्रीकृत	
	धारक के आत्यन्तिक हित से बाध्य होने या उसे मान्यता देने के	
	लिए विवश होने के सिवाय कंपनी न तो उस अंश (शेयर),	
	साम्याजात, समाश्रित, भावी या भागिक हित से, न उस अंश (शेयर)	
	के भाग के किसी हित से और न (केवल इन विनियमों में या किसी	
	अन्य विधि में अन्यथा उपबंधित के सिवाय किसी अंश (शेयर) की	
	बाबत किन्हीं अन्य अधिकारों से आबद्ध होगी और न उसकी (अपने	
	को सूचना होने पर) भी उसे मान्यता देने के लिए किसी भी प्रकार से	
	विवश होगी।	
 5	(iv) कोई कंपनी धारा 40 की उपधारा (6) द्वारा प्रदत्त उन 0 हां 0 नहीं	
	शक्तियों का प्रयोग कर सकेगी जो कमीशन के दिए जाने के बारे में	
	हैं परंत् यह तब जब कि संदत्त किए जाने के लिए करार पाई गई	
	कमीशन की दर प्रतिशत या रकम उस धारा और तद्धीन बनाए गए	
	नियमों द्वारा अपेक्षित रीति से प्रकट कर दी गई है।	

	THE GAZETTE OF INDIA: EXTRAORDINARY	[PART II—SEC.]
1	(v) 'कमीशन की दर या रकम, धारा 40 की उपधारा (6) के	
j.	अधीन बनाए गए नियम में विहित की गई दर या रकम से अधिक	
	नहीं होगी।	
	(vi) कमीशन नकद रकम देकर अथवा पूर्णतः या भागतः समादत्त	
	अंशो (शेयरॉ) का आबंटन करके या भागतः एक प्रकार से और भागत	
	दूसरे प्रकार से चुकाया जा सकेगा।	
6	(iii) यदि किसी भी समय अंश (शेयर) पूंजी विभिन्न वर्ग वाले	0 हां 0 नहीं
	अंशों (शेयरों) में विभाजित की जाती है तो किसी वर्ग से संलग्न	
	अधिकारों में [तब के सिवाय जब कि उस वर्ग वाले अंशों (शेयरॉ) के	
	निर्गमन के निबंधनों में अन्यथा उपबंधित है। धारा 48 के उपबंधों के	
	अधीन रहते हुए तथा भले ही कंपनी का परिसमापन किया जा रहा हो	
	या नहीं, उस वर्ग वाले निर्गमित अंशों (शेयरों) के तीन-चौथाई के	
	धारकों की लिखित सम्मति से अथवा उस वर्ग वाले अंशों (शेयरॉ) के	
	धारकों के पृथक् अधिवेशन में पारित विशेष संकल्प की मंजूरी से	
	किया जा सकेगा।	
	(iv) साधारण अधिवेशन से संबंधित इन विनियमों के उपबंध ऐसे	
	हर पृथक् अधिवेशन को, यथा आवश्यक परिवर्तनों सहित लागू होंगे	
	किंतु ऐसे अधिवेशन के लिए गणपूर्ति (कोरम) कम से कम उन दो	
	व्यक्तियों की होगी जो प्रश्नगत वर्ग वाले निर्गमित अंशों (शेंयरों) के	
	कम से कम एक-तिहाई को धारण किए हुए हैं।	
7	अधिमानी या अन्य अधिकारों सहित निर्गमित किसी वर्ग वाले अंशों	0 हां 0 नहीं
	(शेयरों) के धारकों को प्रदत्त् अधिकारों की बाबत तब के सिवाय, जब	
	कि उस वर्ग वाले अंशों (शेयरों) के निर्गमन के निबंधनों द्वारा	
	अभिव्यक्त रूप से अन्यथा उपबंधित है, यह न समझा जाएगा कि	
	उनमें फेरफार ऐसे अतिरिक्त अंशों (शेयरों) के सृजन या निर्गमन से	
	हो गया है जो तुलनात्मक दृष्टि से उनसे एक समान दर्जे के हैं।	
8	धारा 55 के उपबंधों के अधीन रहते हुए वैसे ही अधिमानी अंश	0 हां 0 नहीं
	(शेयर), साधारण संकल्प द्वारा मंजूरी दी जाने पर इन निबंधनाँ पर	
	निर्गमित किए जा सकेंगे कि वे ऐसे निबंधनों पर और ऐसी रीति के,	
	जैसी कंपनी अंशों (शेयरों) के निर्गमित किए जाने के पूर्व विशेष	
	संकल्प द्वारा अवधारित करे, मोचनीय हैं।	
	धारणाधिकार	
9	(iii) कंपनी का प्रथम और सर्वोपरि धारणाधिकार :-	
	(ङ) हर अंश (शेयर) पर [जो पूर्णतः समादत्त अंश (शेयर) नहीं है]	
		

्भाग ग्र-खण	5 3(1)] भारत का राजपत्र : असाधारण	
	उस अंश (शेयर) लेखे आहूत या नियत समय पर देय सब धनराशिय	
1	के लिए होगा (भले ही वे तत्क्षण देय हों या न हों); तथा	
	(च) किसी एक ट्यक्ति के नाम में रजिस्ट्रीकृत बने हुए सभी अंशे	
-	(शेयरों) पर [जो पूर्णतः समादत्त अंश (शेयर) नहीं है], उन सभी	r
ļ	धनराशियों के लिए होगा जो उसके द्वारा या उसकी संपदा द्वार	
	तत्क्षण कंपनी को देय है:	
	परंतु निदेशक बोर्ड, किसी भी समय, किसी अंश (शेयर) की बाबत यह	
	घोषणा कर सकेगा कि उसे इस खंड के उपबंधों से पूर्णतः या भागतः	
	छूट प्राप्त है।	
	(iv) अंश (शेयर) पर कंपनी के धारणाधिकार का विस्तार यदि कोई	
	हो, उस अंश (शेयर) लेख देय सभी लाआशों का होगा।	
10	कंपनी ऐसे किन्हीं अंशों (शेयरों) को, जिन पर कंपनी का धारणाधिकार	0 हां 0 नहीं
	है, ऐसी रीति से बेच सकेगी जैसा बोर्ड ठीक समझता है:	
	परंतु कोई विक्रय तब तक नहीं किया जाएगा-	
	(ঙ্গ) जब तक कि कोई राशि, जिसकी बाबत धारणाधिकार	
	विद्यमान है, तत्क्षण देय न हो; अथवा	
	(च) जब तक वह रकम, जिसकी बाबत धारणाधिकार विद्यमान है,	
	कथित करने वाली और उस रकम के उस भाग के, जो तत्क्षण देय है,	
	चुकाए जाने की मांग करने वाली, लिखित सूचना उस अंश (शेयर) के	
	तत्समय रजिस्ट्रीकृत धारक को अथवा उसकी मृत्यु या दिवाले के	
	कारण उस पर हक रखने वाले व्यक्ति को दिए जाने के पश्चात् चौदह	
	दिन का अवसान न हो गया हो।	
11	(iv) ऐसे किसी विक्रय को प्रभावी करने के लिए बोर्ड बेचे गए अंशों	0 हां 0 नहीं
	(शेयरों) को उनके क्रेता को अंतरण करने के लिए किसी व्यक्ति को	
	प्राधिकृत कर सकेगा।	
	(v) क्रेता किसी ऐसे अंतरण में समाविष्ट अंशों (शेयरों) के धारक	
	के रूप में रजिस्ट्रीकृत किया जाएगा।	
	(vi) क्रेता इस बात के लिए आबद्ध न होगा कि वह यह देखे कि	
	क्रय धन का क्या उपयोजन किया जाता है और उन अंशों (शेयरों)	
	पर कोई प्रभाव ऐसी किसी अनियमितता या अविधिमान्यता से पड़ेगा	
	जो विक्रय कार्यवाहियों में हुई हैं।	,
12	(iii) कंपनी द्वारा विक्रय आगम प्राप्त किए जाएंगे और उनका	0 हां 0 नहीं
an analysis of the state of the	उपयोजन उस रकम के जिसकी बाबत वह धारणाधिकार विद्यमान है,	
	उतने भाग को चुकाने में किया जाएगा जो तत्क्षण देय है।	

		design in reduct.
ļ	(iv) यदि कुछ अवशिष्टि रहे तो वे राशि लेखे धारणाधिकार जो	
	तत्क्षण देय नहीं है, ऐसे धारणाधिकार के अधीन रहते हुए, जो उन	
	अंशों (शेयरों) पर विक्रय के पूर्व विद्यमान के, उस व्यक्ति को दे दी	
	जाएगी जो विक्रय की तारीख पर उन अंशों (शेयरों) का हकदार है।	
	अंशों (शेयरों) लेखे आहवान	
13	(iv) बोर्ड, ऐसी किन्हीं धनराशियों विषयक आह्वान, जो चाहे अंशों	0 हां 0 नहीं
	(शेयरों के अभिहित मूल्य लेखे या प्रीमियम के तौर पर) उनके अंशों	
	(शैयरों) के आबंटन की शर्तों से जो नियत समयों पर देय नहीं की	
	गई है, सदस्यों से समय-समय पर कर सकेगाः	
	परंतु कोई भी आहवान अंश (शेयर) के अभिहित मूल्य के चौथाई से	
	अधिक नहीं होगा या न अंतिम पूर्ववर्ती आहवान के चुकाने के लिए	
	नियत तारीख से एक मास से कम समय में वह संदेय होगी।	
	(v) हर सदस्य अपने अंशों (शेयरों) लेखे आहूत रकम उसके चुकाए	
	जाने के समय या समयों तथा स्थान को विनिर्दिष्ट करने वाली चौदह	
	दिन की सूचना मिल जाने की शर्त पूरी हो जाने पर, कंपनी को ऐसे	
	विनिर्दिष्ट समय या समयों पर तथा स्थान पर चुका देगा।	(a) (b) (c) (c) (c) (c) (c) (c) (c) (c) (c) (c
	(vi) कोई आहवान बोर्ड के विवेकानुसार प्रतिसंहत या मुल्तवी किया	
	जा सकेगा।	: 40
14	आह्वान की बाबत यह समझा जाएगा कि वह उस समय किया गया	0 हां 0 नहीं
	जब से आहवान को प्राधिकृत करने वाला बोर्ड का संकल्प पारित	7
	किया गया था तथा उसकी बाबत यह अपेक्षा की जा सकेगी कि वह	
	किस्तों में चुकाया जाए।	
15	अंश (शेयर) के संयुक्त धारक, उस लेखे सभी आहवानों को चुकाने के	0 हां 0 नहीं
	लिए संयुक्ततः और पृथकतः दायित्व के अधीन होंगे।	
16	(iii) यदि अंश (शेयर) लेखे आहूत नियंत राशि उसे चुकाने के लिए	0 हां 0 नहीं
	नियत दिन के पूर्व या उस दिन को चुका नहीं दी जाती तो वह	
	व्यक्ति, जिस द्वारा वह राशि शोध्य है, सके चुकाने के लिए नियत	
	दिन से उसके वास्तव में चुकाए जाने के समय तक उस पर दस	
	प्रतिशत की दर से या ऐसी नीची दर से, यदि कोई हो, जैसी बोर्ड	
	अवधारित करे, ब्याज देगा।	
	(iv) बोर्ड को यह स्वतंत्रता होगी कि वह ऐसे ब्याज के दिए जाने	:
	का पूर्णतः या भागतः अधित्यजन कर दे।	
17	(iii) अंश (शेयर) के निर्गमन के निबंधनों के अनुसार जो कोई	0 हां 0 नहीं
		L

ग II-खण	ड 3(i)] भारत का राजपत्र : असाधारण	
	राशि उस अंश (शेयर) के अभिहित मूल्य, लेखे अथवा प्रीमियम के	
. ` [रूप में आबंटन पर या नियत तारीख को देय हो जाती है उसकी	
	बाबत इन विनियमों के प्रयोजनों के लिए यह समझा जाएगा कि वह	
	उस तारीख को सम्यक् रूप से किया गया तथा संदेय है जिसकों ऐसी	
	राशि निर्गमन के निबंधनों के अनुसार देय हो जाती है, देय आहवान	
	है।	
	(iv) ऐसी राशि के न चुकाए जाने की दशा में, इन विनियमों के वे	
	सभी सुसंगत उपबंध, जो ब्याज और व्यय के चुकाए जाने के बारे में	
	या अन्य बातों के बारे में हैं ऐसे लागू होंगे मानों ऐसी राशि ऐसी	
	किसी आहवान के आधार पर देय हो गी है जो सम्यक् रूप से किया	
	गया और अधिसूचित किया गया था।	
18	बोर्ड-	0 हां 0 नहीं
	(ग) उस दशा में, जिसमें वह यह करना ठीक समझता है, वह पूरी	
	धनराशि, जो उन अंशों (शेयरों) लेखे अनाहृत और असमादत्त	1
	धनराशि है, जो उस सदस्य द्वारा धृत है जो अग्रिम रूप से वह राशि	i
	चुका देने का इच्छुक है, या उसका कोई भाग उस समय सदस्य से	4
	प्राप्त कर सकेगा, तथा	
	(घ) ऐसे अग्रिम रूप से दी गई सब धनराशियों या उनमें से किन्हीं	
	पर ब्याज (उस दशा के सिवाय, जिसमें कि यदि अग्रिम रूप से वे न	
	दी गई होतीं तो वे तत्क्षण देय हो गई होती) बारह प्रतिशत प्रतिवर्ष	
	से तब के सिवाय जबिक कंपनी ने साधारण अधिवेशन में अन्यथा	
	निर्दिष्ट किया हो अधिक न होने वाली ऐसी दर से देगा जैसी बोर्ड	
	और उस सदस्य के जो वह राशि अग्रिम रूप से दे रहा है, बीच करार	
	पाई जाए।	
	अंशों (शेयरों) का अंतरण	
19	(iii) कंपनी के किसी अंश (शेयर) के अंतरण की लिखत अंतरक	0 हां 0 नहीं
	और अंतरिती द्वारा या उन दोनों की ओर से निष्पादित की जाएगी।	
	(iv) अंतरक की बाबत यह समझा जाएगा कि जब तक अंतरिती	
	का नाम सदस्यों के रजिस्टर में उस अंश (शेयर) की बाबत प्रविष्ट	
	नहीं कर दिया जाता वह उस अंश (शेयर) का धारक बना रहता है।	
20	बोर्ड, धारा 58 द्वारा प्रदत्त अपील के अधिकार के अधीन रहते हुए,-	0 हां 0 नहीं
	(गं) ऐसी किसी अंश (शेयर) का, जो पूर्णतः समादत्त अंश (शेयर)	
	नहीं है, ऐसे किसी व्यक्ति को किया गया अंतरण, जिसे वह ठीक	
	नहीं समझता है, अथवा	
···		

	(घ) ऐसे किन्हीं अंशों (शेयरों) का अंतरण जिन पर कंपनी का धारणाधिकार है,	
	रजिस्ट्रीकृत करने से इंकार कर सकेगा।	
21	बोर्ड, किसी अंतरण लिखत को, मान्यता देने से इंकार तब के सिवाय	0 हां 0 नहीं
	कर सकेगा जबिक-	
	(घ) अंतरण लिखत धारा 56 की उपधारा (1) के अधीन बनाए गए	
	नियमों के यथा विहित प्ररूप में है;	
	(इ) अंतरण लिखत के साथ उन अंशों (शेयरों) का, जिनसे वह	
	संबंधित है, प्रमाणपत्र है और ऐसा अन्य साक्ष्य है, जैसा अतंरक का	
	वह अधिकार दर्शित करने के लिए बोर्ड अपेक्षित करे जो वह अंतरण	
	करने का उसका है; तथा	
	(च) अंतरण लिखत अंशों (शेयरों) के केवल एक वर्ग की बाबत है।	
22	धारा 91 और उसके अधीन बनाए गए नियमों के अनुसार कम से	0 हां 0 नहीं
	कम सात दिन की सूचना देकर अंतरणों का रजिस्ट्रीकरण ऐसे समय	
	पर और ऐसी कालावधियों के लिए निलंबित किया जा सकेगा जैसे या	
	जैसी बोर्ड समय-समय पर अवधारित करेः	
	परंतु ऐसा रजिस्ट्रीकरण किसी एक समय पर तीस दिन से अधिक के	e de la companya de l
	लिए और किसी एक वर्ष में कुल मिलाकर पैतालीस दिन से अधिक के	
	लिए निलंबित नहीं किया जाएगा।	9.
	अंशों (शेवरों का परेषण)	
23	(iii) किसी सदस्य की मृत्यु पर, उस दशा में, जिसमें कि वह	0 हां 0 नहीं
	सदस्य संयुक्त धारक था उत्तरजीवी हो तथा उस दशा में, जिसमें कि	
	वह एकमात्र धारक और उसका नामनिर्देशिति या उसके	
	नामनिर्देशितियों के विधिक प्रतिनिधि ऐसे व्यक्ति होंगे जिन्हें उन	
	अंशों (शेयरों) में के उसके हित पर हक रखने वालों के रूप में कंपनी	1
	द्वारा मान्यता दी जाएगी।	
	(iv) खंड (i) में की कोई बात किसी मृत संयुक्त धारक की संपदा	
	को ऐसे किसी अंश (शेयर) की बाबत, जिसे उसने अन्य व्यक्तियाँ के	
	साथ संयुक्त धारण किया था, किसी दायित्व से निर्मुक्त नहीं करेगी।	
24	(iii) सदस्य की मृत्यु होने या दिवाला निकलने के परिणामस्वरूप	0 हां 0 महीं
	जो व्यक्ति किसी अंश (शेयर) का हकदार होता है वह ऐसे साक्ष्य के	,
	पेश किए जाने पर, जो बोर्ड द्वारा समय-समय पर उचित रूप से	
	अपेक्षित किया जाए, तथा यहां के पश्चात् इसमें यथा उपबंधित के	

1	अधीन रहते हुए, या तो-
ĺ	(ङ) अंश (शेयर) के धारक के रूप में अपने को रजिस्ट्रीकृत कराने
	का, या
	(च) अंश (शेयर) का ऐसा अंतरण करने का जैसा मृतक या
	दिवालिया सदस्य कर सकता था, निर्वाचन कर सकेगा।
	(iv) बोर्ड को इन दोनों दशाओं में से हर दशा में, रजिस्ट्रीकरण
	करने से इंकार करने का या उसे निलम्बित करने का वैसा अधिकार
	होगा जैसा यदि मृतक या दिवालिया सदस्य ने अपनी मृत्यु से या
	दिवाले के पूर्व अंश (शेयर) अंतरित कर दिया होता तो बोर्ड का होता।
25	(iv) यदि वह व्यक्ति, जो ऐसे हकदार होता है, वह निर्वाचन करता 0 हां 0 नहीं
	है कि स्वंय मुझे ही अंश (शेयर) धारक के रूप में रजिस्ट्रीकृत किया
	जाए तो वह कंपनी को स्वहस्ताक्षरित लिखित सूचना, जिसमें यह
	कथन होगा कि मैंने यह निर्वाचन किया है, परिदत्त करेगा या
	भेजेगा।
	(v) यदि पूर्वोक्त व्यक्ति अंश (शेयर) का अंतरण करने का
	निर्वाचन करता है तो वह अपने निर्वाचन के साक्ष्य स्वरूप अंश
	(शेयर) का अंतरण निष्पादित करेगा।
	(vi) इन विनियमों को वे सभी परिसीमाएं, निर्बंधन और उपबंध,
	जो अंशों (शेयरों) के अंतरण के अधिकार तथा अंशों (शेयरों) के
	अंतरण के रजिस्ट्रीकरण के संबंध में है, ऐसी सूचना या अंतरण पर,
	जो पूर्वोक्त है, ऐसे लागू होंगे मानो सदस्य की मृत्यु न हुई हो या
	उसका दिवाला न निकला हो तथा वह सूचना या अंतरण उस सदस्य
	द्वारा हस्ताक्षरित अंतरण हो।
26	जो कोई व्यक्ति किसी अंश (शेयर) का हकदार उसके धारक की मृत्यु 0 हां 0 नहीं
	होने या दिवाला निकलने के करण हो जाता है वह उन्हीं लाभाशों और
	अन्य फायदों का हकदार, जिनका वह उस दशा में हकदार होता
	जिसमें कि वह, उस अंश (शेयर) का रजिस्ट्रीकृत धारक होता, इतने
	के सिवाय होगा कि वह अंश (शेयर) की बाबत सदस्य के रूप में
	रजिस्ट्रीकृत किए जाने के पूर्व, इस बात का हकदार न होगा कि
	कंपनी के अधिवेशनों के संबंध में जो कोई अधिकार सदस्यता के
	कारण प्रदत्त होता है उसका वह प्रयोग कर लेः
	परंतु बोर्ड ऐसे किसी व्यक्ति से यह अपेक्षा करने वाली सूचना उसे
	किसी भी समय दे सकेगा कि वह रजिस्ट्रीकृत किए जाने या अंश
	(शेयर) को अंतरित करने में से किसी एक का निर्वाचन करें तथा यदि
	(अन्य) नम् अस्तर्भ गर्भ मा सामा रचन वर्ग विवासिका वर्ग स्था वाप

	1	PART	II—SEC	36
--	---	------	--------	----

4		THE GAZETTE OF INDIA: EXTRAORDINARY	[Part II—Sec. 3
		उक्त सूचना का नब्बे दिन के अंदर अनुपालन नहीं किया जाता तो	
1		तत्पश्चात् बोर्ड अंश (शेयर) की बाबत देय सभी लाभांश बोनस या	
		अन्य धनराशियों का दिया जाना तब तक के लिए विधारित कर	
		सकेगा जब तक कि सूचना की अपेक्षाओं का अनुपालन नहीं कर दिया	
		जाता।	,
ļ	27	एक कंपनी की दशा में,-	0 हां 0 नहीं
		(v) एकमात्र सदस्य की मृत्यु हो जाने पर, ऐसे सदस्य द्वारा	1 v 4
		नामनिर्देशित व्यक्ति कंपनी द्वारा ऐसा मान्यताप्राप्त व्यक्ति होगा	
		जिसके पास सदस्य के सभी अंशों (शेयरों) का हक होगा;	- 1.48 - 1.48 - 1.48
		(vi) सदस्य की मृत्यु हो जाने की दशा में ऐसे अंशों (शेयरों) के	
		लिए हकदार हो जाने पर नामनिर्देशिती को कंपनी बोर्ड द्वारा ऐसी	
	_	घटना की सूचना दी जाएगी;	. 6
	•	(vii) ऐसा नामनिर्देशिती उन्हीं लाभांशों और अन्य अधिकारों और	
		दायित्वों का हकदार होगा जिनके लिए कंपनी का ऐसा एकमात्र सदस्य	
		हकदार था या दायी था;	
		(viii) सदस्य बन जाने पर, ऐसा नामनिर्देशिती ऐसे व्यक्ति की पूर्व	
		लिखित सम्मति से किसी अन्य व्यक्ति को नामनिर्देशिति करेगा जो	: 4 10
		सदस्य की मृत्यु की दशा में कंपनी का सदस्य बन जाएगा।	176
		अंशों (शेयरों) का समपहरण	
	28	यदि कोई सदस्य, किसी आहवान या आहवान की किस्त उसके दिए	0 हां 0 नहीं
		जाने के लिए नियत दिन को देने में असफल रहता है तो तत्पश्चात्	
		बोर्ड, ऐसे समय के दौरान, जितने समय तक आह्वान या किस्त का	
		भाग दिया नहीं गया है, किसी भी समय उस पर यह अपेक्षा करने	
	To the latest and the	वाली सूचना की तामील कर सकेगा कि आहवान या उसका उतना	
-	in the second se	भाग जितना दिया नहीं है, ऐसे किसी ब्याज सहित दे जो उस पर	
		पोद्भूत हो गया हो।	
-	29	पूर्वीक्त सूचना में-	0 हां 0 नहीं
		(ग) उस दिन या उससे पहले का दिन जिसको सूचना द्वारा	
		अपेक्षित संदाय किया जाना है के बाद का दिन (सूचना की तामील	
		की तारीख से चौदह दिन से पहले का नहीं); तथा	
		(घ) यह कथन किया हुआ होगा कि ऐसे नियत दिन को या उसके	
		पूर्व धनराशि न दिए जाने की दशा में, वे अंश (शेयर) जिनकी बाबत	
		यह आह्वान किया गया था, समपहरणीय होंगे।	
-			

गग Ⅱ–खण्ड	3(i)] भारत का राजपत्र : असाधारण		11
30	यदि पूर्वोक्त जैसी सूचना की अपेक्षाओं का अनुपालन नहीं किया जाता	0 हां 0 नहीं	Ī
1	तो वह अंश (शयेर), जिसकी बाबत सूचना दी गई है, बोर्ड के उस		
	प्रभाव के संकल्प द्वारा, तत्पश्चात् किसी भी समय, किंतु सूचना		
Politica	द्वारा अपेक्षित धनराशि के दिए जाने के पूर्व समपहत किया जा		
	सकेगा।		
31	(iii) कोई समपहृत अंश (शेयर) ऐसे निबंधनों पर और ऐसी रीति	0 हां 0 नहीं	1
	से जिन्हें या जिसे बोर्ड ठीक समझता है, बेचा जा सकेगा या अन्यथा		
	व्ययनित किया जा सकेगा।		
Supplied to the supplied to th	(iv) पूर्वोक्त विक्रयः या व्ययन के पूर्व, किसी भी समय, बोर्ड उस	•	
And the second	समपहरण को ऐसे निबंधनों पर, जैसे वह ठीक समझता है, रद्द कर		
	सकेगा।		}.
32.	(i) कोई व्यक्ति, जिसके अंश (शेयर) समपहृत कर लिए गए हैं,	0 हां 0 नहीं	
	समपहृत अंशों (शेयरों) की बाबत सदस्य नहीं रह जाएगा, किंतु		
Topological designation of the state of the	समपहण के होते हुए भी कंपनी को दे सभी धनराशियां, जो समपहरण		
	के दिन उसके द्वारा कंपनी को अंश (शेयर) लेख तत्क्षण देय थीं, देने		
of contains the	का दायित्व उस पर बना रहेगा।		
	(ii) ऐसे व्यक्ति का दायी उस दशा में और तब समाप्त हो जाएगा		
	जिसमें कि और जब अंशों (शेयरों) लेखे सब धनराशियों का पूरा		
	भुगतान कंपनी को प्राप्त हो गया होगा।		
33	(v) सम्यक् रूप से सत्यापित यह लिखित घोषणा कि घोषणाकर्ता	0 हां 0 नहीं	
	कंपनी का निदेशक, प्रबंधक, या सचिव है और कंपनी का अंश (शेयर)		
	घोषणा में कथित तारीख को सम्यक् रूप से समपहत कर लिया गया		
	है उसमें कथित तथ्यों का वहां तक, जहां तक कि उन सब ट्यक्तियों		
	का प्रश्न है जो उस अंश (शेयर) का हकदार होने का दावा करते है,	4	
	निश्चायक साक्ष्य होगी।		
	(vi) कंपनी वह प्रतिफल यदि कोई हो, प्राप्त कर सकेगी जो अंश		
# 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	(शेयर) के विक्रय या व्ययन पर उसके लिए दिया गया है और उस		
	अंश (शेयर) का अन्तरण उस व्यक्ति के पक्ष में, जिसे अंश (शेयर)		
	बेचा गया है या व्ययनित किया गया है, निष्पादित कर सकेगी।		
	(vii) अन्तरिती तदुपरि अंश (शेयर) धारक के रूप में किया जाएगा;		
	और		
	(viii) अन्तरिती न तो यह देखने के लिए आबद्ध होगा कि क्रयधन,		
	यदि कोई है, का क्या उपयोजन किया गया है और न ही अंश (शेयर)		
	के समपहरण, विक्रय या व्ययन संबंधी कार्यवाहियों में की हुई किसी		

116		THE GAZETTE OF INDIA: EXTRAORDINARY	[Part II
		अनियमितता या अविधिमान्यता का उसके हक पर कोई प्रभाव पड़ता	The second secon
		है।	
	34	समपहरण विषयक जो उपबन्ध इन विनियमों के हैं, वे ऐसी किसी	0 हां 0 न हीं
		धनराशि के न दिए जाने के संबंध में, जो निर्गमन के निबन्धनों के	
		आधार पर चाहे अंश (शेयर) के अभिहित मूल्य लेखे चाहे प्रीमियम के	
		रूप में नियत तारीख को देय हो जाती है, ऐसे लागू होंगे मानो वह	
	the state of the s	सम्यक् रूप से किए गए और अधिसूचित आह्वान के आधार पर देय	
		हो गई थी।	
		पूंजी में परिवर्तन	
	35.	कंपनी इतनी रकम वाले अंशों (शेयरों) में विभाजित की जाने वाली	0 हां 0 नहीं
		इतनी राशि की वृद्धि अपनी अंश (शेयर) पूंजी में समय-समय पर	
		साधारण संकल्प द्वारा कर सकेगी जितनी उस संकल्प में विनिर्दिष्ट	
	i	हो।	
	136	कंपनी साधारण संकल्प द्वारा धारा 61 के उपबंधों के अधीन रहते	0 हां 0 नहीं
	And the second of the second o	हरा	
	No. of the last of	(ङ) अपनी पूरी अंश (शेयर) पूंजी या उसके किसी भाग का अपने	
	- Commence	विद्यमान अंशों (शेयरों) की रकम से बड़ी रकम के अंशों (शेयरों) में	
		समेकन और विभाजन कर सकेगी;	
	The state of the s	(च) अपने सभी या उनमें से किन्हीं समादत्त अंशों (शेयरों) स्टाक	
	1 1 2 2	में संपरिवर्तित कर सकेगी और किसी भी मूल्य के पूर्णतः समादत्त	,
		अंशों (शेयरों) में उस स्टाक को पुनः संपरिवर्तित कर सकेगी;	
		(छ) अपने सब विद्यमान अंशों (शेयरों) को या उन में से किसी	
		को उस रकम वाले अंशों (शेयरों) में, जो ज्ञापन द्वारा नियत रकम	
		से कम है, उपविभाजित कर सकेंगी;	l
		(ज) ऐसे किन्हीं अंशों (शेयरों) को जो संकल्प के पारित किए जाने	
		की तारीख़ के समय किसी व्यक्ति द्वारा न तो लिए गए हैं और न	
		जिनके लिए जाने के लिए करार ही हुआ है, रद्द कर सकेगी।	
	37	जहां अंश (शेयर) स्टाक में संपरिवर्तित किए जाते हैं वहां-	0 हां 0 नहीं
		(घ) स्टाक के धारक उसे या उसके किसी भाग को वैसी ही रीति	
1		से और वैसे ही विनियमों के अधीन रहते हुए जिनके अधीन वे अंश	
		(शेयर) जिनरो वह स्टाक उद्भूत हुआ है, उस संपरिवर्तन के पूर्व	
	9		

अन्तरित किए जा सकते थे, अथवा उस या उनसे इतनी मिलती-जुलती रीति से और इतने मिलते-जुलते विनियमों के अधीन जितना उन परिह्नात्मार्थे से सम्भव हो, अन्तरित कर सकेंगे;

ब्यंत् बोर्ड स्टाक की न्यूनतम रकम समय-समय पर नियत कर सकल किंतु ऐसे ही कि ऐसा न्यूनतम उन अंशों (शेयरों) की अभिहित

् २०२४ से, जिससे स्टाक उद्भूत हुआ था, अधिक नहीं होगा;

📉 🖂 के पारकों को लाभांशों के कंपनी के अधिवेशनों में मत

देले के और अन्य विषयों के बारे में वैसे ही अधिकार, विशेषाधिकार और फायदे अपने द्वारा धृत स्टाक की रकम के अनुसार ऐसे प्राप्त

हाँगे भानो वे उन अंशों (शेयरों) को धृत किए हों जिनसे स्टाक उद्भृत हुआ है, किलु (कंपनी के लाभांशों और लाभों में तथा परिसमापन पर

उसकी आस्तियों में भाग लेने के सिवाय) ऐसा कोई विशेषाधिकार या कायदा स्टाबा की ऐसी रकम के कारण प्रदत्त न हो जाएगा जो यदि

अहा वकाम जोशो (शेयारों) में विदयमान होती तो उसके कारण सा विशेषाधिकार या पायदा प्रदत्त **नहीं हो सकता**;

(4) कंपनी के ऐसे विनियम जो समादत्त अंशों (शेयरों) को लागू ्रेंत है, स्टाक को लागू होंगे और उन विनियमों में "अंश (शेयर)" और

्यश (शेवर) पारकः शब्दों के अन्तर्गत क्रमशः "स्टाक" और "स्टाक

ake, amai

वस सकेता कि

्यार आधिकुर किसी प्रसंगति के और अपेक्षित सम्मति के अधीन क्षते हरा

(14) अपनी अथ (शेयर) पूंजी कम कर सकेगी;

😹 💎 🐃 ब्येन्छ। आरक्षित निधि कम कर सकेगी; अथवा िकसी अंश (शेयर) प्रीमियम खाते में कमी कर सकेगी।

लाओं का पुंजीकरण

पर्वत कंपनी विशेष संकल्प दवारा, किसी भी प्रकार से और विधि 0 हां 0 नहीं

वह वार्छनीय है कि कंपनी के आरक्षित खातों में से किसी में या लाभ-सानि खाते में तत्समय जमा या अन्यथा वितरण के लिए

उपलब्ध रकल के किसी भाग का पूंजीकरण किया जाए, तथा ोची गाशे तदनुसार खंड (ii) में विनिर्दिष्ट रीति से उन अदल्यों के कीया, जो उसके उस दशा में हकदार होते जिसमें कि वह

न्ज़रू हाइन्स के रूप में वितरित की जाती है और उसी अनुपात में वितरित की जाने के लिए मुक्त कर दी जाती है.

ः(५) - उपरोक्त राशि नकद नहीं दी जाएगी किंत् उसका उपयोजन

कंपनी आधारण अधिवेशन में यह सकल्प बोर्ड की संकल्प पर 0 हां 0 नहीं

खंड (iii) में अन्तविष्ट उपबंध के अधीन रहते ह्ए-

- उन अंशों (शेयरों) लेखे जो क्रमशः उन सदस्यों द्वारा धृत है (좌) तत्समय असमादत्त बच रही कोई रकमें देने में या देने के निमित्त किया जाएगा:
- कंपनी के अनिर्गमित अंशों (शेयरों) लेखे पूर्णतः समादत्त (ऋ) करने में किया जाएगा जिनकी बाबत यह मानकर कि वे पूर्णतः समादत्त हैं उनकी रकम पूर्णतः जमा दिखा दी जाकर जिनका आबंटन या वितरण ऐसे सदस्यों की और उनके बीच में पूर्वोक्त अनुपात में किया जाता है; या
- भागतः उपखंड (अ) में विनिर्दिष्ट रूप में और भागतः उपखंड (आ) में विनिर्दिष्ट रूप में किया जाएगा;
- प्रतिभृति प्रीमियम खाते तथा पूंजी मोचनार्थ आरक्षिति खाते का इस विनियम के प्रयोजनों के लिए उपयोजन अनिर्गमित ऐसे अंशों (शेयरों) लेखे जो कंपनी के सदस्यों को पूर्णतः समादत्त बोनस अंशों (शेयरों) के रूप में निर्गमित किए जाने वाले हैं, संदाय करने में ही किया जाएगा:
- बोर्ड, इस विनियम के अनुसरण में कंपनी द्वारा पारित (₹) संकल्प को प्रभावी करेगा।
- जब कभी यथापूर्वोक्त संकल्प पारित कर दिया गया हो तब 0 हां 0 नहीं 40 (II)बोर्ड-
 - उन अविभाजित लाओं का पूर्ण विनियोजन और उपयोजन करेगा जिनके पुंजीकरण के लिए तद्दवारा संकल्प किया गया है तथा पूर्णतः समाप्त अंशों (शेयरों) के, यदि कोई हों, सब आबंटन और निर्गमन करेगाः तथा
 - उसको प्रभावशील करने के लिए अपेक्षित सभी कार्य और बातें साधारणतः करेगा।
 - (ii) बोर्ड को यह पूरी शक्ति प्राप्त होगी कि वह-
 - अंशों (शेयरों) के भागों में वितरणीय होने की दशा में के लिए ऐसा उपबंध भागपरक प्रमाणपत्रों के निर्गमन द्वारा या नकदी में संदाय द्वारा या अन्यथा करे जैसा वह ठीक समझता है; तथा
 - किसी व्यक्ति को प्राधिकृत करे कि उसके हकदार सब सदस्यों की ओर से कंपनी से यह उपबंध करने वाला करार वह कर ले कि ऐसे रजिस्ट्रीकरण पर वे जिन किन्हीं अतिरिक्त अंशों (शेयरीं) या डिबेंचरों के हकदार हों वे उन अंशों (शेयरों) को यह दिखाया जाकर

II-खण्ड 3	B(i)] भारत का राजपत्र : असाधारण	
	कि उन पर पूरी रकम समादत्त कर दी जाने पर जमा कर दी गई है	
!	वे अंश (शेयर) उनको आबंटित कर दिए जाएं अथवा मामले से जैस	г
Í	भी अपेक्षित हो, उनके विद्यमान अंशों (शेयरों) लेखे जो रकमें य	Г
	रकम के भाग असमादत्त रह गए हैं वे उन लाभों को, जिनका	T
i 2	पूंजीकरण करने का संकल्प किया गया है, उन लेखे उपयोजन करके	-
	कंपनी द्वारा उनकी ओर से समादत्त कर दी या कर दिए जाएं;	
	(vi) ऐसे प्राधिकार के अधीन किया गया कोई करार प्रभावी और	•
	ऐसे सभी सदस्यों पर आबद्धकर होगा।	
	शेयरों का क्रय द्वारा वापस लिया जाना	
41	इन अनुच्छेदों में अन्तर्विष्ट, किसी बात के होते हुए भी, परन्तु धारा	0 हां 0 नहीं
	68 से धारा 70 के उपबंधों के तथा तत्समय प्रवृत्त इस अधिनियम	
	के लागू किसी अन्य उपबंध या विधि के अधीन रहते हुए कंपनी	
	अपने अंशों (शेयरों) या अन्य विनिर्दिष्ट प्रतिभूतियों का क्रय कर	
	सकेगी।	
	साधारण अधिवेशन	
42	वार्षिक साधारण अधिवेशनों से भिन्न, सभी साधारण अधिवेशनों को	0 हां 0 नहीं
	असामान्य साधारण अधिवेशन कहा जाएगा।	
43	(v) जब कभी बोर्ड यह करना ठीक समझे वह असामान्य साधारण	0 हां 0 नहीं
	अधिवेशन बुला सकेगा।	
	(vi) यदि कार्य करने के लिए समर्थ इतनी संख्या में निदेशक	
	किसी समय भारत में नहीं है जो गणपूर्ति (कोरम) के लिए पर्याप्त	
	संख्या हो तो कंपनी का कोई निदेशक या कंपनी के कोई दो सदस्य	
	यथासम्भव निकटतम वैसी ही रीति से, जिससे बोर्ड द्वारा ऐसा	
	अधिवेशन बुलाया जा सकता है, असामान्य साधारण अधिवेशन बुला	
	सकेंगे।	
	साधारण अधिवेशन में कार्यवाहियां	
44	(v) किसी साधारण अधिवेशन में तब तक कोई संव्यवहार नहीं	0 हां 0 नहीं
	किया जाएगा जब तक कि सदस्यों की गणपूर्ति उस समय पर	
	उपस्थित नहीं है जब अधिवेशन वास्तविक कामकाज करने के लिए	
	अग्रसर होता है।	
	(vi) इसमें अन्यथा उपबंधित के सिवाय सामान्य अधिवेशन के	
	लिए गणपूर्ति (कोरम) धारा 103 में किए गए उपबंध के अनुसार	
	होगी।	
45	बोर्ड का अध्यक्ष, यदि कोई हो, कंपनी के हर साधारण अधिवेशन में	0 ਰਾਂ 0 ਹਵੀਂ

THE GAZETTE OF INDIA: EXTRAORDINARY	[Part II—Se
अध्यक्ष के रूप में पीठासीन होगा।	
यदि ऐसा कोई अध्यक्ष नहीं है या यदि वह अधिवेशन करने के लिए	0 हां 0 नहीं
नियत समय के पश्चात् पन्द्रह मिनट के अन्दर उपस्थित नहीं होता	
है या यदि वह अधिवेशन के अध्यक्ष के रूप में कार्य करने के लिए	
रजामन्द नहीं है तो उपस्थित निदेशक अपने में से किसी एक सदस्य	
को अधिवेशन का अध्यक्ष चयन करेंगे।	
यदि किसी अधिवेशन में कोई भी निदेशक अध्यक्ष के रूप में कार्य	0 हां 0 नहीं
करने के लिए रजामन्द नहीं है या उस समय के पश्चात, जो	
अधिवेशन करने के लिए नियत है, पन्द्रह मिनट के अन्दर कोई	
निदेशक उपस्थित नहीं होते हैं तो उपस्थित सदस्य अपने में से किसी	
एक सदस्य को अधिवेशन का सभापति होने के लिए चयन करेंगे।	
एक व्यक्ति की दशा में-	0 हां 0 नहीं
(vii) कंपनी के साधारण अधिवेशन में पारित किए जाने वाला	
संकल्प तब पारित कर दिया समझा जाएगा जब संकल्प पर एक मात्र	
सदस्य सहमत हो जाता है और कंपनी को संसूचित कर दिया जाता	
है तथा धारा 118 के अधीन रखी गई कार्यवृत्त पुस्तिका में प्रविष्टि	•
कर दी जाती है:	
(viii) ऐसी कार्यवृत्त पुस्तिका सदस्य द्वारा हस्ताक्षरित और	
दिनांकितं की जाएगी;	
(ix) संकल्प एक मात्र सदस्य द्वारा ऐसा कार्यवृत्त हस्ताक्षर करने	
की तारीख से प्रभावी हो जाएगा।	
अधिवेशन का स्थगन	
(ix) अध्यक्ष, समय-समय पर, तथा एक स्थान से दूसरे स्थान के	0 हां 0 नहीं
लिए अधिवेशन का स्थगन उस अधिवेशन की सम्मति से, जिसमें	
गणपूर्ति (कोरम) उपस्थित है, कर सकेगा तथा उस दशा में करेगा	
जिसमें कि अधिवेशन द्वारा ऐसा करने का निदेश दिया जाता है।	
(x) किसी स्थगित अधिवेशन में उस संव्यवहार से भिन्न, जो उस	
अधिवेशन में बाकी रह गया जिससे स्थगन हुआ था, कोई संव्यवहार	
नहीं किया जाएगा।	
(xi) जबिक अधिवेशन तीस दिनों तक के लिए या उनसे अधिक	
दिनों तक के लिए स्थगित किया जाता है तब स्थगित अधिवेशन की	
सूचना वैसे ही दी जाएगी जैसी मूल अधिवेशन की दशा में दी जाती	

यथापूर्वोक्त के सिवाय और अधिनियम की धारा 103 में यथा

है।

(xii)

111-91-9	(1) मारत का राजपत्र : असावारण	12
A.2	उपबंधित किसी स्थगन की या स्थगित अधिवेशन में किए जाने वाले	
1	कामकाज की कोई सूचना देनी आवश्यक नहीं होगी।	
	मतदान अधिकार	
50	किसी वर्ग या वर्गों के अंशों (शेयरों) से तत्समय संलग्न किन्हीं	0 हां 0 नहीं
	अधिकारों के या निबन्धनों के अधीन रहते हुए,-	
	(ङ) हाथ उठाकर दिए जाने वाले मतदान में हर सदस्य का, जो	
	स्वयं उपस्थित है, एक मत होगा; तथा	
	(च) मतांकन में सदस्यों के मत देने के अधिकार ऐसे होंगे जो	
	कंपनी की समादत्त अंश (शेयर) पूंजी में उसके अंश के अनुपात में	
	हैं।	
51	कोई सदस्य धारा 108 के अनुसार इलैक्ट्रानिक साधन से बैठक में	0 हां 0 नहीं
	अपने मत का प्रयोग कर सकेगा और मत केवल एक बार डालेगा।	i
52	(v) संयुक्त धारकों की दशा में ज्येष्ठ का मत जिसने चाहे स्वयं	0 हां 0 नहीं
	या परोक्षी द्वारा मत दिया है, अन्य संयुक्त धारकों के मतों का	
	अपवर्जन करके, प्रतिगृहीत किया जाएगा।	
	(vi) इस प्रयोजनार्थ ज्येष्ठता उस क्रम के अनुसार अवधारित की	
	जाएगी जिसमें सदस्यों के रजिस्टर में नाम हैं।	
53	ऐसा कोई सदस्य जो विकृत्चित्त है या जिसकी बाबत ऐसे किसी	0 हां 0 नहीं
	न्यायालय ने जिसे विषयक अधिकारिता प्राप्त है आदेश दे दिया है,	
	हाथ उठाकर दिए जाने वाले मतदान में और मतांकन में अपने पालक	
	या अन्य विधिक संरक्षक द्वारा मत दे सकेगा और ऐसा पालक या	
	संरक्षक मतांकन में परोक्षी द्वारा मत दे सकेगा।	
54	ऐसे कारबार से भिन्न कोई कारबार जिस पर मतदान की मांग की	0 हां 0 नहीं
	गई है, मतदान होने तक कार्यवाही की जा सकेगी।	
55	कोई भी सदस्य इस बात का कि वह किसी साधारण अधिवेशन में	0 हां 0 नहीं
	मत देने का हकदार तब के सिवाय नहीं होगा जबकि कंपनी के अंशों	
	(शेयरों) की बाबत अपने द्वारा तत्क्षण देय सभी आह्वान या राशियां	
	उसने चुका दी हैं।	
56	(v) किसी मतदाता की अर्हता के विषय में कोई आक्षेप नहीं किया	0 हां 0 नहीं
	जाएगा सिवाय उस बैठक या स्थगित बैठक जिसमें आपेक्षित कर	
	दिया गया है या निविदत्त किया गया है और ऐसी बैठक में	
	अननुज्ञात नहीं किया गया प्रत्येक मत सभी प्रयोजनों के लिए वैध	
	होगा।	

	THE GAZETTE OF INDIA. EXTRAORDINARY	[IARIII OEC.5(
Ī	(vi) सम्यक् समय पर किया गया ऐसा कोई आक्षेप अधिवेशन के	,
1	सभापति के समक्ष विचारार्थ रखा जाएगा जिसका उस पर विनिश्चय	
	अंतिम और निश्चायक होगा।	
	परोक्षी	,
57	परोक्षी नियुक्त करने वाली लिखत तथा वह मुखतारनामा या अन्य	0 हां 0 नहीं
	प्राधिकार, यदि कोई हो, जिसके अधीन वह हस्ताक्षरित की गई है या	
	उस शक्ति या अधिकार की नोटेरीकृत प्रति उस समय से, जब वह	
	अधिवेशन या स्थगित अधिवेशन योजित होना है जिसमें वह व्यक्ति	
	जिसका नाम लिखत में दिया हुआ है मत देने की प्रस्थापना करता है	
	अन्यून अइतालीस घण्टे पूर्व अथवा मतांकन की दशा में मतांकन के	
	लिए नियत समय से अन्यून चौबीस घण्टे पूर्व कंपनी के रजिस्ट्रीकृत	
	कार्यालय में निक्षिप्त की जाएगी, ऐसा करने में व्यतिक्रम की दशा में	
	परोक्षी लिखत विधिमान्य नहीं मानी जाएगी।	
58	परोक्षी नियुक्त करने वाली लिखत उस प्ररूप में होगी जो धारा 105	0 हां 0 नहीं
	के अधीन बनाए गए नियमों में विहित है।	
59	जों मत परोक्षी लिखत के निबंधनों के अनुसार दिया गया है वह इस	0 हां 0 नहीं
	बात के होते भी विधिमान्य होगा कि परोक्षी देने वाला की तत्पूर्व	
	मृत्यु हो गई है या उन्मादी हो गया है या परोक्षी लिखत अथवा वह	,
	अधिकार, जिसके अधीन परोक्षी लिखत निष्पादित की गई थी,	
	प्रतिसंहरण कर दिया गया है या वे अंश (शेयर) जिनकी बाबत परोक्षी	
	दी गई है, अन्तरित कर दिए गए है:	,
	परंतु वह तब जब कि वह ऐसी मृत्यु, उन्माद, प्रतिसंहरण या अन्तरण	
	की लिखित प्रज्ञापना अधिवेशन या स्थगित अधिवेशन जिसमें परोक्षी	
	का प्रयोग किया जाना है, प्रारंभ होने से पूर्व कंपनी को अपने	,
	कार्यालय में न मिली हो।	
	निदेशक बोर्ड	
60	निदेशकों की संख्या और पहले निदेशकों के नाम ज्ञापन पर हस्ताक्षर	0 हां 0 नहीं
	करने वालों या उनकी बहुसंख्या द्वारा लिखित रूप में अवधारित किए	
	जाएंगे।	
61	(v) जहां तक कि निदेशकों का पारिश्रमिक मासिक संदाय के रूप	0 हां 0 नहीं
	में है वहां तक उसकी बाबत यह समझा जाएगा कि वह दिन प्रतिदिन	
	प्रोद्भूत होता है।	
	(vi) इस अधिनियम के अनुसरण में उनको देय पारिश्रमिक के	

गग II-खण्ड	3(i)] भारत का राजपत्र : असाधारण	12
	अतिरिक्त निदेशकों को वे सब यात्रा व्यय, होटल व्यय और अन्य	
1	व्यय दिए जा सकेंगे जो उन्होंने-	
	(ङ) निदेशक बोर्ड या उसकी किसी समिति के अधिवेशनों में या	
	कंपनी के साधारण अधिवेशनों में हाजिर होने और वहां से लौटने में,	
	या	
	(च) कंपनी के कारबार के संबंध में,	,
	समुचित रूप से उपगत किए हैं।	
62	कंपनी के बनाए जाने में और उसके रजिस्ट्रीकृत किए जाने में उपगत	0 हां 0 नहीं
	सभी व्ययों का संदाय बोर्ड कर सकेगा।	
63	कंपनी विदेशी रजिस्टर रखने की बाबत धारा 88 द्वारा अपने को	0 हां 0 नहीं
	प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग कर सकेगी और बोर्ड उन धाराओं के	
	उपबंधों के अधीन रहते हुए ऐसे विनियम बना सकेगा या उनमें ऐसे	
	फेरफार कर सकेगा जैसे वह ऐसे रजिस्टर के रख जाने की बाबत	
	ठीक समझे।	
64	सभी चैक, वचनपत्र, ड्राफ्ट, ह्ण्डियां, विनिमय-पत्र और अन्य परक्राम्य	0 हां 0 नहीं
	लिखतें और कंपनी को दी गई धनराशियों संबंधी सभी रसीदें,	
	यथास्थिति, कंपनी के अभिकर्ता या सचिवों तथा कोषपालों द्वारा	
	अथवा वहां जहां कि कोई प्रबंधन अभिकर्ता या सचिव तथा कोषपाल	
	नहीं है, ऐसे व्यक्ति द्वारा तथा ऐसी रीति से जैसी बोर्ड समय-समय	
	पर संकल्प द्वारा अवधारित करे हस्ताक्षरित की जाएगी, लिखी	
	जाएंगी, प्रतिगृहीत की जाएंगी, पृष्ठांकित की जाएंगी या अन्यथा	
	निष्पादित की जाएंगी।	
65	बोर्ड के या उसकी समिति के अधिवेशन में उपस्थित हर निदेशक उस	0 हां 0 नहीं
	प्रयोजन से रखी गई किताब में अपने हस्ताक्षर करेगा।	
66		0 हां 0 नहीं
	होगी कि वह किसी भी समय और समय-समय पर किसी व्यक्ति को	
	अपर निदेशक के रूप में नियुक्त कर दें, परन्तु निदेशकों और अपर	
	निदेशकों की कुल मिलाकर संख्या अनुच्छेदों द्वारा बोर्ड के लिए	
	नियत की गई अधिकतम संख्या से किसी भी समय पर अधिक नहीं	
	हो।	
	(vi) ऐसा व्यक्ति केवल कंपनी के आगामी वार्षिक साधारण	
	अधिवेशन तक पद धारण करेगा किन्तु इस अधिनियम के उपबंधों के	
	अधीन रहते हए वह उस अधिवेशन में कंपनी द्वारा वह निदेशक के	

	THE GAZETTE OF INDIA. EXTRAORDINARY	[FARI IISEC.
	रूप में नियुक्त किए जाने का पात्र होगा।	
	बोर्ड की कार्यवाहियां	
67	(v) निदेशक बोर्ड कारबार के संचालन के लिए अधिवेशन कर	0 हां 0 नहीं
	सकेगा और अपने अधिवेशनों को ऐसे स्थगित या अन्यथा ऐसे	
	विनियमित कर सकेगा जैसा करना वह ठीक समझता है।	
	(vi) बोर्ड का अधिवेशन किसी भी समय कोई भी निदेशक बुला	
	सकेगा और प्रबंधक या सचिव निदेशक की अध्यपेक्षा पर बोर्ड का	
	अधिवेशन बुलाएंगे।	
6 8	(v) अधिनियम में अभिव्यक्त रूप से अन्यथा उपबंधित के	0 हां 0 नहीं
	सिवाय, बोर्ड के किसी अधिवेशन में उद्भूत प्रश्नों पर विनिश्यच मतों	
	की बहुसंख्या के अनुसार होगा।	
	(vi) मतों के बराबर होने की दशा में बोर्ड के सभापति का, यदि	
	कोई हो, द्वितीय या निर्णायक मत होगा।	
69	इस बात के होते हुए भी कि बोर्ड में कोई स्थान रिक्त है वे निदेशक,	0 हां 0 नहीं
	जो बने रहते हैं, कार्य कर सकेंगे, किन्तु यदि और जब तक उनकी	
	संख्या बोर्ड के अधिवेशन के लिए अधिनियम द्वारा नियत गणपूर्ति	
	के कम हो जाती है तो और तब तक वह निदेशक या वे निदेशक जो	
	बना रहता है, या बने रहते हैं, निदेशकों की संख्या को बढ़ाकर इतनी	
	कर देने के प्रयोजन के लिए, जितनी गणपूर्ति (कोरम) के लिए नियत	
	है, या कंपनी का साधारण अधिवेशन बुलाने के प्रयोजन के लिए तो	
	कार्य कर सकेंगे किन्तु अन्य किसी प्रयोजन के लिए कार्य नहीं कर	
	सकेंगे।	
70	(v) बोर्ड अपने अधिवेशनों के लिए सभापति का निर्वाचन कर	0 हां 0 नहीं
	सकेगा और उस कालावधि का अवधारण कर सकेगा जिस तक उसे	
	पद धारण करना है।	
	(vi) यदि ऐसा कोई सभापति निर्वाचित नही किया जाता है या	
	किसी अधिवेशन में सभापति उस समय के पश्चात् भी जो अधिवेशन	
	करने के लिए नियत है, पांच मिनट के अन्दर उपस्थित नहीं हो	,
	जाता तो उपस्थित निदेशक अपने में से किसी एक को अधिवेशन का	
	सभापति चुन सकेंगे।	
71	(v) अधिनियम के उपबंधों के अधीन रहते ह्ए बोर्ड अपनी	0 हां 0 नहीं
	शक्तियों में से किसी शक्ति का प्रत्यायोजन अपने निकाय के ऐसे	
	सदस्य या सदस्यों से, जिन्हें बोर्ड ठीक समझता है, मिल कर बनी	
	समितियों को कर सकेगा।	

निदेशक के रूप में कार्य करते हुए किसी व्यक्ति द्वारा किए गए है तत्पश्चात् इस बात का पता चलने पर भी कि ऐसे निदेशकों में से किसी एक या अधिक की या पूर्वोक्त रूप में से कार्य करने वाले किसी व्यक्ति की नियुक्ति में कोई त्रुटि थी या वे या उनमें से कोई निर्स्ह था ऐसे विधिमान्य होंगे मानो ऐसा हर निदेशक या ऐसा व्यक्ति सम्यक् रूप से नियुक्त किया गया था और निदेशक होने के लिए अहिंत था। अधिनियम में अभिव्यक्त रूप से अन्यथा उपबंधित के सिवाय, वह विखित संकल्प जिस पर बोर्ड के या उसकी समिति के उन सभी सदस्यों ने, जो तत्समय बोर्ड के या समिति के अधिवेशन की सूचना प्राप्त करने के हकदार है, हस्ताक्षर कर दिए हैं ऐसे विधिमान्य और प्रभावी होगा मानो सम्यक् रूप से बुलाए गए और किए गए बोर्ड के या समिति के अधिवेशन में उसे पारित किया गया था।	- ਉਸਵੇ	3(1)] भारत का राजपत्र : असाधारण	
वार्ड द्वारा अधिरोपित किए गए हो। (१) समिति अपने अधिवेशनों के लिए सभापित निर्वाचित कर राकेशी। (१) यदि ऐसा कोई सभापित निर्वाचित नहीं किया गया है, यदि किसी अधिवेशन में उस समय के पश्चात् जो अधिवेशन करने के लिए जियत है पांच मिनट के अन्दर सभापित उपस्थित नहीं हो जाता तो उपस्थित सदस्य अपनी सख्या में से किसी एक सदस्य को अधिवेशन का सभापित चुन सकेंगे। (१) समिति जेसा भी उपयुक्त समझे अधिविष्ट हो सकेगी और अधिवेशन स्थागित कर सकेगी। (१) समिति के किसी अधिवेशन में पैदा होने वाले प्रश्न उपस्थित सदस्यों के मतों की बहुसंख्या द्वारा अवधारित किए जाएंगे और मतों के बराबर होने की दशा में सभापित के दिवतीय या निर्णायक मत प्राप्त होगा। वे सब कार्य जो बोर्ड के या उसकी समिति के किसी अधिवेशन में या जिदेशक के रूप में कार्य करते हुए किसी व्यक्ति द्वारा किए गए हैं तत्पश्चात इस बात का पता चलने पर भी कि ऐसे निदेशकों में से किसी व्यक्ति की नियुक्ति में कोई बुटि थी या वे या उनमें से कोई निर्द था ऐसे विधिभान्य होंगे मानो ऐसा हर निदेशक या ऐसा व्यक्ति सम्यक्त रूप से नियुक्त किया गया था और निदेशक होने के लिए अहित था। अधिवियम में अभिव्यक्त रूप से अन्यथा उपबंधित के सिवाय, वह विधित संकल्प जिस पर बोर्ड के या समिति के अधिवेशन की सूचना प्रपत्न करने के हक्दार है, हस्ताक्षर कर दिए हैं ऐसे विधिमान्य और प्रभाव होगा मानो सन्यक् रूप से बुलाए गए और किए गए बोर्ड के या समिति के अधिवेशन की सुधना प्रपत्न करनी की दिशा में उसे परित किया गया था। एक व्यक्ति कंपनी की दशा में- (४)। जहां कंपनी की दशा में-		(vi) ऐसे बनाई गई समिति अपने को ऐसे प्रत्यायोजित शक्तिय	†
वार्ड द्वारा अधिरोपित किए गए हो। (१) समिति अपने अधिवेशनों के लिए सभापित निर्वाचित कर राकेशी। (१) यदि ऐसा कोई सभापित निर्वाचित नहीं किया गया है, यदि किसी अधिवेशन में उस समय के पश्चात् जो अधिवेशन करने के लिए जियत है पांच मिनट के अन्दर सभापित उपस्थित नहीं हो जाता तो उपस्थित सदस्य अपनी सख्या में से किसी एक सदस्य को अधिवेशन का सभापित चुन सकेंगे। (१) समिति जेसा भी उपयुक्त समझे अधिविष्ट हो सकेगी और अधिवेशन स्थागित कर सकेगी। (१) समिति के किसी अधिवेशन में पैदा होने वाले प्रश्न उपस्थित सदस्यों के मतों की बहुसंख्या द्वारा अवधारित किए जाएंगे और मतों के बराबर होने की दशा में सभापित के दिवतीय या निर्णायक मत प्राप्त होगा। वे सब कार्य जो बोर्ड के या उसकी समिति के किसी अधिवेशन में या जिदेशक के रूप में कार्य करते हुए किसी व्यक्ति द्वारा किए गए हैं तत्पश्चात इस बात का पता चलने पर भी कि ऐसे निदेशकों में से किसी व्यक्ति की नियुक्ति में कोई बुटि थी या वे या उनमें से कोई निर्द था ऐसे विधिभान्य होंगे मानो ऐसा हर निदेशक या ऐसा व्यक्ति सम्यक्त रूप से नियुक्त किया गया था और निदेशक होने के लिए अहित था। अधिवियम में अभिव्यक्त रूप से अन्यथा उपबंधित के सिवाय, वह विधित संकल्प जिस पर बोर्ड के या समिति के अधिवेशन की सूचना प्रपत्न करने के हक्दार है, हस्ताक्षर कर दिए हैं ऐसे विधिमान्य और प्रभाव होगा मानो सन्यक् रूप से बुलाए गए और किए गए बोर्ड के या समिति के अधिवेशन की सुधना प्रपत्न करनी की दिशा में उसे परित किया गया था। एक व्यक्ति कंपनी की दशा में- (४)। जहां कंपनी की दशा में-		का प्रयोग करने में उन विनियमों का अनुपालन करेगी जो उस फ	τ
सकेशी। (v) यदि ऐसा कोई सभापति निर्वाचित नहीं किया गया है, यदि किसी अधिवेशन में उस समय के पश्चात् जो अधिवेशन करने के लिए नियत है पांच मिनट के अन्दर सभापति उपस्थित नहीं हो जाता तो उपस्थित सदस्य अपनी संख्या में से किसी एक सदस्य को अधिवेशन का सभापति जुन सकेंगे। (v) समिति जैसा भी उपयुक्त समझे अधिविष्ट हो सकेगी और अपना अधिवेशन स्थगित कर सकेगी। (vi) समिति के किसी अधिवेशन में पैदा होने वाले प्रश्न उपस्थित सदस्यों के मतों की बहुसंख्या द्वारा अवधारित किए जाएंगे और मतों के बराबर होने की दशा में सभापति की द्वितीय या निर्णायक मत प्राप्त होगा। वे सब कार्य जो बोर्ड के या उसकी समिति के किसी अधिवेशन में या निर्देशक के रूप में कार्य करते हुए किसी व्यक्ति द्वारा किए गए हैं तत्पश्यात् इस बात का पता चलने पर भी कि ऐसे निदेशकों में से किसी श्वाक्त की नियुक्त में कोई त्रृदि थी या वे या उनमें से कोई निर्देश यो के नियुक्त की या पूर्वोक्त रूप में से कार्य करने वाले किसी श्वाक्त की नियुक्त किया गया था और निदेशक होने के लिए अहिंत था। अधिनियम में अभिव्यक्त रूप से अन्यथा उपबंधित के सिवाय, वह विखित संकल्प जिस पर बोर्ड के या उसकी समिति के उन सभी सदस्यों के, जो तत्समय बोर्ड के या उसकी समिति के उन सभी सदस्यों के, जो तत्समय बोर्ड के या समिति के अधिवेशन की सूचना प्राप्त करने के हकदार है, हस्ताक्षर कर दिए हैं ऐसे विधिमान्य और प्रक्षांचे होगा मानो सन्यक् रूप से बुलाए गए और किए गए बोर्ड के या समिति के अधिवेशन में उसे पारित किया गया था। एक व्यक्ति कंपनी की दशा में- (vii) जहां कंपनी में केवल एक निदेशक है वहां बोर्ड के अधिवेशन			
(v) यदि ऐसा कोई सभापित निर्वाचित नहीं किया गया है, यदि किसी अधिवेशन में उस समय के पश्चात् जो अधिवेशन करने के लिए लियत है पांच मिनट के अन्दर सभापित उपस्थित नहीं हो जाता तो उपस्थित सदस्य अपनी संख्या में से किसी एक सदस्य को अधिवेशन का सभापित चुन सकेंगे। (v) समिति जैसा भी उपयुक्त समझे अधिविष्ट हो सकेंगी और उपजा अधिवेशन स्थागित कर सकेंगी। (vi) समिति के किसी अधिवेशन में पैदा होने वाले प्रश्न उपस्थित सदस्यों के मतों की बहुसंख्या द्वारा अवधारित किए जाएंगे और मतों के बरावर होने की दशा में सभापित की दिवतीय या निर्णायक मत प्राप्त होगा। वे सब कार्य जो बोर्ड के या उसकी समिति के किसी अधिवेशन में या विदेशक के रूप में कार्य करते हुए किसी व्यक्ति दवारा किए गए है तरपश्चात् इस बात का पता चलने पर भी कि ऐसे निदेशकों में से किसी एक या अधिक की या पूर्वोक्त रूप में से कार्य करने वाले किसी व्यक्ति की नियुक्ति में कोई तुटि थी या वे या उनमें से कोई निर्देश ऐसे विधिमान्य होंगे मानो ऐसा हर निदेशक या ऐसा व्यक्ति समयक्त रूप से नियुक्त किया गया था और निदेशक होने के लिए अहिंत था। अधिनियम में अभिव्यक्त रूप से अन्यथा उपबंधित के सिवाय, वह विधित संकल्प जिस पर बोर्ड के या उसकी समिति के उन सभी सदस्यों ने, जो तत्समय बोर्ड के या उसकी समिति के उन सभी परदस्यों ने, जो तत्समय बोर्ड के या उसकी हियोशन की सूचना प्रप्त करने के हकदार है, हस्ताक्षर कर दिए हैं ऐसे विधिमान्य और प्रभावी होगा मानो सम्यक् रूप से बुलाए गए और किए गए बोर्ड के या समिति के अधिवेशन में उसे पारित किया गया था। एक व्यक्ति कंपनी की दशा में- (vii) जहां कंपनी में केवल एक निदेशक है वहां बोर्ड के अधिवेशन	72	(v) समिति अपने अधिवेशनों के लिए सभापति निर्वाचित क	0 हां 0 नहीं
किसी अधिवेशन में उस समय के पश्चात् जो अधिवेशन करने के लिए जियत है पांच मिनट के अन्दर सभापित उपस्थित नहीं हो जाता तो उपस्थित सदस्य अपनी संख्या में से किसी एक सदस्य को अधिवेशन का सभापित चुन सकेंगे। (v) समिति जैसा भी उपयुक्त समझे अधिविष्ट हो सकेगी और उपायका अधिवेशन स्थिति कर सकेगी। (vi) समिति के किसी अधिवेशन में पैदा होने वाले प्रश्न उपस्थित सदस्यों के मतों की बहुसंख्या द्वारा अवधारित किए जाएंगे और मतों के बरावर होने की दशा में सभापित की दिवतीय या निर्णायक मत प्राप्त होगा। वे सब कार्य जो बोर्ड के या उसकी समिति के किसी अधिवेशन में या किरोशक के रूप में कार्य करते हुए किसी व्यक्ति द्वारा किए गए हैं तत्पश्चात् इस बात का पता चलने पर भी कि ऐसे निदेशकों में से किसी एक था अधिक की या पूर्वोक्त रूप में कार्य करने वाले किसी व्यक्ति की नियुक्ति में कोई तुटि थी या वे या उनमें से कोई निर्द था ऐसे विधिमान्य होंगे मानो ऐसा हर निदेशक होने के लिए अहित था। अधिनियम में अभिव्यक्त किया गया था और निदेशक होने के लिए अहित था। अधिनियम में अभिव्यक्त रूप से अन्यथा उपबंधित के सिवाय, वह विधित संकल्प जिस पर बोर्ड के या उसकी समिति के उन सभी सदस्यों ने, जो तत्समय बोर्ड के या समिति के अधिवेशन की सूचना प्रप्त करने के हकदार है, हस्ताक्षर कर दिए हैं ऐसे विधिमान्य और प्रभावी होगा मानो सम्यक् रूप से बुताए गए और किए गए बोर्ड के या समिति के अधिवेशन की सुधनी होगा मानो सम्यक् रूप से बुताए गए और किए गए बोर्ड के या समिति के अधिवेशन की सुधनी की दशा में- (vii) जहां कंपनी में केवल एक निदेशक है वहां बोर्ड के अधिवेशन		सकेगी।	
नियत है पांच मिनट के अन्दर सभापित उपस्थित नहीं हो जाता तो उपस्थित सदस्य अपनी संख्या में से किसी एक सदस्य को अधिवेशन का सभापित चुन सकेंगे। (v) समिति जैसा भी उपयुक्त समझे अधिविष्ट हो सकेंगी और उपमा अधिवेशन स्थागित कर सकेंगी। (vi) समिति के किसी अधिवेशन में पैदा होने वाले प्रश्न उपस्थित सदस्यों के मतों की बहुसंख्या दवारा अवधारित किए जाएंगे और मतों के बरावर होने की दशा में सभापित की द्वितीय या निर्णायक मत प्राप्त होगा। वे सब कार्य जो बोर्ड के या उसकी समिति के किसी अधिवेशन में या विदेशक के रूप में कार्य करते हुए किसी व्यक्ति द्वारा किए गए है तरपश्चात् इरा बात का पता चलने पर भी कि ऐसे निदेशकों में से किसी एक था अधिक की या पूर्वोक्त रूप में से कार्य करने वाले किसी व्यक्ति की नियुक्ति में कोई त्रृटि थी या वे या उनमें से कोई निर्स् या ऐसा व्यक्ति सम्यक् रूप से नियुक्त किया गया था और निदेशक होने के लिए आहित था। अधिनियम में अभिव्यक्त रूप से अन्यथा उपबंधित के सिवाय, वह विखित संकल्प जिस पर बोर्ड के या उसकी समिति के उन सभी सदस्यों ने, जो तत्समय बोर्ड के या समिति के अधिवेशन की सूचना एक करने के हकदार है, हस्ताक्षर कर दिए हैं ऐसे विधिमान्य और प्रभावी होगा मानो सम्यक् रूप से बुलाए गए और किए गए बोर्ड के या समिति के अधिवेशन की अधिवेशन में उसे पारित किया गया था। एक व्यक्ति कंपनी की दशा में उसे पारित किया गया था। एक व्यक्ति कंपनी की दशा में (vii) जहां कंपनी में केवल एक निदेशक है वहां बोर्ड के अधिवेशन		(vi) यदि ऐसा कोई सभापति निर्वाचित नहीं किया गया है, यदि	-
उपस्थित सदस्य अपनी संख्या में से किसी एक सदस्य को अधिवेशन का सक्षापित चुन सकेंगे। (v) समिति जैसा भी उपयुक्त समझे अधिविष्ट हो सकेंगी और उपमित के सकेंगी। (vi) समिति के किसी अधिवेशन में पैदा होने वाले प्रश्न उपस्थित सदस्यों के मतों की बहुसंख्या द्वारा अवधारित किए जाएंगे और मतों के बरावर होने की दशा में सभापित की द्वितीय या निर्णायक मत प्राप्त होगा। वे सब कार्य जो बोर्ड के या उसकी समिति के किसी अधिवेशन में या विदेशक के रूप में कार्य करते हुए किसी व्यक्ति द्वारा किए गए हैं तत्पश्यान इस बात का पता चलने पर भी कि ऐसे निदेशकों में से किसी एक या अधिक की या पूर्वोक्त रूप में से कार्य करने वाले किसी व्यक्ति की नियुक्ति में कोई त्रृटि थी या वे या उनमें से कोई निर्द था ऐसे विधिमान्य होंगे मानो ऐसा हर निदेशक होने के लिए अहित था। अधिनियम में अभिव्यक्त रूप से अन्यथा उपबंधित के सिवाय, वह विधित संकल्प जिस पर बोर्ड के या उसकी समिति के उन सभी सदस्यों ने, जो तत्समय बोर्ड के या समिति के अधिवेशन की सूचना प्रप्त करने के हकदार है, हस्ताक्षर कर दिए हैं ऐसे विधिमान्य और प्रभावी होगा मानो सम्यक् रूप से बुलाए गए और किए गए बोर्ड के या समिति के अधिवेशन की अधिवेशन में उसे पारित किया गया था। पत्र व्यक्ति कंपनी की दशा में- (vii) जहां कंपनी में केवल एक निदेशक है वहां बोर्ड के अधिवेशन		किसी अधिवेशन में उस समय के पश्चात् जो अधिवेशन करने के लिए	
(v) समिति जैसा भी उपयुक्त समझे अधिविष्ट हो सकेगी और अपना अधिवेशन स्थिगित कर सकेगी। (vi) समिति के किसी अधिवेशन में पैदा होने वाले प्रश्न उपस्थित सदस्यों के मतों की बहुसंख्या द्वारा अवधारित किए जाएंगे और मतों के बराबर होने की दशा में सभापित की दिवतीय या निर्णायक मत प्राप्त होगा। वे सब कार्य जो बोर्ड के या उसकी समिति के किसी अधिवेशन में या विदेशक के रूप में कार्य करते हुए किसी व्यक्ति द्वारा किए गए है तत्पश्यात् इस बात का पता चलने पर भी कि ऐसे निदेशकों में से किसी एक या अधिक की या पूर्वोक्त रूप में सार्य करने वाले किसी व्यक्ति की नियुक्ति में कोई त्रृटि थी या वे या उनमें से कोई निर्र्ह था ऐसे विधिमान्य होंगे मानो ऐसा हर निदेशक या ऐसा व्यक्ति सम्यक् रूप से नियुक्त किया गया था और निदेशक होने के लिए अहिंत था। अधिनियम में अभिव्यक्त रूप से अन्यथा उपबंधित के सिवाय, वह लिखित संकल्प जिस पर बोर्ड के या उसकी समिति के उन सभी सदस्यों ने, जो तत्समय बोर्ड के या समिति के अधिवेशन की सूचना प्रप्त करने के हकदार है, हस्ताक्षर कर दिए हैं ऐसे विधिमान्य और प्रश्वि होगा मानो सम्यक् रूप से बुलाए गए और किए गए बोर्ड के या समिति के अधिवेशन की सूचनी प्रमात के अधिवेशन में उसे पारित किया गया था। एक व्यक्ति कंपनी की दशा में- (vii) जहां कंपनी में केवल एक निदेशक है वहां बोर्ड के अधिवेशन		नियत है पांच मिनट के अन्दर सभापति उपस्थित नहीं हो जाता तो	-
(v) सिमिति जैसा भी उपयुक्त समझे अधिविष्ट हो सकेगी और अपना अधिवेशन स्थगित कर सकेगी। (vi) सिमिति के किसी अधिवेशन में पैदा होने वाले प्रश्न उपस्थित सदस्यों के मतों की बहुसंख्या द्वारा अवधारित किए जाएंगे और मतों के बराबर होने की दशा में सभापित की द्वितीय या निर्णायक मत प्राप्त होगा। वे सब कार्य जो बोर्ड के या उसकी सिमिति के किसी अधिवेशन में या विदेशक के रूप में कार्य करते हुए किसी व्यक्ति द्वारा किए गए हैं तत्पश्चात् इस बात का पता चलने पर भी कि ऐसे निदेशकों में से किसी एक या अधिक की या पूर्वोक्त रूप में से कार्य करने वाले किसी व्यक्ति की नियुक्ति में कोई तुटि थी या वे या उनमें से कोई निर्र्ह था ऐसे विधिमान्य होंगे मानो ऐसा हर निदेशक या ऐसा व्यक्ति सम्यक् रूप से नियुक्त किया गया था और निदेशक होने के लिए अहिंत था। अधिनियम में अभिव्यक्त रूप से अन्यथा उपवंधित के सिवाय, वह विखित संकल्प जिस पर बोर्ड के या उसकी सिमिति के जन सभी सदस्यों ने, जो तत्समय बोर्ड के या सिमिति के अधिवेशन की सूचना प्रप्त करने के हकदार है, हस्ताक्षर कर दिए हैं ऐसे विधिमान्य और प्रभावी होगा मानो सम्यक् रूप से बुलाए गए और किए गए बोर्ड के या सिमिति के अधिवेशन की सुधनी की अधिवेशन में उसे पारित किया गया था। एक व्यक्ति कंपनी की दशा में- (vii) जहां कंपनी की दशा में-		उपस्थित सदस्य अपनी संख्या में से किसी एक सदस्य को अधिवेशन	-
अपना अधिवेशन स्थिनित कर सकेगी। (vi) सिमिति के किसी अधिवेशन में पैदा होने वाले प्रश्न उपस्थित सदस्यों के मतों की बहुसंख्या द्वारा अवधारित किए जाएंगे और मतों के बराबर होने की दशा में सभापित की द्वितीय या निर्णायक मत प्राप्त होगा। वे सब कार्य जो बोर्ड के या उसकी सिमिति के किसी अधिवेशन में या निर्देशक के रूप में कार्य करते हुए किसी व्यक्ति द्वारा किए गए हैं तत्पश्यात् इस बात का पता चलने पर भी कि ऐसे निदेशकों में से किसी एक या अधिक की या पूर्वाक्त रूप में से कार्य करने वाले किसी व्यक्ति की नियुक्ति में कोई त्रुटि थी या वे या उनमें से कोई निर्द्ह था ऐसे विधिमान्य होंगे मानो ऐसा हर निदेशक या ऐसा व्यक्ति सम्यक् रूप से नियुक्त किया गया था और निदेशक होने के लिए अहिंत था। अधिनियम में अभिव्यक्त रूप से अन्यथा उपबंधित के सिवाय, वह विखित संकल्प जिस पर बोर्ड के या उसकी सिमिति के उन सभी सदस्यों ने, जो तत्समय बोर्ड के या सिमिति के अधिवेशन की सूचना प्राप्त करने के हकदार है, हस्ताक्षर कर दिए हैं ऐसे विधिमान्य और प्रभावी होगा मानो सम्यक् रूप से बुलाए गए और किए गए बोर्ड के या सिमिति के अधिवेशन में उसे पारित किया गया था। एक व्यक्ति कंपनी की दशा में- (vii) जहां कंपनी में केवल एक निदेशक है वहां बोर्ड के अधिवेशन		का सभापति चुन सकेंगे।	
(vi) समिति के किसी अधिवेशन में पैदा होने वाले प्रश्न उपस्थित सदस्यों के मतों की बहुसंख्या द्वारा अवधारित किए जाएंगे और मतों के बराबर होने की दशा में सभापित की द्वितीय या निर्णायक मत प्राप्त होगा। 74 दे सब कार्य जो बोर्ड के या उसकी समिति के किसी अधिवेशन में या विदेशक के रूप में कार्य करते हुए किसी व्यक्ति द्वारा किए गए हैं तत्पश्चात् इस बात का पता चलने पर भी कि ऐसे निदेशकों में से किसी एक या अधिक की या पूर्वोक्त रूप में से कार्य करने वाले किसी व्यक्ति की नियुक्ति में कोई बुटि थी या वे या उनमें से कोई निर्र्ह था ऐसे विधिमानय होंगे मानो ऐसा हर निदेशक या ऐसा व्यक्ति सम्यक् रूप से नियुक्त किया गया था और निदेशक होने के लिए अहिंत था। 31धिनियम में अभिव्यक्त रूप से अन्यथा उपबंधित के सिवाय, वह विखित संकल्प जिस पर बोर्ड के या उसकी समिति के उन सभी सदस्यों ने, जो तत्समय बोर्ड के या समिति के अधिवेशन की सूचना प्राप्त करने के हकदार है, हस्ताक्षर कर दिए हैं ऐसे विधिमानय और प्रभावी होगा मानो सम्यक् रूप से बुलाए गए और किए गए बोर्ड के या समिति के अधिवेशन में उसे पारित किया गया था। 75 एक व्यक्ति कंपनी की दशा में- (vii) जहां कंपनी में केवल एक निदेशक है वहां बोर्ड के अधिवेशन	7%	(v) समिति जैसा भी उपयुक्त समझे अधिविष्ट हो सकेगी और	0 हां 0 नहीं
सदस्यों के मतों की बहुसंख्या द्वारा अवधारित किए जाएंगे और मतों के बराबर होने की दशा में सभापित की द्वितीय या निर्णायक मत प्राप्त होगा। वे सब कार्य जो बोर्ड के या उसकी समिति के किसी अधिवेशन में या निर्देशक के रूप में कार्य करते हुए किसी व्यक्ति द्वारा किए गए हैं तत्पश्चात् इस बात का पता चलने पर भी कि ऐसे निदेशकों में से किसी एक था अधिक की या पूर्वोक्त रूप में से कार्य करने वाले किसी व्यक्ति की नियुक्ति में कोई तृदि थी या वे या उनमें से कोई निरहं था ऐसे विधिमान्य होंगे मानो ऐसा हर निदेशक या ऐसा व्यक्ति सम्यक् रूप से नियुक्त किया गया था और निदेशक होने के लिए अहिंत था। अधिनियम में अभिव्यक्त रूप से अन्यथा उपबंधित के सिवाय, वह विखित संकल्प जिस पर बोर्ड के या उसकी समिति के उन सभी सदस्यों ने, जो तत्समय बोर्ड के या उसकी समिति के अधिवेशन की सूचना प्राप्त करने के हकदार है, हस्ताक्षर कर दिए हैं ऐसे विधिमान्य और प्रभावी होगा मानो सम्यक् रूप से बुलाए गए और किए गए बोर्ड के या समिति के अधिवेशन में उसे पारित किया गया था। एक व्यक्ति कंपनी की दशा में- (vii) जहां कंपनी में केवल एक निदेशक है वहां बोर्ड के अधिवेशन		अपना अधिवेशन स्थगित कर सकेगी।	
के बराबर होने की दशा में सभापित की द्वितीय या निर्णायक मत प्राप्त होगा। वे सब कार्य जो बोर्ड के या उसकी समिति के किसी अधिवेशन में या िव सब कार्य जो बोर्ड के या उसकी समिति के किसी अधिवेशन में या िव होशक के रूप में कार्य करते हुए किसी व्यक्ति द्वारा किए गए हैं तत्पश्चात् इस बात का पता चलने पर भी कि ऐसे निदेशकों में से िकसी एक या अधिक की या पूर्वोक्त रूप में से कार्य करने वाले किसी व्यक्ति की नियुक्ति में कोई तुटि थी या वे या उनमें से कोई निर्स्ह था ऐसे विधिमान्य होंगे मानो ऐसा हर निदेशक या ऐसा व्यक्ति सम्यक् रूप से नियुक्त किया गया था और निदेशक होने के लिए अहिंत था। अधिनियम में अभिव्यक्त रूप से अन्यथा उपबंधित के सिवाय, वह विखित संकल्प जिस पर बोर्ड के या उसकी समिति के उन सभी सदस्यों ने, जो तत्समय बोर्ड के या तसमिति के अधिवेशन की सूचना प्राप्त करने के हकदार है, हस्ताक्षर कर दिए हैं ऐसे विधिमान्य और प्रभावी होगा मानो सम्यक् रूप से बुलाए गए और किए गए बोर्ड के या समिति के अधिवेशन में उसे पारित किया गया था। एक व्यक्ति कंपनी की दशा में- (vii) जहां कंपनी में केवल एक निदेशक है वहां बोर्ड के अधिवेशन			
प्राप्त होगा। वे सब कार्य जो बोर्ड के या उसकी समिति के किसी अधिवेशन में या विदेशक के रूप में कार्य करते हुए किसी व्यक्ति द्वारा किए गए हैं तत्पश्यात् इस बात का पता चलने पर भी कि ऐसे निदेशकों में से किसी एक या अधिक की या पूर्वोक्त रूप में से कार्य करने वाले किसी व्यक्ति की नियुक्ति में कोई तुटि थी या वे या उनमें से कोई निर्स्ह था ऐसे विधिमान्य होंगे मानो ऐसा हर निदेशक या ऐसा व्यक्ति सम्यक् रूप से नियुक्त किया गया था और निदेशक होने के लिए अहिंत था। अधिनियम में अभिव्यक्त रूप से अन्यथा उपबंधित के सिवाय, वह विश्वित संकल्प जिस पर बोर्ड के या उसकी समिति के उन सभी सदस्यों ने, जो तत्समय बोर्ड के या उसकी समिति के उन सभी प्राप्त करने के हकदार है, हस्ताक्षर कर दिए हैं ऐसे विधिमान्य और प्रभवी होगा मानो सम्यक् रूप से बुलाए गए और किए गए बोर्ड के या समिति के अधिवेशन में उसे पारित किया गया था। एक व्यक्ति कंपनी की दशा में- (vii) जहां कंपनी में केवल एक निदेशक है वहां बोर्ड के अधिवेशन			
व सब कार्य जो बोर्ड के या उसकी समिति के किसी अधिवेशन में या निदेशक के रूप में कार्य करते हुए किसी व्यक्ति द्वारा किए गए हैं तत्पश्चात् इस बात का पता चलने पर भी कि ऐसे निदेशकों में से किसी एक या अधिक की या पूर्वोक्त रूप में से कार्य करने वाले किसी व्यक्ति की नियुक्ति में कोई तुटि थी या वे या उनमें से कोई निर्स्ह था ऐसे विधिमान्य होंगे मानो ऐसा हर निदेशक या ऐसा व्यक्ति सम्यक् रूप से नियुक्त किया गया था और निदेशक होने के लिए अहिंत था। अधिनियम में अभिव्यक्त रूप से अन्यथा उपबंधित के सिवाय, वह विखित संकल्प जिस पर बोर्ड के या उसकी समिति के उन सभी सदस्यों ने, जो तत्समय बोर्ड के या समिति के अधिवेशन की सूचना प्राप्त करने के हकदार है, हस्ताक्षर कर दिए हैं ऐसे विधिमान्य और प्रभावी होगा मानो सम्यक् रूप से बुलाए गए और किए गए बोर्ड के या समिति के अधिवेशन में उसे पारित किया गया था। एक व्यक्ति कंपनी की दशा में- (vii) जहां कंपनी में केवल एक निदेशक है वहां बोर्ड के अधिवेशन			
निदेशक के रूप में कार्य करते हुए किसी व्यक्ति द्वारा किए गए है तस्पश्चात् इस बात का पता चलने पर भी कि ऐसे निदेशकों में से किसी एक था अधिक की या पूर्वोक्त रूप में से कार्य करने वाले किसी व्यक्ति की नियुक्ति में कोई तुटि थी या वे या उनमें से कोई निर्ह था ऐसे विधिमान्य होंगे मानो ऐसा हर निदेशक या ऐसा व्यक्ति सम्यक् रूप से नियुक्त किया गया था और निदेशक होने के लिए अहिंत था। अधिनियम में अभिव्यक्त रूप से अन्यथा उपबंधित के सिवाय, वह विश्वित संकल्प जिस पर बोर्ड के या उसकी समिति के उन सभी सदस्यों ने, जो तत्समय बोर्ड के या उसकी समिति के जन सभी प्राप्त करने के हकदार है, हस्ताक्षर कर दिए हैं ऐसे विधिमान्य और प्रभावी होगा मानो सम्यक् रूप से बुलाए गए और किए गए बोर्ड के या समिति के अधिवेशन में उसे पारित किया गया था। एक व्यक्ति कंपनी की दशा में- (vii) जहां कंपनी में केवल एक निदेशक है वहां बोर्ड के अधिवेशन			
तत्पश्यात् इस बात का पता चलने पर भी कि ऐसे निदेशकों में से किसी एक या अधिक की या पूर्वोक्त रूप में से कार्य करने वाले किसी व्यक्ति की नियुक्ति में कोई बुटि थी या वे या उनमें से कोई निर्स्ह था ऐसे विधिमान्य होंगे मानो ऐसा हर निदेशक या ऐसा व्यक्ति सम्यक् रूप से नियुक्त किया गया था और निदेशक होने के लिए अहिंत था। अधिनियम में अभिव्यक्त रूप से अन्यथा उपबंधित के सिवाय, वह विश्वेत संकल्प जिस पर बोर्ड के या उसकी समिति के उन सभी सदस्यों ने, जो तत्समय बोर्ड के या समिति के अधिवेशन की सूचना प्राप्त करने के हकदार है, हस्ताक्षर कर दिए हैं ऐसे विधिमान्य और प्रभावी होगा मानो सम्यक् रूप से बुलाए गए और किए गए बोर्ड के या समिति के अधिवेशन में उसे पारित किया गया था। एक व्यक्ति कंपनी की दशा में- (vii) जहां कंपनी में केवल एक निदेशक है वहां बोर्ड के अधिवेशन	74		1
किसी एक या अधिक की या पूर्वोक्त रूप में से कार्य करने वाले किसी व्यक्ति की नियुक्ति में कोई त्रुटि थी या वे या उनमें से कोई निर्ह था ऐसे विधिमान्य होंगे मानो ऐसा हर निदेशक या ऐसा व्यक्ति सम्यक् रूप से नियुक्त किया गया था और निदेशक होने के लिए अहिंत था। अधिनियम में अभिव्यक्त रूप से अन्यथा उपबंधित के सिवाय, वह विखित संकल्प जिस पर बोर्ड के या उसकी समिति के उन सभी सदस्यों ने, जो तत्समय बोर्ड के या समिति के अधिवेशन की सूचना प्राप्त करने के हकदार है, हस्ताक्षर कर दिए हैं ऐसे विधिमान्य और प्रभावी होगा मानो सम्यक् रूप से बुलाए गए और किए गए बोर्ड के या समिति के अधिवेशन में उसे पारित किया गया था। एक व्यक्ति कंपनी की दशा में- (vii) जहां कंपनी में केवल एक निदेशक है वहां बोर्ड के अधिवेशन		निदेशक के रूप में कार्य करते हुए किसी व्यक्ति द्वारा किए गए है	
व्यक्ति की नियुक्ति में कोई त्रुटि थी या वे या उनमें से कोई निर्स् था ऐसे विधिमान्य होंगे मानो ऐसा हर निदेशक या ऐसा व्यक्ति सम्यक् रूप से नियुक्त किया गया था और निदेशक होने के लिए अहिंत था। अधिनियम में अभिव्यक्त रूप से अन्यथा उपबंधित के सिवाय, वह विखित संकल्प जिस पर बोर्ड के या उसकी समिति के उन सभी सदस्यों ने, जो तत्समय बोर्ड के या समिति के अधिवेशन की सूचना प्राप्त करने के हकदार है, हस्ताक्षर कर दिए हैं ऐसे विधिमान्य और प्रशावी होगा मानो सम्यक् रूप से बुलाए गए और किए गए बोर्ड के या समिति के अधिवेशन में उसे पारित किया गया था। एक व्यक्ति कंपनी की दशा में- (vii) जहां कंपनी में केवल एक निदेशक है वहां बोर्ड के अधिवेशन		तत्पश्चात् इस बात का पता चलने पर भी कि ऐसे निदेशकों में से	
था ऐसे विधिमान्य होंगे मानो ऐसा हर निदेशक या ऐसा व्यक्ति सम्यक् रूप से नियुक्त किया गया था और निदेशक होने के लिए अहिंत था। अधिनियम में अभिव्यक्त रूप से अन्यथा उपबंधित के सिवाय, वह निखित संकल्प जिस पर बोर्ड के या उसकी समिति के उन सभी सदस्यों ने, जो तत्समय बोर्ड के या समिति के अधिवेशन की सूचना प्राप्त करने के हकदार है, हस्ताक्षर कर दिए हैं ऐसे विधिमान्य और प्रभावी होगा मानो सम्यक् रूप से बुलाए गए और किए गए बोर्ड के या समिति के अधिवेशन में उसे पारित किया गया था। एक व्यक्ति कंपनी की दशा में- (vii) जहां कंपनी में केवल एक निदेशक है वहां बोर्ड के अधिवेशन		किसी एक या अधिक की या पूर्वीक्त रूप में से कार्य करने वाले किसी	
सम्यक् रूप से नियुक्त किया गया था और निदेशक होने के लिए अहिंत था। अधिनियम में अभिव्यक्त रूप से अन्यथा उपबंधित के सिवाय, वह िलेखित संकल्प जिस पर बोर्ड के या उसकी समिति के उन सभी सदस्यों ने, जो तत्समय बोर्ड के या समिति के अधिवेशन की सूचना प्राप्त करने के हकदार है, हस्ताक्षर कर दिए हैं ऐसे विधिमान्य और प्रभावी होगा मानो सम्यक् रूप से बुलाए गए और किए गए बोर्ड के या समिति के अधिवेशन में उसे पारित किया गया था। एक व्यक्ति कंपनी की दशा में- (vii) जहां कंपनी में केवल एक निदेशक है वहां बोर्ड के अधिवेशन		व्यक्ति की नियुक्ति में कोई त्रुटि थी या वे या उनमें से कोई निरर्ह	
अधिनियम में अभिव्यक्त रूप से अन्यथा उपबंधित के सिवाय, वह विखित संकल्प जिस पर बोर्ड के या उसकी समिति के उन सभी सदस्यों ने, जो तत्समय बोर्ड के या समिति के अधिवेशन की सूचना प्राप्त करने के हकदार है, हस्ताक्षर कर दिए हैं ऐसे विधिमान्य और प्रभावी होगा मानो सम्यक् रूप से बुलाए गए और किए गए बोर्ड के या समिति के अधिवेशन में उसे पारित किया गया था। एक व्यक्ति कंपनी की दशा में- (vii) जहां कंपनी में केवल एक निदेशक है वहां बोर्ड के अधिवेशन		था ऐसे विधिमान्य होंगे मानो ऐसा हर निदेशक या ऐसा व्यक्ति	
3 धिनियम में अभिव्यक्त रूप से अन्यथा उपबंधित के सिवाय, वह विखित संकल्प जिस पर बोर्ड के या उसकी सिमिति के उन सभी सदस्यों ने, जो तत्समय बोर्ड के या सिमिति के अधिवेशन की सूचना प्राप्त करने के हकदार है, हस्ताक्षर कर दिए हैं ऐसे विधिमान्य और प्रभावी होगा मानो सम्यक् रूप से बुलाए गए और किए गए बोर्ड के या सिमिति के अधिवेशन में उसे पारित किया गया था। 75 एक व्यक्ति कंपनी की दशा में- (vii) जहां कंपनी में केवल एक निदेशक है वहां बोर्ड के अधिवेशन		सम्यक् रूप से नियुक्त किया गया था और निदेशक होने के लिए	
लिखित संकल्प जिस पर बोर्ड के या उसकी समिति के उन सभी सदस्यों ने, जो तत्समय बोर्ड के या समिति के अधिवेशन की सूचना प्राप्त करने के हकदार है, हस्ताक्षर कर दिए हैं ऐसे विधिमान्य और प्रभावी होगा मानो सम्यक् रूप से बुलाए गए और किए गए बोर्ड के या समिति के अधिवेशन में उसे पारित किया गया था। एक व्यक्ति कंपनी की दशा में- (vii) जहां कंपनी में केवल एक निदेशक है वहां बोर्ड के अधिवेशन		अर्हित था।	
सदस्यों ने, जो तत्समय बोर्ड के या समिति के अधिवेशन की सूचना प्राप्त करने के हकदार है, हस्ताक्षर कर दिए हैं ऐसे विधिमान्य और प्रभावी होगा मानो सम्यक् रूप से बुलाए गए और किए गए बोर्ड के या समिति के अधिवेशन में उसे पारित किया गया था। एक व्यक्ति कंपनी की दशा में- (vii) जहां कंपनी में केवल एक निदेशक है वहां बोर्ड के अधिवेशन	<i>7</i> 5	अधिनियम में अभिव्यक्त रूप से अन्यथा उपबंधित के सिवाय, वह	0 हां 0 नहीं
प्राप्त करने के हकदार है, हस्ताक्षर कर दिए हैं ऐसे विधिमान्य और प्रभावी होगा मानो सम्यक् रूप से बुलाए गए और किए गए बोर्ड के या समिति के अधिवेशन में उसे पारित किया गया था। एक व्यक्ति कंपनी की दशा में- (vii) जहां कंपनी में केवल एक निदेशक है वहां बोर्ड के अधिवेशन		लिखित संकल्प जिस पर बोर्ड के या उसकी समिति के उन सभी	
प्रभावी होगा मानो सम्यक् रूप से बुलाए गए और किए गए बोर्ड के या समिति के अधिवेशन में उसे पारित किया गया था। एक व्यक्ति कंपनी की दशा में- (vii) जहां कंपनी में केवल एक निदेशक है वहां बोर्ड के अधिवेशन		सदस्यों ने, जो तत्समय बोर्ड के या समिति के अधिवेशन की सूचना	
या समिति के अधिवेशन में उसे पारित किया गया था। एक व्यक्ति कंपनी की दशा में- (vii) जहां कंपनी में केवल एक निदेशक है वहां बोर्ड के अधिवेशन		प्राप्त करने के हकदार है, हस्ताक्षर कर दिए हैं ऐसे विधिमान्य और	
या समिति के अधिवेशन में उसे पारित किया गया था। एक व्यक्ति कंपनी की दशा में- (vii) जहां कंपनी में केवल एक निदेशक है वहां बोर्ड के अधिवेशन		प्रभावी होगा मानो सम्यक् रूप से बुलाए गए और किए गए बोर्ड के	
(vii) जहां कंपनी में केवल एक निदेशक है वहां बोर्ड के अधिवेशन			
(vii) जहां कंपनी में केवल एक निदेशक है वहां बोर्ड के अधिवेशन	7 <u>g</u>	एक ट्यक्ति कंपनी की दशा में-	0 हां 0 नहीं

20		THE GAZETTE OF INDIA: EXTRAORDINARY	[PART II—SEC, 3	(1)
		रखी गई कार्यवृत्त पुस्तिका में की जाएंगी;		Ī
	ŀ	(viii) ऐसा कार्यवृत्त पुस्तिका निदेशक द्वारा हस्ताक्षरित और		
		दिनांकित की जाएंगी;		
		(ix) ऐसी संकल्प निदेशक द्वारा ऐसे कार्यवृत्त के हस्ताक्षर किए		
٠.		जाने की तारीख से प्रभावी होगा।		
		मुख्य कार्यपालक अधिकारी, प्रबंधक, कंपनी सचिव या मुख्य वित्तीय		1
		अधिकारी		
	77	अधिनियम के उपबंधों के अधीन रहते हुए-	0 हां 0 नहीं	1
		(v) बोर्ड द्वारा किसी प्रबंधक या सचिव को ऐसी अवधि के लिए		
		ऐसे पारिश्रमिक पर और ऐसी शर्तों पर नियुक्त किया जा सकेगा		
		जैसा या जैसी बोर्ड ठीक समझे और बोर्ड ऐसे नियुक्त किसी मुख्य		
		कार्यपालक अधिकारी, प्रबंधक, कंपनी सचिव या मुख्य वित्तीय		
		अधिकारी को हटा सकेगा।		
		(vi) किसी निदेशक को मुख्य कार्यपालक अधिकारी, प्रबंधक,		
		कंपनी सचिव या मुख्य वित्तीय अधिकारी के रूप में नियुक्त किया		
		जा सकेगा।		
	78	अधिनियम या विनियमों का जो उपबंध किसी निदेशक और मुख्य	0 हां 0 नहीं	
		कार्यपालक अधिकारी, प्रबंधक, कंपनी सचिव या मुख्य वित्तीय		
		अधिकारी के द्वारा या उससे किसी बात के किए जाने की अपेक्षा		
		करता है या उसका किया जाना प्राधिकृत करता है उसकी पूर्ति ऐसे		
		व्यक्ति के द्वारा या, जो एक साथ ही निदेशक और मुख्य कार्यपालक		
		अधिकारी, प्रबंधक, कंपनी सचिव या मुख्य वित्तीय अधिकारी के रूप	,	
	•	में है, या स्थान में, कार्य कर रहा है किए जाने से नहीं होगी।		
Ī	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	मुद्रा		
Ī	79	(v) बोर्ड मुद्रा की सुरक्षित अभिरक्षा के लिए उपबंध करेगा।	0 हां 0 नहीं	
		(vi) कंपनी की मुद्रा किसी लिखत पर बोर्ड के या इस निमित्त		
		उसके द्वारा प्राधिकृत बोर्ड की समिति संकल्प के प्राधिकार से तथा		
		कम से कम दो निदेशकों और सचिव की या ऐसे अन्य व्यक्ति की		
	1	जिसे बोर्ड उस प्रयोजन के लिए नियुक्त करें, उपस्थित में लगाए		
1		जाने के सिवाय न लगाई जाएगी और दो निदेशक और सचिव या		
-		पूर्वोक्त अन्य व्यक्ति, हर लिखत पर, जिस पर उनकी उपस्थिति में		
	į	कंपनी की मुद्रा इस प्रकार लगाई है, हस्ताक्षर करेंगे।		

11 37	ड 3(i)] भारत का राजपत्र : असाधारण नाभाश और आरक्षिति	
90		೧ ಪ್ರ೧ ಪ್ರ
80	कंपनी साधारण अधिवेशन में लाभांश घोषित कर सकेगी किन्तु कोई	० हा ० नहा
	लाभांश उस रकम से अधिक न होगा जिसकी सिफारिश बोर्ड द्वारा	
	की गई है।	
81	धारा 123 के उपबंधों के अधीन रहते हुए, बोर्ड सदस्यों को ऐसे	0 हां 0 नहीं
	अन्तरिम लाभांश समय-समय पर दे सकेगा जैसे कंपनी के लाभों के	
	आधार पर उसे युक्तियुक्त प्रतीत हो।	
82	(v) बोर्ड किसी लाआंश की सिफारिश करने के पूर्व कंपनी के लाओं	0 हां 0 नहीं
	में से ऐसी राशि आरिक्षिति या आरिक्षितियों के तौर पर अलग रख	
	सकेगा जैसी वह ठीक समझता है, कंपनी के लाभों का समुचित रूप	
	से उपयोजन जिस किसी प्रयोजन के लिए किया जा सकता है वैसे	
	किसी प्रयोजन के लिए, जिसके अन्तर्गत आकस्मिकताओं के निपटने	
	तथा लाभांशों का समतुलन आता है, उन राशियों पर उपयोजन बोर्ड	
	के विवेकानुसार किया जाएगा तथा ऐसा उपयोजन किए जाने या	
	लंबित रहने तक वे राशियां वैसी ही विवेकानुसार या तो कंपनी के	
	कारबार में लगाई जा सकेंगी या ऐसे विनिधानों में विनिहित की जा	
	सकेंगी जैसे बोर्ड समय-समय पर ठीक समझे।	
	(vi) बोर्ड किन्हीं लाभों को, जिनकी बाबत वह आवश्यक समझता	
	है कि उनका विभाजन न किया जाए, आरक्षिति के रूप में अलग रखे	
	बिना अग्रनीत कर सकेगा।	
33	(vii) ऐसे व्यक्तियों के अधिकारों के अधीन रहते हुए, यदि कोई हों,	0 हां 0 नहीं
	तो लाभांश के बारे में विशेष अधिकारों सहित अंशों (शेयरों) के हकदार	
	हैं, सब लक्षांश उन रकमों के अनुसार जो उन अंशों (शेयरों) लेखे	
	जिनकी बाबत लाभाश दिया जाना है, समादत्त की गई हैं या संदत्त	
	और रकम के रूप में जमा कर ली गई हैं, घोषित किए जाएंगे और	
	दिए जाएंगे किन्तु यदि और जब तक कंपनी अंशों (शेयरों) में से	
	किसी अंश (शेयरों) लेखे में कुछ भी समादत्त नहीं किया गया है तो	
	और तब तक अंशों (शेयरों) की रकम के अनुसार घोषित किए जा	
	सकेंगे और दिए जा सकेंगे।	
	(viii) ऐसी किसी रकम की बाबत, जो आहूत किए जाने के पहले	
	अग्रिम के रूप में किसी अंश (शेयरों) लेखे में समादत्त कर दी गई है	
	या समादत्त मानी जाकर जमा कर ली गई है, इन विनियमों के	
	प्रयोजनों के लिए यह न माना जाएगा कि वह अंश (शेयरों) लेखे में	
	समादत्त कर दी गई है।	
	(ix) सभी लाभांश उन रकमों के अनुपात में प्रभावित किए जाएंगे	

	THE GAZETTE OF INDIA: EXTRAORDINARY	[PAKI II—SIA.
	और दिए जाएंगे जो ऐसी किसी कालाविध के, जिस लेखे वह लाभांश	
j	दिया जाता है, प्रभाग या प्रभाग के दौरान अंश (शेयरों) लेखे में	1
	समादत्त की है या समादत्त मानी जाकर जमा कर ली गई है।	
	किन्त् यदि कोई अंश (शेयरों) उन निबंधनों पर, जिनसे यह उपबंधित	
	है कि वह ऐसे दर्जें का है कि विशिष्ट तारीख से वह लाभांश का	
	हकदार होगा, निर्गमित किया गया है तो वह अंश (शेयरों) के संबंध में	:
	आह्वान लेखे या अन्यथा तत्क्षण देय हैं।	
84	बोर्ड किसी सदस्य को देय किसी लाआंश में से वे सभी धनराशियां,	0 हां 0 नहीं
	यदि कोई हो, काट लेगा जो कंपनी को उस सदस्य द्वारा कंपनी के	
i	अंशों (शेयरों) के संबंध में आहवान लेखे या अन्यथा तत्क्षण देय हैं।	
85	(v) अंशों (शेयरों) की बाबत नकद देय कोई लाभांश ब्याज या	0 हां 0 नहीं
	अन्य धन राशियों के धारक के रजिस्ट्रीकृत पते पर, जिसका नाम	D
	सदस्यों के रजिस्टर में सबसे ऊपर दिया हुआ है या ऐसे व्यक्ति को	
	और ऐसे पतों पर, जैसा धारक या संयुक्त धारक तिखित रूप में	
	निर्दिष्ट करें, रजिस्ट्रीकृत डाक के माध्यम से भेजे गए चैक या भेजे	1 1
	गए अधिपत्र के जरिए किया जा सकेगा।	
	(vi) ऐसा हर चैक या ऐसा हर अधिपत्र ऐसे लिखा जाएगा कि वह	
	उस व्यक्ति के आदेशानुसार, जिसे वह भेजा जाता हैं, देय होगा।	
86	अंश (शेयर) के दो या अधिक संयुक्त धारकों में से कोई एक ऐसे अंश	0 हां 0 नहीं
	(शेयर) की बाबत देय किन्हीं लाभांशों, बोनसों या अन्य धन राशियों	
	के लिए प्रभावी रसीदें दे सकेगा।	
87	ऐसे किसी लाभांश की, जिसकी घोषणा कर दी गई हो, सूचना	0 हां 0 नहीं
	अधिनियम में वर्णित रीति से उन व्यक्तियों को भी भेज दी जाएगी	
	जो उसमें अश (शेयर) पाने के हकदार है।). (1)
88	किसी भी लाभांश पर कोई ब्याज कंपनी द्वारा देय न होगा।	0 हां 0 नहीं
	लेखा	
89	(v) बोर्ड समय-समय पर अवधारित करेगा कि क्या और किस हद	0 हां 0 नहीं
	तक और किस-किस समय तथा स्थानों पर तथा किन शर्तों या	
	विनियमों के अधीन, कंपनी के लेखे और बहियां या उनमें से कोई भी	
	लेखा या बही सदस्यों के, जो निदेशक नहीं है, निरीक्षण के लिए खुली	
	रहेंगी।	
	(vi) ऐसे किसी सदस्य (निदेशक न हो) को, कंपनी के किसी लेखा	
	या बही या दस्तावेज का निरीक्षण करने का कोई अधिकार उस	
	अधिकार के सिवाय न होगा जो विधि द्वारा उसे प्रदत्त है या बोर्ड	

गग II-खण्ड	3(i)] भारत का राजपत्र : असाधारण	1
	द्वारा या कंपनी द्वारा साधारण अधिवेशन में प्राधिकृत किया गया	
í	考1	
	परिसमापन	
90	इस अधिनियम और उसके अधीन बनाए गए नियमों के अध्याय 20	0 हां 0 नहीं
;	के उपबंधों के अधीन रहते हुए:	
	(vii) यदि कंपनी का परिसमापन किया जाए तो समापक कंपनी की	
	पूरी आस्तियां या उनका कोई भाग, भले ही वे एक ही किस्म की	
	संपत्ति हो या नहीं, कंपनी के विशेष संकल्प द्वारा दी गई मंजूरी से	
10 mark 1 1	और इस अधिनियम द्वारा अपेक्षित अन्य किसी मंजूरी से सदस्यों के	
	बीच नकद या वस्तु रूप में, विभाजित कर सकेगा;	
	(viii) पूर्वीक्त प्रयोजन के लिए, समापक पूर्वीक्त रूप से विभाजित	
	किए जाने के लिए पूर्वोक्त संपत्ति का ऐसा मूल्य कर नियत कर	
	सकेगा जैसा वह ठीक समझे और यह अवधारित कर सकेगा कि ऐसा	
	विभाजन सदस्यों के बीच में या विभिन्न वर्गो के सदस्यों में कैसे	
	किया जाएगा;	
	(ix) समापक ऐसी पूरी आस्तियों या उनके भाग को अभिदायियों	
	के फायदे के लिए ऐसे न्यासों में, यदि वह आवश्यक समझता है,	
	न्यासियों में निहित कर सकेगा किन्तु वह यह बात ऐसे ही कर	
	सकेगा कि कोई भी सदस्य ऐसे कोई अंश (शेयर) या अन्य	
2 	प्रतिभूतियां, जिन पर कोई भी दायित्व है, प्रतिगृहीत करने के लिए	
1.00	विवश न किया जाएगा।	
0.1	क्षतिपूर्ति	0 = 0 = = = = = = = = = = = = = = = = =
91	कंपनी का प्रत्येक अधिकारी किसी कार्यवाही की, उसके द्वारा प्रतिरक्षा	0 हा 0 नहा
	करने में उसके द्वारा उपगत किसी दायित्व के विरूद्ध कंपनी की	
	आस्तियों में से क्षतिपूर्ति की जाएगी जो चाहे सिविल या आपराधिक	
	स्वरूप की हो, जिनमें निर्णय उसके पक्ष में दिया गया है, या जिसमें	
	वह दोषमुक्त किया गया है या जिस पर न्यायालय या अधिकरण	
	द्वारा उसे अनुतोष अनुदत्त किया गया है।	
	टिप्पणः अनुच्छेद संगम-ज्ञापन के प्रत्येक ऐसे हस्ताक्षरकर्ता द्वारा	
	हस्ताक्षरित किए जाएंगे जो कम से कम ऐसे साक्षी की उपस्थिति में	

THE GAZETTE OF INDIA: EXTRAORDINARY				
अपना पता, वर्णन और व्यवसार	र यदि कोई है, जोड़ेगा, जो हस्ताक्षरों			
को अनुप्रमाणित करेगा और 🛚	उसी प्रकार अपना पता, वर्णन और			
व्यवसाय, यदि कोई हो जोड़ेगा	और ये हस्ताक्षर नीचे विनिर्दिष्ट हर			
प्ररूप में होंगे।				
विवरण और उपजीविका, यदि व	होई है, और नीचे विनिर्दिष्ट प्ररूप में			
हस्ताक्षर होंगे:-				
अभिदायियों के नाम, पते, विवरण और उपजीविकाएं	साक्षी (नाम, पता, विवरण तथा उपजीविका के साथ)			
क,ख का वणिक	मेरे समक्ष हस्ताक्षरित			
	हस्ताक्षर			
ग्रंघ का वणिक	मेरे समक्ष हस्लाक्षरित			
	हस्ताक्षर			
इ.च का विणिक	मेरे समक्ष हस्ताक्षरित			
	हस्ताक्षर			
छ,ज का वणिक	मेरे समक्ष हस्ताक्षरित			
	हस्ताक्षर			
इ., ञ का वणिक	मेरे समक्ष हस्ताक्षरित			
	हस्ताक्षर			

स्थान

सारणी ज प्रत्याभूति द्वारा परिसीमित कंपनी, जिसकी अंश पूंजी नहीं है, के संगम-अनुच्छेद

मेरे समक्ष हस्ताक्षरित हस्ताक्षर

1. ऐसे सदस्यों की संख्या, जिनके साथ कंपनी रजिस्ट्रीकृत किए जाने का प्रस्ताव	हां/नहीं
करती है, सौ है किंतु निदेशक बोर्ड समय-समय पर, जब कभी कंपनी या कंपनी के	
कारबार में उसकी अपेक्षा की जाती है, सदस्यों की वृद्धि रजिस्टर कर सकेंगे।	
2. ज्ञापन अभिदाता और ऐसे अन्य व्यक्ति जिन्हें बोर्ड सदस्यता के लिए स्वीकार	
करें, कंपनी के सदस्य होंगे।	हां/नहीं
3. कंपनी अधिनियम, 2013 से उपाबद्ध अनुसूची 1 में सारणी झ के सभी	
अनुच्छेद, इन अनुच्छेदों के साथ निगमित समझे जाएंगे और कंपनी को लागू होंगे।	हां/नहीं

सारणी ज

प्रत्याभूति द्वारा परिसीमित कंपनी, जिसकी अंश पूंजी नहीं है, के संगम- अनुच्छेद

निर्वचन

लागू होना

(1) इन विनियमों में..

हां/नहीं

- (क) "अधिनियम" से कंपनी अधिनियम, 2013 अभिप्रेत है;
- (ख) "मुद्रा" से कंपनी की सामान्य मुद्रा अभिप्रेत है।
- 2) जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो उन शब्दों और पदों के, जो इन विनियमों में आए हैं, वे ही अर्थ होंगे जो अधिनियम में या उस तारीख को, जब ये विनियम कंपनी पर आबद्धकर हो जाते हैं, प्रवृत्त उसके किसी कानूनी उपातर में हैं।

सदस्य

हां/नहीं

हां/नहीं

हां/नहीं

- (1) जितने सदस्यों सिहत रजिस्ट्रीकृत किए जाने की कंपनी की प्रस्थापना है उनकी संख्या सौ होगी, किंतु जब कभी कंपनी या कंपनी के कारबार से यह अपेक्षित हो, निदेशक बोर्ड समय-समय पर सदस्यों की संख्या में वृद्धि रजिस्ट्रीकृत करा सकेगा।
- (2) जापन पर हस्ताक्षर करने वाले तथा ऐसे अन्य व्यक्ति, जिन्हें बोर्ड सदस्यता अपिकट कर ले, कंपनी के सदस्य होंगे।

साधारण अधिवेशन

- ज वार्षिक साधारण अधिवेशनों से भिन्न सभी साधारण अधिवेशन असामान्य साधारण अधिवेशन कहे जाएंगे।
- (i) जब कभी बोर्ड ठीक समझे वह असामान्य साधारण अधिवेशन बुला सकेगा।
- (म) यदि किसी समय कार्य करने के लिए समर्थ इतनी संख्या में निदेशक भारत में नहीं हैं, जितनी गणमूर्ति (कोरम) के लिए पर्याप्त है, तो कंपनी का कोई निदेशक या कोई दो सदस्य असामान्य साधारण अधिवेशन यथासंभव निकटतम ासी रीति से बुला सकेंगे जिससे ऐसा अधिवेशन बोर्ड द्वारा बुलाया जा सकता है।

साधारण अधिवेशनों में कार्यवाहियां

- 5. (i) किसी साधारण अधिवेशन में तब तक कोई संव्यवहार नहीं किया जाएगा जब तक कि सदस्यों की गणपूर्ति (कोरम) उस समय पर उपस्थित नहीं है, जब अधिवेशन कामकाज करने के लिए अग्रसर होता है।
- (ii) इसमें अन्यथा उपबंधित के सिवाय, साधारण अधिवेशन में गणपूर्ति (कोरम) धारा 103 में यथा उपबंधित होगी।
- 6. बोर्ड का अध्यक्ष, यदि कोई हो, कंपनी के हर साधारण अधिवेशन में अध्यक्ष के रूप में अध्यक्षता करेगा।
- 7. यदि ऐसा कोई अध्यक्ष नहीं है या वह अधिवेशन करने के लिए नियत समय के पश्चात् पन्द्रह मिनट के अंदर उपस्थित नहीं होता है या यदि अधिवेशन के अध्यक्ष के रूप में कार्य करने के लिए रजामंद नहीं हो तो उपस्थित निदेशक अपने में से किसी एक सदस्य को अधिवेशन का अध्यक्ष निर्वाचित करेंगे।
- 8. यदि किसी अधिवेशन में कोई भी निदेशक अध्यक्ष के रूप में कार्य करने के लिए रजामंद नहीं है या यदि उस समय से पन्द्रह मिनट के अंदर जो अधिवेशन करने के लिए नियत है, कोई निदेशक उपस्थित नहीं होता है तो उपस्थित सदस्य अपने मे से किसी एक सदस्य को अधिवेशन का सभापति चुनेंगे।

अधिवेशन का स्थगन

- 9. (i) अध्यक्ष समय-समय पर तथा एक स्थान से दूसरे स्थान के लिए अधिवेशन का स्थगन उस अधिवेशन की सम्मित से, जिसमें गणमूर्ति (कोरम) उपस्थित है, कर सकेगा तथा उस दशा में करेगा जिसमें कि अधिवेशन द्वारा ऐसा करने का निदेश दिया जाता है।
- (ii) किसी स्थिगित अधिवेशन में उस संव्यवहार से भिन्न, जो उस अधिवेशन में बाकी रह गया था जिससे वह स्थिगित हुआ था, कोई कामकाज नहीं किया जाएगा।
- (iii) जबिक अधिवेशन तीस दिनों तक के लिए या उनसे अधिक दिनों तक के लिए स्थगित किया जाता है तब स्थगित अधिवेशन की सूचना वैसे ही दी जाएगी जैसी मूल अधिवेशन की दशा में दी जाती है।
- (iv) यथापूर्वोक्त के सिवाय तथा अधिनियम की धारा 103 में यथा उपबंधित स्थगन की या स्थगित अधिवेशन में किए जाने वाले संव्यवहार की कोई सूचना भी देनी आवश्यक नहीं होगी।

हां/नहीं

हां/नहीं

मताधिकार

हां/नहीं

- 10. हर सदस्य का एक मत होगा।
- यदि ऐसा कोई सदस्य, जो विकृतचित्त है या जिसकी बाबत ऐसे किसी न्यायालय ने, जिसे पागलपन विषयक अधिकारिता प्राप्त है आदेश दे दिया है, अध उठाकर दिए जाने वाले मतदान में या मतांकन में अपनी समिति या अन्य विधिक संरक्षक द्वारा मत दे सकेगा तथा ऐसी कोई समिति या संरक्षक, मतांकन में परोक्षी द्वारा मत दे सकेगा।

12. कोई सदस्य किसी साधारण अधिवेशन में मत देने के लिए तब तक किदार नहीं होगा जब तक कि वर्तमान में उसके द्वारा कंपनी को संदेय सभी ाशियों का संदाय नहीं कर दिया गया हो।

- (i) किसी मतदाता की अर्हता के बारे में कोई आक्षेप उस अधिवेशन में या प्यमित अधिवेशन में, जिसमें वह मत जिस पर आक्षेप किया गया है, दिया गया या निविद्यत किया जाता है, के सिवाय नहीं किया जाएगा और ऐसा हर मत जिसका दिया जाना ऐसे अधिवेशन द्वारा अननुजात नहीं किया गया है सभी प्योजनों के लिए विधिमान्य होगा।
- ां) सम्यक् समय पर किया गया ऐसा कोई आक्षेप अधिवेशन के अध्यक्ष को
- जो मत परोक्षी- लिखत के निबंधनों के अनुसार दी गई है वह इस बात के होते हुए भी विधिमान्य होगा कि परोक्षी देने वे की मृत्यु हो गई है या पागल हो यया है या परोक्षी- लिखत या वह प्राधिकार, जिसके अधीन परोक्षी-लिखत निष्पादित की गई थी, प्रतिसंहत कर दिया गया है या पूंजियों का स्थानांतरण जिसके संबंध में परोक्षी दी गई है:

परंतु यह तब जब कि ऐसी मृत्यु, पागलपन, प्रतिसंहरण या अंतरण की लिखित ूयना अधिवेशन के प्रारंभ होने या अधिवेशन के स्थगित होने, जिसमें परोक्षी का प्रयोग किया जाना है, से पूर्व कंपनी को अपने कार्यालय में न मिली हो।

- ं कोई सदस्य धारा 108 के अनुसार अधिवेशन में इलेक्ट्रानिक साधनों वारा अपने मत का प्रयोग कर सकेगा तथा केवल एक मत देगा।
- ि ऐसे कारबार से भिन्न कोई कारबार को जिस पर मतदान की मांग की गई है मतदान कराए जाने के लंबित रहने तक अग्रसर किया जा सकेगा।

हां/नहीं

हां/नहीं

हां/नहीं

हां/नहीं

निदेशक बोर्ड

- 17. निदेशकों की संख्या और पहली बार वाले निदेशकों के नाम जापन पर हस्ताक्षर करने वालों द्वारा या उनकी बहुसंख्या द्वारा लिखित रूप में अवधारित किए जाएंगे।
- 18. (i) जहां तक कि निदेशकों का पारिश्रमिक मासिक संदाय के रूप में है वहां तक उसकी बाबत यह समझा जाएगा कि दिन प्रतिदिन प्रोद्भृत होता है।
- (ii) अधिनियम के अनुसरण में उनको संदेय पारिश्रमिक के साथ-साथ निदेशकों को वे सब यात्रा व्यय, होटल व्यय और अन्य व्यय दिए जा सकेंगे जो उन्होंने,-
 - (क) निदेशक बोर्ड या उसकी किसी समिति के अधिवेशनों में या कंपनी के साधारण अधिवेशनों में हाजिर होने और वहां से लौटने में, या
- (ख) कंपनी के कारबार के संबंध में, सम्चित रूप से उपगत किए हैं।

बोर्ड की कार्यवाहियां

- 19. (i) निदेशक बोर्ड कामकाज का संचालन के लिए अधिवेशन कर सकेगा और अपने अधिवेशनों को स्थगित या अन्यथा विनियमित कर सकेगा जैसा करना वह ठीक समझता है।
- (ii) बोर्ड का अधिवेशन किसी भी समय कोई भी निदेशक बुला सकेगा और निदेशक की अध्यपेक्षा पर प्रबंधक या सचिव बुलाएंगे।
- 20. (i) इस अधिनियम में अभिव्यक्त रूप से अन्यथा उपबंधित के सिवाय बोर्ड के किसी अधिवेशन में उद्भूत प्रश्नों पर विनिश्चय मतों की बहुसंख्या के अनुसार होगा।
- (ii) मतों के बराबर होने की दशा में, बोर्ड के अध्यक्ष का द्वितीय या निर्णायक मत होगा।
- 21. वे निदेशक इस बात के होते हुए भी कि बोर्ड में कोई रिक्ति है, जो बने रहते हुए कार्य कर सकेंगे, किंतु यदि और जब तक उनकी संख्या बोर्ड के अधिवेशन के लिए, अधिनियम द्वारा नियत गणपूर्ति (कोरम) से कम हो जाती है तब तक वह निदेशक या वे निदेशक जो बना रहता है या बने रहे हैं, निदेशकों की संख्या को बढ़ाकर इतनी कर देने के प्रयोजन के लिए जितनी गणपूर्ति (कोरम) के लिए नियत है, या कंपनी का साधारण अधिवेशन बुलाने के प्रयोजन के लिए कार्य कर सकेंगे किंतु अन्य प्रयोजन के लिए कार्य न कर सकेंगे

- 22. (i) बोर्ड अपने अधिवेशनों के लिए अध्यक्ष का निर्वाचन कर सकेगा और उस कालावधि का अवधारण कर सकेगा जिस तक उसे पद धारण करना है।
- (ii) यदि ऐसा कोई अध्यक्ष निर्वाचित नहीं होता है या यदि किसी अधिवेशन में अध्यक्ष उस समय के पश्चात्, जो अधिवेशन के लिए जाने के लिए नियत है, पांच मिनट के अंदर उपस्थित नहीं होता है तो उपस्थित निदेशक अपने में से किसी एक सदस्य को अधिवेशन का अध्यक्ष होने के लिए चून सकेंगे।
- 23. (i) अधिनियम के उपबंधों के अधीन रहते हुए, बोर्ड अपनी शक्तियों में से किसी शक्ति का प्रत्यायोजन अपने निकाय के ऐसे सदस्य या सदस्यों द्वारा मिलकर बनी समितियों को जैसे या जैसों को बोर्ड ठीक समझता है, कर सकेगा। (ii) ऐसी बनाई गई समिति अपने को ऐसे प्रत्यायोजित शक्तियों का प्रयोग करने में उन विनियमों का अनुपालन करेगी जो उस पर बोर्ड द्वारा अधिरोपित किए गए हों।
- 24. i) सिमिति अपने अधिवेशनों के लिए अध्यक्ष निर्वाचित कर सकेगी।
- (ii) यदि ऐसा कोई अध्यक्ष निर्वाचित नहीं होता है या यदि किसी अधिवेशन में उस समय के पश्चात् जो अधिवेशन के किए जाने के लिए नियत है, पांच मिनट के अंदर अध्यक्ष उपस्थित नहीं होता है तो उपस्थित सदस्य अपने में से किसी एक सदस्य को अधिवेशन का अध्यक्ष च्न सकेंगे।
- 25. i) समिति जैसा भी उचित समझे अपना अधिवेशन स्थगित कर सकेगी।
- (ii) समिति के किसी अधिवेशन में उठने वाले प्रश्न उपस्थित सदस्यों के मतों की बहुसंख्या द्वारा अवधारित किए जाएंगे और मतों के बराबर होने की दशा में अध्यक्ष को द्वितीय या निर्णायक मत प्राप्त होगा।
- 26. वे सब कार्य जो बोर्ड या उसकी समिति के किसी अधिवेशन द्वारा या निदेशक के रूप में कार्य करते हुए किसी व्यक्ति द्वारा, किए गए हैं तत्पश्चात् इस बात का पता चलने पर भी ऐसे निदेशकों में से किसी एक या अधिक की या पूर्वाक्त रूप से कार्य करने वाले किसी व्यक्ति की नियुक्ति में कोई तुटि थी या वे या उनमें से कोई निर्रह था ऐसे विधिमान्य होंगे ऐसा हर निदेशक या ऐसा व्यक्ति सम्यक् रूप से नियुक्त किया गया था और निदेशक होने के लिए अर्हित था।
- 27. अधिनियम में अभिव्यक्त रूप से अन्यथा उपबंधित के सिवाय वह लिखित संकल्प, जिस पर बोर्ड के या उसकी समिति के उन सभी सदस्यों ने, जो तत्समय बोर्ड के या समिति के अधिवेशन की सूचना प्राप्त करने के हकदार हैं, हस्ताक्षर कर दिए गए हैं ऐसे विधिमान्य और प्रभावी होगा मानो सम्यक् रूप से बुलाए गए

हांग्नहीं

हां/नहीं

हां/नहीं

हां/नहीं

और किए गए बोर्ड के या समिति के अधिवेशन में उसे पारित किया गया था।

मुख्य कार्यपालक अधिकारी, प्रबंधक, कंपनी सचिव या मुख्य वित्त अधिकारी

- 28. अधिनियम के उपबंधों के अध्यधीन-
- (i) बोर्ड द्वारा किसी मुख्य कार्यपालक अधिकारी, प्रबंधक, कंपनी सचिव या मुख्य वित्त अधिकारी को ऐसी अविध के लिए, ऐसे पारिश्रमिक पर और ऐसी शर्तों पर जैसा या जैसी बोर्ड ठीक समझे नियुक्त किया जाएगा और बोर्ड के द्वारा ऐसे नियुक्त मुख्य कार्यपालक अधिकारी, प्रबंधक, कंपनी सचिव या मुख्य वित्त अधिकारी को किसी संकल्प द्वारा हटा सकेगा;
- (ii) किसी निदेशक को मुख्य कार्यपालक अधिकारी प्रबंधक, कंपनी सचिव या मुख्य वित्त अधिकारी के रूप में नियुक्त किया जा सकेगा।
- 29. अधिनियम का या इन विनियमों का जो उपबंध किसी निदेशक और मुख्य कार्यपालक अधिकारी, प्रबंधक, कंपनी सचिव या मुख्य वित्त अधिकारी के द्वारा या उससे किसी बात के किए जाने की अपेक्षा करता है या उसका किया जाना प्राधिकृत करता है, उसकी पूर्ति ऐसे व्यक्ति के द्वारा या प्रति, जो एक साथ ही निदेशक और मुख्य कार्यपालक अधिकारी, प्रबंधक , कंपनी सचिव या मुख्य वित्त अधिकारी के रूप में या स्थान पर कार्य कर रहा है किए जाने से नहीं होगी।

मुद्रा

- 30. (i) बोर्ड, मुद्रा की सुरक्षित अभिरक्षा के लिए उपबंध करेगा।
- (ii) कंपनी की मुद्रा किसी लिखत पर बोर्ड या इस आधार पर उसके द्वारा प्राधिकृत बोर्ड की समिति के संकल्प के प्राधिकार से तथा कम से कम दो निदेशकों और सचिव की यी ऐसे अन्य व्यक्ति की, जिसे बोर्ड उस प्रयोजन के लिए नियुक्त करे, उपस्थिति में लगाए जाने के सिवाय न लगाई जाएगी, और वे दो निदेशक और सचिव या अन्य व्यक्ति, जैसा पूर्वोक्त है, उस हर लिखत पर जिस पर उनकी उपस्थिति में कंपनी की मुद्रा ऐसे लगाई गई है, हस्ताक्षर करेंगे।

िटप्पणः अनुच्छेदों पर संगम-ज्ञापन के प्रत्येक अभिदायी के हस्ताक्षर होंगे, जिनका अपना पता, विवरण, उपजीविका,यदि कोई है, कम से कम एक साक्षी के समक्ष, जो हस्ताक्षर तथा उसी रूप में दिए गए पते, विवरण और उपजीविका, यदि कोई है, का सत्यापन करेगा तथा ऐसे हस्ताक्षर नीचे विनिर्दिष्ट प्ररूप में दिया जाएगाः

AT/AT

4	11 II-@a@ 2(1)]	भारत का राजपत्र : असाधारण	 1
4	थिमदायियों के नाम, पते. विवरण और उपजीविकाएं	साक्षी (नाम, पता, विवरण तथा उपजीविका के साथ)	Ī
-	क,ख का विणिक	मेरे समक्ष हस्ताक्षरित	
		हस्ताक्षर	
	ग,घ का विणिक	मेरे सग्येक्ष हस्ताक्षरित	
		हस्ताक्षर	i
	इ.च का विणिक	मेरे समक्ष हस्ताक्षरित	
		हस्ताक्षर	
	छ,ज का वणिक	मेरे समक्ष हस्ताक्षरित	
-		हस्ताक्षर	
	झ,ञ का विणिक	मेरे समक्ष हस्ताक्षरित	
		हस्ताक्षर	
	ट,ठका विणिक	मेरे समक्ष हस्ताक्षरित	
		हस्ताक्षर	
	डढ का वणिक	मेरे समक्ष हस्ताक्षरित	
		हस्साक्षर	

तारीख	 मास	 20	

स्थान

[फा. सं. 1/13/2013/सीएल-V(पार्ट-I)] अमरदीप सिंह भाटिया, संयुक्त सचिव

टिप्पण - मूल नियम सा.का.नि. 250(अ) तारीख 31 मार्च, 2014 द्वारा भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशित किए गए थे।

MINISTRY OF CORPORATE AFFAIRS NOTIFICATION

New Delhi, the 1st May, 2015

- G.S.R. 349(E).—In exercise of the powers conferred by section 3, section 4, sub-sections (5) and (6) of section 5, section 6, sub-section (1) and (2) of section 7, sub-sections (1) and (2) of section 8, clauses (a) and (b) of sub-section (1) of section11, sub-sections (2), (3), (4) and (5) of section 12, sub-sections (3), (4) and the proviso to sub-section (5) of section 13, sub-section (2) of section 14, sub-section (1) of section 17, sub-sections (1) and (2) of section 20 read with sub-sections (1) and (2) of section 469 of the Companies Act, 2013 (18 of 2013), the Central Government hereby makes the following amendments to the Companies (Incorporation) Rules, 2014, namely: -
 - (1) These rules may be called the Companies (Incorporation) Amendment Rules, 2015.
 - (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
 - 2. In the Companies (Incorporation) Rules, 2014,-
 - (a) rule 5 shall be omitted;
 - (b) in rule 6, in sub-rule (1), for the words "exceeds fifty lakh rupees or its average annual turnover during the relevant period", the words "exceeds fifty lakh rupees and its average annual turnover during the relevant period" shall be substituted;
 - (c) in rule 7, in sub-rule (1), for the words "having paid up share capital of fifty lakhs rupees or less or average annual turnover, during the relevant period", the words "having paid up share capital of fifty lakhs rupees or less and average annual turnover during the relevant period" shall be substituted;
 - (d) after rule 7, the following rules shall be inserted; namely:-

- "7A. **Penalty.-** If a One Person Company or any officer of such company contravenes any of the provisions of these rules, the One Person Company or any officer of the such Company shall be punishable with fine which may extend to five thousand rupees and with a further fine which may extend to five hundred rupees for every day after the first offence during which such contravention continues";
- (e) in rule 8, in sub-rule (2), in clause (b), in súb-clause (xi), in the proviso, after the words and figures "under section 248 of the Act", the words, figures and brackets "or under section 560 of the Companies Act, 1956 (1 of 1956)" shall be inserted;
- (f) in rule 16, in sub-rule (1), for clause (q), the following shall be substituted, namely:-
- "(q) the promoter or first director shall self attest his signature and latest photograph in Form No.INC.10".
- (g) after rule 35, the following rule shall be inserted, namely: -
- "36. Integrated Process for Incorporation.-(1) For the purpose of simplifying the filing of forms for incorporation of a company, the integrated process shall apply with effect from 01/05/2015.
- (2) For the purposes of sub-rule (1), the application for allotment of Director Identification Number upto three Directors, reservation of a name, incorporation of company and appointment of Directors of the proposed company shall be filed in Integrated Form No. INC-29, for One Person Company, private company, public company and Producer Company, with the Registrar within whose jurisdiction the registered office of the company is proposed to be situated, along with the fee of rupees two thousand in addition to the registration fee as specified in Companies (Registration of Offices and Fees) Rules, 2014.
- (3) For the purposes of filing Integrated Incorporation form, the particulars of maximum of three directors shall be allowed to be filled in INC-29 and allotment of Director Identification Number of maximum of three proposed directors shall be permitted in Form INC-29 in case of proposed directors not having approved Director Identification Number.
- (4)The promoter or applicant of the proposed company shall propose only one name in e-form No. INC-29.

(5) The promoter or applicant of the proposed company may prepare Memorandum of Association as per templates in Form INC-30 and may opt for templates of Articles of Association in Form INC-31 in accordance with the provisions of rule 13 for preparation of Memorandum of Association and Article of Association.

- (6) The promoter or the applicant shall sign and witness, the Memorandum of Association and Articles of Association in the forms downloaded from the portal of the Ministry of Corporate Affairs and scanned legibly and attach to e-form INC-29 in accordance with the provisions of rule 13 for preparation of Memorandum of Association and Articles of Association.
- (7) The facility to file Integrated application for incorporation in Form INC-29 is available as an option to the process for separate applications for allotment of Director Identification Number, reservation of name and Incorporation of a company as provided in these rules.
- (8) For an application filed using the Integrated process of incorporation as provided in this rule, the provisions of sub-clause (i) of sub-section (5) of section 4 of the Act and rule 9 of these rules shall not apply.
- (9) A company using the provisions of this rule may furnish verification of its registered office under sub-section (2) of section 12 of the Act by filing e-Form INC-29 in which case the company shall attach along with such e-Form INC-29, any of the documents referred to in sub-rule (2) of rule 25.
- (10) The requirement of filing e-form INC-22 may be dispensed with if, the proposed company maintains its registered office at the given correspondence address.
- (11) The Registrar within whose jurisdiction the registered office of the company is proposed to be situated shall process INC-29 including application for allotment c' Director Identification Number.

(12) (a) Where the Registrar, on examining e-form INC-29, finds that it is necessary to call for further information or finds such application or document to be defective or incomplete in any respect, he shall give intimation to the applicant to remove the defects and re-submit the e-form within fifteen days from the date of such intimation given by the Registrar.

- (b) After the resubmission of the document, if the registrar still finds that the document is defective or incomplete in any respect, he shall give one more opportunity of fifteen days to remove such defects or deficiencies.
- (c) In case, the Registrar is of the opinion that the document is defective or incomplete in any respect after giving such two opportunities, the e-form INC-29 of the proposed company shall be rejected.
- (13) The Certificate of Incorporation shall be issued by the Registrar in Form No. INC-11".
- (h) in Annexure, in Form No. INC-11, for the words, figures and brackets "and rule 8 of the Companies (Incorporation) Rules, 2014", the words, figures and brackets "and rule 18 of the Companies (Incorporation) Rules, 2014", shall be substituted.
- (i) in Annexure,-
- (a) for Form No. INC-7, INC-10, INC-11 and INC-22, the following form shall, respectively be substituted, namely:-

FORM NO. INC-7

Pursuant to Section 7(1) of the Companies Act, 2013 and pursuant to Rule 10, 12, 14, and 15 of the Companies (Incorporation) Rules, 2014]



Application for Incorporation of Company (Other than OPC)

Form language o English o Hindi

Refer the	instruction	kit for	filing	the	form.
-----------	-------------	---------	--------	-----	-------

*Service Request Number (SR	N) of Form INC-1			Pre-Fill
(a) Name of the company				
(b) Type of Company is		(c) Class of Comp	any	
(d) Category	(e) Sub	category		
(f) Section 8 license number				•
*(g) Company is O Having share				
(a) Name of the state/Union t	erritory in which the	company is to be	registered	
(b) Name of the office of the Re	gistrar of Companie	s in which the com	pany is to be re	egistered
(c) *Whether the address for c	orrespondence will b	e the address of R	egistered office	of the Company
o Yes o No				
(d) Address for correspondence	till the registered of	fice of the compan	y is established	
*Line I				
Line II				
*City				
*State/Union Territory				
*District		*Pin code		
ISO Country code				
Country				
*Phone (With STD code) 91 -	- [-]			
Fax				
*email ID of the company				
I. *Capital structure of the con (a) Authorized capital of the con				
(i) No. of classes of equity		I number of equity	shares	
Total amount of equity s	hares (in Rs.)			
Number of equity shares	Nominal amount	per equity share	Total amount o	of equity shares
_				
	<u> </u>			
				,
			<u> </u>	

(i) No. of classes of equity	shares Total number of prefe	erence shares
Total amount of preferen		crence shares
Number of equity shares	Nominal amount per equity share	Total amount of equity shares
Trained of equity stores	Transmit amount per equity strate	, otal allosin or equity shalls
· ·		
(b) Subscribed capital of the c	ompany (in Rs.)	
(i) No. of classes of equity s	shares Total number of equity	y shares
Total amount of equity s	hares (in Rs.)	
Number of equity shares	Nominal amount per equity share	Total amount of equity shares
Committee - The Committee of the Committ		
		-
		
(i) No. of classes of aguity	charge Total number of profe	ranca charas
(i) No. of classes of equity		rence shares
Takal arrayers of arafaran	on charge (in Da \	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
Total amount of preferen		Total assount of courty charge
Total amount of preferen Number of equity shares	Nominal amount per equity share	Total amount of equity shares
		Total amount of equity shares
		Total amount of equity shares
		Total amount of equity shares
		Total amount of equity shares
		Total amount of equity shares
	Nominal amount per equity share	Total amount of equity shares
Number of equity shares *Details of number of members	Nominal amount per equity share	Total amount of equity shares
Number of equity shares Details of number of members a) Enter the maximum number	Nominal amount per equity share	Total amount of equity shares
*Details of number of members a) Enter the maximum number b) Maximum number of memb	Nominal amount per equity share of members	Total amount of equity shares
*Details of number of members a) Enter the maximum number	Nominal amount per equity share of members ers excluding proposed employees	Total amount of equity shares
*Details of number of members a) Enter the maximum number b) Maximum number of members c) Number of members d) Number of members excludi	Nominal amount per equity share of members ers excluding proposed employees ng proposed employee(s)	Total amount of equity shares
*Details of number of members a) Enter the maximum number b) Maximum number of members c) Number of members d) Number of members excluding the second of the	Nominal amount per equity share of members ers excluding proposed employees ng proposed employee(s)	Total amount of equity shares
*Details of number of members a) Enter the maximum number b) Maximum number of members c) Number of members d) Number of members excluding the second of the	Nominal amount per equity share of members ers excluding proposed employees ng proposed employee(s)	Total amount of equity shares
*Details of number of members a) Enter the maximum number b) Maximum number of members c) Number of members d) Number of members excluding the second of the	Nominal amount per equity share of members ers excluding proposed employees ng proposed employee(s)	Total amount of equity shares
*Details of number of members a) Enter the maximum number b) Maximum number of members d) Number of members excluding Main division of industrial actives of the main division	Nominal amount per equity share of members ers excluding.proposed employees ing proposed employee(s)	
Number of equity shares Details of number of members a) Enter the maximum number b) Maximum number of members c) Number of members excluding Main division of industrial actives of the main division (a) Whether the proposed company of the main division	Nominal amount per equity share of members ers excluding proposed employees ing proposed employee(s) outy of the company company shall be conducting any activities	s which require approval from any sec
Number of equity shares Details of number of members a) Enter the maximum number b) Maximum number of members c) Number of members excluding Main division of industrial actives exciption of the main division (a) Whether the proposed compagulator (Like RBI in case of Negulator	Nominal amount per equity share of members ers excluding.proposed employees ing proposed employee(s)	s which require approval from any sec
*Details of number of members a) Enter the maximum number b) Maximum number of members d) Number of members excluding Main division of industrial actives excitation of the main division (a) Whether the proposed compagnator (Like RBI in case of NE	Nominal amount per equity share of members ers excluding proposed employees ing proposed employee(s) ity of the company pany shall be conducting any activities affi and Banking activities) to commer	s which require approval from any seconce such activities
*Details of number of members a) Enter the maximum number b) Maximum number of members d) Number of members excluding Main division of industrial actives cription of the main division (a) Whether the proposed compagnitude (Like RBI in case of NE Yes o No	Nominal amount per equity share of members ers excluding proposed employees ing proposed employee(s) outy of the company company shall be conducting any activities	s which require approval from any seconce such activities

□ Yes

Years

If Duration of stay at present address is less than one year then address of previous residence

*Pin code

Months

*Whether present address is same as the permanent address

Present Address

*State/Union Territory

*Phone(With STD/ISD code).

*Duration of stay at present address

*ISO Country code

*Line II

*City

Country

Mobile Fax

*Res	idential Proof		.,	1	
1		<u></u>		j	
				ch company(s) (In ca	ase director or promoter in more than
thr	ee companies, atti Director	ach seperate sheet as an Promoter	n optional attachment) CIN		
-					
Na	me of the compan				
į	Director	Promoter	ĊIN	~ ~ 	
	[]				
Na	me of the compan	NY			
	Director	Promoter	CIN		
ĺ					Pre-fill all
Na	me of the compan	У			
* Pai	rticulars of auti Name of the	norised person authorised person			
b)	o Father's N	ame o Mother's N	ame o Spouse's n	ame	•
c)		fale o Female o Tran	sgender f) Date o	of Birth	
f)	Phone (With	STD/ISD code)			
g)		310/130 code)			
(If y	yes, entrenched mber of Articles	ticles are entrenched d Articles should be a s to which provisions to which provisions o	annexed thereto) of entrenchment sh	all be applicable	
r.	Article	Content			
lo.	Number				

(i) Details of stamp of Type of docum		Form IMC-7	Memorandum of	Articles of association
Particulars		FORM INC-7	association	A Boles of association
Amount of stamp outy to				
	stamp duty already pai			
Type of documenti Particulars	Form INC-7	Memorandum of association	Articles of association	Others
Total amount of starrp' duty paid (in Rs.)				
Mode of payment of stamp outy				
Name of veridor or Treasury or Authority prany other competent agency authorised to collect stamp duty or to sell stamp papers or to emboss the documents or to dispense stamp youthers on behalf of the Government				
Serial number of embossing or stamps or stamp paper or treasury obalian number	and the second s			
Registration number of vendor				
Date of purchase of stamps or stamp paper or payment of stamp outy (DD/MMYYYY)				
Place of purchase of stamps or stamp paper or payment of stamp duty				
stamps or stamp paper or payment of stamp outy (DD/MM/YYYY) Place of purchase of stamps or stamp paper or payment of stamp duty	ation for applying	Permanent Accoun	nt Number (PAN) a	and Tax Deduction Acc
Information specif				
Area code	AO type	Range	code A	O No.

1942 GI/15---1

Declaration

I *
a person named in the articles as a declare that all the requirements of the Companies Act, 2013 and the rules made thereunder in respect to the registration of the company and matters precedent or incidental thereto have been complied with. I am authorized by other promoters subscribing to the Memorandum of

Attach

14) Copy of resolution/consent by all the partners or board

resolution authorizing to subscribe to MOA

15) Optional attachment, if any

ssociation and Articles of As	ssociation and the first dire		
rm. It is further declared a			
information material to to original records maintain	the subject matter of this i	nents thereto is true, correct and form has been suppressed or conscribing to the Memorandum of As	cealed and is as per the
Association. I have opened all the atta	achments to this Form and	have verified these to be as per re	equirements, complete and
legible:		<u> </u>	· · ·
a/an	having	Membership number	and/or certificate of
practice number		give declaration under section 7(1
is attached		, the applicant, in the capa	city of
do hereby declare that v	what is stated above is true	e to the best of my information a	nd belief.
o be digitally signed by	T DOG DOW		
	DSC BOX	_	
signation]	
e manager or Membership	number of the company s	ecretary	
ote: Attention is drawn t any false or incorrect p tract punishment for fr	to provisions of section 7 particulars of any information 447.	7(5) and 7(6) which, <i>inter-alls</i> nation or suppression of any n . Attention is also drawn to p	naterial information she provisions of section 44
ite: Attention is drawn t any false or incorrect p tract punishment for fr d 449 which provide	o provisions of section 7 particulars of any inform aud under Section 447. for punishment for f	7(5) and 7(6) which, <i>inter-alla</i> nation or suppression of any n . Attention is also drawn to p raise statement and punish	naterial information she provisions of section 44
rte: Attention is drawn t any false or incorrect p tract punishment for fr d 449 which provide spectively.	to provisions of section 7 particulars of any information 447.	7(5) and 7(6) which, <i>inter-alla</i> nation or suppression of any n. Attention is also drawn to plaise statement and punishing the prescription of th	naterial information sha provisions of section 44 nent for false evidence
rte: Attention is drawn t any false or incorrect p tract punishment for fr d 449 which provide spectively.	o provisions of section 7 particulars of any inform aud under Section 447. for punishment for f	7(5) and 7(6) which, inter-alla nation or suppression of any nation is also drawn to palse statement and punishman punishman also drawn to palse statement and punishman punishm	naterial information sharprovisions of section 44 nent for false evidence
ote: Attention is drawn to any false or incorrect ptract punishment for fried 449 which provide spectively.	co provisions of section 7 particulars of any informand under Section 447, for punishment for f	7(5) and 7(6) which, <i>inter-alla</i> nation or suppression of any n. Attention is also drawn to plaise statement and punishing the prescription of th	naterial information sha provisions of section 44 nent for false evidence
rte: Attention is drawn to any false or incorrect per per per per per per per per per per	co provisions of section 7 particulars of any information and under Section 447. for punishment for f Check Form	Prescrutiny Aliza fring petals eForm filing date	naterial information sharprovisions of section 44 nent for false evidence
pote: Attention is drawn to any false or incorrect purishment for free drawn to the false of the	co provisions of section 7 particulars of any information and under Section 447. for punishment for f Check Form	7(5) and 7(6) which, inter-alla nation or suppression of any nation is also drawn to palse statement and punishman punishman also drawn to palse statement and punishman punishm	naterial information sharprovisions of section 44 nent for false evidence
pote: Attention is drawn to any false or incorrect per tract punishment for free drawn to describe the spectively. For office use only: eForm Service request num This e-Form is hereby regis	co provisions of section 7 particulars of any information and under Section 447. for punishment for f Check Form	Prescrutiny Aliza fring petals eForm filing date	naterial information sharprovisions of section 44 nent for false evidence
pte: Attention is drawn to any false or incorrect purishment for fried 449 which provide spectively. For office use only: eForm Service request num This e-Form is hereby regis Digital signature of the au	co provisions of section 7 particulars of any information and under Section 447. for punishment for f Check Form	Prescrutiny Abx fing cetals eForm filing date Confirm submission	naterial information sharprovisions of section 44 nent for false evidence
pte: Attention is drawn to any false or incorrect purishment for free drawn to despectively. For office use only: eForm Service request num This e-Form is hereby regis Digital signature of the au	co provisions of section 7 particulars of any information and under Section 447. for punishment for f Check Form	Prescrutiny Abx fing cetals eForm filing date Confirm submission	naterial information sharprovisions of section 44 nent for false evidence
rote: Attention is drawn to any false or incorrect putract punishment for frond 449 which provide espectively. For office use only: eForm Service request num This e-Form is hereby regis Digital signature of the au	co provisions of section 7 particulars of any information and under Section 447. for punishment for f Check Form	Prescrutiny Abx fing cetals eForm filing date Confirm submission	naterial information sharp provisions of section 44 ment for false evidence Submit

Form No. INC - 10

Form for verification of signature of subscribers [Pursuant to rule 16 (1) (q) of Companies (Incorporation) Rules,2014]

Size 4'*4' (passport size)

- 1. Names, Father's name and address of subscribers/first directors:
- 2. Two Specimen signatures:

(i)		
(ii)		

Attestation (To be self-attested with address)

Note:

- 1. In point no. 1 above, strike off whichever is not applicable.
- 2. Person who is attesting should indicate his/her name, address and ID number,

Registrar of Companies

(State)

Form No. INC-11

Certificate of Incorporation

[Pursuant to sub-section (2) of section7 of the Companies Act, 2013 and rule 18 ar	nd
sub-rule (13) of rule 36 of the Companies (Incorporation) Rules, 2014]	

I hereby certify that	(name of the company) is incorporated or
this day of two t	housand under the Companies Act, 2013
and that the company is limited by	shares / limited by guarantee/ unlimited company.
The CIN of the company is	
Given under my hand atthousand	this day of two
SEAL:	

FORM NO. INC-22

[Pursuant to section 12(2) & (4) of The Companies Act, 2013 and Rule 25 and 27 of The Companies (Incorporation) Rules



Notice of situation or change of situation of registered office

2014)	e Companies (Incorporation) Rules स्त्यमेव जयते registered Office
	language o English o Hindi r the instruction kit for filing the form.
1.	*This Form is for o New company o Existing company
2.	*(a) Corporate identity number (CIN) of company or SRN of Form No. INC-1 (b) Global location number (GLN) of company
3.	(a) Name of the company
	(b) Address of the registered office of the company
	(-) No
	(c) Name of the office of existing Registrar of Companies (RoC)
	(d) *Purpose of the form
	☐ Change within local limits of city, town or village
	☐ Change outside local limits of city, town or village, within the same RoC and state
	☐ Change in RoC within the same state
	☐ Change in state within the jurisdiction of same RoC
	☐ Change in state outside the jurisdiction of existing RoC
4.	Notice is hereby given that
••	*(a) The address of the registered office of the company with effect from
	o (DD/MM/YYYY) is
	o The date of incorporation of company is
	*Address Line I
	Line II
	* City
	* District
	* State/Union Territory
	Country
	*Pin code
	*Phone (with STD Code) 91 -
	*email ID

(b) *Registered office is o Owned by company

o Owned by director (Not taken on lease by company)

	any other entity/Person(Not taken on lease by company)
(c) *Name of office of proposed RoC or new R	oC
(d) Full address of the malice station and a sur-	
*Name	ose jurisdiction the registered office is situated
*Address Line I	
Address Line II	
*City	
State/Union Territory	
*Pin code	
(e) *Particulars of the Utility Services Bill dep (not older than two months)	icting the address of the registered office
5. (a) *SRN of Form MGT-14	
(b) *SRN of Form No. INC-28	
(c) *Date of order of the Central Government	nt [(DD/MM/YY)
Attachments	List of Attachments
(1) *Proof of Registered Office address (Conveyance/ Lease deed/Rent Agreement	
along with the rent receipts) etc.;	Attach
(2) *Copies of the utility bills as mentioned	Attach
above (not older than two months);	The Color of the C
(3) *A proof that the Company is permitted	Attach
to use the address as the registered	Name of the first of the control of
office of the Company if the same is owned	
by any other entity/ Person (not taken on lease by company);	
(4) *Copy of order of competent authority;	Attach
(5) List of all the companies (specifying their CIN)	Attach
having the same registered office address, if any;	Attach
(6) Optional attachment, if any.	Remo: authorities
	aration
1 *	
 A person named in the articles as a (Drop down: d have been authorized by the Board of Directors of 	lirector / manager / Company Secretary) of the company
 have been authorized by the Board of Directors of to sign this form and declare that 	the company vide resolution numberdeted
•	B and the rules made thereunder in respect of the subject
matter of this form and matters incidental thereto	
*I also declare that all the information given he	erein above is true, correct and complete including the
attachments to this form and nothing material has	
	on box), a (Drop down) {Values: Chartered Accountant/
Company Secretary/ Cost Accountant) having Men	nbership number and certificate of practice as been duly engaged for this purpose.
Certifying this form the	as open duly engaged for this purpose.
*To be digitally signed by DSC BOX	
*To be digitally signed by DSC BOX *Designation	
*Designation	
*Designation	
*Designation	

Certificate by practicing professional

I declare that I have been duly engaged for the purpose of certification of this form. It is hereby certified that I have gone through the provisions of The Companies Act, 2013 and rules thereunder for the subject matter of this form and matters incidental thereto and I have verified the above particulars (including attachment(s)) from the original records maintained by the company which is subject matter of this form and found them to be true, correct and complete and no information material to this form has been suppressed. I further certify that:

- The said records have been properly prepared, signed by the required officers of the company and maintained as per the relevant provisions of The Companies Act, 2013 and were found to be in order;
- 2. I have opened all the attachments to this Form and have verified these to be as per requirements, complete and legible;
- 3. I further declare that I have personally visited the registered office given in the form at the address mentioned herein above and verified that the said registered office of the company is functioning for the business purposes of the company.

	DSC BOX		
Chartered accountant (in who	ole-time practice) or	Cost accountant (in v	whole-time practice) or
Company secretary (in whole	e-time practice)		
Whether associate or fellow	○ Associate ←	Fellow	
Membership number			
Certificate of practice number			11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
: Attention is drawn to provis ment / certificate and punish	nment for false ev	ridence respectively.	
ment / certificate and punish		Prescrutiny	ide for punishment for false
Check r office use only:	Form	ridence respectively.	
ment / certificate and punish	Form	Prescrutiny Affix 5 tho detains	Selvice
check r office use only: form Service request number (SRN) gital signature of the authorising of	Form	Prescrutiny Affix 5 tho detains	Selvice
Check or office use only: form Service request number (SRN)	Form	Prescrutiny Affections details eForm filling date	Selvice

(b) after Form No. INC-28, the following forms shall be inserted, namely:-

POI	RM NO. IN	C-29		Integrated	Incorpora	ation]	Form	
53 e		ions 4,7,12, 152 and mies Act, 2013 read hereunder)						
		nglish o Hindi						
efer	the instructio	n kit for filing the form	n.					
1.	(a) *State the	e type of company						
	(b) *State the	e class of company o	Public o P	rivate o One Per	son Company	,		
	(c) *State th	e category of company						
	(d) *State th	e sub-category of comp	any					
	(e) *Compai	ny is 🛘 Having share o	apital []	Not having share	capital			
2.	•	vision of industrial activ	•		$\dot{\neg}$			
		of the main division						
		ber of Articles to which is of such articles Article Number		cription on entre		<u> </u>]
3.	(i) *Capital s	tructure of the compan	y					
	• •	ized share capital (in Ru						
	Authorized	i share capital		Equity	Prefere	nce	Unidentif	led
	Number of	shares						
		nount per share (in Rup	ees)					
	Total amou	nt (in Rupees)		<u> </u>			1	
	Total subscri	ibed share capital (in Ru	upees)				, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	
	Subscribed	l share capital		Equity	,		Preference	
	Number of	shares						
		nount per share (in Rup	ees)					
	Total amou	nt (in Rupees)		<u> </u>		<u> </u>		
	(ii) *Details	of number of members					i .	
	(a) Enter the	ne maximum number of	f members					
	(b) Maxim	um number of member	s excluding p	proposed employee	* \$			
		r of members						1
	(d) Numbe	r of members excluding	g proposed e	mployee(s)				

4. (a) *Correspondence address	
*Line I	T
Line II	
*City	
*State/Union Territory * Pin code *	
*District	
*Phone (with STD code)	
Fax	
*email ID of the company	
(b) *Whether the address for correspondence is the address of registered office of the comp	
(c) *Name of the office of the Registrar of Companies in which the proposed company is to	be registered
5. *Particulars of the proposed name	
5. *Particulars of the proposed name (a) Proposed name	
Significance of abbreviated or	
coined word in the proposed name	
State the name of the vernacular language(s) if used in the proposed	
name and meaning thereof	
(b) (i) *Whether the promoters are carrying on any Partnership firm, sole proprietary of	or o Yes o No
unregistered entity in the name as applied for	
If yes, whether the business of such entity shall be acquired	o Yes o No
(ii) *Whether the proposed name contains name of any person other than the promoter(s	o Yes o No
or their close blood relative(s)	
(iii) *Whether the proposed name includes the name of relative(s)	o Yes o No
(iv) *Whether approval from any sectoral regulator is required	o Yes o No
(v) Whether the name is similar to o Existing Indian Company o Foreign body corp	
[Attach the copy of No Objection Certificate by way of Board resolution (duly at	tested by a director
of that company)]	
Provide CIN Pre-fill	
Name of the Company	
(c) (i) *Whether the proposed name is based on a registered trademark or is subject man	ner of an application
pending for registration under the Trade Marks Act o Yes o No	
(ii) *Specify the class(s) of trade mark (refer the instruction kit for details)	
(iii) *Furnish the particulars of application and the approval of the applicant or owner of	f the trade mark

Father's middle name

*Father's surname			
*Gender	*Date o	of Birth	*Nationa
*Place of Birth			
*Whether citizen of In	idia o Yes o No	*Whether residen	it in India o Yes (
*Occupation type o Se	elf Employed o Profe	ssional o Homemake	er o Student o Serv
*Area of Occupation			
If 'Others' selected, pl	· · · L		
*Educational Qualification			
* □ PAN □ Passport	number		Verife Defails
*Designation			ategory
Whether Chairman			
*Name of the company	y or institution whose	nominee the appoint	ee is
<u> </u>			
*email ID			
Permanent Address			· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
*Line I			
Line II			
*City			
* State/ Union Territor			*Pin code
*ISO Country code	Country		
*Phone (with STD/ISI) code)	- [
*Whether present resid	lential address same ε	s permanent residenti	ial address o Yes o
Present address			
*Line I			
Line II			
*City			
L	у	*	*Pin code
*State/ Union Territory			
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	Country		
*State/ Union Territory		<u> </u>	
*State/ Union Territory *ISO Country code *Phone (with STD/ISD *Duration of stay at pr	D code)resent address	- Years	Months
*State/ Union Territory *ISO Country code *Phone (with STD/ISE	D code)resent address		
*State/ Union Territory *ISO Country code *Phone (with STD/ISD *Duration of stay at pr	D code)resent address		
*State/ Union Territory *ISO Country code *Phone (with STD/ISE *Duration of stay at pr If Duration of stay at p	D code)resent address		address of previous
*State/ Union Territory *ISO Country code *Phone (with STD/ISD *Duration of stay at pr	D code) resent address present address is less	s than one year then a	address of previous
*State/ Union Territory *ISO Country code *Phone (with STD/ISE *Duration of stay at profit of the proof of identity *Proof of identity	D code) resent address present address is less umber	s than one year then a	address of previous

en dage at soone en CET en all pour la companie de la la companie de la companie

Middle Name	1
*Surname	
*Father's first name	
Father's middle name	
*Father's surname	
*Gender *Date of Birth	*Nationality
*Place of Birth	
*Whether citizen of India o Yes o No *V	/hether resident in India o Yes o No
*Occupation type o Self Employed o Professiona	o Homemaker o Student o Serviceman
*Area of Occupation	
If 'Others' selected, please specify	
*Educational Qualification	
* □ PAN □ Passport number	
*Designation	*Category
Whether □ Chairman □ Executive director □ N	
*Name of the company or institution whose noming	
Name of the company of institution whose norm	the the appointed is
*email ID	
Permanent Address	
*Line I	
Line II	
*City	
* State/ Union Territory	*Pin code
*ISO Country code Country	Timeode
*Phone (with STD/ISD code)	
*Whether present residential address same as perm	anent regidential address a Ves a No
	arient residential address 0 1 es 0 140
Present address *Line I	
Line II	
*City	
*State/ Union Territory	*Pin code
*ISO Country code Country	
*Phone (with STD/ISD code	
*Duration of stay at present address	Years Months
If Duration of stay at present address is less than	
*Proof of identity	*Residential Proof

*Address Nature of	Submit the pr	oof of identity	and proof of ac	ddress unde	r attachm	ents.	
Preference shares umber of entities in which director have interest *Registration number *Name *Address Nature of	Kind of share	s subscribed	Number of su	ıbscribed sha	ires 🗀 📗	Amount of sh	ares subscrib
*Registration number *Name *Address Nature of	Equity shares	3		200.00	•		Lysics Halasty Analysis
*Registration number *Name *Address Nature of	,				•		
*Name *Address Nature of	lumber of ent	ities in which di	irector have inte	rest			:
*Address Nature of *Designation Percentage of Shareholding Amount Others (specify) culars of individual first subscriber(s) (other than subscriber cum director) Director Identification number (DIN) Pre-Fill Name Kind of shares subscribed Number of subscribed shares Equity shares Perference shares Prist Name tiddle Name Sumanne Father's first name ather's middle name Father's surname Gender *Date of Birth *Nationality Place of Birth *Nat	*Registration	number					
Nature of interest	*Name						
Nature of interest	*Address						
Percentage of Shareholding Amount Others (specify) culars of individual first subscriber(s) (other than subscriber cum director) Director Identification number (DIN) Name Kind of shares subscribed First Name Riddle Name Surname Father's first name ather's middle name Father's surname Gender Pate of Birth *Nationality Place of Birth	•						
Percentage of Shareholding Amount Others (specify) culars of individual first subscriber(s) (other than subscriber cum director) Director Identification number (DIN) Name Kind of shares subscribed First Name Riddle Name Surname Father's first name ather's middle name Father's surname Gender Pate of Birth *Nationality Place of Birth				·			- -
Others (specify) culars of individual first subscriber(s) (other than subscriber cum director) Director Identification number (DIN) Name Kind of shares subscribed Number of subscribed shares Preference shares Preference shares First Name Liddle Name Surname Father's first name ather's middle name Father's surname Gender Pate of Birth *Nationality	Nature of	*Designation				7	
Others (specify) culars of individual first subscriber(s) (other than subscriber cum director) Director Identification number (DIN) Name Kind of shares subscribed Number of subscribed shares Preference shares Priest Name Iddle Name Surname Father's first name ather's middle name Gender *Date of Birth *Nationality	interest	Percentage of	Shareholding [Amount		-
Culars of individual first subscriber(s) (other than subscriber cum director) Director Identification number (DIN) Name Kind of shares subscribed Number of subscribed shares Preference shares Preference shares First Name Iddle Name Sumame Father's first name ather's middle name Father's surname Gender *Date of Birth *Nationality							
Kind of shares subscribed. Number of subscribed shares. Annual of shares appears. Equity shares Preference shares First Name Liddle Name Surname Father's first name ather's middle name Father's surname Gender *Date of Birth *Nationality		vidual first subs	scriber(s) (other	than subscrib	ber cum di	[
Equity shares Preference shares First Name Iddle Name Surname Father's first name ather's middle name Father's surname Gender Pate of Birth *Nationality	Director Iden	vidual first subs	scriber(s) (other	than subscrit	ber cum di	[
Preference shares Pirst Name Liddle Name Surname Father's first name ather's middle name Father's surname Gender *Date of Birth *Nationality	Director Iden	l vidual first subs	scriber(s) (other er (DIN)			Pre-Fill	way sala anan sa
Surname Father's first name ather's middle name Father's surname Gender	Director Iden Name Kind of share	vidual first subs stification numbers	scriber(s) (other er (DIN)			Pre-Fill	
Surname Father's first name ather's middle name Father's surname Gender	Director Iden Name Kind of share Equity shares	vidual first substification numbers s subscribed	scriber(s) (other er (DIN)			Pre-Fill	
Surname Father's first name ather's middle name Father's surname Gender	Director Iden Name Kind of share Equity shares	vidual first substification numbers s subscribed	scriber(s) (other er (DIN)			Pre-Fill	
Father's first name ather's middle name Father's surname Gender	Director Iden Name Kind of share Equity shares Preference sh	vidual first substification numbers s subscribed	scriber(s) (other er (DIN)			Pre-Fill	
ather's middle name Father's surname Gender	Director Iden Name Kind of share Equity shares Preference sh	vidual first substification numbers s subscribed	scriber(s) (other er (DIN)			Pre-Fill	
Father's surname Gender	Director Iden Name Kind of share Equity shares Preference sh First Name Aiddle Name	vidual first substification numbers s subscribed	scriber(s) (other er (DIN)			Pre-Fill	
Gender *Date of Birth *Nationality *Nationality	Name Kind of share Equity shares Preference share Aiddle Name Surname	vidual first substification numbers subscribed	scriber(s) (other er (DIN)			Pre-Fill	
Place of Birth	Director Iden Name Kind of share Equity shares Preference sh First Name Aiddle Name Surname Father's first	vidual first substiffication numbers subscribed	scriber(s) (other er (DIN)			Pre-Fill	
Place of Birth	Name Kind of share Equity shares Preference sh First Name Aiddle Name Surname Father's first	ividual first substitification numbers s subscribed nares name	scriber(s) (other er (DIN)			Pre-Fill	
Occupation type o Self Employed o Professional o Homemaker o Student o Serviceman	Name Kind of share Equity shares Preference sh First Name Aiddle Name Surname Father's first	ividual first substitification numbers s subscribed nares name	Scriber(s) (other er (DIN)	bscribed sha		Pre-Fill	
	Name Kind of share Equity shares Preference sh First Name Aiddle Name Surname Father's first ather's middle	s subscribed s name e name ame	Scriber(s) (other er (DIN)	bscribed sha		Pre-Fill	

* PAN Passport number
*email ID
Permanent Address
*Line I
Line II
*City
* State/ Union Territory *Pin code
*ISO Country code Country
*Phone (with STD/ISD code) -
*Whether present residential address same as permanent residential address o Yes o No
Present address
*Line I
Line II
*City
*State/ Union Territory
*ISO Country code Country
*Phone (with STD/ISD code
*Duration of stay at present address Years Months
If Duration of stay at present address is less than one year then address of previous residence
*Proof of identity
Submit the proof of identity and proof of address under attachments.
Kind of shares subscribed Number of subscribed shares Amount of shares subscribed
Equity shares
Preference shares
(e) *Particulars of non-individual first subscriber(s)
*Category
*Corporate identity number(CIN) or foreign company registration number(FCRN) or any other registration number
*Name of the body corporate
Registered office address or Principal place of business in India or Principal place of business outside India
*Line I
Line II
*State /Union Territory *Pin code
*ISO Country code

1	Country				
	*Phone (With STD/ISD cod	ie) -			
	Fax				
	*email id	-			
İ	Particulars of the author	rised person			
	*First Name				
İ	Middle Name				
	*Surname				
	*Father's First Name				
l	Father's Middle Name				
ĺ	*Father's Surname				
	* Gender	*Date of Birth		*Nationality	
ļ	*Income tax PAN				
40.	*Place of Birth (District & S	State)			
	*Occupation type				
	*Area of Occupation				
	*Educational qualification				
	Present Address				
-	*Line I				
	Line II				
ĺ	*City				
Ì	*State /Union Territory		*Pin c	ode	:
	ISO Country code				
	Country				
İ	*Phone (With STD/ISD cod	le)			
ļ	Mobile				
	Fax				
	*email id				
1	Kind of shares subscribed	Number of	subscribed shares	Amount of shares sut	bscribed
	Equity shares				
	Preference shares				
{	(a) *Nomination				
7.	I *				
7.	I * the subscriber to the memor	randum of association of	of		
7.	the subscriber to the memor	randum of association of	of ·		
7.	,	randum of association of	Df .		
7.	the subscriber to the memor	ber of the company in t	the event of my death o	r incapacity to contract.	I declare that) Rules, 2014
7.	do hereby nominate * who shall become the memor	ber of the company in the mean	the event of my death o	r incapacity to contract. ompanies (Incorporation)	I declare that) Rules, 2014

*First Name	
Middle Name	
*Surname	
*Father's First Name	
Father's Middle Name	
Father's Surname	
Gender *Date of Birth Nationality	
·Income- tax PAN Verify Details	
*Place of Birth (District & State)	
*Occupation type	
Area of Occupation	
*Educational qualification	
Permanent Address	
*Line I	
Line II	
*City	
*State /Union Territory *Pin code	
*ISO Country code	
Country	
*Phone (With STD/ISD code) -	
Mobile	
Fax	
'email id	
*Whether present address is same as the permanent address □ Yes □ No	
Present Address	
*Line I	
Line II	
*City	
*State/Union Territory *Pin code *Pin code	
ISO Country code	
Country	
Phone (With STD/ISD code)	
Mobile	
Fax	
Duration of stay at present address Years Months	
If Duration of stay at present address is less than one year then address of previous residence	
1	

Type of documer Particulars	nV		Form		norandum of	Artic	les of association	
Amount of stamp duty to b	e paid (in Rs.)							
(ii) Provide details of stamp outy already paid								
Type of document/ Particulars	Form		Memorandum of association		Articles of association		Others	
otal amount of stamp ity paid (in Rs.)		=						
ode of payment of amp duty								
ame of vendor or wasury or Authority any other competent pency authorised to illect stamp duty or to ill stamp papers or to mboss the documents or dispense stamp suchers on behalf of the overnment								
erial number of obsising or stamps or amp paper or treasury valian number			· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			•		
egistration number of endor		_			<u></u>			
ate of purchase of amps or stamp paper or syment of stamp outy DMMYYYYY)								
ace of purchase of emps or stamp paper payment of stamp duty				+				

	Area code	AO type	Range c	ode	1 OA	lo.		
Inf	ormation specific to TA	N						
	Area code	AO type	Range	ode	AO	No.]	
]	
Sou	urce of Income							
	come from Business/profes	ssion 🛮 Capital Ga	ins a Inc	ome from hou	se prope	rty		
lac	come from other source	□ No Incom			•	•		
3usir	ness/Profession code							
				Fundama 6				/EET
	Additional Information	ror Employer registi Establishmen –		Employee S	tate Inst	irance C	orporatio)U (E216
	e of Unit		τ	Mork Cub (ntoeon.			
xac	ct nature of Work/ Busines	ss carried on		Work Sub o	ategory			
nd/ er so	is information is mand or TAN at the time of i eparate procedure pres	incorporation of a c	ompany. Th				•	_
nd/ er so	or TAN at the time of	incorporation of a c	ompany. Th				•	_
nd/ er so atta 1.	or TAN at the time of i eparate procedure pres chments *Memorandum of assoc	incorporation of a c scribed by e-Biz por iation;	ompany. Th				•	_
nd/ er so ttac 1. 2.	or TAN at the time of incomments *Memorandum of association;	incorporation of a c scribed by e-Biz por iation;	ompany. Th	is facility is			•	_
id/ er so ttac 1. 2.	or TAN at the time of i eparate procedure pres chments *Memorandum of assoc	incorporation of a c scribed by e-Biz por iation;	ompany. Th	Attach			•	_
tta 1. 2. 3.	chments *Memorandum of assoc *Articles of Association; *Affidavit and declara director(s); Proof of Office address	incorporation of a c scribed by e-Biz por iation; tion by first subscr s (Conveyance/ Lease	ompany. Th tal. riber(s) and	Attach			•	_
tta: 1. 2. 3.	or TAN at the time of incomments *Memorandum of associantion; *Affidavit and declaration director(s); Proof of Office address Agreement etc. along w	incorporation of a control of a	ompany. Th tal. riber(s) and e deed/Rent	Attach Attach			•	_
nd/ er so ttac 1. 2. 3. 4.	chments *Memorandum of assoc *Articles of Association; *Affidavit and declara director(s); Proof of Office address	incorporation of a control of a	ompany. Th tal. riber(s) and e deed/Rent onths);	Attach Attach Attach Attach Attach			•	_
er so ttta 11. 22. 33.	or TAN at the time of incomparate procedure preschments *Memorandum of associantion; *Affidavit and declarated director(s); Proof of Office address Agreement etc. along with Copy of the utility bills (incorporation of a conscribed by e-Biz por interest in the construction by first subscribed (Conveyance/ Lease ith rent receipts); not older than two monof the trademark or the conscribed in the construction of the constructio	ompany. The tal. Tiber(s) and the deed/Rent conths); the applicant	Attach Attach Attach Attach Attach Attach Attach			•	_
tta 1. 2. 3. 4.	chments *Memorandum of assoc *Articles of Association; *Affidavit and declara director(s); Proof of Office address Agreement etc. along w Copy of the utility bills (Approval of the owner of such application for r Proof of relation;	incorporation of a coscribed by e-Biz por iation; ition by first subscribed from the companient of the trademark or the gistration of Tradem	ompany. Th tal. liber(s) and e deed/Rent onths); he applicant ark;	Attach Attach Attach Attach Attach Attach Attach			•	_
tta: 1. 2. 3. 4.	chments *Memorandum of assoc *Articles of Association; *Affidavit and declara director(s); Proof of Office address Agreement etc. along w Copy of the utility bills (Approval of the owner of such application for r Proof of relation; NOC from the sole pro	incorporation of a coscribed by e-Biz por iation; ition by first subscribed from the companient of the trademark or the gistration of Tradem	ompany. Th tal. liber(s) and e deed/Rent onths); he applicant ark;	Attach Attach Attach Attach Attach Attach Attach Attach Attach			•	_
tta(1. 2. 3. 4. 5. 6.	chments *Memorandum of assoc *Articles of Association; *Affidavit and declara director(s); Proof of Office address Agreement etc. along w Copy of the utility bills (Approval of the owner of such application for r Proof of relation; NOC from the sole pro existing company;	incorporation of a coscribed by e-Biz por iation; ition by first subscribed from the companient of the trademark or the gistration of Tradem prietor/partners/other	ompany. Th tal. liber(s) and e deed/Rent onths); he applicant ark;	Attach Attach Attach Attach Attach Attach Attach Attach Attach Attach			•	_
tta(1. 2. 3. 4. 5. 6.	chments *Memorandum of assoc *Articles of Association; *Affidavit and declara director(s); Proof of Office address Agreement etc. along w Copy of the utility bills (Approval of the owner of such application for r Proof of relation; NOC from the sole pro existing company; NOC from any other per	incorporation of a coscribed by e-Biz por iation; ition by first subscribed from the companient of the trademark or the gistration of Tradem prietor/partners/other son;	ompany. The tal. Tiber(s) and the deed/Rent conths); the applicant ark;	Attach Attach Attach Attach Attach Attach Attach Attach Attach Attach Attach Attach Attach			•	_
nd/ er se ttae 1. 2. 3. 4. 5. 6.	chments *Memorandum of assoc *Articles of Association; *Affidavit and declara director(s); Proof of Office address Agreement etc. along w Copy of the utility bills (Approval of the owner of such application for r Proof of relation; NOC from the sole pro existing company; NOC from any other per Copy of certificate of in corporate and resolution	incorporation of a coscribed by e-Biz por iation; iation; ition by first subscribed from the subscribed fr	ompany. The tal. Tiber(s) and the deed/Rent conths); the applicant ark;	Attach Attach Attach Attach Attach Attach Attach Attach Attach Attach Attach Attach Attach Attach Attach Attach Attach Attach			•	_
nd/ er so ttac 1. 2. 3. 4. 5. 6. 9. 110.	or TAN at the time of inceparate procedure preschements *Memorandum of association; *Affidavit and declarated director(s); Proof of Office address Agreement etc. along we Copy of the utility bills (Approval of the owner of such application for inceparate procession of the sole procession of the sole procession of the company; NOC from the sole procession of the company; NOC from any other per Copy of certificate of incorporate and resolution Resolution passed by pressore.	incorporation of a coscribed by e-Biz por interest subscribed by first subscribed by f	ompany. The tal. Tiber(s) and the deed/Rent conths); the applicant ark;	Attach Attach			•	_
nd/ er so 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.	chments *Memorandum of assoc *Articles of Association; *Affidavit and declara director(s); Proof of Office address Agreement etc. along w Copy of the utility bills (Approval of the owner of such application for r Proof of relation; NOC from the sole pro existing company; NOC from any other per Copy of certificate of in corporate and resolution Resolution passed by pr	incorporation of a coscribed by e-Biz por iation; iation; ition by first subscribed receipts); not older than two moof the trademark or the trademark or the gistration of Tradem prietor/partners/other son; incorporation of the fin passed; omoter company; in company;	ompany. The tal. Tiber(s) and the deed/Rent conths); the applicant ark;	Attach Attach			•	_
ttac 11. 22. 33. 4. 5. 66. 7. 88. 9. 110.	chments *Memorandum of assoc *Articles of Association; *Affidavit and declara director(s); Proof of Office address Agreement etc. along w Copy of the utility bills (Approval of the owner of such application for r Proof of relation; NOC from the sole pro existing company; NOC from any other per Copy of certificate of in corporate and resolution Resolution passed by pr NOC from existing India Interest of first director(incorporation of a coscribed by e-Biz por iation; iation; ition by first subscribed receipts); not older than two moof the trademark or the registration of Tradem prietor/partners/other son; incorporation of the fin passed; omoter company; in company;	ompany. The tal. Tiber(s) and the deed/Rent conths); the applicant ark;	Attach Attach			•	_
nd/er so tttac 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14.	chments *Memorandum of assoc *Articles of Association; *Affidavit and declara director(s); Proof of Office address Agreement etc. along w Copy of the utility bills (Approval of the owner of such application for r Proof of relation; NOC from the sole pro existing company; NOC from any other per Copy of certificate of in corporate and resolution Resolution passed by pr NOC from existing India Interest of first director(Consent of Nominee;	incorporation of a coscribed by e-Biz por iation; iation; ition by first subscribed from the subscribed from the subscribed from the trademark or the gistration of Tradem prietor/partners/other son; incorporation of the fin passed; omoter company; in company; is in other entities;	ompany. The tal. Tiber(s) and the deed/Rent conths); the applicant ark; the associates/	Attach Attach			•	_
nd/er so	chments *Memorandum of association; *Affidavit and declaradirector(s); Proof of Office address Agreement etc. along w Copy of the utility bills (Approval of the owner of such application for r Proof of relation; NOC from the sole proexisting company; NOC from any other per Copy of certificate of in corporate and resolution Resolution passed by pr NOC from existing India Interest of first director(Consent of Nominee; Proof of identity & reside	incorporation of a coscribed by e-Biz por interest subscribed by first subscribed by f	company. The tal. Tiber(s) and the deed/Rent conths); the applicant tark; the associates/ Toreign body cribers;	Attach Attach			•	_
nd/ er so tttac 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13.	chments *Memorandum of assoc *Articles of Association; *Affidavit and declara director(s); Proof of Office address Agreement etc. along w Copy of the utility bills (Approval of the owner of such application for r Proof of relation; NOC from the sole pro existing company; NOC from any other per Copy of certificate of in corporate and resolution Resolution passed by pr NOC from existing India Interest of first director(Consent of Nominee;	incorporation of a coscribed by e-Biz por iation; iation; ition by first subscribed from the subscribed receipts; inot older than two monof the trademark or the trademark or the gistration of Tradem prietor/partners/other son; incorporation of the fin passed; incompany; incompany; is in other entities; incential address of subscential address of nomi	company. The tal. Tiber(s) and the deed/Rent conths); the applicant tark; the associates/ Toreign body cribers;	Attach Attach			•	_

	19.	Proof of identity and address of Applicant III;	Attach			
	20.	Optional attachment(s), (if any)	Attach			
					Remove attachment	1
		Declaration				
	*I ha	eve gone through the provisions of the Companies Act, 2013,	the rules th	ierei	inder and prescribed guideli	nes
		ed thereunder in respect of reservation of name, understood				
	in co	nformity thereof.				
	*i ha	ve used the search facilities available on the portal of the Min	istry of Corp	orat	e Affairs (MCA) for checking	the
		mblance of the proposed name with the companies and L				100000000000000000000000000000000000000
		dy registered or the names already approved. I have also used			- Table 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1	
		e proposed name with registered trademarks and trade mark				54.2 (1228.95)
		1999 and other relevant search for checking the resemblance				
		pliance of the provisions of the Act for resemblance of name a proposed name is not in violation of the provisions of Embler				A
u		as amended from time to time.	iis anu i va ini	E3 (F	revention of improper osers	
		proposed name is not offensive to any section of people, e.	g nronosed	nam	e does not contain profanite	
_		is or phrases that are generally considered a slur against an et				
		proposed name is not such that its use by the company will o				hue
		g in force.			•	1.00
		ndertake to be fully responsible for the consequences in c	ase the nar	ne is	s subsequently found to be	e Im
,	cont	ravention of the provisions of section 4(2) and section 4(4) of	the Compan	ies A	ct, 2013 and rules thereto a	nd1
		also gone through and understood the provisions of section			· ·	013
		rules thereunder and fully declare myself responsible for the c	consequence	s the	ereof.	
	*1					4.
		rson named in the articles as a director of the company has pany to sign this form and declare that all the requirements				100 74 100
		eunder in respect of Director Identification Number (DIN), reg			The state of the s	4 5 12 12 12
		cidental thereto have been complied with.	istration or t		ompany and maccoro present	
		authorized by the promoter subscribing to the Memorandur	m of Associa	tion	and Articles of Association	and
		irst director(s) to give this declaration and to sign and submit				I I W
	*I am	authorised by each subscriber to declare that company shall	not comme	ence	its business, unless each	1 4 2
		criber has paid the value of the shares agreed to be taken by h	nim at the tir	ne o	f subscribing to the Memora	nde
		sociation;				
		her declare that, company shall not commence its business, u	inless all the	requ	ired approval from the secto	oral
_	_	lators such as RBI, SEBI etc. have been obtained;	41 - 4 45			و ا
		pehalf of the promoters and the first directors, hereby declare		-	•	1 34 50
		acknowledging all communications and notices addressed to t tained at the given address at item no. 4 of this form;	ne proposeu	CON	ipany on incorporation, see	
		n behalf of all the first director(s) named in the Articles of A	ssociation o	f the	nrondsed company solem	بعاد
		ire, that the declaration given herein as stated above are tru				
		mation given in this integrated application form for incorpor			•	1000
		plete, and nothing relevant to this form has been suppres			•	4. 177 778
		pletely, correctly and legibly attached to this form and are		_	•	tie :
	-	oters subscribing to the Memorandum of Association and Art				
		behalf of the proposed Directors whose particulars for allotr				ACC - 1 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2
		leclare that they are not restrained, disqualified, removed for			The state of the s	11 1 45 5 668
		provisions of the Companies Act, 2013 including sections a aimed offender by any Economic Offence Court or Judicial Ma				100 700
		not been already allotted a Director Identification Number (DIN	_			16.5 / 186
		The state of the s	., aşıacı sect	.0111	J. of the companies Act, 40	

	further declare that I have read and understood the provisions of Sections 154, 155, 447 and 448 read with ons 449, 450 and 451 of the Companies Act, 2013.
2 (315 445, 430 and 431 of the Companies Act, 2013.
Laving	Membership number and/or certificate of practice number
145	en engaged to give declaration under section 7(1) (b) and such declaration is attached.
aw fal aunish	Attention is drawn to the provisions of sections 7(5) and 7(6) which, <i>inter-alia</i> , provides that increasing of section incorrect particulars of any information or suppression of any material information shall attract ment for fraud under section 447. Attention is also drawn to provisions of section 448 and 449 which provide also instructions are statement and punishment for false evidence respectively.
'To be	digitally signed by director DSC BOX
. raine c	Later concerns and the
MIG	PAN CONTRACTOR OF A DATE AND A DESCRIPTION OF A DESCRIPTI
	Declaration and Certification by Professional
ember	of [
aving of	fice at *
t this fo tereund ecluding this form	ngaged in the formation of the company declare that I have been duly engaged for the purpose of certification rm. It is hereby also certified that I have gone through the provisions of the Companies Act, 2013 and rules let for the subject matter of this form and matters incidental thereto and I have verified the above particulars attachment(s)) from the original/certified records maintained by the applicant which is subject matter of and found them to be true, correct and complete and no information material to this form has been ed. I further certify that;
10	the draft memorandum and articles of association have been drawn up in conformity with the provisions of sections 4 and 5 and rules made thereunder; and
1107	all the requirements of Companies Act, 2013 and the rules made thereunder relating to registration of the
	company under section 7 of the Act and matters precedent or incidental thereto have been complied with. The said records have been properly prepared, signed by the required officers of the Company and
	maintained as per the relevant provisions of the Companies Act, 2013 and were found to be in order;
(\$ c })	have opened all the attachments to this form and have verified these to be as per requirements, complete
	and legible;
(M)	I further declare that I have personally visited the proposed registered office given in the form at the
	address mentioned herein above and verified that the said proposed registered office of the company is
	functioning for the business purposes of the company (wherever applicable in respect of the proposed registered office has been given).
***/	It is understood that I shall be liable for action under Section 448 of the Companies Act, 2013 for wrong
	certification, if any found at any stage.

* Chartered accountan Company secretary (t (in whole-time practice) or	Cost accountant (in whole-	time practice) or
*Whether associate or fell			
* Membership number			
Certificate of practice nur	nber		
*Income-tax PAN	1		
Medé,	Check Form	Prescrutiny	Submit
For office use only:		Affix filing details	
eForm Service request num	nber (SRN)	eForm filing date	(DD/MM/YYYY)
This e-Form is hereby regis	stered		
Digital signature of the au	ithorising officer	Ochfirm submission	
Date of signing	ſ	(DD/MM/YYYY)	
		······································	
			
FORM NO. I	NC-30	Memorand	lum of Assoc iatic
[Pursuant to Schedule I	-		
sections 4 and 5) to the Act, 2013]	Companies		
Acc, 2013)			
Form language O English (Refer the instruction kit for *Select the appropriate the companies Act, 2013	or filing the form.	company as notified under	schedule I of the
	BY SHA		
		Limited / Private Limit	
•		situated in the State of	*******************************
3rd (a) The objects to be pur		ce of the objects specified in	clause 3(a) are
		this liability is limited to the	
any, on the shares held by t		,	
		pany is	rupees, divided
intosh			- 4i
		addresses are subscribed, ar emorandum of association, a	
-	-	the company set against our	-
	ou mie oupitui Oi	tompany bet abaniot out	

Names, addresses, descriptions and occupations of subscriber	No. of shares taken by each subscriber	Signature of subscriber	Signature, names, addresses, description and occupations of witnesses.
A.B. ofMerchant			Signed before me: Signature
Total shares taken	•••••		

7th I, whose name and address is given below, am desirous of forming a company in pursuance of this memorandum of association and agree to take all the shares in the capital of the company (Applicable in case of one person company):—

Names, addresses, descript and occupations of subscrib		name and	es, addresses, occupations of

8th Shri/Sm	t, son/daught	er of	, resident of	aged	years
	nominee in the event of			-	•
one person o	ompany)				
Dated	the day of				

Table B - MEMORANDUM OF ASSOCIATION OF A COMPANY LIMITED BY GUARANTEE AND NOT HAVING A SHARE CAPITAL

1st The name of the company is "	Limited/Private Limited".
2nd The registered office of the comp	pany will be situated in the State of
3rd (a) The objects to be pursued by t	he company on its incorporation are:—
(b) Matters which are necessary for	or furtherance of the objects specified in clause 3(a) are:-

- (b) Matters which are necessary for furtherance of the objects specified in clause 3(a) are:—4th The liability of the member(s) is limited.
- 5th Every member of the company undertakes to contribute:
- (i) to the assets of the company in the event of its being wound up while he is a member, or within one year after he ceases to be a member, for payment of the debts and liabilities of the company or of such debts and liabilities as may have been contracted before he ceases to be a member; and
- (ii) to the costs, charges and expenses of winding up (and for the adjustment of the rights of the contributories among themselves), such amount as may be required, not exceeding.....rupees.

6th We, the several persons, whose names and addresses are subscribed, are desirous of being formed into a company in pursuance of this memorandum of association.

Names, addresses, descriptions and occupations of subscriber	Signature of subscriber	Signature, description witnesses.	names, and occ	address cupations	′ 1
ABC ofmerchant		Signed before Signature			

	THE OMELLIAE OF HADIA	LATIONORUMANT	[IARIII GEC. D
7th I, whose name and add of this memorandum of as	dress is given below, an	n desirous of forming	a company in pursuance
Names, addresses, descri			names, addresses,
		, ,	n and occupations of
and occupations of subsc	riber		
		witnesses.	
ABC ofmerchant		1 -	fore me
		Signature	
			aged years shall be
the nominee in the event	of death of the sole me	mber (Applicable in	case of one person
company)			•
Dated t	he day of		
Table C- MEMOR	ANDUM OF ASSO	CIATION OF A	COMPANY LIMITED
BY GU	ARANTEE AND H	AVING A SHAR	E CAPITAL
D1 30.			
1st The name of the com	many is "	Limited/Priva	ate Limited''
2nd The registered office			
3rd (a) The objects to be			
			ecified in clause 3(a) are:—
` '	•	nce of the objects spe	cerried in clause 3(a) are.
4th The liability of the m		4 . 11 4	
5th Every member of the			1.1.1
			up while he is a member, o
			e debts and liabilities of the
<u> </u>	ots and liabilities as ma	y have been contrac	ted before he ceases to be
member; and			
			djustment of the rights of the
contributories among	themselves), such	amount as	may be required, no
exceeding	rupees.		
6th The share ca	pital of the com	npany is	rupees, divide
into	.shares of	rupees each	· -
			are desirous of being forme
			we respectively agree to take
the number of shares in t			
		,	
Names, addresses,	No. of shares taken by	Signature	of Signature, names,
descriptions and	each subscriber	subscriber	addresses, description
1 -	each subscriber	Subscriber	and occupations of
occupations of			
subscriber			witnesses.
A.B. ofMerchant	•••••		Signed before me:
			Signature
r i	1	,	•

8th I, whose name and address is given below, am desirous of forming a company in pursuance of this memorandum of association and agree to take all the shares in the capital of the company (Applicable in case of one person company):—

Names, addresses, descriptions and occupations of subscriber	Signature of subscriber	Signature, description witnesses.	names, and oc		- 1
ABC ofmerchant		Signed before me Signature			

9th Shri/Smt	son/daughter of	, resident of	aged	years shall be
the nominee in the eve	ent of death of the sole me	mber (Applicable i	n case of one	person
company)				
Dated	the day of	•••••		•

Table D- MEMORANDUM OF ASSOCIATION OF AN UNLIMITED COMPANY AND NOT HAVING SHARE CAPITAL

1st The name of the company is	··Company··.
2nd The registered office of the	company will be situated in the State of
3rd (a) The objects to be pursued	l by the company on its incorporation are:—

- (b) Matters which are necessary for furtherance of the objects specified in clause 3(a) are:—4th The liability of the member(s) is unlimited.
- 5th We, the several persons, whose names and addresses are subscribed are desirous of being formed into a company in pursuance of this memorandum of association.

Names, addresses, descriptions and occupations of subscriber	Signature of subscriber	Signature, names, description and occup		 ′ 1
		witnesses.		
ABC ofmerchant		Signed before	re me .	
		Signature	•	

6th I, whose name and address is given below, am desirous of forming a company in pursuance of this memorandum of association (Applicable in case of one person company):—

Names, addresses, descriptions	Signature of subscriber	Signature,	nam	es,	address	ses,
and occupations of subscriber		description witnesses.	and	occup	ations	of
ABC ofmerchant		Signed before Signature		• • • •		

7th Shri/Smt, son/daughter of.	resident of	aged	years shall be
the nominee in the event of death of t		_	
company)			-
Dated the day of			

Company"

2

The name of the company is "

Table E- MEMORANDUM OF ASSOCIATION OF AN UNLIMITED COMPANY AND HAVING SHARE CAPITAL

(b) Matters which are the The liability of the me				,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	 2 (c)
		f the com			rupees, divided
into 6th We, the several pers					d, are desirous of being
formed into a company is	n pursuan	ice of this mem	orandum o	f association a	nd we respectively agree
to take the number of sh	ares in th	e capital of the	company	set against our	respective names:—
31	No of a	hana talan hu	Ciamatura	e of	Signature, names,
Names, addresses, descriptions and	each sul	hares taken by	Signature subscribe		addresses, description
occupations of	Cacii suc	03011001	Subscribe	•	and occupations of
subscriber				,	witnesses.
A.B. ofMerchant		:			Signed before me: Signature
			<u> </u>		
7th I, whose name and a this memorandum of as (Applicable in case of o	sociation	and agree to t	n desirous ake all the	of forming a cestares in the	company in pursuance of capital of the company
Names, addresses, desc and occupations of sub-	criptions		ubscriber	Signature, description witnesses.	names, addresses, and occupations of
ADC -Cb				Signed befor	e me
ABC ofmerchant		•			

the nominee in the event of death of the sole member (Applicable in case of one person company)

Dated..... the day of.....

FORM NO. INC-31

Articles of Association

[Pursuant to Schedule I (see Sections 4 and 5) to the Companies Act, 2013)]

Form language O English O Hindi

Refer the instruction kit for filing the form.

1.	*Select the appropriate tabl	e applicable to	company as	s notified	under	schedule	I of
	the companies Act, 2013						

Articl e No.	Description	Applicable Y/N
	Interpretation	
1	(1) In these regulations— (a) "the Act" means the Companies Act, 2013, (b) "the seal" means the common seal of the company. (2) Unless the context otherwise requires, words or expressions contained in these regulations shall bear the same meaning as in the Act or any statutory	o Yes o No
	modification thereof in force at the date at which these regulations become binding on the company.	

2	(i) Every person whose name is entered as a member in the register of members shall be entitled to receive within two months after incorporation, in case of subscribers to the memorandum or after allotment or within one month after the application for the registration of transfer or transmission or within such other period as the conditions of issue shall be provided,— (a) one certificate for all his shares without payment of any charges; or (b) several certificates, each for one or more of his shares, upon payment of twenty rupees for each certificate after the first. (ii) Every certificate shall be under the seal and shall specify the shares to which it relates and the amount paid-up thereon. (iii) In respect of any share or shares held jointly by several persons, the company shall not be bound to issue more than one certificate, and delivery of a certificate for a share to one of several joint holders shall be sufficient delivery to all such holders	o Yes o No
3	(i) If any share certificate be worn out, defaced, mutilated or torn or if there be no further space on the back for endorsement of transfer, then upon production and surrender thereof to the company, a new certificate may be issued in lieu thereof, and if any certificate is lost or destroyed then upon proof thereof to the satisfaction of the company and on execution of such indemnity as the company deem adequate, a new certificate in lieu thereof shall be given. Every certificate under this Article shall be issued on payment of twenty rupees for each certificate. (ii) The provisions of Articles (2) and (3) shall mutatis mutandis apply to debentures of the company.	o Yes o No
4	Except as required by law, no person shall be recognised by the company as holding any share upon any trust, and the company shall not be bound by, or be compelled in any way to recognise (even when having notice thereof) any equitable, contingent, future or partial interest in any share, or any interest in any fractional part of a share, or (except only as by these regulations or by law otherwise provided) any other rights in respect of any share except an absolute right to the entirety thereof in the registered holder.	o Yes o No
5	(i) The company may exercise the powers of paying commissions conferred by sub-section (6) of section 40, provided that the rate per cent or the amount of the commission paid or agreed to be paid shall be disclosed in the manner required by that section and rules made thereunder. (ii) The rate or amount of the commission shall not exceed the rate or amount prescribed in rules made under sub-section (6) of section 40. (iii) The commission may be satisfied by the payment of cash or the allotment of fully or partly paid shares or partly in the one way and partly in the other.	o Yes o No
		1

6	(i) If at any time the share capital is divided into different classes of shares, the rights attached to any class (unless otherwise provided by the terms of issue of the shares of that class) may, subject to the provisions of section 48, and whether or not the company is being wound up, be varied with the consent in writing of the holders of three-fourths of the issued shares of that class, or with the sanction of a special resolution passed at a separate meeting of the holders of the shares of that class. (ii) To every such separate meeting, the provisions of these regulations relating to general meetings shall mutatis mutandis apply, but so that the necessary quorum shall be at least two persons holding at least one-third of the issued shares of the class in question.	o Yes o No
7	The rights conferred upon the holders of the shares of any class issued with preferred or other rights shall not, unless otherwise expressly provided by the terms of issue of the shares of that class, be deemed to be varied by the creation or issue of further shares ranking pari passu therewith.	o Yes o No
8	Subject to the provisions of section 55, any preference shares may, with the sanction of an ordinary resolution, be issued on the terms that they are to be redeemed on such terms and in such manner as the company before the issue of the shares may, by special resolution, determine.	o Yes o No
	Lien	
9	(i) The company shall have a first and paramount lien— (a) on every share (not being a fully paid share), for all monies (whether presently payable or not) called, or payable at a fixed time, in respect of that share; and (b) on all shares (not being fully paid shares) standing registered in the name of a single person, for all monies presently payable by him or his estate to the company: Provided that the Board of directors may at any time declare any share to be wholly or in part exempt from the provisions of this clause. (ii) The company's lien, if any, on a share shall extend to all dividends payable and bonuses declared from time to time in respect of such shares.	o Yes o No
10	The company may sell, in such manner as the Board thinks fit, any shares on which the company has a lien: Provided that no sale shall be made— (a) unless a sum in respect of which the lien exists is presently payable; or (b) until the expiration of fourteen days after a notice in writing stating and demanding payment of such part of the amount in respect of which the lien exists as is presently payable, has been given to the registered holder for the time being of the share or the person entitled thereto by reason of his death or insolvency.	o Yes o No

11	(i) To give effect to any such sale, the Board may authorise some person to transfer the shares sold to the purchaser thereof (ii) The purchaser shall be registered as the holder of the shares comprised in any such transfer. (iii) The purchaser shall not be bound to see to the application of the purchase money, nor shall his title to the shares be affected by any irregularity or invalidity in the proceedings in reference to the sale.	1
12	(i) The proceeds of the sale shall be received by the company and applied in payment of such part of the amount in respect of which the lien exists as is presently payable. (ii) The residue, if any, shall, subject to a like lien for sums not presently payable as existed upon the shares before the sale, be paid to the person entitled to the shares at the date of the sale. Calls on shares	o Yes o No
13	(i) The Board may, from time to time, make calls upon the members in respect of any monies unpaid on their shares (whether on account of the nominal value of the shares or by way of premium) and not by the conditions of allotment thereof made payable at fixed times: Provided that no call shall exceed one-fourth of the nominal value of the share or be payable at less than one month from the date fixed for the payment of the last preceding call. (ii) Each member shall, subject to receiving at least fourteen days' notice specifying the time or times and place of payment, pay to the company, at the time or times and place so specified, the amount called on his shares. (iii) A call may be revoked or postponed at the discretion of the Board.	o Yes o No
14	A call shall be deemed to have been made at the time when the resolution of the Board authorizing the call was passed and may be required to be paid by instalments.	o Yes o No
15	The joint holders of a share shall be jointly and severally liable to pay all calls in respect thereof:	o Yes o No
16	(i) If a sum called in respect of a share is not paid before or on the day appointed for payment thereof, the person from whom the sum is due shall pay interest thereon from the day appointed for payment thereof to the time of actual payment at ten per cent per annum or at such lower rate, if any, as the Board may determine. (ii) The Board shall be at liberty to waive payment of any such interest wholly or in part.	o Yes o No

: 27	(i) Any sum which by the terms of issue of a share becomes payable on allotment or at any fixed date, whether on account of the nominal value of the share or by way of premium, shall, for the purposes of these regulations, be deemed to be a call duly made and payable on the date on which by the terms of issue such sum becomes payable. (ii) In case of non-payment of such sum, all the relevant provisions of these regulations as to payment of interest and expenses, forfeiture or otherwise shall apply as if such sum had become payable by virtue of a call duly made and notified.	o Yes o No
18	The Board— (a) may, if it thinks fit, receive from any member willing to advance the same, all or any part of the monies uncalled and unpaid upon any shares held by him; and (b) upon all or any of the monies so advanced, may (until the same would, but for such advance, become presently payable) pay interest at such rate not exceeding, unless the company in general meeting shall otherwise direct, twelve per cent per annum, as may be agreed upon between the Board and the member paying the sum in advance.	o Yes o No
in the state of th	Transfer of shares	
19	(i) The instrument of transfer of any share in the company shall be executed by or on behalf of both the transferor and transferee. (ii) The transferor shall be deemed to remain a holder of the share until the name of the transferee is entered in the register of members in respect thereof.	o Yes o No
20	The Board may, subject to the right of appeal conferred by section 58 decline to register— (a) the transfer of a share, not being a fully paid share, to a person of whom they do not approve; or (b) any transfer of shares on which the company has a lien.	o Yes o No
23	The Board may decline to recognise any instrument of transfer unless— (a) the instrument of transfer is in the form as prescribed in rules made under sub-section (1) of section 56; (b) the instrument of transfer is accompanied by the certificate of the shares to which it relates, and such other evidence as the Board may reasonably require to show the right of the transferor to make the transfer; and (c) the instrument of transfer is in respect of only one class of shares.	o Yes o No
22	On giving not less than seven days' previous notice in accordance with section 91 and rules made thereunder, the registration of transfers may be suspended at such times and for such periods as the Board may from time to time determine: Provided that such registration shall not be suspended for more than thirty days at any one time or for more than forty-five days in the aggregate in any year.	o Yes o No
	Transmission of shares	

23	(i) On the death of a member, the survivor or survivors where the member was a joint holder, and his nominee or nominees or legal representatives where he was a sole holder, shall be the only persons recognised by the company as having any title to his interest in the shares (ii) Nothing in clause (i) shall release the estate of a deceased joint holder from any liability in respect of any share which had been jointly held by him with other persons.	o Yes o No
24	(i) Any person becoming entitled to a share in consequence of the death or insolvency of a member may, upon such evidence being produced as may from time to time properly be required by the Board and subject as hereinafter provided, elect, either— (a) to be registered himself as holder of the share; or (b) to make such transfer of the share as the deceased or insolvent member could have made. (ii) The Board shall, in either case, have the same right to decline or suspend registration as it would have had, if the deceased or insolvent member had transferred the share before his death or insolvency.	o Yes o No
25	(i) If the person so becoming entitled shall elect to be registered as holder of the share himself, he shall deliver or send to the company a notice in writing signed by him stating that he so elects. (ii) If the person aforesaid shall elect to transfer the share, he shall testify his election by executing a transfer of the share. (iii) All the limitations, restrictions and provisions of these regulations relating to the right to transfer and the registration of transfers of shares shall be applicable to any such notice or transfer as aforesaid as if the death or insolvency of the member had not occurred and the notice or transfer were a transfer signed by that member.	o Yes o No
26	A person becoming entitled to a share by reason of the death or insolvency of the holder shall be entitled to the same dividends and other advantages to which he would be entitled if he were the registered holder of the share, except that he shall not, before being registered as a member in respect of the share, be entitled in respect of it to exercise any right conferred by membership in relation to meetings of the company: Provided that the Board may, at any time, give notice requiring any such person to elect either to be registered himself or to transfer the share, and if the notice is not complied with within ninety days, the Board may thereafter withhold payment of all dividends, bonuses or other monies payable in respect of the share, until the requirements of the notice have been complied with.	o Yes o No

27	In case of a One Person Company— (i) on the death of the sole member, the person nominated by such member shall be the person recognised by the company as having title to all the shares of the member; (ii) the nominee on becoming entitled to such shares in case of the member's death shall be informed of such event by the Board of the company; (iii) such nominee shall be entitled to the same dividends and other rights and liabilities to which such sole member of the company was entitled or liable; (iv) on becoming member, such nominee shall nominate any other person with the prior written consent of such person who, shall in the event of the death of the member, become the member of the company.	o Yes o No
	Forfeiture of shares	
28	If a member fails to pay any call, or instalment of a call, on the day appointed for payment thereof, the Board may, at any time thereafter during such time as any part of the call or instalment remains unpaid, serve a notice on him requiring payment of so much of the call or instalment as is unpaid, together with any interest which may have accrued.	o Yes o No
29	The notice aforesaid shall— (a) name a further day (not being earlier than the expiry of fourteen days from the date of service of the notice) on or before which the payment required by the notice is to be made; and (b) state that, in the event of non-payment on or before the day so named, the shares in respect of which the call was made shall be liable to be forfeited.	o Yes oʻNo
30	If the requirements of any such notice as aforesaid are not complied with, any share in respect of which the notice has been given may, at any time thereafter, before the payment required by the notice has been made, be forfeited by a resolution of the Board to that effect.	o Yes o No
31	(i) A forfeited share may be sold or otherwise disposed of on such terms and in such manner as the Board thinks fit. (ii) At any time before a sale or disposal as aforesaid, the Board may cancel the forfeiture on such terms as it thinks fit.	o Yes o No
32	(i) A person whose shares have been forfeited shall cease to be a member in respect of the forfeited shares, but shall, notwithstanding the forfeiture, remain liable to pay to the company all monies which, at the date of forfeiture, were presently payable by him to the company in respect of the shares. (ii) The liability of such person shall cease if and when the company shall have received payment in full of all such monies in respect of the shares.	o Yes o No
33	(i) A duly verified declaration in writing that the declarant is a director, the manager or the secretary, of the company, and that a share in the company has been duly forfeited on a date stated in the declaration, shall be conclusive evidence of the facts therein stated as against all persons claiming to be entitled to the share; (ii) The company may receive the consideration, if any, given for the share on any sale or disposal thereof and may execute a transfer of the share in favour of the person to whom the share is sold or disposed of; (iii) The transferee shall thereupon be registered as the holder of the share; and	o Yes o No

		-, 1918
	(iv) The transferee shall not be bound to see to the application of the purchase money, if any, nor shall his title to the share be affected by any irregularity or invalidity in the proceedings in reference to the forfeiture, sale or disposal of the share.	
34	The provisions of these regulations as to forfeiture shall apply in the case of nonpayment of any sum which, by the terms of issue of a share, becomes payable at a fixed time, whether on account of the nominal value of the share or by way of premium, as if the same had been payable by virtue of a call duly made and notified.	o Yes o No
	Alteration of capital	
35	The company may, from time to time, by ordinary resolution increase the share capital by such sum, to be divided into shares of such amount, as may be specified in the resolution.	o Yes o No
36	Subject to the provisions of section 61, the company may, by ordinary resolution,— (a) consolidate and divide all or any of its share capital into shares of larger amount than its existing shares; (b) convert all or any of its fully paid-up shares into stock, and reconvert that stock into fully paid-up shares of any denomination; (c) sub-divide its existing shares or any of them into shares of smaller amount than is fixed by the memorandum; (d) cancel any shares which, at the date of the passing of the resolution, have not been taken or agreed to be taken by any person.	o Yes o No
37	Where shares are converted into stock,— (a) the holders of stock may transfer the same or any part thereof in the same manner as, and subject to the same regulations under which, the shares from which the stock arose might before the conversion have been transferred, or as near thereto as circumstances admit: Provided that the Board may, from time to time, fix the minimum amount of stock transferable, so, however, that such minimum shall not exceed the nominal amount of the shares from which the stock arose. (b) the holders of stock shall, according to the amount of stock held by them, have the same rights, privileges and advantages as regards dividends, voting at meetings of the company, and other matters, as if they held the shares from which the stock arose; but no such privilege or advantage (except participation in the dividends and profits of the company and in the assets on winding up) shall be conferred by an amount of stock which would not, if existing in shares, have conferred that privilege or advantage. (c) such of the regulations of the company as are applicable to paid-up shares shall apply to stock and the words "share" and "shareholder" in those regulations shall include "stock" and "stock-holder" respectively.	o Yes o No
38	The company may, by special resolution, reduce in any manner and with, and subject to, any incident authorised and consent required by law,— (a) its share capital; (b) any capital redemption reserve account; or (c) any share premium account.	o Yes o No

Capitalisation of profits	
(i) The company in general meeting may, upon the recommendation of the Board. (a) that it is desirable to capitalise any part of the amount for the time being standing to the credit of any of the company's reserve accounts, or to the credit of the, profit and loss account, or otherwise available for distribution; and (b) that such sum be accordingly set free for distribution in the manner specified in clause (ii) amongst the members who would have been entitled thereto, if distributed by way of dividend and in the same proportions. (ii) The sum aforesaid shall not be paid in cash but shall be applied, subject to the provision contained in clause (iii), either in or towards— (A) paying up any amounts for the time being unpaid on any shares held by such members respectively; (B) paying up in full, unissued shares of the company to be allotted and distributed, credited as fully paid-up, to and amongst such members in the proportions (C) partly in the way specified in sub-clause (A) and partly in that specified in sub-clause (B); (D) A securities premium account and a capital redemption reserve account may, for the purposes of this regulation, be applied in the paying up of unissued shares to be issued to members of the company as fully paid bonus shares; (C) The Board shall give effect to the resolution passed by the company in pursuance of this regulation.	o Yes o No
(i) Whenever such a resolution as aforesaid shall have been passed, the Board shell— (ii) make all appropriations and applications of the undivided profits resolved to be capitalised thereby, and all allotments and issues of fully paid shares if any, and (b) generally do all acts and things required to give effect thereto. (ii) The Board shall have power— (a) to make such provisions, by the issue of fractional certificates or by payment in cash or otherwise as it thinks fit, for the case of shares becoming distributable in fractions; and (b) to authorise any person to enter, on behalf of all the members entitled thereto, into an agreement with the company providing for the allotment to them respectively, credited as fully paid-up, of any further shares to which they may be entitled upon such capitalisation, or as the case may require, for the payment by the company on their behalf, by the application thereto of their respective proportions of profits resolved to be capitalised, of the amount or any part of the amounts remaining unpaid on their existing shares; (iii) Any agreement made under such authority shall be effective and binding on such members.	o Yes o No

	Buy-back of shares	
41	Notwithstanding anything contained in these articles but subject to the provisions of sections 68 to 70 and any other applicable provision of the Act or any other law for the time being in force, the company may purchase its own shares or other specified securities.	o Yes o No
	General meetings	
42	All general meetings other than annual general meeting shall be called extraordinary general meeting.	o Yes o No
43	 (i) The Board may, whenever it thinks fit, call an extraordinary general meeting. (ii) If at any time directors capable of acting who are sufficient in number to form a quorum are not within India, any director or any two members of the company may call an extraordinary general meeting in the same manner, as nearly as possible, as that in which such a meeting may be called by the Board. 	o Yes o No
	Proceedings at general meetings	
44	 (i) No business shall be transacted at any general meeting unless a quorum of members is present at the time when the meeting proceeds to business. (ii) Save as otherwise provided herein, the quorum for the general meetings shall be as provided in section 103. 	o Yes o No
45	The chairperson, if any, of the Board shall preside as Chairperson at every general meeting of the company.	o Yes o No
46	If there is no such Chairperson, or if he is not present within fifteen minutes after the time appointed for holding the meeting, or is unwilling to act as chairperson of the meeting, the directors present shall elect one of their members to be Chairperson of the meeting.	o Yes o No
47	If at any meeting no director is willing to act as Chairperson or if no director is present within fifteen minutes after the time appointed for holding the meeting, the members present shall choose one of their members to be Chairperson of the meeting.	o Yes o No
48	In case of a One Person Company— (i) the resolution required to be passed at the general meetings of the company shall be deemed to have been passed if the resolution is agreed upon by the sole member and communicated to the company and entered in the minutes book maintained under section 118; (ii) such minutes book shall be signed and dated by the member; (iii) the resolution shall become effective from the date of signing such minutes by the sole member.	o Yes o No

	Proxy	
57	The instrument appointing a proxy and the power-of-attorney or other authority, if any, under which it is signed or a notarised copy of that power or authority, shall be deposited at the registered office of the company not less than 48 hours before the time for holding the meeting or adjourned meeting at which the person named in the instrument proposes to vote, or, in the case of a poll, not less than 24 hours before the time appointed for the taking of the poll; and in default the instrument of proxy shall not be treated as valid.	o Yes o No
58	An instrument appointing a proxy shall be in the form as prescribed in the rules made under section 105	o Yes o No
59	A vote given in accordance with the terms of an instrument of proxy shall be valid, notwithstanding the previous death or insanity of the principal or the revocation of the proxy or of the authority under which the proxy was executed, or the transfer of the shares in respect of which the proxy is given: Provided that no intimation in writing of such death, insanity, revocation or transfer shall have been received by the company at its office before the commencement of the meeting or adjourned meeting at which the proxy is used.	o Yes o No
	Board of Directors	
60	The number of the directors and the names of the first directors shall be determined in writing by the subscribers of the memorandum or a majority of them.	o Yes o No
61	(i) The remuneration of the directors shall, in so far as it consists of a monthly payment, be deemed to accrue from day-to-day. (ii) In addition to the remuneration payable to them in pursuance of the Act, the directors may be paid all travelling, hotel and other expenses properly incurred by them— (a) in attending and returning from meetings of the Board of Directors or any committee thereof or general meetings of the company; or (b) in connection with the business of the company.	o Yes o No
62	The Board may pay all expenses incurred in getting up and registering the company.	o Yes o No
63	The company may exercise the powers conferred on it by section 88 with regard to the keeping of a foreign register; and the Board may (subject to the provisions of that section) make and vary such regulations as it may thinks fit respecting the keeping of any such register.	o Yes o No
64	All cheques, promissory notes, drafts, hundis, bills of exchange and other negotiable instruments, and all receipts for monies paid to the company, shall be signed, drawn, accepted, endorsed, or otherwise executed, as the case may be, by such person and in such manner as the Board shall from time to time by resolution determine	o Yes o No
55	Every director present at any meeting of the Board or of a committee thereof shall sign his name in a book to be kept for that purpose.	o Yes o No

66	 (i) Subject to the provisions of section 149, the Board shall have power at any time, and from time to time, to appoint a person as an additional director, provided the number of the directors and additional directors together shall not at any time exceed the maximum strength fixed for the Board by the articles. (ii) Such person shall hold office only up to the date of the next annual general meeting of the company but shall be eligible for appointment by the company as a director at that meeting subject to the provisions of the Act. 	o Yes o No
	Proceedings of the Board	
67	(i) The Board of Directors may meet for the conduct of business, adjourn and otherwise regulate its meetings, as it thinks fit. (ii) A director may, and the manager or secretary on the requisition of a director shall, at any time, summon a meeting of the Board.	o Yes o No
68	(i) Save as otherwise expressly provided in the Act, questions arising at any meeting of the Board shall be decided by a majority of votes. (ii) In case of an equality of votes, the Chairperson of the Board, if any, shall have a second or casting vote.	o Yes o No
69	The continuing directors may act notwithstanding any vacancy in the Board; but, if and so long as their number is reduced below the quorum fixed by the Act for a meeting of the Board, the continuing directors or director may act for the purpose of increasing the number of directors to that fixed for the quorum, or of summoning a general meeting of the company, but for no other purpose.	o Yes o No
70	(i) The Board may elect a Chairperson of its meetings and determine the period for which he is to hold office. (ii) If no such Chairperson is elected, or if at any meeting the Chairperson is not present within five minutes after the time appointed for holding the meeting, the directors present may choose one of their number to be Chairperson of the meeting.	o Yes o No
71	(i) The Board may, subject to the provisions of the Act, delegate any of its powers to committees consisting of such member or members of its body as it thinks fit. (ii) Any committee so formed shall, in the exercise of the powers so delegated, conform to any regulations that may be imposed on it by the Board.	o Yes o No
72	(i) A committee may elect a Chairperson of its meetings. (ii) If no such Chairperson is elected, or if at any meeting the Chairperson is not present within five minutes after the time appointed for holding the meeting, the members present may choose one of their members to be Chairperson of the meeting.	o Yes o No
73	(i) A committee may meet and adjourn as it thinks fit. (ii) Questions arising at any meeting of a committee shall be determined by a majority of votes of the members present, and in case of an equality of votes, the Chairperson shall have a second or casting vote.	o Yes o No

74	All acts done in any meeting of the Board or of a committee thereof or by any person acting as a director, shall, notwithstanding that it may be afterwards discovered that there was some defect in the appointment of any one or more of such directors or of any person acting as aforesaid, or that they or any of them were disqualified, be as valid as if every such director or such person had been duly appointed and was qualified to be a director.	o Yes o No
75	Save as otherwise expressly provided in the Act, a resolution in writing, signed by all the members of the Board or of a committee thereof, for the time being entitled to receive notice of a meeting of the Board or committee, shall be valid and effective as if it had been passed at a meeting of the Board or committee, duly convened and held.	o Yes o No
76	In case of a One Person Company— (i) where the company is having only one director, all the businesses to be transacted at the meeting of the Board shall be entered into minutes book maintained under section 118; (ii) such minutes book shall be signed and dated by the director; (iii) the resolution shall become effective from the date of signing such minutes by the director.	o Yes o No
	Chief Executive Officer, Manager, Company Secretary or Chief Financial	
	Officer	
77	Subject to the provisions of the Act,— (i) A chief executive officer, manager, company secretary or chief financial officer may be appointed by the Board for such term, at such remuneration and upon such conditions as it may thinks fit; and any chief executive officer, manager, company secretary or chief financial officer so appointed may be removed by means of a resolution of the Board; (ii) A director may be appointed as chief executive officer, manager, company secretary or chief financial officer	o Yes o No
78	A provision of the Act or these regulations requiring or authorising a thing to be done by or to a director and chief executive officer, manager, company secretary or chief financial officer shall not be satisfied by its being done by or to the same person acting both as director and as, or in place of, chief executive officer, manager, company secretary or chief financial officer.	o Yes o No
	The Seal	
79	(i) The Board shall provide for the safe custody of the seal. (ii) The seal of the company shall not be affixed to any instrument except by the authority of a resolution of the Board or of a committee of the Board authorised by it in that behalf, and except in the presence of at least two directors and of the secretary or such other person as the Board may appoint for the purpose; and those two directors and the secretary or other person aforesaid shall sign every instrument to which the seal of the company is so affixed in their presence.	o Yes o No
	Dividends and Reserve	
80	The company in general meeting may declare dividends, but no dividend shall exceed the amount recommended by the Board.	o Yes o No

81	Subject to the provisions of section 123, the Board may from time to time pay	o Yes o No
	to the members such interim dividends as appear to it to be justified by the profits of the company.	
82	(i) The Board may, before recommending any dividend, set aside out of the profits of the company such sums as it thinks fit as a reserve or reserves which shall, at the discretion of the Board, be applicable for any purpose to which the profits of the company may be properly applied, including provision for meeting contingencies or for equalizing dividends; and pending such application, may, at the like discretion, either be employed in the business of the company or be invested in such investments (other than shares of the company) as the Board may, from time to time, thinks fit. (ii) The Board may also carry forward any profits which it may consider necessary not to divide, without setting them aside as a reserve	o Yes o No
83	(i) Subject to the rights of persons, if any, entitled to shares with special rights as to dividends, all dividends shall be declared and paid according to the amounts paid or credited as paid on the shares in respect whereof the dividend is paid, but if and so long as nothing is paid upon any of the shares in the company, dividends may be declared and paid according to the amounts of the shares. (ii) No amount paid or credited as paid on a share in advance of calls shall be treated for the purposes of this regulation as paid on the share. (iii) All dividends shall be apportioned and paid proportionately to the amounts paid or credited as paid on the shares during any portion or portions of the period in respect of which the dividend is paid; but if any share is issued on terms providing that it shall rank for dividend as from a particular date such share shall rank for dividend accordingly.	o Yes o No
84	The Board may deduct from any dividend payable to any member all sums of money, if any, presently payable by him to the company on account of calls or otherwise in relation to the shares of the company.	o Yes o No
85	(i) Any dividend, interest or other monies payable in cash in respect of shares may be paid by cheque or warrant sent through the post directed to the registered address of the holder or, in the case of joint holders, to the registered address of that one of the joint holders who is first named on the register of members, or to such person and to such address as the holder or joint holders may in writing direct. (ii) Every such cheque or warrant shall be made payable to the order of the person to whom it is sent.	o Yes o No
86	Any one of two or more joint holders of a share may give effective receipts for any dividends, bonuses or other monies payable in respect of such share.	o Yes o No
87	Notice of any dividend that may have been declared shall be given to the persons entitled to share therein in the manner mentioned in the Act.	o Yes o No
38	No dividend shall bear interest against the company.	o Yes o No

89	(i) The Board shall from time to time dete and at what times and places and under of accounts and books of the company, or inspection of members (ii) No member (not being a director) shat account or book or document of the companies of the comp	what conditions or regulations, the any of them, shall be open to the not being directors. Ill have any right of inspecting any pany except as conferred by law or	o Yes o No
	Winding	ир	
90	Subject to the provisions of Chapter thereunder— (i) If the company shall be wound up, the last a special resolution of the company and a Act, divide amongst the members, in specitive assets of the company, whether they skind or (ii) For the purpose aforesaid, the liquidate fair upon any property to be divided as a such division shall be carried out as between of (iii) The liquidator may, with the like sand such assets in trustees upon such trusts for if he considers necessary, but so that no many shares or other securities whereon the lindemnic	iquidator may, with the sanction of any other sanction required by the ie or kind, the whole or any part of hall consist of property of the same not. or may set such value as he deems aforesaid and may determine how en the members or different classes members. tion, vest the whole or any part of or the benefit of the contributories ember shall be compelled to accept ere is any liability.	o Yes o No
91	Every officer of the company shall be incompany against any liability incurred by whether civil or criminal, in which judgme he is acquitted or in which relief is granted Note: The Articles shall be signed by each association who shall add his address, de the presence of at least one witness who likewise add his address, description a signatures shall be in form specified below	him in defending any proceedings, nt is given in his favour or in which to him by the court or the Tribunal. subscriber of the memorandum of scription and occupation, if any, in shall attest the signature and shall nd occupation, if any, and such	o Yes o No
Name	s, addresses, descriptions and occupations of	Witnesses (along with name	es, addresses,
subsci		descriptions and occupations)	
ABC o	f merchant	Signed before me Signature	
L			

Dated	the	_dav	οf	20

Place:

Artici e No.	Description	Applicable Y/N
j.	The number of members with which the company proposes to be registered is hundred, but the Board of Directors may, from time to time, register an increase of members.	o Yes o No
2	All the articles of Table F in Schedule I annexed to the Companies Act, 2013 shall be deemed to be incorporated with these articles and to apply to the company.	o Yes o No
fabie f	- ARTICLES OF ASSOCIATION OF A COMPANY LIMITED BY SHARES Interpretation	
	(1) In these regulations— (a) "the Act" means the Companies Act, 2013, (b) "the seal" means the common seal of the company. (2) Unless the context otherwise requires, words or expressions contained in these regulations shall bear the same meaning as in the Act or any statutory modification thereof in force at the date at which these regulations become binding on the company.	o Yes o No
	Share capital and variation of rights	
	Subject to the provisions of the Act and these Articles, the shares in the capital of the company shall be under the control of the Directors who may issue, allot or otherwise dispose of the same or any of them to such persons, in such proportion and on such terms and conditions and either at a premium or at par and at such time as they may from time to time think fit.	o Yes o No
	(i) Every person whose name is entered as a member in the register of members shall be entitled to receive within two months after incorporation, in case of subscribers to the memorandum or after allotment or within one month after the application for the registration of transfer or transmission or within such other period as the conditions of issue shall be provided,— (a) one certificate for all his shares without payment of any charges; or (b) several certificates, each for one or more of his shares, upon payment of twenty rupees for each certificate after the first. (ii) Every certificate shall be under the seal and shall specify the shares to which it relates and the amount paid-up thereon. (iii) In respect of any share or shares held jointly by several persons, the company shall not be bound to issue more than one certificate, and delivery of a certificate for a share to one of several joint holders shall be sufficient delivery to all such holders.	o Yes o No

3	(i) If any share certificate be worn out, defaced, mutilated or torn or if there be no further space on the back for endorsement of transfer, then upon production and surrender thereof to the company, a new certificate may be issued in lieu thereof, and if any certificate is lost or destroyed then upon proof thereof to the satisfaction of the company and on execution of such indemnity as the company deem adequate, a new certificate in lieu thereof shall be given. Every certificate under this Article shall be issued on payment of twenty rupees for each certificate. (ii) The provisions of Articles (2) and (3) shall mutatis mutandis apply to debentures of the company.	o Yes o No
4	Except as required by law, no person shall be recognised by the company as holding any share upon any trust, and the company shall not be bound by, or be compelled in any way to recognise (even when having notice thereof) any equitable, contingent, future or partial interest in any share, or any interest in any fractional part of a share, or (except only as by these regulations or by law otherwise provided) any other rights in respect of any share except an absolute right to the entirety thereof in the registered holder.	o Yes o No
5	(i) The company may exercise the powers of paying commissions conferred by sub-section (6) of section 40, provided that the rate per cent or the amount of the commission paid or agreed to be paid shall be disclosed in the manner required by that section and rules made thereunder. (ii) The rate or amount of the commission shall not exceed the rate or amount prescribed in rules made under sub-section (6) of section 40. (iii) The commission may be satisfied by the payment of cash or the allotment of fully or partly paid shares or partly in the one way and partly in the other.	o Yes o No
6	(i) If at any time the share capital is divided into different classes of shares, the rights attached to any class (unless otherwise provided by the terms of issue of the shares of that class) may, subject to the provisions of section 48, and whether or not the company is being wound up, be varied with the consent in writing of the holders of three-fourths of the issued shares of that class, or with the sanction of a special resolution passed at a separate meeting of the holders of the shares of that class. (ii) To every such separate meeting, the provisions of these regulations relating to general meetings shall mutatis mutandis apply, but so that the necessary quorum shall be at least two persons holding at least one-third of the issued shares of the class in question.	o Yes o No
7	The rights conferred upon the holders of the shares of any class issued with preferred or other rights shall not, unless otherwise expressly provided by the terms of issue of the shares of that class, be deemed to be varied by the creation or issue of further shares ranking pari passu therewith.	o Yes o No
8	Subject to the provisions of section 55, any preference shares may, with the sanction of an ordinary resolution, be issued on the terms that they are to be redeemed on such terms and in such manner as the company before the issue of the shares may, by special resolution, determine.	o Yes o No
	Lien	

9	(i) The company shall have a first and paramount lien— (a) on every share (not being a fully paid share), for all monies (whether presently payable or not) called, or payable at a fixed time, in respect of that share; and (b) on all shares (not being fully paid shares) standing registered in the name of a single person, for all monies presently payable by him or his estate to the company: Provided that the Board of directors may at any time declare any share to be wholly or in part exempt from the provisions of this clause. (ii) The company's lien, if any, on a share shall extend to all dividends payable and bonuses declared from time to time in respect of such shares.	o Yes o No
10	The company may sell, in such manner as the Board thinks fit, any shares on which the company has a lien: Provided that no sale shall be made— (a) unless a sum in respect of which the lien exists is presently payable; or (b) until the expiration of fourteen days after a notice in writing stating and demanding payment of such part of the amount in respect of which the lien exists as is presently payable, has been given to the registered holder for the time being of the share or the person entitled thereto by reason of his death or insolvency.	o Yes o No
11	(i) To give effect to any such sale, the Board may authorise some person to transfer the shares sold to the purchaser thereof (ii) The purchaser shall be registered as the holder of the shares comprised in any such transfer. (iii) The purchaser shall not be bound to see to the application of the purchase money, nor shall his title to the shares be affected by any irregularity or invalidity in the proceedings in reference to the sale.	o Yes o No
12	(i) The proceeds of the sale shall be received by the company and applied in payment of such part of the amount in respect of which the lien exists as is presently payable. (ii) The residue, if any, shall, subject to a like lien for sums not presently payable as existed upon the shares before the sale, be paid to the person entitled to the shares at the date of the sale.	o Yes o No
1	Calls on shares	
13	(i) The Board may, from time to time, make calls upon the members in respect of any monies unpaid on their shares (whether on account of the nominal value of the shares or by way of premium) and not by the conditions of allotment thereof made payable at fixed times: Provided that no call shall exceed one-fourth of the nominal value of the share or be payable at less than one month from the date fixed for the payment of the last preceding call. (ii) Each member shall, subject to receiving at least fourteen days' notice specifying the time or times and place of payment, pay to the company, at the time or times and place so specified, the amount called on his shares. (iii) A call may be revoked or postponed at the discretion of the Board.	o Yes o No

14	A call shall be deemed to have been made at the time when the resolution of the Board authorizing the call was passed and may be required to be paid by instalments.	
15	The joint holders of a share shall be jointly and severally liable to pay all calls in respect thereof.	o Yes o No
16	(i) If a sum called in respect of a share is not paid before or on the day appointed for payment thereof, the person from whom the sum is due shall pay interest thereon from the day appointed for payment thereof to the time of actual payment at ten per cent per annum or at such lower rate, if any, as the Board may determine. (ii) The Board shall be at liberty to waive payment of any such interest wholly or in part.	o Yes o No
17	 (i) Any sum which by the terms of issue of a share becomes payable on allotment or at any fixed date, whether on account of the nominal value of the share or by way of premium, shall, for the purposes of these regulations, be deemed to be a call duly made and payable on the date on which by the terms of issue such sum becomes payable. (ii) In case of non-payment of such sum, all the relevant provisions of these regulations as to payment of interest and expenses, forfeiture or otherwise shall apply as if such sum had become payable by virtue of a call duly made and notified. 	
18	The Board— (a) may, if it thinks fit, receive from any member willing to advance the same, all or any part of the monies uncalled and unpaid upon any shares held by him; (b) upon all or any of the monies so advanced, may (until the same would, but for such advance, become presently payable) pay interest at such rate not exceeding, unless the company in general meeting shall otherwise direct, twelve per cent per annum, as may be agreed upon between the Board and the member paying the sum in advance.	o Yes o No
	Transfer of shares	
19	(i) The instrument of transfer of any share in the company shall be executed by or on behalf of both the transferor and transferee. (ii) The transferor shall be deemed to remain a holder of the share until the name of the transferee is entered in the register of members in respect thereof.	o Yes o No
20	The Board may, subject to the right of appeal conferred by section 58 decline to register— (a) the transfer of a share, not being a fully paid share, to a person of whom they do not approve; or (b) any transfer of shares on which the company has a lien.	o Yes o No

21	The Board may decline to recognise any instrument of transfer unless— (a) the instrument of transfer is in the form as prescribed in rules made under sub-section (1) of section 56; (b) the instrument of transfer is accompanied by the certificate of the shares to which it relates, and such other evidence as the Board may reasonably require to show the right of the transferor to make the transfer; and (c) the instrument of transfer is in respect of only one class of shares.	o Yes o No
22	On giving not less than seven days' previous notice in accordance with section 91 and rules made thereunder, the registration of transfers may be suspended at such times and for such periods as the Board may from time to time Provided that such registration shall not be suspended for more than thirty days at any one time or for more than forty-five days in the aggregate in any year.	o Yes o No
	Transmission of shares	
23	(i) On the death of a member, the survivor or survivors where the member was a joint holder, and his nominee or nominees or legal representatives where he was a sole holder, shall be the only persons recognised by the company as having any title to his interest in the shares (ii) Nothing in clause (i) shall release the estate of a deceased joint holder from any liability in respect of any share which had been jointly held by him with other persons.	o Yes o No
24	(i) Any person becoming entitled to a share in consequence of the death or insolvency of a member may, upon such evidence being produced as may from time to time properly be required by the Board and subject as hereinafter provided, elect, either— (a) to be registered himself as holder of the share; or (b) to make such transfer of the share as the deceased or insolvent member could have made. (ii) The Board shall, in either case, have the same right to decline or suspend registration as it would have had, if the deceased or insolvent member had transferred the share before his death or insolvency.	o Yes o No
25	~ 	o Yes o No

194

26	A person becoming entitled to a share by reason of the death or insolvency of the holder shall be entitled to the same dividends and other advantages to which he would be entitled if he were the registered holder of the share, except that he shall not, before being registered as a member in respect of the share, be entitled in respect of it to exercise any right conferred by membership in relation to meetings of the company: Provided that the Board may, at any time, give notice requiring any such person to elect either to be registered himself or to transfer the share, and if the notice is not complied with within ninety days, the Board may thereafter withhold payment of all dividends, bonuses or other monies payable in respect of the share, until the requirements of the notice have been complied with.	o Yes o No
27	In case of a One Person Company— (i) on the death of the sole member, the person nominated by such member shall be the person recognised by the company as having title to all the shares of the member; (ii) the nominee on becoming entitled to such shares in case of the member's death shall be informed of such event by the Board of the company; (iii) such nominee shall be entitled to the same dividends and other rights and liabilities to which such sole member of the company was entitled or liable; (iv) on becoming member, such nominee shall nominate any other person with the prior written consent of such person who, shall in the event of the death of the member, become the member of the company.	o Yes o No
	Forfeiture of shares	
28	If a member fails to pay any call, or instalment of a call, on the day appointed for payment thereof, the Board may, at any time thereafter during such time as any part of the call or instalment remains unpaid, serve a notice on him requiring payment of so much of the call or instalment as is unpaid, together with any interest which may have accrued.	o Yes o No
29	The notice aforesaid shall— (a) name a further day (not being earlier than the expiry of fourteen days from the date of service of the notice) on or before which the payment required by the notice is to be made; and (b) state that, in the event of non-payment on or before the day so named, the shares in respect of which the call was made shall be liable to be forfeited.	o Yes o No
30	If the requirements of any such notice as aforesaid are not complied with, any share in respect of which the notice has been given may, at any time thereafter, before the payment required by the notice has been made, be forfeited by a resolution of the Board to that effect.	o Yes o No
31	(i) A forfeited share may be sold or otherwise disposed of on such terms and in such manner as the Board thinks fit. (ii) At any time before a sale or disposal as aforesaid, the Board may cancel the forfeiture on such terms as it thinks fit.	o Yes o No
L		

32	 (i) A person whose shares have been forfeited shall cease to be a member in respect of the forfeited shares, but shall, notwithstanding the forfeiture, remain liable to pay to the company all monies which, at the date of forfeiture, were presently payable by him to the company in respect of the shares. (ii) The liability of such person shall cease if and when the company shall have received payment in full of all such monies in respect of the shares. 	o Yes o No
33	(i) A duly verified declaration in writing that the declarant is a director, the manager or the secretary, of the company, and that a share in the company has been duly forfeited on a date stated in the declaration, shall be conclusive evidence of the facts therein stated as against all persons claiming to be entitled to the share; (ii) The company may receive the consideration, if any, given for the share on any sale or disposal thereof and may execute a transfer of the share in favour of the person to whom the share is sold or disposed of; (iii) The transferee shall thereupon be registered as the holder of the share; and (iv) The transferee shall not be bound to see to the application of the purchase money, if any, nor shall his title to the share be affected by any irregularity or invalidity in the proceedings in reference to the forfeiture, sale or disposal of the share.	o Yes o No
34	The provisions of these regulations as to forfeiture shall apply in the case of nonpayment of any sum which, by the terms of issue of a share, becomes payable at a fixed time, whether on account of the nominal value of the share or by way of premium, as if the same had been payable by virtue of a call duly made and notified.	o Yes o No
T. Proposition and the second	Alteration of capital	
35	The company may, from time to time, by ordinary resolution increase the share capital by such sum, to be divided into shares of such amount, as may be specified in the resolution.	o Yes o No
36	Subject to the provisions of section 61, the company may, by ordinary resolution,— (a) consolidate and divide all or any of its share capital into shares of larger amount than its existing shares; (b) convert all or any of its fully paid-up shares into stock, and reconvert that stock into fully paid-up shares of any denomination; (c) sub-divide its existing shares or any of them into shares of smaller amount than is fixed by the memorandum; (d) cancel any shares which, at the date of the passing of the resolution, have not been taken or agreed to be taken by any person.	o Yes o No

37	Where shares are converted into stock,— (a) the holders of stock may transfer the same or any part thereof in the same manner as, and subject to the same regulations under which, the shares from which the stock arose might before the conversion have been transferred, or as near thereto as circumstances admit: Provided that the Board may, from time to time, fix the minimum amount of stock transferable, so, however, that such minimum shall not exceed the nominal amount of the shares from which the stock arose. (b) the holders of stock shall, according to the amount of stock held by them, have the same rights, privileges and advantages as regards dividends, voting at meetings of the company, and other matters, as if they held the shares from which the stock arose; but no such privilege or advantage (except participation in the dividends and profits of the company and in the assets on winding up) shall be conferred by an amount of stock which would not, if existing in shares, have conferred that privilege or advantage. (c) such of the regulations of the company as are applicable to paid-up shares shall apply to stock and the words "share" and "shareholder" in those regulations shall include "stock" and "stock-holder" respectively.	o Yes o No
38	The company may, by special resolution, reduce in any manner and with, and subject to, any incident authorised and consent required by law,— (a) its share capital; (b) any capital redemption reserve account; or- (c) any share premium account.	o Yes o No
	Capitalisation of profits	
39	(i) The company in general meeting may, upon the recommendation of the Board, resolve— (a) that it is desirable to capitalise any part of the amount for the time being standing to the credit of any of the company's reserve accounts, or to the credit of the, profit and loss account, or otherwise available for distribution; and (b) that such sum be accordingly set free for distribution in the manner specified in clause (ii) amongst the members who would have been entitled thereto, if distributed by way of dividend and in the same proportions. (ii) The sum aforesaid shall not be paid in cash but shall be applied, subject to the provision contained in clause (iii), either in or towards— (A) paying up any amounts for the time being unpaid on any shares held by such members respectively; (B) paying up in full, unissued shares of the company to be allotted and distributed, credited as fully paid-up, to and amongst such members in the proportions (C) partly in the way specified in sub-clause (A) and partly in that specified in sub-clause (B); (D) A securities premium account and a capital redemption reserve account may, for the purposes of this regulation, be applied in the paying up of unissued shares to be issued to members of the company as fully paid bonus shares; (E) The Board shall give effect to the resolution passed by the company in pursuance of this regulation.	o Yes o No

	5(1)]	
40	(i) Whenever such a resolution as aforesaid shall have been passed, the Board shall— (a) make all appropriations and applications of the undivided profits resolved to be capitalised thereby, and all allotments and issues of fully paid shares if any; (b) generally do all acts and things required to give effect thereto. (ii) The Board shall have power— (a) to make such provisions, by the issue of fractional certificates or by payment in cash or otherwise as it thinks fit, for the case of shares becoming distributable in fractions; and (b) to authorise any person to enter, on behalf of all the members entitled thereto, into an agreement with the company providing for the allotment to them respectively, credited as fully paid-up, of any further shares to which they may be entitled upon such capitalisation, or as the case may require, for the payment by the company on their behalf, by the application thereto of their respective proportions of profits resolved to be capitalised, of the amount or any part of the amounts remaining unpaid on their existing shares; (iii) Any agreement made under such authority shall be effective and binding on such members.	o Yes o No
e, aryana a manina di managa manga manga manga manga manga manga manga manga manga manga manga manga manga man	Buy-back of shares	
41	Notwithstanding anything contained in these articles but subject to the provisions of sections 68 to 70 and any other applicable provision of the Act or any other law for the time being in force, the company may purchase its own shares or other specified securities.	o Yes o No
	General meetings	
42	All general meetings other than annual general meeting shall be called extraordinary general meeting.	o Yes o No
43	(i) The Board may, whenever it thinks fit, call an extraordinary general meeting. (ii) If at any time directors capable of acting who are sufficient in number to form a quorum are not within India, any director or any two members of the company may call an extraordinary general meeting in the same manner, as nearly as possible, as that in which such a meeting may be called by the Board. Proceedings at general meetings	o Yes o No
44	(i) No business shall be transacted at any general meeting unless a quorum of members is present at the time when the meeting proceeds to business. (ii) Save as otherwise provided herein, the quorum for the general meetings shall be as provided in section 103.	o Yes o No
45	The chairperson, if any, of the Board shall preside as Chairperson at every general meeting of the company.	o Yes o No
46	If there is no such Chairperson, or if he is not present within fifteen minutes after the time appointed for holding the meeting, or is unwilling to act as chairperson of the meeting, the directors present shall elect one of their members to be Chairperson of the meeting.	o Yes o No
47	If at any meeting no director is willing to act as Chairperson or if no director is present within fifteen minutes after the time appointed for holding the meeting, the members present shall choose one of their members to be Chairperson of the meeting.	o Yes o No

48	In case of a One Person Company— (i) the resolution required to be passed at the general meetings of the company shall be deemed to have been passed if the resolution is agreed upon by the sole member and communicated to the company and entered in the minutes book maintained under section 118; (ii) such minutes book shall be signed and dated by the member; (iii) the resolution shall become effective from the date of signing such minutes by the sole member.	o Yes o No
	Adjournment of meeting	
49	 (i) The Chairperson may, with the consent of any meeting at which a quorum is present, and shall, if so directed by the meeting, adjourn the meeting from time to time and from place to place. (ii) No business shall be transacted at any adjourned meeting other than the business left unfinished at the meeting from which the adjournment took place. (iii) When a meeting is adjourned for thirty days or more, notice of the adjourned meeting shall be given as in the case of an original meeting. (iv) Save as aforesaid, and as provided in section 103 of the Act, it shall not be necessary to give any notice of an adjournment or of the business to be transacted at an adjourned meeting. Voting rights 	o Yes o No
50	Subject to any rights or restrictions for the time being attached to any class or classes of shares,— (a) on a show of hands, every member present in person shall have one vote; and (b) on a poll, the voting rights of members shall be in proportion to his share in the paid-up equity share capital of the company.	o Yes o No
51	A member may exercise his vote at a meeting by electronic means in accordance with section 108 and shall vote only once.	o Yes o No
52	(i) In the case of joint holders, the vote of the senior who tenders a vote, whether in person or by proxy, shall be accepted to the exclusion of the votes of the other joint holders. (ii) For this purpose, seniority shall be determined by the order in which the names stand in the register of members.	o Yes o No
53	A member of unsound mind, or in respect of whom an order has been made by any court having jurisdiction in lunacy, may vote, whether on a show of hands or on a poll, by his committee or other legal guardian, and any such committee or guardian may, on a poll, vote by proxy.	o Yes o No
54	Any business other than that upon which a poll has been demanded may be proceeded with, pending the taking of the poll.	o Yes o No
55	No member shall be entitled to vote at any general meeting unless all calls or other sums presently payable by him in respect of shares in the company have been paid	
56	 (i) No objection shall be raised to the qualification of any voter except at the meeting or adjourned meeting at which the vote objected to is given or tendered, and every vote not disallowed at such meeting shall be valid for all purposes. (ii) Any such objection made in due time shall be referred to the Chairperson of the meeting, whose decision shall be final and conclusive. 	o Yes o No

	Proxy	
,57	The instrument appointing a proxy and the power-of-attorney or other authority, if any, under which it is signed or a notarised copy of that power or authority, shall be deposited at the registered office of the company not less than 48 hours before the time for holding the meeting or adjourned meeting at which the person named in the instrument proposes to vote, or, in the case of a poll, not less than 24 hours before the time appointed for the taking of the poll; and in default the instrument of proxy shall not be treated as valid.	o Yes o No
58	An instrument appointing a proxy shall be in the form as prescribed in the rules made under section 105	o Yes o No
59	A vote given in accordance with the terms of an instrument of proxy shall be valid, notwithstanding the previous death or insanity of the principal or the revocation of the proxy or of the authority under which the proxy was executed, or the transfer of the shares in respect of which the proxy is given: Provided that no intimation in writing of such death, insanity, revocation or transfer shall have been received by the company at its office before the commencement of the meeting or adjourned meeting at which the proxy is used.	o Yes o No
	Board of Directors	
60	The number of the directors and the names of the first directors shall be determined in writing by the subscribers of the memorandum or a majority of them.	o Yes o No
61	(i) The remuneration of the directors shall, in so far as it consists of a monthly payment, be deemed to accrue from day-to-day. (ii) In addition to the remuneration payable to them in pursuance of the Act, the directors may be paid all travelling, hotel and other expenses properly incurred by them— (a) in attending and returning from meetings of the Board of Directors or any committee thereof or general meetings of the company; or (b) in connection with the business of the company.	o Yes o No
62	The Board may pay all expenses incurred in getting up and registering the company.	o Yes o No
63	The company may exercise the powers conferred on it by section 88 with regard to the keeping of a foreign register; and the Board may (subject to the provisions of that section) make and vary such regulations as it may thinks fit respecting the keeping of any such register.	o Yes o No
64	All cheques, promissory notes, drafts, hundis, bills of exchange and other negotiable instruments, and all receipts for monies paid to the company, shall be signed, drawn, accepted, endorsed, or otherwise executed, as the case may be, by such person and in such manner as the Board shall from time to time by resolution determine	o Yes o No
65	Every director present at any meeting of the Board or of a committee thereof shall sign his name in a book to be kept for that purpose.	o Yes o No

66	 (i) Subject to the provisions of section 149, the Board shall have power at any time, and from time to time, to appoint a person as an additional director, provided the number of the directors and additional directors together shall not at any time exceed the maximum strength fixed for the Board by the articles. (ii) Such person shall hold office only up to the date of the next annual general meeting of the company but shall be eligible for appointment by the company as a director at that meeting subject to the provisions of the Act. 	o Yes o No
	Proceedings of the Board	
67	(i) The Board of Directors may meet for the conduct of business, adjourn and otherwise regulate its meetings, as it thinks fit. (ii) A director may, and the manager or secretary on the requisition of a director shall, at any time, summon a meeting of the Board.	o Yes o No
68	(i) Save as otherwise expressly provided in the Act, questions arising at any meeting of the Board shall be decided by a majority of votes.(ii) In case of an equality of votes, the Chairperson of the Board, if any, shall have a second or casting vote.	o Yes o No
69	The continuing directors may act notwithstanding any vacancy in the Board; but, if and so long as their number is reduced below the quorum fixed by the Act for a meeting of the Board, the continuing directors or director may act for the purpose of increasing the number of directors to that fixed for the quorum, or of summoning a general meeting of the company, but for no other purpose.	o Yes o N o
70	(i) The Board may elect a Chairperson of its meetings and determine the period for which he is to hold office. (ii) If no such Chairperson is elected, or if at any meeting the Chairperson is not present within five minutes after the time appointed for holding the meeting, the directors present may choose one of their number to be Chairperson of the meeting.	o Yes o N o
71	(i) The Board may, subject to the provisions of the Act, delegate any of its powers to committees consisting of such member or members of its body as it thinks fit. (ii) Any committee so formed shall, in the exercise of the powers so delegated, conform to any regulations that may be imposed on it by the Board.	o Yes o No
72	(i) A committee may elect a Chairperson of its meetings. (ii) If no such Chairperson is elected, or if at any meeting the Chairperson is not present within five minutes after the time appointed for holding the meeting, the members present may choose one of their members to be Chairperson of the meeting.	o Yes o No
73	(i) A committee may meet and adjourn as it thinks fit. (ii) Questions arising at any meeting of a committee shall be determined by a majority of votes of the members present, and in case of an equality of votes, the Chairperson shall have a second or casting vote.	o Yes o No

74	All acts done in any meeting of the Board or of a committee thereof or by any person acting as a director, shall, notwithstanding that it may be afterwards discovered that there was some defect in the appointment of any one or more of such directors or of any person acting as aforesaid, or that they or any of them were disqualified, be as valid as if every such director or such person had been duly appointed and was qualified to be a director.	o Yes o No
75	Save as otherwise expressly provided in the Act, a resolution in writing, signed by all the members of the Board or of a committee thereof, for the time being entitled to receive notice of a meeting of the Board or committee, shall be valid and effective as if it had been passed at a meeting of the Board or committee, duly convened and held.	o Yes o No
76	In case of a One Person Company— (i) where the company is having only one director, all the businesses to be transacted at the meeting of the Board shall be entered into minutes book maintained under section 118; (ii) such minutes book shall be signed and dated by the director; (iii) the resolution shall become effective from the date of signing such minutes by the director.	o Yes o No
	Chief Executive Officer, Manager, Company Secretary or Chief Financial Officer	
77	Subject to the provisions of the Act,— (i) A chief executive officer, manager, company secretary or chief financial officer may be appointed by the Board for such term, at such remuneration and upon such conditions as it may thinks fit; and any chief executive officer, manager, company secretary or chief financial officer so appointed may be removed by means of a resolution of the Board; (ii) A director may be appointed as chief executive officer, manager, company secretary or chief financial officer. A provision of the Act or these regulations requiring or authorising a thing to be done by or to a director and chief executive officer, manager, company secretary or chief financial officer shall not be satisfied by its being done by or to the same person acting both as director and as, or in place of, chief	o Yes o No
	executive officer, manager, company secretary or chief financial officer.	
79	(i) The Board shall provide for the safe custody of the seal. (ii) The seal of the company shall not be affixed to any instrument except by the authority of a resolution of the Board or of a committee of the Board authorised by it in that behalf, and except in the presence of at least two directors and of the secretary or such other person as the Board may appoint for the purpose; and those two directors and the secretary or other person aforesaid shall sign every instrument to which the seal of the company is so affixed in their presence.	o Yes o No
	Dividends and Reserve	
80	The company in general meeting may declare dividends, but no dividend shall exceed the amount recommended by the Board.	o Yes o No

	THE GAZETTE OF INDIA; EXTRAORDINARY	[PART II—SEC
81	Subject to the provisions of section 123, the Board may from time to time pay to the members such interim dividends as appear to it to be justified by the profits of the company.	o Yes o No
82	(i) The Board may, before recommending any dividend, set aside out of the profits of the company such sums as it thinks fit as a reserve or reserves which shall, at the discretion of the Board, be applicable for any purpose to which the profits of the company may be properly applied, including provision for meeting contingencies or for equalizing dividends; and pending such application, may, at the like discretion, either be employed in the business of the company or be invested in such investments (other than shares of the company) as the Board may, from time to time, thinks fit. (ii) The Board may also carry forward any profits which it may consider necessary not to divide, without setting them aside as a reserve	o Yes o No
83	(i) Subject to the rights of persons, if any, entitled to shares with special rights as to dividends, all dividends shall be declared and paid according to the amounts paid or credited as paid on the shares in respect whereof the dividend is paid, but if and so long as nothing is paid upon any of the shares in the company, dividends may be declared and paid according to the amounts of the shares. (ii) No amount paid or credited as paid on a share in advance of calls shall be treated for the purposes of this regulation as paid on the share. (iii) All dividends shall be apportioned and paid proportionately to the amounts paid or credited as paid on the shares during any portion or portions of the period in respect of which the dividend is paid; but if any share is issued on terms providing that it shall rank for dividend as from a particular date such share shall rank for dividend accordingly.	o Yes o No
84	The Board may deduct from any dividend payable to any member all sums of money, if any, presently payable by him to the company on account of calls or otherwise in relation to the shares of the company.	o Yes o No
85	(i) Any dividend, interest or other monies payable in cash in respect of shares may be paid by cheque or warrant sent through the post directed to the registered address of the holder or, in the case of joint holders, to the registered address of that one of the joint holders who is first named on the register of members, or to such person and to such address as the holder or joint holders may in writing direct. (ii) Every such cheque or warrant shall be made payable to the order of the person to whom it is sent.	o Yes o No
86	Any one of two or more joint holders of a share may give effective receipts for any dividends, bonuses or other monies payable in respect of such share.	o Yes o No
87	Notice of any dividend that may have been declared shall be given to the persons entitled to share therein in the manner mentioned in the Act.	o Yes o No
88	No dividend shall bear interest against the company.	o Yes o No
	Accounts	

89	(i) The Board shall from time to time determent and at what times and places and under vaccounts and books of the company, or inspection of members (ii) No member (not being a director) shall account or book or document of the company authorised by the Board or by the company	what conditions or regulations, the any of them, shall be open to the not being directors. Il have any right of inspecting any pany except as conferred by law or	o Yes o No
	Winding	up	
90	Subject to the provisions of Chapter thereunder— (i) If the company shall be wound up, the lia special resolution of the company and a Act, divide amongst the members, in special the assets of the company, whether they skind or (ii) For the purpose aforesaid, the liquidate fair upon any property to be divided as a such division shall be carried out as between of (iii) The liquidator may, with the like sanct such assets in trustees upon such trusts for if he considers necessary, but so that no means the sanct state of the considers necessary, but so that no means the sanct	quidator may, with the sanction of any other sanction required by the see or kind, the whole or any part of hall consist of property of the same not. Or may set such value as he deems foresaid and may determine how on the members or different classes members. Sion, vest the whole or any part of or the benefit of the contributories ember shall be compelled to accept	o Yes o No
	any shares or other securities whereon the Indemnit		
01		·	o Voc o No
91	Every officer of the company shall be incompany against any liability incurred by his whether civil or criminal, in which judgmenthe is acquitted or in which relief is granted to Note: The Articles shall be signed by each association who shall add his address, desthe presence of at least one witness who slikewise add his address, description ar signatures shall be in form specified below	nim in defending any proceedings, not is given in his favour or in which to him by the court or the Tribunal. Subscriber of the memorandum of cription and occupation, if any, in shall attest the signature and shall and occupation, if any, and such	o Yes o No
Names,	addresses, descriptions and occupations of	Witnesses (along with name	s, addresses,
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		descriptions and occupations)	
ABC of merchant Signed before me Signature			

Dated the......day of20.....

Place:

Table H- ARTICLES OF ASSOCIATION OF A COMPANY LIMITED BY GUARANTEE AND NOT HAVING SHARE CAPITAL			
Articl e No	Description	Applicability Y/N	
	Interpretation		
I	(1) In these regulations— (a) "the Act" means the Companies Act, 2013; (b) "the seal" means the common seal of the company. (2) Unless the context otherwise requires, words or expressions contained in these regulations shall have the same meaning as in the Act or any statutory modification thereof in force at the date at which these regulations become binding on the company.	o Yes o No	
	Members		
11	The number of members with which the company proposes to be registered	o Yes o No	
1	is hundred, but the Board of Directors may, from time to time, whenever the company or the business of the company requires it, register an increase of members.		
2	The subscribers to the memorandum and such other persons as the Board shall admit to membership shall be members of the company.	o Yes o No	
	General meetings		
3	All general meetings other than annual general meeting shall be called extraordinary general meeting.	o Yes o No	
4	 (i) The Board may, whenever it thinks fit, call an extraordinary general meeting. (ii) If at any time directors capable of acting who are sufficient in number to form a quorum are not within India, any director or any two members of the company may call an extraordinary general meeting in the same manner, as nearly as possible, as that in which such a meeting may be called by the Board. 	o Yes o No	
	Proceedings at general meetings		
5	(i) No business shall be transacted at any general meeting unless a quorum of members is present at the time when the meeting proceeds to business. (ii) Save as otherwise provided herein, the quorum for the general meetings shall be as provided in section 103.	o Yes o No	
6	The Chairperson, if any, of the Board shall preside as Chairperson at every general meeting of the company.	o Yes o No	

7	If there is no such Chairperson, or if he is not present within fifteen minutes after the time appointed for holding the meeting, or is unwilling to act as Chairperson of the meeting, the directors present shall elect one of their members to be Chairperson of the meeting.	o Yes o No
8	If at any meeting no director is willing to act as Chairperson or if no director is present within fifteen minutes after the time appointed for holding the meeting, the members present shall choose one of their members to be Chairperson of the meeting.	o Yes o No
	Adjournment of meeting	
9	(i) The Chairperson may, with the consent of any meeting at which a quorum is present, and shall, if so directed by the meeting, adjourn the meeting from time to time and from place to place. (ii) No business shall be transacted at any adjourned meeting other than the business left unfinished at the meeting from which the adjournment took place. (iii) When a meeting is adjourned for thirty days or more, notice of the adjourned meeting shall be given as in the case of an original meeting. (iv) Save as aforesaid, and as provided in section 103 of the Act, it shall not be necessary to give any notice of an adjournment or of the business to be transacted at an adjourned meeting.	o Yes o No
	Voting rights	
10	Every member shall have one vote.	o Yes o No
11	A member of unsound mind, or in respect of whom an order has been made by any Court having jurisdiction in lunacy, may vote, whether on a show of hands or on a poll, by his committee or other legal guardian, and any such committee or guardian may, on a poll, vote by proxy.	o Yes o No
12	No member shall be entitled to vote at any general meeting unless all sums presently payable by him to the company have been paid.	o Yes o No
13	 (i) No objection shall be raised to the qualification of any voter except at the meeting or adjourned meeting at which the vote objected to is given or tendered, and every vote not disallowed at such meeting shall be valid for all purposes. (ii) Any such objection made in due time shall be referred to the Chairperson of the meeting, whose decision shall be final and conclusive. 	o Yes o No
14	A vote given in accordance with the terms of an instrument of proxy shall be valid, notwithstanding the previous death or insanity of the principal or the revocation of the proxy or of the authority under which the proxy was executed, or the transfer of the shares in respect of which the proxy is given: Provided that no intimation in writing of such death, insanity, revocation or transfer shall have been received by the company at its office before the commencement of the meeting or adjourned meeting at which the proxy is used.	o Yes o No

15	A member may exercise his vote at a meeting by electronic means in accordance with section 108 and shall vote only once.	o Yes o No
16	Any business other than that upon which a poll has been demanded may be proceeded with, pending the taking of the poll.	o Yes o No
	Board of Directors	
17	The number of the directors and the names of the first directors shall be determined in writing by the subscribers of the memorandum or a majority of them.	o Yes o No
18	(i) The remuneration of the directors shall, in so far as it consists of a monthly payment, be deemed to accrue from day-to-day. (ii) In addition to the remuneration payable to them in pursuance of the Act, the directors may be paid all travelling, hotel and other expenses properly incurred by them— (a) in attending and returning from meetings of the Board of Directors or any committee thereof or general meetings of the company; or (b) in connection with the business of the company	o Yes o No
	Proceedings of the Board	
19	(i) The Board of Directors may meet for the conduct of business, adjourn and otherwise regulate its meetings, as it thinks fit. (ii) A director may, and the manager or secretary on the requisition of a director shall, at any time, summon a meeting of the Board.	o Yes o No
20	(i) Save as otherwise expressly provided in the Act, questions arising at any meeting of the Board shall be decided by a majority of votes. (ii) In case of an equality of votes, the Chairperson of the Board, if any, shall have a second or casting vote.	o Yes o No
21	The continuing directors may act notwithstanding any vacancy in the Board; but, if and so long as their number is reduced below the quorum fixed by the Act for a meeting of the Board, the continuing directors or director may act for the purpose of increasing the number of directors to that fixed for the quorum, or of summoning a general meeting of the company, but for no other purpose.	o Yes o No
22	(i) The Board may elect a Chairperson of its meetings and determine the period for which he is to hold office. (ii) If no such chairperson is elected, or if at any meeting the Chairperson is not present within five minutes after the time appointed for holding the meeting, the directors present may choose one of their members to be Chairperson of the meeting.	o Yes o No
23	(i) The Board may, subject to the provisions of the Act, delegate any of its powers to committees consisting of such member or members of its body as it thinks fit. (ii) Any committee so formed shall, in the exercise of the powers so delegated, conform to any regulations that may be imposed on it by the Board.	o Yes o No

(i) A committee may elect a Chairperson of its meetings. (ii) If no such Chairperson is elected, or if at any meeting the chairperson is not present within five minutes after the time appointed for holding the meeting, the members present may choose one of their members to be Chairperson of the meeting.	o Yes o No
(i) A committee may meet and adjourn as it thinks proper. (ii) Questions arising at any meeting of a committee shall be determined by a majority of votes of the members present, and in case of an equality of votes, the chairman shall have a second or casting vote.	o Yes o No
All acts done by any meeting of the Board or of a committee thereof or by any person acting as a director, shall, notwithstanding that it may be afterwards discovered that there was some defect in the appointment of any one or more of such directors or of any person acting as aforesaid, or that they or any of them were disqualified, be as valid as if every such director or such person had been duly appointed and was qualified to be a director.	o Yes o No
Save as otherwise expressly provided in the Act, a resolution in writing, signed by all the members of the Board or of a committee thereof, for the time being entitled to receive notice of a meeting of the Board or committee, shall be as valid and effective as if it had been passed at a meeting of the Board or committee, duly convened and held.	o Yes o No
Chief Executive Officer, Manager, Company Secretary or Chief Financial Officer	
Subject to the provisions of the Act,— (i) A chief executive officer, manager, company secretary or chief financial officer may be appointed by the Board for such term, at such remuneration and upon such conditions as it thinks fit; and any chief executive officer, manager, company secretary or chief financial officer so appointed may be removed by means of a resolution of the Board. (ii) A director may be appointed as chief executive officer, manager, company secretary or chief financial officer.	o Yes o No
A provision of the Act or these regulations requiring or authorising a thing to be done by or to a director and chief executive officer, manager, company secretary or chief financial officer shall not be satisfied by its being done by or to the same person acting both as director and as, or in place of, chief executive officer, manager, company secretary or chief financial officer.	o Yes o No
The Seal	

30	(i) The Board shall provide for th	e safe custody of the seal. o Yes o No						
	(ii) The seal of the company shall not be affixed to any instrument except by							
	the authority of a resolution of the Board	or of a committee of the Board						
	authorised by it in that behalf, and excer	•						
	directors and of the secretary or such othe	•						
	for the purpose; and those two directors							
	aforesaid shall sign every instrument to w	· ' '						
	affixed in	their presence.						
	Note: The Articles shall be signed by each							
	association who shall add his address, des	l l						
	-	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·						
	the presence of at least one witness who							
	likewise add his address, description ar	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •						
	signatures shall be in form specified below							
1	addresses, descriptions and occupations of							
subscrib	pers	descriptions and occupations)						
ABC of merchant		Signed before me						
		Signature						

Dated	the	.dav	of	20
			·	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·

p	lace.	
г	Idle.	***********

Article No	Description	Applicability Y/N
1	The number of members with which the company proposes to be registered is hundred, but the Board of Directors may, from time to time, register an increase of members.	o Yes o No
2	All the articles of Table F in Schedule I annexed to the Companies Act, 2013 shall be deemed to be incorporated with these articles and to apply to the company.	o Yes o No
Table F-	ARTICLES OF ASSOCIATION OF A COMPANY LIMITED BY SHARES	I
	Interpretation	

	(1) In these regulations— (a) "the Act" means the Companies Act, 2013, (b) "the seal" means the common seal of the company. (2) Unless the context otherwise requires, words or expressions contained in these regulations shall bear the same meaning as in the Act or any statutory modification thereof in force at the date at which these regulations become binding on the company.	o Yes o No
:	Share capital and variation of rights	
11 1	Subject to the provisions of the Act and these Articles, the shares in the capital of the company shall be under the control of the Directors who may issue, allot or otherwise dispose of the same or any of them to such persons, in such proportion and on such terms and conditions and either at a premium or at par and at such time as they may from time to time think fit.	o Yes o No
2	(i) Every person whose name is entered as a member in the register of members shall be entitled to receive within two months after incorporation, in case of subscribers to the memorandum or after allotment or within one month after the application for the registration of transfer or transmission or within such other period as the conditions of issue shall be provided,— (a) one certificate for all his shares without payment of any charges; or (b) several certificates, each for one or more of his shares, upon payment of twenty rupees for each certificate after the first. (ii) Every certificate shall be under the seal and shall specify the shares to which it relates and the amount paid-up thereon. (iii) In respect of any share or shares held jointly by several persons, the company shall not be bound to issue more than one certificate, and delivery of a certificate for a share to one of several joint holders shall be sufficient delivery to all such holders.	o Yes o No
3	(i) If any share certificate be worn out, defaced, mutilated or torn or if there be no further space on the back for endorsement of transfer, then upon production and surrender thereof to the company, a new certificate may be issued in lieu thereof, and if any certificate is lost or destroyed then upon proof thereof to the satisfaction of the company and on execution of such indemnity as the company deem adequate, a new certificate in lieu thereof shall be given. Every certificate under this Article shall be issued on payment of twenty rupees for each certificate. (ii) The provisions of Articles (2) and (3) shall mutatis mutandis apply to debentures of the company.	o Yes o No
4	Except as required by law, no person shall be recognised by the company as holding any share upon any trust, and the company shall not be bound by, or be compelled in any way to recognise (even when having notice thereof) any equitable, contingent, future or partial interest in any share, or any interest in any fractional part of a share, or (except only as by these regulations or by law otherwise provided) any other rights in respect of any share except an absolute right to the entirety thereof in the registered holder.	o Yes o No

5	(i) The company may exercise the powers of paying commissions conferred by sub-section (6) of section 40, provided that the rate per cent or the amount of the commission paid or agreed to be paid shall be disclosed in the manner required by that section and rules made thereunder. (ii) The rate or amount of the commission shall not exceed the rate or amount prescribed in rules made under sub-section (6) of section 40. (iii) The commission may be satisfied by the payment of cash or the allotment of fully or partly paid shares or partly in the one way and partly in the other.	o Yes o No
6	(i) If at any time the share capital is divided into different classes of shares, the rights attached to any class (unless otherwise provided by the terms of issue of the shares of that class) may, subject to the provisions of section 48, and whether or not the company is being wound up, be varied with the consent in writing of the holders of three-fourths of the issued shares of that class, or with the sanction of a special resolution passed at a separate meeting of the holders of the shares of that class. (ii) To every such separate meeting, the provisions of these regulations relating to general meetings shall mutatis mutandis apply, but so that the necessary quorum shall be at least two persons holding at least one-third of the issued shares of the class in question.	o Yes o No
7	The rights conferred upon the holders of the shares of any class issued with preferred or other rights shall not, unless otherwise expressly provided by the terms of issue of the shares of that class, be deemed to be varied by the creation or issue of further shares ranking pari passu therewith.	o Yes o No
8	Subject to the provisions of section 55, any preference shares may, with the sanction of an ordinary resolution, be issued on the terms that they are to be redeemed on such terms and in such manner as the company before the issue of the shares may, by special resolution, determine.	o Yes o No
	Lien	
9	(i) The company shall have a first and paramount lien— (a) on every share (not being a fully paid share), for all monies (whether presently payable or not) called, or payable at a fixed time, in respect of that share; and (b) on all shares (not being fully paid shares) standing registered in the name of a single person, for all monies presently payable by him or his estate to the company: Provided that the Board of directors may at any time declare any share to be wholly or in part exempt from the provisions of this clause. (ii) The company's lien, if any, on a share shall extend to all dividends payable	o Yes o No
	and bonuses declared from time to time in respect of such shares.	

10	The service	v may call	in cuch manage as t	ha Baard +L	ake fit and	charac ar	o Yes o No
10	which Provided	the that	in such manner as t company no sale	has shall	a be	lien: made—	0 162 0 140
	(b) until the demanding pexists as is p	expiration payment of resently pa	pect of which the li of fourteen days aff such part of the an yable, has been give	ter a notice i nount in resp in to the regi	n writing st ect of whic stered hold	ating and h the lien er for the	
	time being of or insolvence		or the person entitl	ed thereto b	y reason of	his death	
11	(i) To give entransfer (ii) The purchany	ffect to any the sha naser shall b	oe registered as the such	the p holder of the	urchaser shares con	thereof nprised in transfer.	o Yes o No
	money, nor	shall his ti	not be bound to see tle to the shares b lings in reference to	e affected b			
12	payment of presently (ii) The resid	such part o lue, if any,	sale shall be receive f the amount in res shall, subject to a n the shares before	pect of which	the lien e	xists as is payable. presently	o Yes o No
	entitled to th	ne shares at	the date of the sale				<u> </u>
			Calls on shar				
13	of any monic value of the allotment Provided that share or be payment (ii) Each ment specifying the	es unpaid of shares or thereof at no call sl payable at of mber shall, e time or ti times and p	time to time, make on their shares (who by way of premiur made payanall exceed one-fouthe lass than one mouthe lass subject to receiving mes and place of polace so specified, the dor postponed at the polace to the lass subject to receiving mes and place of polace so specified, the dor postponed at the lass subject to receiving mes and place of polace so specified, the lass subject to receiving mes and place of polace so specified, the lass subject to receiving mes and place of polace so specified, the lass subject to receiving mes and place of polace so specified at the lass subject to receiving mes and place of polace so specified at the lass subject to receiving messages and place of polace so specified at the lass subject to receiving messages and place of polace so specified at the lass subject to receiving messages and place of polace so specified at the lass subject to receiving messages and place of polace so specified at the lass subject to receiving messages and place of polace so specified at the lass subject to receiving messages and place of polace so specified at the lass subject to receiving messages are subject to receiving messages and place of polace so specified at the lass subject to receiving messages are subject to receiving messages and place of polace so specified at the lass subject to receiving messages are subject to receiving messages and place of polace so specified at the last subject to receiving messages are subject to receiving messages are subject to receiving messages and the last subject to receiving messages are subject to receiving messages and the last subject to receiving messages are subject to receiving messages and the last subject to receiving messages are subject to receiving messages are subject to receiving messages and the last subject to receiving messages are subject to receiving messages are subject to receiving messages are subject to receiving messages are subject to receiving messages are subject to receiving messages are subject to receiving messages are sub	ether on accomply and not be at a surth of the not the set of the	ount of the by the cond fixed ominal value date fixed eceding urteen day to the con called on hi	nominal ditions of times: ue of the d for the call. vs' notice npany, at is shares.	o Yes o No
14	1		have been made a e call was passed ar			1	o Yes o No
15	The joint hole in respect the		are shall be jointly a	nd severally	liable to pa	y all calls	o Yes o No
16	appointed fo pay interest t of actual pay the	r payment t hereon fror ment at ten Boa	spect of a share is thereof, the person in the day appointed per cent per annur rd liberty to waive pay	from whom I for payment n or at such I may	the sum is thereof to ower rate, de	due shall the time if any, as termine.	o Yes o No

	THE GAZETTE OF INDIA. EATER-ORDITARY	
17	(i) Any sum which by the terms of issue of a share becomes payable on allotment or at any fixed date, whether on account of the nominal value of the share or by way of premium, shall, for the purposes of these regulations, be deemed to be a call duly made and payable on the date on which by the terms of issue such sum becomes payable. (ii) In case of non-payment of such sum, all the relevant provisions of these regulations as to payment of interest and expenses, forfeiture or otherwise shall apply as if such sum had become payable by virtue of a call duly made and notified.	o Yes o No
18	The Board— (a) may, if it thinks fit, receive from any member willing to advance the same, all or any part of the monies uncalled and unpaid upon any shares held by him; and (b) upon all or any of the monies so advanced, may (until the same would, but for such advance, become presently payable) pay interest at such rate not exceeding, unless the company in general meeting shall otherwise direct, twelve per cent per annum, as may be agreed upon between the Board and the member paying the sum in advance. Transfer of shares	o Yes o No
19	(i) The instrument of transfer of any share in the company shall be executed by or on behalf of both the transferor and transferee. (ii) The transferor shall be deemed to remain a holder of the share until the name of the transferee is entered in the register of members in respect thereof.	o Yes o No
20	The Board may, subject to the right of appeal conferred by section 58 decline to register— (a) the transfer of a share, not being a fully paid share, to a person of whom they do not approve; or (b) any transfer of shares on which the company has a lien.	o Yes o No
21	The Board may decline to recognise any instrument of transfer unless— (a) the instrument of transfer is in the form as prescribed in rules made under sub-section (1) of section 56; (b) the instrument of transfer is accompanied by the certificate of the shares to which it relates, and such other evidence as the Board may reasonably require to show the right of the transferor to make the transfer; and (c) the instrument of transfer is in respect of only one class of shares.	o Yes o No
22	On giving not less than seven days' previous notice in accordance with section 91 and rules made thereunder, the registration of transfers may be suspended at such times and for such periods as the Board may from time to time Provided that such registration shall not be suspended for more than thirty days at any one time or for more than forty-five days in the aggregate in any year.	o Yes o No
	Transmission of shares	

23	(i) On the death of a member, the survivor or survivors where the member was a joint holder, and his nominee or nominees or legal representatives where he was a sole holder, shall be the only persons recognised by the company as having any title to his interest in the shares (ii) Nothing in clause (i) shall release the estate of a deceased joint holder from any liability in respect of any share which had been jointly held by him with other persons.	o Yes o No
24	(i) Any person becoming entitled to a share in consequence of the death or insolvency of a member may, upon such evidence being produced as may from time to time properly be required by the Board and subject as hereinafter provided, elect, either— (a) to be registered himself as holder of the share; or (b) to make such transfer of the share as the deceased or insolvent member could have made. (ii) The Board shall, in either case, have the same right to decline or suspend registration as it would have had, if the deceased or insolvent member had transferred the share before his death or insolvency.	o Yes o No
25	(i) If the person so becoming entitled shall elect to be registered as holder of the share himself, he shall deliver or send to the company a notice in writing signed by him stating that he so elects. (ii) If the person aforesaid shall elect to transfer the share, he shall testify his election by executing a transfer of the share. (iii) All the limitations, restrictions and provisions of these regulations relating to the right to transfer and the registration of transfers of shares shall be applicable to any such notice or transfer as aforesaid as if the death or insolvency of the member had not occurred and the notice or transfer were a transfer signed by that member.	o Yes o No
26	A person becoming entitled to a share by reason of the death or insolvency of the holder shall be entitled to the same dividends and other advantages to which he would be entitled if he were the registered holder of the share, except that he shall not, before being registered as a member in respect of the share, be entitled in respect of it to exercise any right conferred by membership in relation to meetings of the company: Provided that the Board may, at any time, give notice requiring any such person to elect either to be registered himself or to transfer the share, and if the notice is not complied with within ninety days, the Board may thereafter withhold payment of all dividends, bonuses or other monies payable in respect of the share, until the requirements of the notice have been complied with.	o Yes o No

27	In case of a One Person Company— (i) on the death of the sole member, the person nominated by such member shall be the person recognised by the company as having title to all the shares of the member; (ii) the nominee on becoming entitled to such shares in case of the member's death shall be informed of such event by the Board of the company; (iii) such nominee shall be entitled to the same dividends and other rights and liabilities to which such sole member of the company was entitled or liable; (iv) on becoming member, such nominee shall nominate any other person with the prior written consent of such person who, shall in the event of the death of the member, become the member of the company.	o Yes o No
	Forfeiture of shares	
28	If a member fails to pay any call, or instalment of a call, on the day appointed for payment thereof, the Board may, at any time thereafter during such time as any part of the call or instalment remains unpaid, serve a notice on him requiring payment of so much of the call or instalment as is unpaid, together with any interest which may have accrued.	o Yes o No
29	The notice aforesaid shall— (a) name a further day (not being earlier than the expiry of fourteen days from the date of service of the notice) on or before which the payment required by the notice is to be made; and (b) state that, in the event of non-payment on or before the day so named, the shares in respect of which the call was made shall be liable to be forfeited.	o Yes o No
30	If the requirements of any such notice as aforesaid are not complied with, any share in respect of which the notice has been given may, at any time thereafter, before the payment required by the notice has been made, be forfeited by a resolution of the Board to that effect.	o Yes o No
31	(i) A forfeited share may be sold or otherwise disposed of on such terms and in such manner as the Board thinks fit. (ii) At any time before a sale or disposal as aforesaid, the Board may cancel the forfeiture on such terms as it thinks fit.	o Yes o No
32	(i) A person whose shares have been forfeited shall cease to be a member in respect of the forfeited shares, but shall, notwithstanding the forfeiture, remain liable to pay to the company all monies which, at the date of forfeiture, were presently payable by him to the company in respect of the shares. (ii) The liability of such person shall cease if and when the company shall have received payment in full of all such monies in respect of the shares.	o Yes o No
33	(i) A duly verified declaration in writing that the declarant is a director, the manager or the secretary, of the company, and that a share in the company has been duly forfeited on a date stated in the declaration, shall be conclusive evidence of the facts therein stated as against all persons claiming to be entitled to the share; (ii) The company may receive the consideration, if any, given for the share on any sale or disposal thereof and may execute a transfer of the share in favour of the person to whom the share is sold or disposed of; (iii) The transferee shall thereupon be registered as the holder of the share; and (iv) The transferee shall not be bound to see to the application of the purchase money, if any, nor shall his title to the share be affected by any	o Yes o No

G G	5(1)]	

!	irregularity or invalidity in the proceedings in reference to the forfeiture, sale	
34	or disposal of the share. The provisions of these regulations as to forfeiture shall apply in the case of	o Yes o No
34	nonpayment of any sum which, by the terms of issue of a share, becomes	o resono
	payable at a fixed time, whether on account of the nominal value of the share	
	or by way of premium, as if the same had been payable by virtue of a call duly	
	made and notified.	
+	Alteration of capital	<u> </u>
35	The company may, from time to time, by ordinary resolution increase the	o Yes o No
	share capital by such sum, to be divided into shares of such amount, as may	
	be specified in the resolution.	
36	Subject to the provisions of section 61, the company may, by ordinary	o Yes o No
	resolution,—	
	(a) consolidate and divide all or any of its share capital into shares of larger	
	amount than its existing shares;	
	(b) convert all or any of its fully paid-up shares into stock, and reconvert that	
	stock into fully paid-up shares of any denomination;	
	(c) sub-divide its existing shares or any of them into shares of smaller amount	
	than is fixed by the memorandum;	
	(d) cancel any shares which, at the date of the passing of the resolution, have	
	not been taken or agreed to be taken by any person.	
37	Where shares are converted into stock,—	o Yes o No
	(a) the holders of stock may transfer the same or any part thereof in the same	
	manner as, and subject to the same regulations under which, the shares from which the stock arose might before the conversion have been transferred, or	
	as near thereto as circumstances admit:	
	Provided that the Board may, from time to time, fix the minimum amount of	İ
	stock transferable, so, however, that such minimum shall not exceed the	
	nominal amount of the shares from which the stock arose.	
	(b) the holders of stock shall, according to the amount of stock held by them,	
	have the same rights, privileges and advantages as regards dividends, voting	
	at meetings of the company, and other matters, as if they held the shares	:
	from which the stock arose; but no such privilege or advantage (except	
	participation in the dividends and profits of the company and in the assets on	
	winding up) shall be conferred by an amount of stock which would not, if existing in shares, have conferred that privilege or advantage.	
	existing in shares have conferred that privilege or advantage. (c) such of the regulations of the company as are applicable to paid-up shares	
	shall apply to stock and the words "share" and "shareholder" in those	
	regulations shall include "stock" and "stock-holder" respectively.	
38		o Yes o No
	subject to, any incident authorised and consent required by law,—	
	(a) its share capital;	
	(b) any capital redemption reserve account; or	
	(c) any share premium account.	
	Capitalisation of profits	

(i) the company in general meeting may, upon the recommendation of the Board, (a) that it is desirable to capitalise any part of the amount for the time being standing to the credit of any of the company's reserve accounts, or to the credit of the, profit and loss account, or otherwise available for distribution; and (b) that such sum be accordingly set free for distribution in the manner specified in clause (ii) amongst the members who would have been entitled thereto, if distributed by way of dividend and in the same proportions. (ii) The sum aforesaid shall not be paid in cash but shall be applied, subject to the provision contained in clause (ii), either in or towards— (A) paying up any amounts for the time being unpaid on any shares held by such members respectively; (B) paying up in full, unissued shares of the company to be allotted and distributed, credited as fully paid-up, to and amongsc such members in the proportions (C) partly in the way specified in sub-clause (A) and partly in that specified in sub-clause (D) A securities premium account and a capital redemption reserve account may, for the purposes of this regulation, be applied in the paying up of unissued shares to be issued to members of the company as fully paid bonus shares; (E) The Board shall give effect to the resolution passed by the company in pursuance of this regulation. 40 (i) Whenever such a resolution as aforesaid shall have been passed, the Board shall— (a) make all appropriations and applications of the undivided profits resolved to be capitalised thereby, and all allotments and issues of fully paid shares if any; (ii) The Board shall have power— (a) to make such provisions, by the issue of fractional certificates or by payment in cash or otherwise as it thinks fit, for the case of shares becoming distributable in fractions; and (b) to authorise any person to enter, on behalf of all the members entitled thereto, into an agreement with the company providing for the allotment to them respectively, credited as fully paid-up, of an	720	(i) The common in accordance when we have a second about all the	A Vos a Na
(b) that such sum be accordingly set free for distribution in the manner specified in clause (ii) amongst the members who would have been entitled thereto, if distributed by way of dividend and in the same proportions. (ii) The sum aforesaid shall not be paid in cash but shall be applied, subject to the provision contained in clause (iii), either in or towards—(A) paying up any amounts for the time being unpaid on any shares held by such members members respectively; (B) paying up in full, unissued shares of the company to be allotted and distributed, credited as fully paid-up, to and amongst such members in the proportions (C) partly in the way specified in sub-clause (A) and partly in that specified in sub-clause (B); (D) A securities premium account and a capital redemption reserve account may, for the purposes of this regulation, be applied in the paying up of unissued shares to be issued to members of the company as fully paid bonus shares; (E) The Board shall give effect to the resolution passed by the company in pursuance of this regulation. 40 (i) Whenever such a resolution as aforesaid shall have been passed, the Board shall— (a) make all appropriations and applications of the undivided profits resolved to be capitalised thereby, and all allotments and issues of fully paid shares if any; (b) generally do all acts and things required to give effect thereto. (ii) The Board shall have power— (a) to make such provisions, by the issue of fractional certificates or by payment in cash or otherwise as it thinks fit, for the case of shares becoming distributable in fractions; and (b) to authorise any person to enter, on behalf of all the members entitled thereto, into an agreement with the company providing for the allotment to them respectively, credited as fully paid-up, of any further shares to which they may be entitled upon such capitalisation, or as the case may require, for the payment by the company on their behalf, by the application thereto of their respective proportions of profits resolved to be ca	39	(a) that it is desirable to capitalise any part of the amount for the time being standing to the credit of any of the company's reserve accounts, or to the credit of the, profit and loss account, or otherwise available for distribution;	o Yes o Në
shall— (a) make all appropriations and applications of the undivided profits resolved to be capitalised thereby, and all allotments and issues of fully paid shares if any; and (b) generally do all acts and things required to give effect thereto. (ii) The Board shall have power— (a) to make such provisions, by the issue of fractional certificates or by payment in cash or otherwise as it thinks fit, for the case of shares becoming distributable in fractions; and (b) to authorise any person to enter, on behalf of all the members entitled thereto, into an agreement with the company providing for the allotment to them respectively, credited as fully paid-up, of any further shares to which they may be entitled upon such capitalisation, or as the case may require, for the payment by the company on their behalf, by the application thereto of their respective proportions of profits resolved to be capitalised, of the amount or any part of the amounts remaining unpaid on their existing shares; (iii) Any agreement made under such authority shall be effective and binding on such members.		(b) that such sum be accordingly set free for distribution in the manner specified in clause (ii) amongst the members who would have been entitled thereto, if distributed by way of dividend and in the same proportions. (ii) The sum aforesaid shall not be paid in cash but shall be applied, subject to the provision contained in clause (iii), either in or towards— (A) paying up any amounts for the time being unpaid on any shares held by such members respectively; (B) paying up in full, unissued shares of the company to be allotted and distributed, credited as fully paid-up, to and amongst such members in the proportions aforesaid; (C) partly in the way specified in sub-clause (A) and partly in that specified in sub-clause (B); (D) A securities premium account and a capital redemption reserve account may, for the purposes of this regulation, be applied in the paying up of unissued shares to be issued to members of the company as fully paid bonus shares; (E) The Board shall give effect to the resolution passed by the company in	# 200 日間 11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Buy-back of shares	40	shall— (a) make all appropriations and applications of the undivided profits resolved to be capitalised thereby, and all allotments and issues of fully paid shares if any; and (b) generally do all acts and things required to give effect thereto. (ii) The Board shall have power— (a) to make such provisions, by the issue of fractional certificates or by payment in cash or otherwise as it thinks fit, for the case of shares becoming distributable in fractions; and (b) to authorise any person to enter, on behalf of all the members entitled thereto, into an agreement with the company providing for the allotment to them respectively, credited as fully paid-up, of any further shares fo which they may be entitled upon such capitalisation, or as the case may require, for the payment by the company on their behalf, by the application thereto of their respective proportions of profits resolved to be capitalised, of the amount or any part of the amounts remaining unpaid on their existing shares; (iii) Any agreement made under such authority shall be effective and binding on such members.	o Yes o No
		Buy-back of shares	2

भा	ri j	[-	खप	ाड	31	(i)
					_^	-	_

41	Notwithstanding anything contained in these articles but subject to the provisions of sections 68 to 70 and any other applicable provision of the Act or any other law for the time being in force, the company may purchase its own shares or other specified securities.	o Yes o No
	General meetings	The same and the s
42	All general meetings other than annual general meeting shall be called extraordinary general meeting.	o Yes a No
43	(i) The Board may, whenever it thinks fit, call an extraordinary general meeting.	o Yes o No
	(ii) If at any time directors capable of acting who are sufficient in number to	
	form a quorum are not within India, any director or any two members of the	
	company may call an extraordinary general meeting in the same manner, as nearly as possible, as that in which such a meeting may be called by the Board.	
	Proceedings at general meetings	
44	(i) No business shall be transacted at any general meeting unless a quorum of members is present at the time when the meeting proceeds to business. (ii) Save as otherwise provided herein, the quorum for the general meetings shall be as provided in section 103.	o Yes o No
45	The chairperson, if any, of the Board shall preside as Chairperson at every general meeting of the company.	o Yes o No
46	If there is no such Chairperson, or if he is not present within fifteen minutes after the time appointed for holding the meeting, or is unwilling to act as chairperson of the meeting, the directors present shall elect one of their members to be Chairperson of the meeting.	o Yes o No
47	If at any meeting no director is willing to act as Chairperson or if no director is present within fifteen minutes after the time appointed for holding the meeting, the members present shall choose one of their members to be Chairperson of the meeting.	o Yes o No
48	In case of a One Person Company— (i) the resolution required to be passed at the general meetings of the company shall be deemed to have been passed if the resolution is agreed upon by the sole member and communicated to the company and entered in the minutes book maintained under section 118; (ii) such minutes book shall be signed and dated by the member, (iii) the resolution shall become effective from the date of signing such minutes by the sole member.	o Yes o No
	Adjournment of meeting	

	Proxy	
	(ii) Any such objection made in due time shall be referred to the Chairperson of the meeting, whose decision shall be final and conclusive.	
56	(i) No objection shall be raised to the qualification of any voter except at the meeting or adjourned meeting at which the vote objected to is given or tendered, and every vote not disallowed at such meeting shall be valid for all purposes.	o Yes o No
55	No member shall be entitled to vote at any general meeting unless all calls or other sums presently payable by him in respect of shares in the company have been paid	
54	Any business other than that upon which a poll has been demanded may be proceeded with, pending the taking of the poll.	o Yes o No
53	A member of unsound mind, or in respect of whom an order has been made by any court having jurisdiction in lunacy, may vote, whether on a show of hands or on a poll, by his committee or other legal guardian, and any such committee or guardian may, on a poll, vote by proxy.	o Yes o No
52	 (i) In the case of joint holders, the vote of the senior who tenders a vote, whether in person or by proxy, shall be accepted to the exclusion of the votes of the other joint holders. (ii) For this purpose, seniority shall be determined by the order in which the names stand in the register of members. 	o Yes o No
51	A member may exercise his vote at a meeting by electronic means in accordance with section 108 and shall vote only once.	o Yes o No
	(a) on a show of hands, every member present in person shall have one vote; and(b) on a poll, the voting rights of members shall be in proportion to his share in the paid-up equity share capital of the company.	:
50	Subject to any rights or restrictions for the time being attached to any class or classes of shares,—	o Yes o No
	Voting rights	
	is present, and shall, if so directed by the meeting, adjourn the meeting from time to time and from place to place. (ii) No business shall be transacted at any adjourned meeting other than the business left unfinished at the meeting from which the adjournment took place. (iii) When a meeting is adjourned for thirty days or more, notice of the adjourned meeting shall be given as in the case of an original meeting. (iv) Save as aforesaid, and as provided in section 103 of the Act, it shall not be necessary to give any notice of an adjournment or of the business to be transacted at an adjourned meeting.	
49	(i) The Chairperson may, with the consent of any meeting at which a quorum	o Yes o No

	The instrument appointing a proxy and the power-of-attorney or other authority, if any, under which it is signed or a notarised copy of that power or authority, shall be deposited at the registered office of the company not less than 48 hours before the time for holding the meeting or adjourned meeting at which the person named in the instrument proposes to vote, or, in the case of a poll, not less than 24 hours before the time appointed for the taking of the poll, and in default the instrument of proxy shall not be treated as valid.	o Yes o No
	An instrument appointing a proxy shall be in the form as prescribed in the rules made under section 105	o Yes o No
1 5 2 1	A vote given in accordance with the terms of an instrument of proxy shall be valid, notwithstanding the previous death or insanity of the principal or the revocation of the proxy or of the authority under which the proxy was executed, or the transfer of the shares in respect of which the proxy is given: Provided that no intimation in writing of such death, insanity, revocation or transfer shall have been received by the company at its office before the commencement of the meeting or adjourned meeting at which the proxy is used.	o Yes o No
	Board of Directors	
ee''''	The number of the directors and the names of the first directors shall be determined in writing by the subscribers of the memorandum or a majority of them.	o Yes o No
	(i) The renuneration of the directors shall, in so far as it consists of a monthly payment, be deemed to accrue from day-to-day. (ii) In addition to the remuneration payable to them in pursuance of the Act, the directors may be paid all travelling, hotel and other expenses properly incurred by them— (a) in aftending and returning from meetings of the Board of Directors or any committee thereof or general meetings of the company; or (b) in connection with the business of the company.	o Yes o No
\$. -	The Soard may pay all expenses incurred in getting up and registering the company.	o Yes o No
1 63 T	The company may exercise the powers conferred on it by section 88 with regard to the keeping of a foreign register; and the Board may (subject to the provisions of that section) make and vary such regulations as it may thinks fit respecting the keeping of any such register.	o Yes o No
64	All cheques, promissory notes, drafts, hundis, bills of exchange and other negotiable instruments, and all receipts for monies paid to the company, shall be signed, drawn, accepted, endorsed, or otherwise executed, as the case may be, by such person and in such manner as the Board shall from time to time by resolution determine	o Yes o No
65	Every director present at any meeting of the Board or of a committee thereof shall sign his name in a book to be kept for that purpose.	o Yes o No

66	 (i) Subject to the provisions of section 149, the Board shall have power at any time, and from time to time, to appoint a person as an additional director, provided the number of the directors and additional directors together shall not at any time exceed the maximum strength fixed for the Board by the articles. (ii) Such person shall hold office only up to the date of the next annual general meeting of the company but shall be eligible for appointment by the company as a director at that meeting subject to the provisions of the Act. 	o Yes o No
	Proceedings of the Board	
67	(i) The Board of Directors may meet for the conduct of business, adjourn and otherwise regulate its meetings, as it thinks fit. (ii) A director may, and the manager or secretary on the requisition of a director shall, at any time, summon a meeting of the Board.	o Yes o No
68	(i) Save as otherwise expressly provided in the Act, questions arising at any meeting of the Board shall be decided by a majority of votes. (ii) In case of an equality of votes, the Chairperson of the Board, if any, shall have a second or casting vote.	o Yes o No
69	The continuing directors may act notwithstanding any vacancy in the Board; but, if and so long as their number is reduced below the quorum fixed by the Act for a meeting of the Board, the continuing directors or director may act for the purpose of increasing the number of directors to that fixed for the quorum, or of summoning a general meeting of the company, but for no other purpose.	o Yes o No
70	(i) The Board may elect a Chairperson of its meetings and determine the period for which he is to hold office. (ii) If no such Chairperson is elected, or if at any meeting the Chairperson is not present within five minutes after the time appointed for holding the meeting, the directors present may choose one of their number to be Chairperson of the meeting.	o Yes o No
71	(i) The Board may, subject to the provisions of the Act, delegate any of its powers to committees consisting of such member or members of its body as it thinks fit. (ii) Any committee so formed shall, in the exercise of the powers so delegated, conform to any regulations that may be imposed on it by the Board.	o Yes o No
72	(i) A committee may elect a Chairperson of its meetings. (ii) If no such Chairperson is elected, or if at any meeting the Chairperson is not present within five minutes after the time appointed for holding the meeting, the members present may choose one of their members to be Chairperson of the meeting.	o Yes o No
73	(i) A committee may meet and adjourn as it thinks fit. (ii) Questions arising at any meeting of a committee shall be determined by a majority of votes of the members present, and in case of an equality of votes, the Chairperson shall have a second or casting vote.	o Yes o No

74	All acts done in any meeting of the Board or of a committee thereof or by any person acting as a director, shall, notwithstanding that it may be afterwards discovered that there was some defect in the appointment of any one or more of such directors or of any person acting as aforesaid, or that they or any of them were disqualified, be as valid as if every such director or such person had been duly appointed and was qualified to be a director.	o Yes o No
75	Save as otherwise expressly provided in the Act, a resolution in writing, signed by all the members of the Board or of a committee thereof, for the time being entitled to receive notice of a meeting of the Board or committee, shall be valid and effective as if it had been passed at a meeting of the Board or committee, duly convened and held.	o Yes o No
76	In case of a One Person Company— (i) where the company is having only one director, all the businesses to be transacted at the meeting of the Board shall be entered into minutes book maintained under section 118; (ii) such minutes book shall be signed and dated by the director; (iii) the resolution shall become effective from the date of signing such minutes by the director.	o Yes o No
	Chief Executive Officer, Manager, Company Secretary or Chief Financial Officer	
77	Subject to the provisions of the Act,— (i) A chief executive officer, manager, company secretary or chief financial officer may be appointed by the Board for such term, at such renuneration and upon such conditions as it may thinks fit; and any chief executive officer, manager, company secretary or chief financial officer so appointed may be removed by means of a resolution of the Board; (ii) A director may be appointed as chief executive officer, manager, company secretary or chief financial officer	o Yes o No
78	A provision of the Act or these regulations requiring or authorising a thing to be done by or to a director and chief executive officer, manager, company secretary or chief financial officer shall not be satisfied by its being done by or to the same person acting both as director and as, or in place of, chief executive officer, manager, company secretary or chief financial officer.	o Yes o No
	The Seal	
79	(i) The Board shall provide for the safe custody of the seal. (ii) The seal of the company shall not be affixed to any instrument except by the authority of a resolution of the Board or of a committee of the Board authorised by it in that behalf, and except in the presence of at least two directors and of the secretary or such other person as the Board may appoint for the purpose; and those two directors and the secretary or other person aforesaid shall sign every instrument to which the seal of the company is so affixed in their presence.	o Yes o No
	Dividends and Reserve	
80	The company in general meeting may declare dividends, but no dividend shall exceed the amount recommended by the Board.	o Yes o No

81	Subject to the provisions of section 123, the Board may from time to time pay	o Yes o No
	to the members such interim dividends as appear to it to be justified by the profits of the company.	
82	(i) The Board may, before recommending any dividend, set aside out of the profits of the company such sums as it thinks fit as a reserve or reserves which shall, at the discretion of the Board, be applicable for any purpose to which the profits of the company may be properly applied, including provision for meeting contingencies or for equalizing dividends; and pending such application, may, at the like discretion, either be employed in the business of the company or be invested in such investments (other than shares of the company) as the Board may, from time to time, thinks fit. (ii) The Board may also carry forward any profits which it may consider necessary not to divide, without setting them aside as a reserve	o Yes o No
83	(i) Subject to the rights of persons, if any, entitled to shares with special rights as to dividends, all dividends shall be declared and paid according to the amounts paid or credited as paid on the shares in respect whereof the dividend is paid, but if and so long as nothing is paid upon any of the shares in the company, dividends may be declared and paid according to the amounts of the shares. (ii) No amount paid or credited as paid on a share in advance of calls shall be treated for the purposes of this regulation as paid on the share. (iii) All dividends shall be apportioned and paid proportionately to the amounts paid or credited as paid on the shares during any portion or portions of the period in respect of which the dividend is paid; but if any share is issued on terms providing that it shall rank for dividend as from a particular date such share shall rank for dividend accordingly.	o Yes o No
84	The Board may deduct from any dividend payable to any member all sums of money, if any, presently payable by him to the company on account of calls or otherwise in relation to the shares of the company.	o Yes o No
85	(i) Any dividend, interest or other monies payable in cash in respect of shares may be paid by cheque or warrant sent through the post directed to the registered address of the holder or, in the case of joint holders, to the registered address of that one of the joint holders who is first named on the register of members, or to such person and to such address as the holder or joint holders may in writing direct. (ii) Every such cheque or warrant shall be made payable to the order of the person to whom it is sent.	o Yes o No
86	Any one of two or more joint holders of a share may give effective receipts for any dividends, bonuses or other monies payable in respect of such share.	o Yes o No
87	Notice of any dividend that may have been declared shall be given to the persons entitled to share therein in the manner mentioned in the Act.	o Yes o No
	No dividend shall bear interest against the company.	

89	(i) The Board shall from time to time determined and at what times and places and under accounts and books of the company, or inspection of members (ii) No member (not being a director) shall account or book or document of the company authorised by the Board or by the company.	what conditions or regulations, the any of them, shall be open to the not being directors. all have any right of inspecting any pany except as conferred by law or	o Yes o No
	Winding	up	
90	Subject to the provisions of Chapter thereunder— (i) If the company shall be wound up, the a special resolution of the company and Act, divide amongst the members, in specitive assets of the company, whether they skind or (ii) For the purpose aforesaid, the liquidate fair upon any property to be divided as such division shall be carried out as between of (iii) The liquidator may, with the like sand such assets in trustees upon such trusts for if he considers necessary, but so that no many shares or other securities whereon the	XX of the Act and rules made iquidator may, with the sanction of any other sanction required by the sie or kind, the whole or any part of shall consist of property of the same not. For may set such value as he deems aforesaid and may determine how en the members or different classes members. It ion, vest the whole or any part of or the benefit of the contributories ember shall be compelled to accept	o Yes o No
	Indemnity		
91	Every officer of the company shall be incompany against any liability incurred by whether civil or criminal, in which judgme he is acquitted or in which relief is granted Note: The Articles shall be signed by each association who shall add his address, de the presence of at least one witness who likewise add his address, description a signatures shall be in form specified below	him in defending any proceedings, nt is given in his favour or in which to him by the court or the Tribunal. subscriber of the memorandum of scription and occupation, if any, in shall attest the signature and shall nd occupation, if any, and such	o Yes o No
Names,	Names, addresses, descriptions and occupations of Witnesses (along with name		
subscri		descriptions and occupations)	·
ABC of merchant		Signed before me Signature	
			j.

Dated the......day of20.....

Place:

	E - J - ARTICLES OF ASSOCIATION OF AN UNLIMITED COMPA	INT AND NO
HAVIN Articl	NG SHARE CAPITAL Description	Applicability
e No		Y/N
1	The number of members with which the company proposes to be registered is hundred, but the Board of Directors may, from time to time, whenever the company or the business of the company requires it, register an increase of members.	o Yes o No
2	The subscribers to the memorandum and such other persons as the Board shall admit to membership shall be members of the company.	o Yes o No
3	All the articles of Table H in Schedule I annexed to the Companies Act, 2013 shall be deemed to be incorporated with these articles and to apply to the company	o Yes o No
Table H CAPITA	-ARTICLES OF ASSOCIATION OF A COMPANY LIMITED BY GUARANTEE AND NO L	T HAVING SHAR
	Interpretation	
I	(1) In these regulations— (a) "the Act" means the Companies Act, 2013; (b) "the seal" means the common seal of the company. (2) Unless the context otherwise requires, words or expressions contained in these regulations shall have the same meaning as in the Act or any statutory modification thereof in force at the date at which these regulations become binding on the company.	o Yes o No
	Members	
1	The number of members with which the company proposes to be registered is hundred, but the Board of Directors may, from time to time, whenever the company or the business of the company requires it, register an increase of members.	o Yes o No
2	The subscribers to the memorandum and such other persons as the Board shall admit to membership shall be members of the company.	o Yes o No
	General meetings	
3	All general meetings other than annual general meeting shall be called extraordinary general meeting.	o Yes o No
4	(i) The Board may, whenever it thinks fit, call an extraordinary general meeting. (ii) If at any time directors capable of acting who are sufficient in number to form a quorum are not within India, any director or any two members of the company may call an extraordinary general meeting in the same manner, as nearly as possible, as that in which such a meeting may be called by the Board.	o Yes o No
	Proceedings at general meetings	

5	(i) No business shall be transacted at any general meeting unless a quorum of members is present at the time when the meeting proceeds to business. (ii) Save as otherwise provided herein, the quorum for the general meetings shall be as provided in section 103.	o Yes o No
6	The Chairperson, if any, of the Board shall preside as Chairperson at every general meeting of the company.	o Yes o No
7	If there is no such Chairperson, or if he is not present within fifteen minutes after the time appointed for holding the meeting, or is unwilling to act as Chairperson of the meeting, the directors present shall elect one of their members to be Chairperson of the meeting.	o Yes o No
8	If at any meeting no director is willing to act as Chairperson or if no director is present within fifteen minutes after the time appointed for holding the meeting, the members present shall choose one of their members to be Chairperson of the meeting.	o Yes o No
	Adjournment of meeting	
9	(i) The Chairperson may, with the consent of any meeting at which a quorum is present, and shall, if so directed by the meeting, adjourn the meeting from time to time and from place to place. (ii) No business shall be transacted at any adjourned meeting other than the business left unfinished at the meeting from which the adjournment took place. (iii) When a meeting is adjourned for thirty days or more, notice of the adjourned meeting shall be given as in the case of an original meeting. (iv) Save as aforesaid, and as provided in section 103 of the Act, it shall not be necessary to give any notice of an adjournment or of the business to be	o Yes o No
	transacted at an adjourned meeting.	
	Voting rights	·
10	Every member shall have one vote.	o Yes o No
11	A member of unsound mind, or in respect of whom an order has been made by any Court having jurisdiction in lunacy, may vote, whether on a show of hands or on a poll, by his committee or other legal guardian, and any such committee or guardian may, on a poll, vote by proxy.	o Yes o No
12	No member shall be entitled to vote at any general meeting unless all sums presently payable by him to the company have been paid.	o Yes o No
13	(i) No objection shall be raised to the qualification of any voter except at the meeting or adjourned meeting at which the vote objected to is given or tendered, and every vote not disallowed at such meeting shall be valid for all purposes. (ii) Any such objection made in due time shall be referred to the Chairperson of the meeting, whose decision shall be final and conclusive.	o Yes o No

14	A vote given in accordance with the terms of an instrument of proxy shall be valid, notwithstanding the previous death or insanity of the principal or the revocation of the proxy or of the authority under which the proxy was executed, or the transfer of the shares in respect of which the proxy is given: Provided that no intimation in writing of such death, insanity, revocation or transfer shall have been received by the company at its office before the commencement of the meeting or adjourned meeting at which the proxy is used.	o Yes o No
15	A member may exercise his vote at a meeting by electronic means in accordance with section 108 and shall vote only once.	o Yes o No
16	Any business other than that upon which a poll has been demanded may be proceeded with, pending the taking of the poll.	o Yes o No
17	Board of Directors The number of the directors and the names of the first directors shall be determined in writing by the subscribers of the memorandum or a majority of them.	o Yes o No
18	(i) The remuneration of the directors shall, in so far as it consists of a monthly payment, be deemed to accrue from day-to-day. (ii) In addition to the remuneration payable to them in pursuance of the Act, the directors may be paid all travelling, hotel and other expenses properly incurred by them— (a) in attending and returning from meetings of the Board of Directors or any committee thereof or general meetings of the company; or (b) in connection with the business of the company	o Yes o No
	Proceedings of the Board	
19	(i) The Board of Directors may meet for the conduct of business, adjourn and otherwise regulate its meetings, as it thinks fit. (ii) A director may, and the manager or secretary on the requisition of a director shall, at any time, summon a meeting of the Board.	o Yes o No
20	(i) Save as otherwise expressly provided in the Act, questions arising at any meeting of the Board shall be decided by a majority of votes. (ii) In case of an equality of votes, the Chairperson of the Board, if any, shall have a second or casting vote	o Yes o No
21	The continuing directors may act notwithstanding any vacancy in the Board; but, if and so long as their number is reduced below the quorum fixed by the Act for a meeting of the Board, the continuing directors or director may act for the purpose of increasing the number of directors to that fixed for the quorum, or of summoning a general meeting of the company, but for no other purpose.	o Yes o No

.

29	A provision of the Act or these regulations requiring or authorising a thing to be done by or to a director and chief executive officer, manager, company secretary or chief financial officer shall not be satisfied by its being done by or to the same person acting both as director and as, or in place of, chief executive officer, manager, company secretary or chief financial officer.		o Yes o No
	The Seal		
30	(i) The Board shall provide for the (ii) The seal of the company shall not be a by the authority of a resolution of the Board authorised by it in that behalf, and except directors and of the secretary or such appoint for the purpose; and those two directors aforesaid shall sign every instruction company is so affixed Note: The Articles shall be signed by each of association who shall add his address, do in the presence of at least one witness with shall likewise add his address, description signatures shall be in form specified below.	affixed to any instrument except of or of a committee of the Board of the presence of at least two other person as the Board may ectors and the secretary or other ment to which the seal of the in their presence. subscriber of the memorandum escription and occupation, if any, ho shall attest the signature and and occupation, if any, and such it.	o Yes o No
Names, addresses, descriptions and occupations of		, ,	nes, addresses,
subscribers		descriptions and occupations)	
ABC of merchant		Signed before me	
•		Signature	
		•	

Dated theda	y of	20
-------------	------	----

Place:

[F. No. 01/13/2013-CL-V (Part-I)] AMARDEEP SINGH BHATIA, Jt. Sect.

Note: The principal rules were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), vide number G.S.R. 250(E), dated the 31st March, 2014.